# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7 ] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का आठवां दिवस [ संख्या : 5

बृहस्पतिवार,

4 जुलाई, 1996

(शक सम्वत् 1918, आषाढ़ बदी, 4)

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

### राज्य में वर्ष 1995-96 में क्रमोन्नत विद्यालय

**श्री अध्यक्ष :** श्री कालूलाल जी गूजर।

**श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके परिवार में कोई गमी हो गयी है इसलिये वे सदन में आ नहीं सके। इसलिये कृपया मुझे अनुमति प्रदान की जाए।

**श्री अध्यक्ष :** हां।

**121. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) :** (श्री कालूलाल गूजर (मांडल) के स्थान पर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में राजस्थान में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले/क्रमोन्नत किये गये और कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्रमोन्नत किये गये समस्त विद्यालयों में आठवीं और दसवीं कक्षाओं में छात्रों की संख्या कितनी-कितनी थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र मांडल जिला भीलवाड़ा की स्कूलों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो इस क्षेत्र के कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या वर्ष 1996-97 में विधान सभा क्षेत्र मांडल के विद्यालयों को भी क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से और कब तक?

**शिक्षा मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) :** (1) वर्ष 1995-96 में 85 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में तथा 49 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। जिनमें क्रमशः 38 एवं 17 विद्यालय जन सहभागिता योजनान्तर्गत क्रमोन्नत किये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में क्रमोन्नति के समय उपलब्ध सूचना के अनुसार कक्षा आठ और दस की छात्र संख्या की सूची सदन के पटल पर रखी दी गयी है।

(3) जी हां। निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने तथा सीमित वित्तीय साधनों के कारण उक्त विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किये जा सके।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(4) माण्डल विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 1996-97 में विद्यालयों के क्रमोन्नत हेतु प्राप्त प्रस्तावों के मानदण्ड की पूर्ति करने पर उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों की परिसीमा में अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

**श्री रिछपाल सिंह** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर के भाग (4) में आपने बताया था कि व्यवस्था के आधार पर क्रमोन्नत किये जाएंगे। मेरा आपने बताया था कि व्यवस्था के आधार पर क्रमोन्नत किये जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि मांडल विधान सभा क्षेत्र बहुत विस्तृत पैमाने पर बसा हुआ है और वहां पर ऐसे केवल चार कस्बे हैं जहां पर स्कूलें हैं। विद्यार्थियों को आने-जाने में बहुत कष्ट होता है। केवल चार ऐसे स्थान हैं, करेडा है, बागौर है, भगवानपुरा है और मांडल है, बाकी स्थानों पर ऐसे विद्यालय नहीं हैं। ग्रामीण बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आने में बहुत तकलीफ होती है। पिछले वर्ष भी जितने विद्यालय क्रमोन्नत होने चाहिये थे वे नहीं हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि गम्भीरता के साथ ही नहीं, इसको प्रामाणिकता के साथ इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करें और कोई स्कूल चाहे सैकण्डरी हो या हायर सैकण्डरी, देने की कृपा करें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का जवाब यह है कि पिछली बार मांडल विधान सभा क्षेत्र में पांच माध्यमिक से सीनियर माध्यमिक क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव माननीय विधायक महोदय ने दिये थे। भगवानपुरा, भीमाली, ज्ञानगढ़, थाणां और गुड़ला। इनमें भगवानपुरा में दसवीं में मात्र 24, भीमाली में 16, ज्ञानगढ़ में 15, थाणां में 16 और गुड़ला में 18 बालक थे। जबकि हमारा जो मिनिमम है उसमें चालीस बच्चे होने पर हम उसको सीनियर हायर सैकण्डरी बनाने के बारे में विचार करते हैं और उसकी दूरियों व जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कुछ मापदण्डों के आधार पर खोलते हैं। इसमें एक भी विद्यालय इस मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता था इसके कारण नहीं खोल पाये।

**श्री बद्री प्रसाद गुरूजी** (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

**श्री अध्यक्ष** : अब आपको क्या कहना है माडलगढ़ के बारे में ?

**श्री बद्री प्रसाद गुरूजी** : नहीं, मैं इसी प्रश्न के बारे में पूछ रहा हूं। मेरा छोटा-सा प्रश्न है कि जनसहभागिता योजना में, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, इस वर्ष कितने सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का विचार है और कितनी राशि सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल के लिये तय की गयी है जमा कराने की ?—

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : एक प्रश्न मेरा भी है।

**श्री अध्यक्ष** : अब इसमें क्या पूछना रह गया है ? मांडल के बारे में ही है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : मांडल का ही नहीं, पूरे राजस्थान का है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सीधा स्पष्ट सवाल है माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से—(व्यवधान)— क्षेत्र का सवाल है, राजस्थान का सवाल है।

(श्री रामनारायण मीणा)

शिक्षा मंत्री जी, यहां पर सत्तर लड़कियां दसवीं में हैं और आस-पास 60-70 किलोमीटर तक लड़कियों का सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। ऐसे क्षेत्र में आपने क्रमोन्नत करने के लिये क्यों भेद-भाव बरता? नैनवां में मैंने चिट्ठी लिखी है_(व्यवधान)_नैनवां में सत्तर लड़कियां वहां माध्यमिक विद्यालय में हैं। आपके पास वहां से हर रोज पोस्टकार्ड आ रहे हैं। डेली आठ-दस पोस्टकार्ड आ रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार भी करती है और हम सब करते हैं। फिर भी 70 लड़कियां माध्यमिक स्कूल में जहां हों वहां लड़कियों का स्कूल नहीं हो? रोजाना कोई न कोई घटना होती जा रही है। और नैनवां कस्बा, मंत्री जी, आप तो बोल रहे थे, आपने किया क्या है? आप तो अधिशाषी अभियन्ता का मुख्यालय भी बूंदी करना चाहते हो इसलिये आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है नैनवां के मामले में।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नैनवां में 70 लड़कियां माध्यमिक स्कूल में हैं, रोजाना घटनाएं होती हैं। जब से मैं विधान सभा का सदस्य बना हूं तब से कहता आ रहा हूं। रोजाना आपके पास पोस्टकार्ड आ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय प्रश्न पूछें, भाषण नहीं करें।

**श्री रामनारायण मीणा** : आप कृपा करके वहां स्कूल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? यही हालत देई में है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** : देई में तो माध्यमिक स्कूल है, जहां 70-70 लड़कियां हैं। क्या दोनों जगह आप स्कूलों को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करेंगे?

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। श्री रामस्वरूप जी। (व्यवधान)

**श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। नयी शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक स्तर की सुविधा प्रदान करने की राज्य सरकार की घोषणाएं हैं। क्या माननीय मंत्री जी आने वाले सत्र में सभी पंचायत मुख्यालयों को उच्च प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध करा देंगे?

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। रामस्वरूप जी।

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने क्रमोन्नत करने की क्या नीति अपनायी है? मेरा माननीय मंत्री महोदय पर यह सीधा आक्षेप है कि आपने इसमें भेद-भाव बरता है। हमारे जिला सवाई माधोपुर में आपने एक भी स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया है जो इस बात को साबित करता है कि आपके दिल में हमारे प्रति भेद-भाव है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के गुढ़ाचन्द्रजी में लड़कियों का जो स्कूल है उसको क्रमोन्नत कराने के लिये कई बार माननीय मंत्री जी से मिला, कई बार डेपुटेशन आया और लड़कियों की संख्या भी 150 से भी ऊपर है, लेकिन माननीय मंत्री जी, आज तक हमारे गुढ़ाचन्द्रजी के स्कूल को आपने क्रमोन्नत नहीं किया।

दूसरा मेरा निवेदन है कि वहां की स्कूल के दस कमरे, पूर्व में भी मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था_

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : स्कूल के दस कमरे टूटकर गिर पड़े थे उनको भी आपने आज तक नहीं बनवाया।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप। आप रिलेटेड प्रश्न पूछें।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : एक प्रश्न, आपने जो नीति बनायी है वह भेदभाव पूर्ण नीति है। आपने राजस्थान में जितने भी आदर्श विद्या मंदिर हैं उनको आपने स्वीकृति दिलवायी है। सारी तरक्की उनकी आप लगातार करते चले जा रहे हो। हमारे साथ आप भेद-भाव बरत रहे हो। इससे बुरी खेद की बात और क्या होगी। इसलिये आप अपनी नीति स्पष्ट करें कि आपकी नीति क्या है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आदर के साथ माननीय सदस्य से और सम्पूर्ण विराजे हुए माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि 200 विधायकों के हिसाब से अब तक मैंने क्या स्कूल खोले हैं। उसमें उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक का हर साल का मैंने दिया है। मैं यह सूची आपके सामने रख रहा हूं। आप इसको देखने के बाद अगर यह कह दें कि मैंने भेदभाव के आधार पर स्कूल खोले हैं तब तो मैं, आप जो बात कह रहे हैं, उसका दोषी हूं।

जहां तक समझता हूं, मैंने बालकों की संख्या, स्कूल की दूरी, जनसंख्या, सबको ध्यान में रखते हुए जितना भी जिस क्षेत्र को दिया जा सकता है उतना देने की मैंने कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कम से कम स्कूल खोलने में किसी प्रकार के भेदभाव का विचार न पहले रखता था, न आज रखूंगा और भविष्य में भी कभी नहीं रखूंगा। क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से विद्यालय खोले गये हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** : देई और नैनवां में स्कूल में माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक लड़कियों का खोला कि नहीं खोला, जहां सत्तर-सत्तर छात्राएं हैं, आप यह बता दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। आप बंद करें। शिवनाथ सिंह जी। ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : सीकर विधान सभा क्षेत्र में किस-किस स्कूल को क्रमोन्नत किया गया, ...(व्यवधान)... क्या मापदण्ड के अनुसार ये वरीयता के क्रम में थे। ...(व्यवधान)... वरीयता के आधार पर स्कूलों को क्रमोन्नत करने का निवेदन था।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो जवाब ही नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवनाथ सिंह जी।

**श्री शिवनाथ सिंह** : प्रश्न संख्या 122

**श्री राजेन्द्र पारीक** : क्या यह मापदण्ड के अनुसार था या यह वरीयता के क्रम में थे? विभाग द्वारा किन किन स्कूलों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। कुशलपुरा राजकीय प्राथमिक शाला में (व्यवधान)...

**श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, मेरी नहीं सुनेंगे क्या आप? (व्यवधान)... छोटी-सी बात पूछ रहा हूं। न ज्यादा विस्तृत है न मैं कोई आक्षेप लगा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप विराजिये। आप बात कर लेना। इसमें कोई खास बात नहीं है। विराजें आप।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : अध्यक्ष महोदय, सदन में बात नहीं हो तो फिर बाहर क्या बात होगी? छोटी-सी बात पूछ रहा हूं आपके माध्यम से।

**श्री अध्यक्ष** : बहुत बात हो गयी। 10 मिनट ऊपर हो गये हैं। (व्यवधान)...विराजिये आप।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : यूं नहीं अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष** : अब दूसरा प्रश्न आ गया। विराजिये आप।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : देखिये, यह बात जमी नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय। बड़े विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)...

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)** : खोलने में घपला करें, मनमानी करें सदस्यों की भावना के अनुरूप खोले नहीं, राजस्थान का प्रश्न और आपने मंत्रीजी को मेहरबानी करके दो मिनट में निपटा दिया। यह क्या तरीका है? यह गलत बात है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : दो मिनट नहीं 12 मिनट हो गये पूरे।...(व्यवधान)... विराजें आप।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब दें इस बात का ...(व्यवधान)... आप क्राइटेरिया तो बता दीजिए कि किस क्राइटेरिया से खोल रहे हैं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : उसकी घोषणा करवा दीजिये।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : आंख मींच करके जहां मर्जी आयी वहां खोल दिये।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये-विराजिये।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** :...(व्यवधान) और कहते हैं कि सब विधायकों के क्षेत्र में खोल दिये हैं ये कहां तक कौनसे नियमों में खोलते हैं?

**श्री रामस्वरूप मीणा** :...(व्यवधान) घोषणा करवा दीजिए, अध्यक्ष महोदय

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, आप इसका जवाब दिलवाइये, इन्होंने क्या क्राइटेरिया काम में लिया है। क्राइटेरिया तो होगा कोई।...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप विराजिये। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब शिक्षा की डिमाण्ड आये तब बोल लें।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : राजस्थान का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, क्राइटेरिया क्या था यह बता दें।...(व्यवधान)...इतना बता दें, खोलने का कोई मापदण्ड तो होगा।

**श्री अध्यक्ष** : एजुकेशन की डिमांड पर आप पूरा डिस्कस करना। विराजें आप।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें यदि आप इतनी कंजूसी बरतेंगे तो कैसे काम चलेगा?

**श्री रामस्वरूप मीणा** : इसका स्पष्ट जवाब दिलवाए आप।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : नये स्कूलों को खोलने के लिए उनके पास में धन नहीं है तो वे कह दें।...(व्यवधान)...दानदाता से खुलवाना हो तो कह दें। दानदाता पैसे देते हैं तो खोलते नहीं हैं।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : किन-किन मापदण्डों के अनुसार इन्होंने स्कूल खोले हैं? मेरा आरोप है कि आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं द्वारा अभिशंषित स्कूलें इन्होंने खोली हैं और जो वहां के माननीय विधायक हैं उनके साथ भेदभाव किया गया है।...(व्यवधान)...मेरा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सीधा आरोप है सरकार पर कि आर.एस.एस. के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अभिशंषित स्कूलें खोली हैं। सीधा आरोप है सरकार पर।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। क्या कर रहे हैं आप? शिवनाथ सिंह जी का प्रश्न आने दीजिए।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : कोई क्राइटेरिया तो होगा, अध्यक्ष महोदय।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : आर.एस.एस. वालों की तो स्कूलें खोली हैं इन्होंने ....(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आप जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं। ....(व्यवधान)....

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : खोलने का क्राइटेरिया क्या था, यह बता दें।

**श्री टीकमचन्द कान्त** (सिवाना) : अब तो शिक्षा मंत्रीजी यह सारा देख करके कम से कम कांग्रेस की पुरानी नीति अपना लेते। कांग्रेस ने सिर्फ अपने ही क्षेत्र में स्कूलें खोली थीं। इतना उन्होंने किया था आप भी तो भाजपा के क्षेत्र में स्कूलें ज्यादा खोल लेते तो यह बिलकुल ठीक रहता। वैसे ही भेदभाव का आरोप तो आप पर है ही कांग्रेस आज तक वह नीति अपना रही है (व्यवधान) लोकतंत्र का मामला है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं दूसरा प्रश्न बोल चुका हूं। कृपया प्रश्न आने दें। बैठिये आप। आपकी पूरी बात आ गयी है। अब अंकित न करें।....

**श्री रामप्रताप कासनियां** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो। माननीय शिवनाथ सिंह जी। आप एजुकेशन की डिमाण्ड पर बात कर लेना।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : XXX

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : दूसरे भी माननीय सदस्यों के प्रश्न हैं उनको भी आने दें आप। विराजें आप।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : XXX

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि आर.एस.एस. के कार्यालय से लिस्टें आयी हैं, उनका क्राइटेरिया क्या था यह तो बता दें कम से कम।

**श्री अध्यक्ष** : बताएंगे क्राइटेरिया। जब डिमाण्ड हो तब आप अपनी बात बताएं पूरी।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : खाली क्राइटेरिया बता दें। क्या पता एजुकेशन की डिमाण्ड आएगी कि नहीं आएगी। ....(व्यवधान)....यह तो बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है। (व्यवधान) क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : जो नार्म्स तय किये थे उसके मुताबिक कांग्रेस के विधान सभा क्षेत्रों में स्कूल ज्यादा खुले हैं (व्यवधान)....

**श्री राजेन्द्र पारीक** : अध्यक्ष महोदय, इतनी देर आपने इसमें खराब की, उतनी देर में तो मेरा प्रश्न आ जाता।

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, विराजिये। शिवनाथ सिंह जी। अब बात हो गयी, बहुत हो गयी। विराजिये आप। माननीय मंत्रीजी।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : इतनी देर में तो मेरा जवाब ही आ जाता। मैं तो अपने क्षेत्र की बात पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : दूसरे माननीय सदस्यों का

---

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न आने दें। कृपया सहयोग करें। पर्यटन मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : आपकी शिक्षा नीति क्या है यह साफ कह दें कि इस नीति के तहत कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूपजी, आपको बोलने क्या देना है पूरा एक स्टान इकट्ठा करना है। ...(व्यवधान)... शिवनाथसिंह जी का प्रश्न है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : मैं भी तो पूछ ही रहा हूं। मैं भी तो अपने क्षेत्र की बात ही पूछ रहा हूं। ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष** : आप क्यों कर रहे हैं यह? ...(व्यवधान)...

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : नहीं खोली हैं, तो क्राइटेरिया बता दें, कौनसे क्राइटेरिया से खोली हैं? ...(व्यवधान) फिर क्राइटेरिया क्यों नहीं बता देते कि कौनसे क्राइटेरिया से खोली हैं?

**श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)** : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक बार समय दें, उनका क्राइटेरिया मैं बताऊं। उनकी जैसी नीति है। न भेद-भाव की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र के एम.एल.ए. साहब।

**एक माननीय सदस्य** : + + +

**श्री राजेन्द्र पारीक** : हमने शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया। दो-दो लाख रुपये लेकर स्कूलें खोलीं।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : ...(व्यवधान)... इन्होंने स्कूल को बदल दिया उस स्कूल को दूसरी जगह ले गये। क्या बोलते हैं। ये बोलने लायक नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से स्कूलें खोलीं, आप लोगों की तरह व्यवसाय नहीं बनाया। ...(व्यवधान)...

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : आपने तो स्कूलें नीलाम की हैं, नीलाम। ...(व्यवधान) + + + आप स्कूलें खोल नहीं पाते हो। पैसा ज्यादा खर्च करते हो, उसके बावजूद क्राइटेरिया नहीं रखते ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष** : केवल पर्यटन मंत्रीजी का ही अंकित करें। कोई अंकित नहीं करें अब।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री रामस्वरूप मीणा** : XXX

**श्री रामप्रताप कासनियां** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। ...(व्यवधान)... अब तो विराज जाओ आप।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : 15-20 मिनट हो गये हैं। एक प्रश्न भी नहीं आने दे रहे हैं आप। (व्यवधान) मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन है कि विराजें। दूसरे प्रश्न आने दें।

**श्री कालीचरण सराफ** : XXX

**श्री शिवनाथ सिंह** : XXX

**श्री टीकमचन्द कान्त** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : टीकमजी, विराजिये।

---

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) आप कृपया विराज जाएं तो अच्छा है। दूसरा प्रश्न आने दें। कल भी एक घंटा लगा दिया। सारी जगह बदनामी हो रही है कि एक घंटे में एक प्रश्न आ रहा है। श्री शिवनाथ सिंह जी।

## जिला झुन्झुनूं की पर्यटन विकास की योजनाएं

**122. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या-क्या योजनाएं विचाराधीन हैं तथा क्या-क्या योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं ?

(2) स्वीकृत योजनाएं कौन-कौनसी हैं तथा उन पर मई, 1996 के अन्त तक कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) स्वीकृत योजनाओं पर कार्य करने की गति धीमी होने के क्या कारण हैं तथा उसमें प्रगति लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) :** (1) झुन्झुनूं जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निम्न योजनाए स्वीकृत हैं :—

(अ) पर्यटक स्वागत केन्द्र, झुन्झुनूं का निर्माण।

(ब) कमरूद्दीन शाह की दरगाह का विकास।

(स) किरोडी का विकास।

(द) लोहार्गल के समीप जन-सुविधाओं का निर्माण।

(य) झुन्झुनूं में हवाई पट्टी का निर्माण।

(2) झुन्झुनूं में पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण कार्यादेश के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस पर मई, 1996 तक रूपये 0.25 लाख व्यय हुए हैं। हवाई पट्टी के डामरीकरण और तारबन्दी पर 15.60 लाख रूपये का व्यय हो चुका है। शेष विकास कार्यों के लिये नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

(3) विस्तृत तखमीने एवं मानचित्र तैयार करने व भूमि आवंटन आदि के अनुमोदन में समय लगने के कारण विकास कार्य में समय लगा है। इन्हें तीव्रता से निष्पादित कराने हेतु प्रयास जारी हैं।

**श्री शिवनाथ सिंह :** अध्यक्ष जी, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जब यह योजना तैयार की गयी उस वक्त, पर्यटन के हिसाब से झुन्झुनूं, सीकर और चूरू, ये तीन जिले एक साथ जुड़े हुए हैं, इन तीनों जिलों की सम्भावनाओं का भी क्या आंकलन किया गया ? मिड-वे आदि की जो समस्याएं हैं उनका कोई इसमें आंकलन नहीं किया। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने किरोडी और लोहार्गल का जिक्र किया है तो क्या आपके पास इस प्रकार के आंकड़े हैं कि इन दोनों स्थानों पर साल भर में कितने पर्यटक आते हैं ? इन पर्यटकों की संख्या को देखते हुए क्या-क्या योजनाएं आपने बनायीं ? लोहार्गल का विकास कर दिया, किरोडी का विकास कर दिया, इन विकास कार्यों के लिए क्या-क्या योजनाएं आपके पास हैं, वह थोड़ा बताइये ताकि मैं अगला सप्लीमेंट्री अपना पूछ सकूं।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर :** लोहार्गल में तो हमने जन-सुविधाओं, टायलेट्स का विकास किया है। किरोड़ी में हमने 40 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

दीपेन्द्रसिंह शेखावत : किरोड़ी है या किरोड़ी लाल।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। बोलने दें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : कोई भी चीज अगर हम तैयार करते हैं तो उसके लिये पहले राशि का इंतजाम करना पड़ता है। हमने ढाई साल में काफी राशि का इंतजाम कर लिया है, पैसे की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो राइडर्स लगे हुए थे फाइनेंन्स डिपार्टमेन्ट से वह राइडर्स भी हटा दिए गए हैं। जो काम हमने किये हैं, उन के तखमीने अभी तैयार नहीं हुए हैं अब किरोड़ी के लिए जिला कलेक्टर झुन्झुनूं विस्तार से इसका तखमीना तैयार करके हमें जैसे ही भिजवाएंगे हम यह पैसा अपने पीडी. खाते में से उनको आबंटन करा देंगे। कमरूद्दीन शाह की—

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : खाटू श्याम जी का क्या विकास कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष : खाटू श्याम जी कहां आ गया बीच में ही? सीकर जिला कहां से आ गया? आपकी कांस्टीट्यूएंसी का क्षेत्र दिखता है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : यह सवाल आप दुबारा करिए।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मेरी कांस्टीट्युएंसी नहीं है। वह कटारिया जी की ट्रांसफर करने की कांस्टीट्युएंसी है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : कमरुद्दीन शाह की जो दरगाह है उसका तखमीना तैयार हो चुका है, हमने 4.50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी है। इसका, राइडर 7.12.95 से हट गया है और यह काम चालू करने के लिऐ हम उनको पैसे आबंटन करा देंगे। 36 लाख का खर्चा है। पर्यटक स्वागत केन्द्र और पर्यटन विश्राम गृह में जिसमें से नीवें खुद गयीं हैं और उस पर 25 हजार का खर्चा हो गया है। बाकी पैसा हमारे पास जमा है, जैसे काम होता जाएगा उसमें हम पैसा खर्च करते जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : यह चूरू कहां से आ गया बीच में?

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मंत्री जी की जानकारी में है और मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि पर्यटन के मामले को हमने राजा-महाराजाओं के महलों और जागीरदारों के गढ़ों तक सीमित कर दिया है। अलग-अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। जैसा मेरा सवाल है और किराड़ी, लोहार्गल के लिए कहा कि यहां प्राकृतिक दृश्य हैं, बन्धे हैं, बारह महीनों झरने बहते हैं, गरम और ठण्डे पानी के झरने वहां बहते हैं, जो वहां की प्राकृतिक संपदा है, अरावली की श्रृंखला है। अरावली की श्रृंखलाएं वहां है इस बात को पर्यटन मैप पर लाने के लिए या पर्यटन के हिसाब से वहां पर कुछ भी करने के लिए आपने एक भी कदम नहीं उठाया है। वहां के लोकल पीपल को जबकि वहां पंचायत समिति है, जिला परिषद है, एम.एल.ए., प्रधान, सरपंच सब कुछ हैं, किसी भी व्यक्ति को आपने कांफीडेन्स में नहीं लिया और सिर्फ आफिसर्स की रिपोर्ट के आधार पर आपने ये तखमीने बनाने शुरू किये हैं, इसलिए यह आपका लेकुना रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने पर्यटन विकास के कार्यक्रम को जगीरदारों के गढ़ों से और राजा-महाराजाओं के महलों से बाहर निकालना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आज यदि राजस्थान में किसी को भी वीरता के गीत सुनने होंगे तो हल्दीघाटी में जाना पड़ेगा। आज जागीरदारों की हवेली में उन किसानों की मूंछ तो कटी हुई मिल सकती है। काठ में दिये हुए की कहानी मिल सकती है, काठ पर चढ़ाकर मिल सकती है, लेकिन वहां पर वास्तव में जो पर्यटन होना चाहिऐ अरावली की श्रृंखला को

(श्री शिवनाथ सिंह)

देखते हुए, उसमें आपने बिलकुल कोताही बरती है। उस भौगोलिक दृष्टि को कतई ध्यान में नहीं रखा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा की क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो योजना है इसको दुबारा चैक करेंगे और सब स्थानीय लोगों की, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दुबारा स्कीम बनाएंगे ?

**श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द—

**श्री अध्यक्ष** : आपके क्या पर्यटन है ? किशना राम जी, आपके यहां पर्यटन का क्या लेना-देना है ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : जवाब आने दीजिये।

**श्री किशनाराम नाई** : अध्यक्ष जी, दो शब्द कहूंगा। एक सवाल चाहे तारांकित हो या अतारांकित या 295, लाखों रुपए खर्च हुए हैं। कल भी आपके टोक दिया और आज भी टोक दिया। मेरा तो एक छोटा-सा सवाल है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें, माननीय सदस्य।

**श्री शिवनाथ सिंह** : आप मेरे सवाल का पहले जवाब दे दें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि माननीय सदस्य ने यह जो मूंछ कटने वाली बात कही है, यह मूंछ किसने काटी है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : माननीय सदस्य, मैंने जो पहले जवाब दिया शायद वह आपने सुना नहीं।

**श्री शिवनाथ सिंह** : सुन लिया मैंने।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : कमरुद्दीन शाह की दरगाह के तखमीने बनाये जा रहे हैं और किरोड़ी के तखमीने बन गये हैं। इनके पैसे हमारे पास जमा हैं और आप यह सोच रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे और ऐसे पहले डिपार्टमेंन्ट से ही कर देंगे। लेकिन हमने इसके लिए तय किया है कि वहां जनता से बैठकर, मीटिंग करके, जिस तरह से उदयपुर में हल्दी घाटी के बारे में की थी और फिर उसके बाद में हमने हल्दीघाटी का काम चालू किया था, उसी तरह सब जनता से राय लेकर, मर्जी के माफिक और सबसे पूछकर और अगर हमसे कोई त्रुटि रह गयी है तो उसे पूरी करके फिर करेंगे। जहां तक महलों और गढ़ों के बारे में आपका कहना है, यह प्राइवेट सैक्टर है और हमने उनसे मदद ली है ताकि शेखावाटी पूरा मानचित्र पर आ जाए। हमने एक पैसा नहीं दिया है। वहां प्राइवेट सैक्टर के 8 हैरिटेज होटल हैं उससे आवागमन पर्यटकों का बढ़ा है। आप जाकर बात कर लीजिये, एक्चुअल तो कोई बता नहीं सकता परन्तु उससे काफी—

**श्री शिवनाथ सिंह** : एक्चुअल मैं बता सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : एक्चुअल तो शिवनाथ सिंह जी आप तब बताएंगे जब आप वहां पर सबको पार्टी देंगे।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : अगर आप एक्चुअल बताएंगे तो वह गलत होगा। यह खाली अनुमानित होता है।

**श्री अध्यक्ष** : ऐसे क्या आपने ढीली-ढाली बात कह दी, झरने झर रहे हैं गर्म के भी झर रहे हैं और ठण्डे के भी झर रहे हैं। माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया का ध्यान ट्यूरिज्म के एक बहुत ही महत्वूपर्ण प्रश्न की तरफ

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आकर्षित करना चाहता हूं। सारी दुनिया जानती है कि भारत के तीन चौथाई ब्लैक बक या काले हिरण केवल विश्नोइयों के क्षेत्र में बसते हैं। भारतवर्ष के तीन चौथाई इंडियन गेजल या चिंकारा हिरन हमारे गांवों में बसते हैं और उसका दृश्य यह है कि वह एक सामाजिक जीवन का भाग है। हमारे घरों में आकर जंगली जानवर पानी पीकर जाते हैं, हमारे जानवरों के साथ खड़े रहते हैं। दूसरी जाति का देखते हैं तो भाग जाते हैं, नहीं तो आराम से विचरण करते हैं हमारे खेतों के अन्दर की बात है जहां तक सवारी की, ऊंट सवारी, कैमल सवारी की बात है आप जानती हैं कि विश्नोइयों से बढ़िया ऊंटों के सवार और बढ़िया ऊंट और बढ़िया पिलाण नहीं हैं। आपके ट्यूरिज्म के पिलाण शर्मनाक। जो लद्दू पिलाण कहते हैं, के पिलाण पर बैठाए हुए ले जाते हैं। मेरे घर पिलाण पड़ा है आज उसकी कीमत 30 हजार रुपये है। लार्ड लिनलिथगो आए, उस वक्त का मेरा फोटो, मेरे चाचा का फोटो है, जो भारतवर्ष में प्रथम श्रेणी का ऊंट था उसको लार्ड लिनलिथगो के वहां बुलाया था। आज भी एशिया का ऊंटों का जो सबसे बढ़िया सवार है वह कर्नल विश्नोई है। पोलो के खिलाड़ी ध्रुवपाल और दो छोरे हैं जयपुर के ही। पोलो में पाकिस्तान को हराने वाले हैं। यह दृश्य जब सामाजिक जीवन का है तो ऊंट सवारी में हमारा कहीं नाम नहीं, घुड़सवारी में कहीं नाम नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : फलौदी का भी ध्यान करिये आप।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आप इसे कहां ले गये ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : सामाजिक जीवन का हिस्सा है तो वह बताओ न आप। मैं कहीं नहीं ले गया हूं, मैंने जनरल कहा है।

**श्री अध्यक्ष** : आपने जनरल और पर्टिकुलर फलौदी के लिए कहा है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : ध्यान से हटा हुआ है तो मैंने कह दिया। अब आप दो मिनट और सुन लीजिए। यह पक्ष ध्यान से हट गया है। यह संसार के अन्दर अद्‌भुत उदाहरण है कि वन्य पशु और मनुष्य साथ रहते हों। अर्जुन सिंह जी इसके साक्षी हैं, जो विश्नोईयों के गांवों में बसते हैं वे साक्षी हैं। यह उदाहरण संसार में है। यह ले जाकर आप बताओ न।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक, आप विराजें। आपके क्या महुवा में है ? रामनारायण जी चौधरी

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : माननीय सदस्य शिवनाथ सिंह जी ने झुन्झुनूं जिले के पर्यटन के विकास के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, जिस तरह से राजस्थान की हल्दीघाटी जो उदयपुर में है वैसे ही यहां भी शेखावाटी की हल्दीघाटी का प्रश्न है। जो डवलपमेन्ट के लिए माननीय मंत्री महोदया ने उठाया है, वह शेखावाटी की हल्दीघाटी है। यह बात सही है कि राजस्थान का पर्यटन पुराने जमाने के गढ़ों तक सीमित होता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी तथ्य है कि जितने यूरोप से ट्यूरिस्ट आते हैं वे पुराने गढ़ों को, पुराने रहन-सहन के जीवन को और जो माननीय शिवनाथ सिंह जी ने चित्रण किया है, उस प्रकार के दृश्यों को, उस प्रकार की कहानियों को सुनना पसन्द करते हैं, इसलिए वे उधर ज्यादा कन्सन्ट्रेट हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, झुन्झुनूं जिले के अन्दर और राजस्थान में सबसे बड़ा टूरिस्ट केन्द्र इस समय मण्डावा बनता जा रहा है, यह हकीकत है। इण्डिया के टूरिस्ट मैप के ऊपर

(श्री राजनारायण चौधरी)

है, राजस्थान के अन्दर एक नम्बर पर है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, आपको पता है कि मण्डावा राजस्थान के ट्यूरिस्ट महकमे के अन्तर्गत एक नम्बर पर आ रहा है, उसके डवलपमेंट के लिए आपका क्या प्रोग्राम है ? वहां के लिऐ क्या योजना बनायी है ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, शेखावाटी का मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : हां, आप तो जरूर पूछिये।

**श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : आप तो आगे यूं ही फुस-फुस कर दें, काम हो जाएगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र की बात की गयी है। लोहार्गल, शाकम्भरी, शोभावती, ये ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान में, जिसकी कल्पना नहीं हो सकती कि वहां पर सात इस प्रकार के झरने हैं शेखावाटी में रेगिस्तान के बीच में जो 12 महीनों बहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार नर्वदा की परिक्रमा होती है उसी प्रकार साल में एक बार एक लाख से ज्यादा लोग लोहार्गल की परिक्रमा में देशभर से आते हैं। वहां पर जंगल भी है, गहन जंगल है और 24 किलोमीटर से ज्यादा लम्बा वह इलाका है। अब 50 किलोमीटर के आसपास हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बीच में दो-तीन छोटे-छोटे गांव हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। इनके अलावा कोई और गांव भी नहीं है। बगवा और दोकाला जैसे छोटे-छोटे गांव हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर दृष्टि से शेखावाटी की हवेलियां और शेखावाटी के कस्बे जब एक आर्ट गैलरी के रूप में सारे यूरोप में प्रसिद्ध हो रहे हैं और सब लोग वहां पर आ रहे हैं तो उसके साथ-साथ इसको भी अभयारण्य डिक्लेयर करके सारे शेखावाटी क्षेत्र का, इस पहाड़ी क्षेत्र का विकास करने के लिये राजस्थान सरकार को योजना बनानी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय इस ओर क्या ध्यान दे रहे हैं, इस बारे में सदन को अवगत कराएं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय हरिसिंह (महुआ)।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : अध्यक्षजी, मैं भी एक मिनट कहना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : रामस्वरूप जी, आपको क्या लेना देना है पर्यटन से ?

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : मेरा झुन्झुनूं के बारे में तो सवाल नहीं है लेकिन आजकल आप बड़े उदार हो गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आमेर में एक मन्दिर है लक्ष्मीनारायण जी का जो 250-300 वर्ष पुराना है। पर्यटन निगम ने उसमें ठण्डी बीयर और अंग्रेजी शराब की दुकान खोल रखी है। शराबी वहां पर शराब पीकर मन्दिर की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। उस मन्दिर के बिलकुल सामने माध्यमिक स्कूल है और बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। बच्चे उनको देखते हैं और उन्हीं शराबियों जैसा व्यवहार करते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : अभी झुन्झुनूं की बात हो रही है। आप महुआ पर आ रहे थे, यह कहां से आ गया ? विराजें आप।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : मैं आपके माध्यम से इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मन्दिर की पवित्रता और बच्चों के स्कूल का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय, क्या इस दुकान को वहां से हटाने के आदेश प्रदान करेंगी ? आमेर में लक्ष्मीनारायणजी का मन्दिर है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप। (व्यवधान) अब क्या है बीच में ? झुंझुनूं की बात हो रही है।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : आमेर में तो माताजी के दारू चढ़ती है।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : माताजी का नहीं है, लक्ष्मीनारायणजी का मन्दिर है।

**श्रीमती बीना काक** : लक्ष्मीनारायण जी के नहीं, माताजी के दारू चढ़ती है। माताजी के चढ़ती होगी, लक्ष्मीनारायण जी के दारू नहीं चढ़ती है।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय)** : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले के अन्दर कई दर्शनीय स्थल हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से भारत के नक्शे पर लिये जा सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप क्या कह रहे हैं? माननीय महेन्द्रजी, बोलें।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : अध्यक्ष महोदय, दौस जिले के अन्दर भी कई पर्यटन के केन्द्र हैं जिनके माध्यम से जिले के पर्यटन के नक्शे पर ले सकते हैं।

**श्रीमती बीना काक** : अध्यक्ष महोदय, इस अखबार में—

**श्री अध्यक्ष** : बीनाजी, आप कहां बीच में खड़ी हो गयीं ? विराजें आप। पहले किसी ने हाथ खड़ा किया तो उनको तो बोलने दीजिये।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : अध्यक्ष महोदय, दौसा के अन्दर भांडारेज की बावड़ी है जो हजारों साल पुरानी है, इण्डिया में इतनी लम्बी-चौड़ी बावड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या भांडारेज बावड़ी का डवलपमेंट करना चाहते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : अभी सारे राजस्थान की बात नहीं हो रही है। अभी झुन्झुनूं जिले की बात हो रही है।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : अध्यक्ष महोदय, दूसरा झाझीरापुर के झरने और तीसरा आभानेर की बावड़ी—दौसा जिले के अन्दर भारतीय पर्यटन दृष्टि से तीन महत्वपूर्ण स्थान हैं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीनों को डवलप करके भारत के नक्शे पर लाया जाए जिससे हमें विदेशी मुद्रा मिले।

**श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, झरने और बावड़ी की बात हो रही है, मेरे क्षेत्र में नैनाराण का बहुत बड़ा झरना है, 400 फीट ऊंचाई से गिरता है। उसके पर्यटक विकास की दृष्टि से माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें।

**श्री अध्यक्ष** : आप लिख कर दे देना। पहले जिनका प्रश्न है उनका तो जवाब आने दें।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : ये सब प्रश्न झुन्झुनूं जिले से सम्बन्धित नहीं हैं इसलिए दुबारा कभी पूछिये।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : झुन्झुनूं नहीं, दौसा जिले से सम्बन्धित है, मैडम।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : यह तो पालिसी का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने दुकान हटाने का निवेदन किया था।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : माननीय मंत्री महोदय, आप सवाई माधोपुर जिले से चुन कर आयी हैं। सवाईमाधोपुर जिले के रणथम्भौर और

(श्री रामस्वरूप मीणा)

शिलादेवी, मेहन्दीपुर बालाजी, इन स्थानों पर जो कि आपके अपने जिले हैं, क्या करने जा रहे हैं ?

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : यह तो पालिसी मैटर है। यह झुन्झुनूं का मामला नहीं है, अलग से प्रश्न करें।

**श्रीमती बीना काक** : मेरे पास यह अखबार है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीया बीनाजी, विराजें आप।

**श्रीमती बीना काक** : अखबार में आया है, मन्दिर परिसर में ही अंग्रेजी शराब की दुकान खोल रखी है राजस्थान पर्यटन निगम ने।

**श्री पूनम चन्द विश्नोई** : मैंने भी कुछ निवेदन किया था, अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि हिरण एक जिले में नहीं है वे सब जगह पर हैं, उसका उत्तर दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय विश्नोई साहब ने जो बात कही थी उसका कहना चाहते हैं क्या कुछ ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : मैंने एक जनरल बात कही है।

**श्री अध्यक्ष** : विश्नोई साहब ने कहा था कि हिरण होते हैं और___

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : हिरण और उनका अद्‌भुत दृश्य आपको संसार में और कहीं नहीं मिल सकता कि वन्य प्राणी साथ में रहते हैं।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है पर आपने पूछा है इसलिये मैं जवाब दे देती हूं।

**श्रीमती बीना काक** : तब तो मेरी बात का भी जवाब मिलना चाहिये।

**श्रीमती नरेन्द्र कंवर** : कैमल है, घोड़े हैं, हमने काफी प्रयास किया है मारवाड़ी ब्रीड के लिए और आजकल हमारी काफी योजनाएं इसके साथ चल रही हैं। मारवाड़ी घोड़े काफी मानचित्र के ऊपर आ चुके हैं। इसी तरह से ऊंटों के बारे में कई अंग्रेज यहां पर आते हैं और खरीद करते हैं। शेखावाटी में डूंडलोद में उन लोगों ने एक रशाला खोल रखा है जिससे इनको एडवेंचर टूरिज्म में ले जाते हैं। हाल फिलहाल डिपार्टमेंट में यही है कि जो पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं पहले उनकी मरम्मत की जाए। यह फर्स्ट स्टेज में है। सैकण्ड स्टेज में वाइल्ड लाइफ है, घोड़े हैं और ऊंट हैं। यहां पर एक गधा मेला भी होता है और वह काफी फेमस है। वह भी लेंगे पर यह सैकण्ड फेज में है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जो सामाजिक जीवन का हिस्सा हो, संसार में यह उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता और वह एक दो जगह नहीं राजस्थान के दो हजार गांवों में है। यह दृश्य फिर देखने को नहीं मिलेगा।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : अध्यक्ष जी, जवाब तो दिलवाए। मन्दिर में शराब का अड्डा बना रखा है उसका जवाब दीजिये। दुकान हटाने का सवाल है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय हरिसिंह जी, आपकी बात सुन ली।

**श्री हरिसिंह** : तो आप हटा दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : आप आबकारी मंत्रीजी से बात कर लेना, विराजें आप।

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** आप उनसे कह दे, हमारी कोई सुनता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** आबकारी मंत्रीजी से आप बात कर लें। अभी आप विराजें।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** हमारे यहां भी शराब की दुकानें खुल रही हैं उनको वहां से हटवाइये।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया एक प्रश्न को डिबेट मत बनाएं। क्या कर रहे हैं आप ?

**श्री रामस्वरूप मीणा :** बाप तीर्थ स्थान है मेहन्दीपुर बालाजी, इनमें शराब की दुकानें खुली हुई हैं, मंदिर के पास उनको आप हटवाना।

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** अध्यक्षजी, आप मण्डावा का जवाब दे रहे, मण्डावा का क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष :** हां, मण्डावा का भी आ जाएगा। अभी झुन्झुनूं जिले की सारी बात हो जाएगी। आप विराजें।

**श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :** अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मानचित्र में हनुमानगढ़ जिले में काली बंगा गांव है वहां पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो बहुत पुरानी सभ्यता है।—

**श्री अध्यक्ष :** विराजें। हां, पीलीबंगा भी है।

**श्री रामप्रताप कासनियां :** परन्तु पर्यटन विभाग ने आज तक—

**श्री अध्यक्ष :** आप विराजें, माननीय सदस्य। क्या कर रहे हैं आप ? यह डिबेट थोड़े ही चल रही है। दो-तीन माननीय सदस्यों ने बात कह दी। झुन्झुनूं जिले की बात हो रही है, आप विराजें।

**श्री रामप्रताप कासनियां :** अध्यक्ष महोदय, बहुत पुरानी सभ्यता है और माननीय सारे सदस्य उससे परिचित हैं।

**श्री अध्यक्ष :** विराजें आप, हनुमानगढ़ के बारे में अलग से प्रश्न उठाना आप।

**श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) :** अध्यक्ष महोदय, एक यह पॉलिसी मैटर का मामला था उसका क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय विश्नोई साहब, विराजें।

**श्री हीरालाल विश्नोई :** पॉलिसी मैटर का मामला है, मन्दिर और स्कूल के पास कोई दारू की दुकान नहीं होनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष :** आप क्या बीच में ले आये इसको ? यह एक्साइज की बात है, आप इसको कहां बीच में ले आये ?

**श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, + + + रूपारामजी बोले तो उनको टोक दिया और उनके बाद मेरे को टोक दिया। मेरे को भी बोलना है। मुझे थोड़े-से सुझाव देने हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आप बोले ही नहीं, मैंने चार बार आपका नाम पुकारा।

**श्री किशनाराम नाई :** तीन बार खड़ा हुआ हूं और आपने हाथ दिखा कर बैठा दिया। + + +

**श्री अध्यक्ष :** विराजें आप। माननीय दीपेन्द्रसिंह जी।

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

## गढ़ टकनेत ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (सीकर)

123. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गढ़ टकनेत ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, गढ़ टकनेत, जिला सीकर के व्यवस्थापक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब? शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों पर जांच किसके द्वारा कब की गयी और जांच का परिणाम क्या रहा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति के कार्य-कलापों का अंकेक्षण करवाया गया? यदि हां, तो कब-कब? अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अंकेक्षण प्रतिवेदन में व्यवस्थापक को दोषी एवं सहकारी समिति में रिकार्ड में अनियमितताएं पायी गयीं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

**सहकारिता मंत्री** (श्री सुजानसिंह यादव) : (1) जी हां। प्राप्त शिकायतों का तिथिवार ब्यौरा परिशिष्ट—1 पर उपलब्ध है। शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) जांच अधिकारी का नाम, जांच रिपोर्ट की तिथियां तथा जांच परिणाम परिशिष्ट–1 में अंकित है।

(3) जी हां। आडिट कराने की दिनांक परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(4) जी, हां। अनियमितताओं के लिये दोषी व्यवस्थापक श्री राम अवतार शर्मा, के विरुद्ध गबन के मामले सहकारी अधिनियम की धारा–74 के अन्तर्गत दर्ज किये गये। स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है एवं निलम्बित कर दिया गया है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है जिसमें सेवा समाप्ति का अंतिम नोटिस दिया गया तथा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है।

**(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, जरा इधर मुलाहिजा कीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : आप मुझ से कहेंगे।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : मैं आपको ही संबोधित कर रहा हूं। डाइरेक्ट उन्हें कर नहीं सकता।

जांच, आरोप और सबूत पटल पर रख दिये हैं। अब इनको देखने के बाद आगे की बात कर पाऊंगा। पहली बात तो यह है कि इतना बड़ा आरोप-पत्र है, स्पेसिफिक तीन सवाल हैं मेरे। ज्यादा लम्बा नहीं जाऊंगा। यह भी आपने स्वीकार कर लिया है कि मरे हुए लोगों को ऋण दिया है। यह भी आपने स्वीकार कर लिया है कि रसीदें दे दीं पैसा ले लिया और जमा नहीं किया। यह भी आपने स्वीकार कर लिया है जिन लोगों को आपने ऋण माफ कर दिये उन लोगों के नाम से झूठे ऋण साबित करके और माफ करके भी खा गये। यह भी आपने स्वीकार कर लिया है कि जिन लोगों को ऋण के नोटिस दिये हैं वह गलत दिये हैं। यह भी आपने स्वीकार कर लिया है कि जिन आदमियों ने हिस्सा राशि निकाली, मैम्बरशिप

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

खतम कर ली, सारा हिसाब क्लीयर कर दिया उनको भी नोटिस दे दिया। आपने सस्पैण्ड भी कर दिया मेरा असेम्बली क्वेश्चन आने के बाद में। एक तो मेरा निवेदन यह है कि सस्पैण्ड करने से और ट्रान्सफर करने से सारे मामले सामने नहीं आते हैं। जिन लोगों को जबानी जमा खर्च में रसीदें दी हैं वे आपके पास नहीं पहुंची और इसलिए एक तो मेरा निवेदन है कि को-ऑपरेटिव बैंक, सीकर के माध्यम से नहीं, जयपुर से बड़े ऑफिसर को मौके पर भेजकर, कैम्प लगाकर, अनाउंस करके सारे लोगों की सारी सूचना लेकर कितनी अवधि में किसी ऑफिसर को भेजकर कार्यवाही कर देंगे?

दूसरा, इतना बड़ा गबन का मामला है कि शायद हमारे सीकर जिले में दूसरा है या नहीं मुझे पता नहीं है। अकेले व्यवस्थापक की हिम्मत नहीं है कि वह कर सके। असेम्बली क्वेश्चन जाने के बाद मैनेज करके 34 हजार रुपये की रकम जमा करा दी गयी, क्योंकि एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी मेरे असेम्बली क्वेश्चन जाते ही। सस्पैण्ड भी हो गया मेरे असेम्बली जाते ही, लेकिन व्यवस्थापक से मैनेज किया को-ऑपरेटिव बैंक के एम.डी. ने और 34 हजार रुपये जमा भी करवा दिये। इसमें एम.डी. मिला हुआ है। आप पूरे तथ्यों तथा सुपरवाइजरी नेगलीजेन्स को ध्यान में रखकर जयपुर से इन्क्वायरी नहीं कराएंगे तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी।

तीसरा, मेरा कहना आपसे यह है कि इस प्रकार का एक उदाहरण आपको मिला है लेकिन इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं जिनमें आडिट रिपोर्ट हो चुकी है। आडिट की जांच में तथ्य सामने आ गये उनके ऊपर कोई कार्यवाही वर्षों से नहीं हो रही और उसी का परिणाम है कि लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। ट्रान्सफर कर देने से, उसको वहां से हटा देने से सोसाइटी के कागजों का आज पता नहीं कहां हैं। सारे तथ्यों को अपने साथ ले गया है। इसमें आप कब तक क्या कार्यवाही कर देंगे और किस के माध्यम से? और एम. डी. के खिलाफ क्या कार्यवाही कर देंगे?—

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, एम. डी. के खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं होगी, तब तक सारे कार्मो का पता नहीं होगा। एम. डी. इसमें सब में संरक्षण कर रहा है सब जानते हैं कि एम.डी. इसमें संरक्षण कर रहा है उसके बाद भी पता नहीं उस एम.डी. को किस कारण से रखा जा रहा है।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : नहीं, आपका + + + है तो रखें। सवाल रखने का भी नहीं है, हमको एतराज भी नहीं है। उसी को रखकर जांच करो, वरना भाग जाएगा तो पोल चली जाएगी।

**श्री सुजानसिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है। और खेद इसलिये है कि एक छोटा-सा प्रकरण है जिसके ऊपर सरकार के एक लाख रुपये खर्च हो गये—

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : डकार गये, सहकारिता विभाग को डकार गए। सैंकड़ों हरिजन जिनको लौन नहीं दिया गया, उनके नाम ऋण बकाया हैं। उनसे जबरदस्ती वसूली की तैयारी हो रही है—(व्यवधान)— और मंत्रीजी कह रहे हैं, छोटा-सा प्रकरण है।

**श्री सुजानसिंह यादव** : मैं कहता हूं कि + + + जवाब नहीं मिलेगा—(व्यवधान)—

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(18)



**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : सैकड़ों हरिजनों को पैसा दिया नहीं, लोन डकार गये। उनके नाम बकाया हैं और सांस उनको नहीं मिल रही है। मंत्री जी कह रहे हैं कि छोटा-सा प्रश्न है—

**श्री सुजानसिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करता हूं माननीय सदस्य से कि आपकी एक-एक बात का जवाब दूँगा। मुझे इस बात का खेद है और मेरे विभाग को संभालने के बाद मैंने क्या कार्यवाही की है वह बताऊंगा। उस व्यक्ति के साथ क्या कार्यवाही की जा रही है वह बताऊंगा। एक तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छोटा-सा प्रकरण है। मैंने जँचवाया कि इस प्रश्न पर कितना खर्चा हुआ तो इस पर सरकार का लगभग एक लाख रुपया खर्च हुआ है—मेरी बात तो सुनें। —(व्यवधान)—

**श्री अध्यक्ष** : बात तो सुन लें आप पूरी। बाद में कह दें आप।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या हुआ तो ?

**श्री सुजानसिंह यादव** : व्यक्ति कहीं भागकर नहीं जाएगा, मंत्री कहीं भागकर नहीं जाएगा, और विभाग भी कहीं भागकर नहीं जाएगा।— मेरी बात सुन लें। सरकार का एक लाख रुपया लगा है यह बात मैं आपको कह चुका हूं—

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये आप।—(व्यवधान)—

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : इसका मतलब हम प्रश्न पूछें नहीं ? इसका मतलब है कि प्रश्न पूछा ही नहीं जाए ? गरीबों के साथ अन्याय है उसको उजागर नहीं किया जाए ?— (व्यवधान)—

**श्री सुजानसिंह यादव** : इस प्रश्न को तैयार करने में एक लाख रुपया लगा है—

**श्री अध्यक्ष** : —(व्यवधान)—परसादी लाल जी विराजिये आप। पहले बात तो पूरी हो जाए।—

**श्री परसादीलाल मीणा** : एक लाख छोटी-सी बात है ? आपको यह बात कहते हुए थोड़ी + + +। खेद व्यक्त करना चाहिये आपको। आप भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : सैंकड़ों हरिजन और हजारों किसान आज त्रस्त हैं, उनकी बात का यहां जिक्र कर रहा हूं। और मंत्रीजी को एक लाख की चिन्ता होने लगी है। —(व्यवधान)—बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप—

**श्री परसादीलाल मीणा** : आप भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : हजारों किसानों के साथ अन्याय हुआ है। सैंकड़ों हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है। जिन्होंने लोन लिया नहीं, उनके नाम बकाया हैं। उनका भी सामान कुर्क हो रहा है। किसी की गाय-बकरी कुर्क कर रहे हैं, किसी के बरतन-भाँडे कुर्क हो रहे हैं। + + + आपको और आप कह रहे हैं, एक लाख रुपया खर्च हो गया।

**श्री परसादीलाल मीणा** : जवाब दें पहले। किस बात का खेद व्यक्त कर रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आपने अपनी बात कह दी—(व्यवधान)—कृपया विराजें। पूरी बात तो सुनें आप। मेरी समझ में नहीं आता—(व्यवधान)— कोई अंकित नहीं होगा।

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री भंवरसिंह डांगावास :** ××××

**श्री परसादी लाल मीणा :**×××

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :**×××

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** आपसे कमजोर हैं क्या दीपेन्द्रसिंह जी? विराजिये आप __(व्यवधान)__

कृपया विराजें। आपकी बात तो सुनें आप। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने कोई बात कही__(व्यवधान)__ आप विराजिये। मिर्धा साहब, विराजिये आप। मैं खड़ा हूं कुछ तो मर्यादा रखिये आप। __(व्यवधान)__

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** इसका मतलब मुझे सुनना ही नहीं है। आपकी मर्जी आये जैसे चलाओ। नहीं चलाएंगे आप। क्या मतलब है इसका? __(व्यवधान)__ दस बार कह दिया मैं खड़े होकर कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने कोई जबाव दिया, पूरा जवाब हीं नहीं सुनें और उसके पहले सात जने खड़े हो जाएंगे आप। जवाब सुनिये पहले आप। __(व्यवधान)__ आप कुछ भी कह रहे हैं। पहले सुनिये उनको। __(व्यवधान)__ मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे हाउस को कंट्रोल भी करना है। पाँच-सात एक साथ खड़े हो जाएंगे। क्या मजाक है यह सब? एक प्रश्न नहीं आने दे रहे हैं। पहले पूरा प्रश्न आने दीजिये उसके बाद कोई प्रश्न हो तो पूछिये आप। कौन मना कर रहा है आपको?

**श्री सुजानसिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शांति से सुनेंगे तो मैं एक-एक बात का जवाब दूँगा। मैं आपसे लड़ नहीं सकता, ज्यादा बोल नहीं सकता। बात वही कहूंगा जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। __(व्यवधान)__

**श्री अध्यक्ष :** आप चुप रहिये, राधेश्याम जी। आप बहुत बोले जा रहे हो।

**श्री सुजानसिंह यादव :** मैंने एक लाख की बात इसलिये कही कि आज राजस्थान के 26 को.आपरेटिव बैंक और 33 भूमि विकास बैंक हैं जो मेरे विभाग__(व्यवधान)__ आप सुन लीजिये कि मैं किस संदर्भ में यह बात कह रहा हूं। मेरे विभाग सम्भालने के समय 26 बैंकों में से 20 बैंक घाटे में थे, केवल चार-पाँच बैंक फायदे में थे। आज 20 बैंक फायदे में हैं। 33 भूमि विकास बैंकों में से 29 भूमि विकास बैंक फायदे में आ गये।

मैंने संदर्भ में कंजूसी करते हुए इस बात पर खेद प्रकट किया कि एक लाख रुपये खर्च हो गये तो बैंक खाते में ही तो जाएंगे। यह घाटा बैंक को होगा, वह घाटा मेरा और आपका नहीं, हमारा सबका है। __(व्यवधान)__

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** हरिजनों के साथ यदि अत्याचार होता है, तो राजस्थान के प्रतिपक्ष के लोग इस बात की चिंता नहीं करेंगे। राजस्थान के एक भी हरिजन के साथ अत्याचार होता है। चाहे एक करोड़ खर्च हो जाएं लेकिन अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

**श्री सुजानसिंह यादव :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा__(व्यवधान)__।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्रीजी की बात सुन लीजिये। __(व्यवधान)__।

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री सुजानसिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जवाब नहीं दिया जा सकेगा।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : **अध्यक्ष** महोदय, हमारे संसदीय अधिकारों के खिलाफ अगर मंत्रीजी बोलेंगे, हम संसदीय व्यवस्था में जिंदा हैं और सवाल पूछना हमारा अधिकार है_(व्यवधान)_।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कब मना किया? मैंने मना नहीं किया।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : सवाल पर कितना भी खर्च हो, यदि मंत्रीजी यह कह करके हमारा हल्कापन साबित करें कि प्रश्न पर एक लाख रुपया खर्च हो गया है। हमने बैंक के नाजायज_

**श्री अध्यक्ष** : एक मिनट, हरिसिंहजी, विराजिये।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : यह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप संसदीय परम्पराओं के पक्षधर हैं, आप इनको रोकिये। _(व्यवधान)_।

**श्री अध्यक्ष** : आप बर्दाश्त मत करना, आप विराजें। आप पहले समझिये।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : मंत्रीजी अपने शब्द वापस लें।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : मंत्रीजी को अपने शब्द वापस लेने चाहिये। हमारे अधिकारों पर हितों पर कुठाराघात करने का अधिकार नहीं है। _(व्यवधान)_ एक लाख रुपये का सवाल नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : कोई बात आप सुनना नहीं चाहेंगे_(व्यवधान)_ तीन प्रश्नों में ही घंटा पूरा हो गया। यदि इस प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया होता तो मैं पहले ही रिजैक्ट कर देता। प्रश्न सरकार को जवाब देने के लिये भिजवाया, फिर आप काहे के लिये इतना कह रहे हैं? हम पहले ही रिजैक्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे क्या?_(व्यवधान)_क्या कर रहे हैं? पूरी बात तो सुनें आप।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : हमने प्रश्न पूछा, इनका एक लाख रुपया खर्च हो गया। इनकी जेब से गया, इनकी पैतृक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा? हमारे संसदीय अधिकारों का हनन हुआ है_(व्यवधान)_।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने आपके अधिकारों के संरक्षण के लिये ही इस प्रश्न को सरकार को भिजवाया था, विराजिये आप।_(व्यवधान)_।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 लाख रुपये बोरियों में भर करके ले आये थे, एक लाख नहीं 75 लाख रुपये।

**श्री अध्यक्ष** : बैठे-बैठे बोलने की क्या आदत हो गयी है।

**श्री सुजानसिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जहां तक रामावतार शर्मा, व्यवस्थापक का प्रश्न है, यह कोई अच्छा कर्मचारी नहीं है, भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब मेरे पास एप्लीकेशन आयी और मामला मेरे नोटिस में आया। मैंनें मेरे अधिकारियों को कहा जांच रिपोर्ट के लिए कि इसकी शुरु से जब से यह सोसायटी में आया, उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए। मैने जांच करने के लिए तीन व्यक्तियों की एक कमेटी बनायी। जिसने आडिट की और उसके खिलाफ अनियमितताएं पायी गयीं।

इसके खिलाफ पहले 6 केसेज में 1,28,320.86 रुपये का मामला था। इसके खिलाफ 12 केसेज हैं जिनमें 6 केस विचाराधीन हैं और उनमें इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, उस पर जुडीशियल प्रोसीडिंग चालू है। जुडीशियल प्रोसीडिंग आप समझते हैं कि किस

(श्री सुजानसिंह यादव)

तरह से उनका निस्तारण किया जाता है। उसका एक प्रोसीजर होता है। उसके खिलाफ 1,57,312.10 रुपये के 6 केसेज गबन-घोटाले के और विचाराधीन हैं। इनमें उससे 34,727.60 रुपये वसूल किये गये हैं। नोटिस देने के बाद मुझे सूचना मिली है कि उससे 24.6.96 को 70 हजार रुपये और वसूल किये हैं।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : मेरे सप्लीमेंटरी का जवाब दे दो, पूरा बयान नहीं।

**श्री सुजानसिंह यादव** : मेरी बात सुनिये। इसके उपरांत आज मेरे नोटिस में आया। मैंने मेरे अधिकारियों से प्रकरण की जांच करने को कहा। एडीशनल रजिस्ट्रार जो आई. ए. एस. ऑफिसर है, उसने सीकर जाकर जांच की और जांच के तथ्य आने के बाद उसका वहां से स्थानान्तरण कर दिया, उसको निलम्बित कर दिया, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चालू कर दी और उसको सेवा मुक्ति का अंतिम नोटिस दे दिया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 8.7.96 को है। उसके खिलाफ दिनांक 17.6.96 को अजीतगढ़ थाने में एफ.आई.आर. लॉज करा दी।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : मेरे क्वेश्चन के जाने के बाद?

**श्री सुजानसिंह यादव** : यह गलत है। आपके प्रश्न के बाद तो हमने कुछ किया ही नहीं है।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : 17.6.96 को एफ.आई.आर.__।

**श्री सुजानसिंह यादव** : मेरी बात सुनिये आपने दिनांक 12.6.96 को एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार महोदय को दी, उसके पहले तो हमने सारी कार्यवाही कर ली। उसको निलम्बित कर दिया, उसका वहां से स्थानान्तरण कर दिया और 13.6.96 को हमने उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने का आदेश दिया जो अजीतगढ़ थाने में दर्ज है।

उसके पश्चात् हमने आदेश दिया। चूँकि हम किसानों के हमदर्द हैं, किसनों ने रसीदें तो दिखायीं और उस व्यवस्थापक ने रसीद तो दे दी लेकिन पैसा जमा नहीं कराया। दिनांक 13.6.96 को हमने आदेश दिये हैं कि अधिकारी मौके पर जाकर कैम्प लगाएं और जो किसान जमा की रसीद दिखायें उसका पैसा जमा करके बाकी की रिकवरी करें, हम लेने के लिये तैयार हैं। माननीय सदस्य मुझसे और क्या चाहते हैं?

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : वह सी.सी. बैंक का एम.डी.__।

**श्री सुजानसिंह यादव** : एम.डी. से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैं जानता नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है यदि आपकी भावना है, यदि इसी से आपकी समस्या हल होती है तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में उसका ट्रांसफर भी कर देंगे।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : इंक्वायरी में उसका पार्ट है, उसकी शिकायतों की जांच हो चुकी है, वह सेंट्रल अपेक्स बैंक का एम्प्लोयी है, बैंक ने उसको विदड्रा करने के लिये लिखा है, उसके बाद भी विदड्रा नहीं किया है।

**श्री सुजानसिंह यादव** : उसके खिलाफ कोई चार्जेज होंगे उनकी इंक्वायरी भी करवा देंगे और आवश्यक हुआ तो दंडित करेंगे और क्या चाहते हैं?

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : कैम्प कब तक लगवा देंगे?

**श्री सुजानसिंह यादव :** कैम्पों के तो आदेश दे दिये हैं।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** तब तक कोई रिकवरी नहीं होगी ?

**श्री सुजानसिंह यादव :** मैंने आदेश दे दिये हैं, मैं अपने अधिकारियों से और जानकारी कर लेता हूं। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं आज ही मालूम कर लूँगा कि कैम्प चालू हुए कि नहीं, हमने आदेश तो कर दिये हैं। और क्या चाहते हैं आप ?

**श्री अध्यक्ष :** श्री परसादीलालजी, नैक्स्ट प्रश्न।

**श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : प्रश्न संख्या 124. ......(व्यवधान)....

**श्री सुजानसिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। यह व्यवस्थापक....(व्यवधान).... 1980 में

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न पुकार लिया आपने।

**श्री सुजानसिंह यादव :** बैठिये आप, आपकी बात बता रहा हूं, आपकी गलती बता रहा हूं।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** सुन लिया, आ गया। धन्यवाद, विराज जाएं, धन्यवाद।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रामावतार शर्मा जैसे भ्रष्ट व्यवस्थापक, राजस्थान में कार्यरत हैं। ....(व्यवधान)....

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** हम संतुष्ट हो गये, विराज जाएं।

**श्री कन्हैयालाल मीणा :** जो ऋण राजस्थान सरकार ने माफ किये थे उन अशिक्षित काश्तकारों से पैसे वसूल कर लिये और उसके बाद उन काश्तकारों ने पाँच-पाँच सात-सात लाख रुपये से ज्यादा के प्रकरण, ऐसे कितने व्यवस्थापक हैं।....(व्यवधान).... ऐसे व्यवस्थापक जिनके विरुद्ध दो-दो लाख रुपये का मामला साबित हो गया, रजिस्ट्रार साहब को इस बात का सारा ज्ञान होते हुए भी आप सस्पैंड की बात कर रहे हैं, टर्मिनेट की बात कर रहे हैं। उन व्यवस्थापकों को जिनसे 2-2 लाख रुपये वसूल हो गये और वसूल हो जाने के बाद सस्पैंड नहीं किया और बहाल हो गये....(व्यवधान)....।

**श्री परसादीलाल मीणा :** प्रश्न संख्या 124......(व्यवधान)....। आपने मेरा नाम पुकार लिया, अध्यक्ष महोदय। अभी तो एक मिनट बाकी है। मंत्रीजी जवाब देने के लिये तैयार हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये आप। अब और कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ, अब दूसरे तरीके से उठाइये।

**श्री परसादी लाल मीणा :** ऐसा + + + मत करो, अध्यक्ष महोदय।....(व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न काल समाप्त हुआ। विराजिये आप। आपने खुद ने लम्बा करवाया है। मैंने तो आपको इसीलिये कहा कि हरिसिंहजी मानो। (व्यवधान) मैंने देखा, आपका प्रश्न आ जाएगा।

**श्री परसादीलाल मीणा :** + + +

---

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### राज्य में विदेशियों द्वारा स्थापित उत्पाद परियोजनाएं

**155. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस-किस देश के किस-किस विदेशी उद्यमी के साझे एवं सहयोग से किस उत्पाद की कौन-कौनसी परियोजनाएं चलाई जा रही है ? उक्त योजनाओं के कौन से उत्पाद एवं वस्तुएं बाजार में आ चुकी हैं तथा कौनसे उत्पाद एवं वस्तुए कब तक बाजार में आ जायेंगी ?

(2) भविष्य के लिए कौन-कौनसी परियोजनाओं का समझौता हो चुका है तथा कौन-कौनसी का समझौता होना शेष है ?

(3) सरकार द्वारा इस प्रकार के उद्योगों के लिये किस प्रकार की क्या-क्या मदद दी जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर जिन-जिन विदेशी उद्यमियों के साझे एवं सहयोग से राज्य में उद्योग स्थापित किये गये हैं, उनकी उत्पादवार सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "क" में उल्लिखित कम्पनियों के उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं एवं परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित ईकाइयों के उत्पादन अगले वर्ष संभावित हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा विदेशी सहयोग एवं साझे में निजी क्षेत्र में परियोजना लगाने हेतु कोई समझौता नहीं किया जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता/सुविधाओं के विवरण की सूची परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

### हाइटैक सीमेन्ट फैक्ट्री, धौलपुर

**156. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के स्वामित्व वाली धौलपुर स्थित हाईटैक फैक्ट्री इन दिनों बंद है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) उक्त फैक्ट्री के बंद होने के समय उसमें कुल कितने कर्मचारी कार्यरत थे ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस फैक्ट्री को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर, आश्वासन दिये जाते रहे हैं ? यदि हां, तो इसे अब तक पुनः क्यों नहीं चलाया जा सका है ?

(4) क्या सरकार उक्त फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों के हितार्थ इसे पुनः चलाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। धौलपुर स्थित हाईटैक ग्लास फैक्ट्री में 9 जून, 1994 से उत्पादन बन्द है। निरन्तर घाटे में चलने के कारण राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. के संचालक मंडल

(उद्योग मंत्री)

द्वारा 6 अगस्त, 1994 को बन्द रखने का निर्णय लिया गया।

(2) दिनांक 9 जून, 1994 को फैक्ट्री बन्द होने पर इसमें कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 354 थी।

(3 एवं 4) हाईटैक ग्लास जी.एस.एम. मजदूर संघ, धौलपुर ने इस फैक्ट्री को पुनः चलाने हेतु प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव तथा अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण विचाराधीन है।

## विधान सभा क्षेत्र डग में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

**157. श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा पिछले पाँच वर्षों में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? इसके कार्य का प्रकार, कार्य की स्वीकृत राशि, खर्च की गई राशि, कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त होने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र डग में कौन-कौन सा कार्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाया जा रहा है? इसमें कार्य का प्रकार, कार्य की स्वीकृत राशि, खर्च की गई राशि, कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त होने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डग विधान सभा क्षेत्र में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1992-93 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का प्रकार, कार्य की स्वीकृत राशि वर्षवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

(2) बंजर भूमि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य माह दिसम्बर, 92 में आरम्भ किये गये थे एवं वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1996-97 में प्रस्तावित कार्य योजना, कार्य का प्रकार, कार्य की स्वीकृत राशि, खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झालावाड़ से राशि प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिये जावेंगे।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)**

## कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर द्वारा सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य

**158. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर द्वारा वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में अजमेर जिले के किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़क का नवीन निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कितनी राशि का करवाया गया? विधान सभा क्षेत्रानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर की किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में कितने-कितने किलोमीटर नवीन सड़क निर्माण एवं मरम्मत के कार्य कब-कब से कराया जाना विचाराधीन है? विधान सभा क्षेत्रानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर जिले के चार विधान सभा क्षेत्र पुष्कर, नसीराबाद, अजमेर पूर्व व अजमेर पश्चिम आते हैं। विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व से अजमेर पश्चिम नगर परिषद् सीमा में होने के कारण 94-95 व 1995-96 में कोई नवीन सड़क व सड़क मरम्मत कार्य नहीं कराये गये। शेष दोनों विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 94-95 व 95-96 में नवीन सम्पर्क सड़कों व निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर अंकित है।

(2) नवीन सड़क निर्माण के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विशेष मरम्मत हेतु 2 सम्पर्क सड़कें क्रमशः कायड़ 3 किमी. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर व सम्पर्क सड़क भवानी खेड़ा-राजोशी 5 किमी. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की स्वीकृति दिनांक 28.6.96 को जारी कर दी गई है। परिशिष्ठ "ग" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

## सड़क निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय

**159. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :** क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1993-94, 1994-95 व 1995-96 में सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के बजट में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत हेतु कितना-कितना प्रावधान तथा उसका उपयोग किन-किन सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत पर कितना-कितना किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की नई सड़कों के निमार्ण हेतु वर्षवार बजट प्रावधान व उपयोग निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | बजट प्रावधान (रु. लाखों में) | उपयोग (रु.लाखों में) |
|---|---|---|
| 1-1993-94 | 995.20 | 992.92 |
| 2-1994-95 | 1089.00 | 1089.12 |
| 3-1995-96 | 1180.35 | 1179.38 |

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत हेतु कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है और ना ही उपयोग किया गया है। वर्षवार सड़कवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

## टोंक क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऋण वसूली

**160. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या सहकारिता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक टोंक क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समिति की वसूली मई, 1996 के अन्त तक कितनी प्रतिशत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सबसे अधिक वसूली करने वाली समितियों के व्यवस्थापकों, को पुरस्कृत किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि कम वसूली करने वाले व्यवस्थापकों को दण्डित भी किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी समिति के किन-किन व्यवस्थापकों को?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक, टोंक के कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति की माह मई, 96 तक की वसूली का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं, वसूली की समीक्षा हेतु सहकारी वर्ष जुलाई से जून तक माना गया है। अतः सबसे अधिक वसूली करने वाली समितियों के व्यवस्थापकों का आंकलन 30 जून, 1996 को वर्ष समाप्त होने के बाद ही किया जायेगा।

(3) जी, नहीं।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)**

## केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा में अनियमितताएं

**161. श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 से 1995 तक भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालकों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं एवं ऋण वितरण एवं वसूली के घोटालों के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों ने शिकायतें की हैं? यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां, रेकार्ड के आधार पर उपलब्ध शिकायतों की प्रतियाँ सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई। अभी तक प्राप्त जांच रिपोर्ट में कोई भी शिकायत सही नहीं पाई गई। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

**(प्रतियाँ विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)**

## राजस्थान सहकारी संघ के सेवा नियम

**162. श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाडा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी संघ के अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमों में संघ के संचालक मण्डल के चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार के संशोधन किये गए हैं? यदि हां, तो क्या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को पदोन्नति नियम विरुद्ध व अनुचित है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक सरकार अपेक्षित कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण दायी सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की सेवा शर्तों के सुधार के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सेवा नियमों में संशोधन

(सहकारिता मंत्री)

उपरान्त निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी कर्मचारी या अधिकारी की पदोन्नति पर रोक या प्रतिबन्ध सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। वर्तमान में पदोन्नति का यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के यहां विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं।

## रामगढ़ (अलवर) क्षेत्र के विद्यालयों में तृतीय भाषा के अध्यापक

**163. श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के किस-किस विद्यालय में तृतीय भाषाएं, पंजाबी, उर्दू एवं संस्कृत का अध्ययन कराया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के किस-किस विद्यालय में तृतीय भाषाएं पंजाबी, उर्दू एवं संस्कृत के अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं? क्या उक्त स्वीकृत सभी पदों पर सम्बन्धित तृतीय भाषा के अध्यापक कार्यरत हैं?

(3) उक्त क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में तृतीय भाषाओं के कार्यरत अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। सूची संलग्न है। स्वीकृत सभी पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं, इसके अतिरिक्त विद्यालयों में तृतीय भाषा हेतु पद स्वीकृत न होने से इस भाषा विषय की योग्यताधारी सामान्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

**(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)**

## जयपुर संभाग के अधिशेष वाणिज्य व्याख्याताओं का पदस्थापन

**164. श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जोन में वाणिज्य व्याख्याता अधिशेष (सरप्लस) चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या सरकार इन अधिशेष व्याख्याताओं को विकास अधिकारी डाइट में या अन्य किसी और जगह पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर जोन में वर्तमान में 48 वाणिज्य व्याख्याता अधिशेष (सरप्लस) हैं।

(2) जी, हां। वाणिज्य के अधिशेष व्याख्याताओं का समायोजन शिक्षा विभाग में शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी तथा अवर निरीक्षक के पद पर किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदन करने पर इनका समायोजन लोक जुम्बिश परिषद/शिक्षा कर्मी बोर्ड तथा विकास विभाग के विभिन्न पदों पर समायोजन हेतु आवेदन अग्रेषित किया जाता है चयनोपरान्त ही विभाग से कार्यमुक्त किया जाता है।

## उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

**165. श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या

(श्री शिवनाथ सिंह)

शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं जिले की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब से चालू किया गया है तथा कितने व्यक्ति इस कार्य में केन्द्रों पर पढ़ाने के लिये नियुक्त किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति/पढ़ाने वालों को कोई मानदेय नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस पंचायत समिति क्षेत्र के केन्द्रों पर बजट के अभाव में अभी तक कोई पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है ? यदि हां, तो इस परियोजना को चालू करने का क्या औचित्य है ?

(4) क्या यह सही है कि समय पर मानदेय नहीं देने, पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने से इस कार्यक्रम के प्रति जन आस्था में गिरावट आई है ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में निदेशालय प्रौढ़ शिक्षा के आदेश दिनांक 2.8.1995 द्वारा 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जून, 1996 तक पूरे 100 खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों पर माह जून, 1996 तक 100 अनुदेशक पढ़ाने के लिए लगाये गये हैं।

(2) जी, हां। परियोजना अधिकारी का पदस्थापन मार्च, 1996 में होने, स्टाफ के अभाव में अनुदेशकों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण अनुदेशकों के मानदेय के भुगतान में विलम्ब हुआ है। विकास अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुदेशकों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण किया जा रहा है तथा यथा शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) परियोजना हेतु 31.3.1996 तक कुल 3,50,000 रुपये उपलब्ध करवाये जा चुके हैं को 30 जून, 1996 तक के लिए पर्याप्त हैं। माह अक्टूबर, 1995 को अनुदेशकों को भुगतान हेतु पर्याप्त बजट आबंटित किया गया है। केन्द्रों पर पाठ्य सामग्री में दरी पट्टी, रोलअप, बोर्ड, उपस्थिति पंजिका, स्लेट पैंसिल, रूल पैंसिल, लोटा, बाल्टी, चॉक, रबर, शार्पनर परियोजना स्तर पर खरीदने हेतु विकास अधिकारी को अधिकृत किया जा चुका है। स्कूल बैग, स्लेट, अभ्यास पुस्तिका क्रय करने हेतु आदेश निदेशालय स्तर पर प्रदान किये जा चुके हैं। पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा निःशुल्क अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) जी, नहीं। राज्य सरकार शीघ्र मानदेय व पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील है। नई परियोजना होने के कारण भुगतान में समय लग रहा है। मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। साथ ही सामग्री का वितरण भी शीघ्र कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

## डीडवाना (नागौर) क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय

**166. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी नीति के अनुसार प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हो ? यदि हां, तो पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर में

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कौन-कौनसी पंचायत में कौन-कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र की कुछ पंचायतें इन सुविधाओं से वंचित हैं? यदि हां, तो पंचायत समिति डीडवाना की कौन-कौनसी पंचायतें हैं जिनके क्षेत्र में एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है उनमें यह विद्यालय कब तक खोल दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) यह सही है कि पंचायत क्षेत्रों में जहां उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध नहीं, में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 95-96 में 600 के लक्ष्य के विरुद्ध 661 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है जिनमें से अधिकांश विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय विहिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में क्रमोन्नत किये गये हैं। पंचायत समिति डीडवाना में उप्रा. स्तर की शिक्षा उपलब्ध है, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 96-97 में उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों के तहत मापदण्ड की पूर्ति करने वाले प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

## जयपुर जिले के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन

**167. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी जिलों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गयी हैं।

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सरकार ने जयपुर जिले में अभी तक द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के शारीरिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं की हैं।

(3) क्या सरकार प्रशिक्षित शिक्षकों का पदस्थापन जयपुर जिले में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। संकलित सूचना के आधार पर प्रदेश में 425 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति दी गई है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। जयपुर जिले में शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी के पदों पर न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ होने के कारण नियुक्तियाँ नहीं हो सकी। अब न्यायालय के द्वारा स्थगन निरस्त किया जा चुका है। 46 प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश दिनांक 27-6-96 को प्रसारित किये जा चुके हैं।

## प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा (आमेर) के विरुद्ध जांच प्रकरण

**168. श्री गोपीराम जाट (आमेर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा प्रथम (आमेर) के तत्कालीन प्रधानाध्यापक की जांच श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशालय (पुरुष), जयपुर द्वारा की गई थी? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे?

(श्री गोपीराम जाट)

(2) जांच रिपोर्ट में छात्रवृत्ति का भुगतान न करके झूठी रसीदें बनाने, छात्र कोष का अपव्यय करने, पुस्तकों व सामान का अपव्यय कर लेने जैसे आपराधिक कृत्यों में एफ. आई. आर. दर्ज न कराने के क्या कारण थे ?

(3) क्या सरकार ने उक्त प्रधानाध्यापक से चार्ज प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो चार्ज लिस्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक इस प्रकरण को लम्बित रखने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच अब शीघ्र करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी, नहीं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा प्रथम (आमेर) के तत्कालीन प्रधानाध्यापक के विरुद्ध श्री नरेन्द्र मोहन शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक (पुरुष) जयपुर के द्वारा करवाई गई थी। जांच में दोषी पाये जाने पर तत्कालीन प्रधानाध्यापक की राजस्थान असैनिक वर्गीकरण एवं अपील नियम-1958 के उप नियम-17 के तहत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गयी।

(2) जांच अधिकारी की अभिशंषा के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाने का औचित्य नहीं होने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गयी।

(3) जी, नहीं। चार्ज नहीं देने के कारण निलम्बित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही समय पर की गई है किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं हुआ है। अतः जांच करवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न संख्या 169

(स्थगित)

## राज्य में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

**170. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में तथा माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है ? यदि हां, तो उन विद्यालयों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

गत वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में तथा माध्यमिक से सी. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

**(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)**

## लोक जुम्बिश परियोजना लूणकरणसर

**171. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994-95 व 1995-96 में लोक जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत लूणकरणसर में कहां-कहां नई प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शालाएं खोली/क्रमोन्नत की गई तथा वहां पर कितने अध्यापकों के पदों के विपरीत कौन-कौन अध्यापक कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या उपरोक्त स्कूलों में से कार्यरत

(श्री भीमसेन चौधरी)

अध्यापकों को पंचायत समिति द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरण करने से स्कूलों के प्रबन्ध में व्यवधान पैदा हो गया है? यदि हां, तो इस व्यवस्था में सुधार हेतु क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में लोक जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत पंचायत समिति लूणकरणसर में खोली गई नवीन प्राथमिक शालाएं तथा क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक शालाएं की सूची तथा उनमें स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अध्यापकों का विवरण परिशिष्ठ "अ" पर है।

(2) प्राथमिक विद्यालय की उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत करने पर शिक्षा विभाग द्वारा तीन वर्ष की अवधि में चरणवार पद स्वीकृत किये जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक पंचायत समिति द्वारा क्रमोन्नति के तीन वर्ष पश्चात् हटाये जाने के निर्देश हैं। परन्तु कुछ अध्यापकों के द्वारा सुविधाजनक स्थान पर स्थानान्तरण कराने से स्कूलों में पद रिक्त रह सकते हैं। जिन्हें भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

## माध्यमिक विद्यालय बामनवास (सवाई माधोपुर) के भवन की मरम्मत

**172. श्री हीरालाल (बामनवास) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि माध्यमिक विद्यालय बामनवास का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो क्या सरकार इस भवन की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। प्राप्त प्रस्तावों पर उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों के तहत राशि के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## जिला राजसमन्द का साक्षरता कार्यक्रम

**173. श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमंद जिले को पूर्ण साक्षर बनाने हेतु सरकार की ओर से वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कितने बजट का आबंटन हुआ है? उक्त बजट में से कितनी-कितनी राशि किस-किस प्रयोजन से कब-कब व्यय की गई?

(2) वर्ष 1996-97 में आबंटित राशि का किस प्रकार उपयोग करने की योजना है?

(3) उक्त साक्षरता कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता का आंकलन सरकार ने किस प्रकार से, कब-कब किसके द्वारा करवाया है?

(4) क्या सरकार राजसमंद में वर्ष 1995-96 में इस कार्यक्रम की आवंटित राशि के व्यय में हुए भ्रष्टाचार, फर्जी आंकड़ेबाजी और घोटालों की जांच करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजसमंद जिले को पूर्ण साक्षर बनाने हेतु सरकार की ओर से वर्ष 1995-96 व 1996-97 में किसी भी प्रकार का कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है। वर्ष 1994-95 में कुल बजट 1,48,11,740 रु. स्वीकृत किया जाकर 1,04,25,000 रु. प्राप्त हुआ है, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 30,25,000 रु. एवं

(शिक्षा मंत्री)

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नई दिल्ली द्वारा 74,00,000 रु. स्वीकृत किए गए हैं। आवंटित बजट राशि में से व्यय हुई राशि का ब्यौरा परिशिष्ठ "ए" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1996-97 में किसी भी प्रकार का बजट स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) राजसमंद जिले में साक्षरता कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता का आंकलन सरकार द्वारा अब तक नहीं करवाया गया है, क्योंकि अभी जिले में पहली प्रवेशिका ही पढ़ाई जा रही है, इस कारण मूल्यांकन की अवस्था नहीं आई है।

(4) राजसमंद जिले में आवंटित राशि पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाकर उसमें हुये खर्चे को जिला साक्षरता समिति के अन्तर्गत बने वित्त एवं लेखा नियम के सामान्य सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जा रहा है। प्रत्येक व्यय का अनुमोदन वित्त उप समिति द्वारा कराया जाता है तथा वित्त उप समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को जिला साक्षरता समिति के सामान्य सदन से अनुमोदन कराया जाता है। जिला साक्षरता समिति के वित्त एवं लेखा नियम, 1994 के नियम 24(1) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण का प्रावधान है, जिसके अनुसार वर्ष 1994-95 का अंकेक्षण चार्टड एकाउन्टेन्ट उदयपुर द्वारा कराया जा चुका है तथा वर्ष 1995-96 में हुए व्यय के अंकेक्षण हेतु वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 17-6-96 में निर्णय लिया जा चुका है। शीघ्र ही वर्ष 1995-96 के व्यय का भी अंकेक्षण करा दिया जावेगा।

**(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)**

## विधान सभा क्षेत्र मूंडवा में कृषि कनेक्शन

**174. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डावा) : क्या** ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में किस-किस योजनान्तर्गत कितने कृषि कनेक्शन दिये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के कनेक्शन भी दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में क्रमशः 434 एवं 302 कृषि कनेक्शन दिये गये जिनका श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

| क्र.सं. श्रेणी | वर्ष 1994-95 | वर्ष 1995-96 |
|---|---|---|
| 1. सामान्य | 116 | 18 |
| 2. एक पोल/दो पोल योजना | 287 | 69 |
| 3. भूतपूर्व सैनिक | 6 | - |
| 4. एक भी कृषि कनेक्शन नहीं वाले गांव | - | - |
| 5. नर्सरी योजना | - | 201 |
| 6. अनूसूचित जाति/जन जाति योजना | 17 | 12 |
| 7. विकलांग | 8 | 2 |
| योग | 434 | 302 |

(2) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत क्रमशः 116 एवं 18 कृषि कनेक्शन कृषि नीति के अनुसार दिये गये हैं।

## भैरूंदा (डेगाना) में सहायक अभियन्ता कार्यालय

**175. श्री रिछपालसिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रियांबड़ी, नागौर में सहायक अभियंता कार्यालय कब से शुरु किया गया? इस कार्यालय के अन्तर्गत डेगाना तहसील के कौन-कौन से गांव सम्मिलित किये गये ?

(2) क्या सरकार भैरूंदा (डेगाना) में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील के गांवों के विद्युत् उपभोक्ताओं को रियांबड़ी, सहायक अभियंता कार्यालय जाने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो रियांबड़ी सहायक अभियन्ता कार्यालय किन मापदण्डों के आधार पर खोला गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रियांबड़ी, नागौर में सहायक अभियन्ता कार्यालय दिनांक 1.4.1995 से कार्यरत हैं। इस कार्यालय के अन्तर्गत डेगाना तहसील के 60 ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। सूची "अ" संलग्न है।

(2) सहायक अभियन्ता का कार्यालय मण्डल द्वारा निर्धारित मानदण्ड स्टाफिंग-पैटर्न के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक स्थिति, भविष्य में कार्य भार का विस्तार राजस्व में संभावित वृद्धि, ट्रान्सफार्मर की प्रतिष्ठापित क्षमता एवं वित्तीय भार आदि का ध्यान रखा जाता है। भैरूंदा (डेगाना) उक्त निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं है। अतः वहां पर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाना वर्तमान में संभव नहीं है।

(3) रियांबड़ी में सहायक अभियन्ता कार्यालय उपरोक्त वर्णित निर्धारित मानदण्ड (स्टाफिंग पेटर्न) के अनुसार ही खोला गया है। डेगाना तहसील के कुछ ग्रामों को जो कि पूर्व में मेड़ता उपखण्ड में आते थे उन ग्रामों के उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये डेगाना क्षेत्र के 60 ग्रामों को रियांबड़ी सहायक अभियन्ता कार्यालय के अधीन रखा गया है, जिससे क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कार्यालय आने जाने में कोई असुविधा न हो। इसी प्रकार आलनियावास उप-कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी रियांबड़ी सहायक अभियन्ता के अधीन रखा गया है।

**(सूची के लिये परिशिष्ट 12 देखें।)**

## जिला-बाड़मेर व जैसलमेर के पंचायत मुख्यालयों का विद्युतीकरण

**176. श्री हरिसिंह सोढ़ा** (शिव) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के कितने पंचायत मुख्यालयों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन पंचायत मुख्यालयों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है क्या सरकार उनका विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में मार्च, 96 के अन्त तक रहे क्रमशः 17 व 40 अविद्युतिकृत ग्राम पंचायत मुख्यालयों का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) बाड़मेर व जैसलमेर के शेष रहे 17 व 40 अविद्युतिकृत ग्राम पंचायत मुख्यालयों का विद्युतीकरण योजना मद में आवंटित वित्त एवं निर्धारित नीति व लक्ष्यों के अनुसार आगामी वर्षों में किया जाना संभव है। अतः निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये मौजूदा गति बनाये रखना भी कठिन हो रहा है। वर्तमान में आवश्यकता विस्तार की अपेक्षा समृद्धिकरण की है ताकि राज्य के मौजूदा 43 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की सेवा स्तर में गिरावट नहीं आवे।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)**

## विधान सभा क्षेत्र डग के ट्रांसफार्मर्स

**177. श्री बाबू लाल वर्मा (डग) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र डग के विद्युतीकृत गांवों में कहां-कहां कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर्स लगे हुये हैं एवं इन पर कितने-कितने कनेक्शनों का लोड है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र डग में 206 ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं। ग्रामवार प्रतिष्ठापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता तथा उन पर सम्बन्द्ध भार की सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)**

## सहायक अभियन्ता कार्यालय कुचामनसिटी में लंबित घरेलू कनेक्शन

**178. श्री रूपाराम (मकराना) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के सहायक अभियन्ता कार्यालय कुचामन में घरों के कनेक्शनों की फाइलें विचाराधीन हैं? यदि हां, तो किस-किस गांव की कितनी-कितनी तथा क्यों? इन कनेक्शनों को कब तक करने का सरकार का विचार है?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष ग्राम सवाईपुरा से माँग राशि जमा होने पर भी घरों को कनेक्शन नहीं दिये गये? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

**उत्तर**

(1) जी हां, नागौर जिले के सहायक अभियन्ता कार्यालय, कुचामन में घरों के कनेक्शनों की कुल 343 फाइलें विचाराधीन है जिनमें से 239 के माँग पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा 104 फाइलें तकमीना बनाने हेतु लम्बित है। 239 जारी माँग पत्रों में से 102 उपभोक्ताओं ने राशि जमा करा दी है जिनमें से 86 के कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा शेष 16 उपभोक्ताओं ने "एल" फार्म प्रस्तुत नहीं किये हैं। सामान की उपलब्धतानुसार कार्य पूरा कर कनेक्शन दिये जा रहे है। ग्रामवार विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) ग्राम सवाईपुरा में गत वर्ष 20 पत्रावलियाँ घरों के कनेक्शन हेतु विचाराधीन थीं, जिनके माँग पत्र दिनांक 9.2.1996 को जारी कर दिये गये लेकिन निधारित अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा माँग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण उक्त पत्रावलियाँ रद्द कर दी गई।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)**

## डूंगरपुर क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

**179. श्री शंकर लाल अहारी** (चौरासी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

डूंगरपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों मे टी.एस.पी. योजनाओं के अन्तर्गत गांवों का विद्युतीकरण कराने हेतु वर्ष 1994-95, 1995-96 व 1996-97 में किन-किन गांवों में राशि जमा कराई गयी है ? उनमें से अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

राज्य में पिछले वर्षों में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी नगण्य सी हुई है जब कि खपत में काफी अधिक बढोत्तरी हुई है। उसी मात्रा में बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में प्रतिवर्ष दो लाख की वृद्धि होती रहती है जिसके कारण मांग व आपूर्ति में काफी अन्तर होता है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कृषि कार्य हेतु औसतन 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के प्रयास किये गये हैं। लेकिन कभी-कभी जब विद्युत माँग एवं आपूर्ति में काफी अन्तर उत्पादन में अचानक गिरावट आने पर हो जाता है तो वृहत् उद्योगों पर 50 प्रतिशित से शत-प्रतिशित तक कटौती कर लोड़ शेडिंग कर व किसानों को निर्धारित घण्टों में कुछ कम विद्युत उपलब्ध करवाकर विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में सामन्जस्य रखने के प्रयास किये जाते हैं। यह कटौती डूंगरपुर ही नहीं अपितु पूरे राज्य में एक साथ समान रूप से की जाती है। ऐसी परिस्थितियों में की गई कटौती को पूर्ण करना, पूर्व की भाँति संभव नहीं होता है। वर्तमान में कृषकों को निर्धारित 8 घण्टे ब्लाक्स् में विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

## डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती

**180. श्री शंकर लाल अहारी** (चौरासी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत कटौती की गई है ? यदि हां, तो कितने घण्टों की, इस कटौती की पूर्ति हेतु सरकार की क्या मंशा है ?

**उत्तर**

टी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान गांवों का विद्युतीकरण कराने हेतु कोई राशि जमा नहीं कराई गई। वर्ष 1995-96 के दौरान पंचायत समिति, डूंगरपुर के 14 गांवों के विद्युतीकरण हेतु जन जाति विकास विभाग, उदयपुर से 39.90 लाख रुपये प्राप्त हुये थे। इन 14 गांवों में से वर्ष 1995-96 के दौरान 13 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। गांवों की सूची प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है। वर्ष 1996-97 में अब तक गांवों के विद्युतीकरण हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

**(सूची के लिये परिशिष्ट 15 देखें।)**

## बीकानेर, लूणकरणसर व खाजूवाला क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

**181. श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) कितने गांवों का विद्युतीकरण बाकी है ? शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(36)



(श्री भीमसेन चौधरी)

**(3) जिला बीकानेर की लूणकरणसर एवं बीकानेर पंचायत समिति क्षेत्रों के कितने-कितने गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है? सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला की कितनी चक आबादियों को अब तक राजस्व गांव घोषित किया जा चुका है तथा उनमें से कितनी घोषित आबादियों को विद्युतीकृत किया जा चुका है?**

**उत्तर**

(1) राज्य में वर्ष 1991 की जनगणना पुस्तिका अनुसार 39810 ग्राम है जिनमें से दिनांक 31.3.1996 तक 33828 ग्राम को विद्युतिकृत घोषित किया जाकर राज्य का 84.98 प्रतिशत विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(2) राज्य में 1 अप्रेल, 1996 को 5982 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है। राज्य का शत प्रतिशत विद्युतीकरण करने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। राज्य के शेष रहे ग्रामों का विद्युतिकरण योजना मद में आवंटित वित्त एवं विद्युत को उपलब्धि के अनुसार निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप शनैः शनैः ही किया जाना संभव हो सकेगा। वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुये ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये मौजूदा गति बनाये रखना भी कठिन हो रहा है। वर्तमान में आवश्यकता विस्तार की अपेक्षा सुदृणिकरण की है ताकि राज्य के मौजूदा 43 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की सेवा स्तर में गिरावट नहीं आवें।

(3) 1991 की जनगणना पुस्तिकानुसार बीकानेर जिले को लूणकरणसर एवं बीकानेर पंचायत समिति के क्रमशः 7 व 15 ग्राम विद्युतिकरण हेतु शेष है। सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला की कितनी चक आबादियों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है कि सूचना विद्युत मण्डल में उपलब्ध नहीं है। विद्युतिकरण का कार्य 1991 को जनगणना पुस्तिका में दर्शाये गये राजस्व ग्रामों के आधार पर ही, उपलब्ध योजना मद में आवंटित वर्षवार/वित्त एवं लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है।

## धोबोलाई (गोविन्दगढ़-जयपुर) के वार्ड पंच के विरुद्ध जांच

**182. श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत धोबोलाई, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला-जयपुर के वार्ड नम्बर-5 के पंच के विरुद्ध पंचायत की राशि गबन करने, नियम विरुद्ध कार्यवाही करने तथा महिला वार्ड पंचों को पंचायत की बैठक में न बोलने देने की कोई शिकायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर को प्राप्त हुयी है? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो अब कब तक कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है?

(3) क्या उक्त वार्ड पंच को जांच में गबन के गंभीर आरोप एवं अनियमित कार्य करने का दोषी पाया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त वार्ड पंच को आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निलम्बित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(2) वार्ड पंच की लल्लूराम खाती के विरुद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है।

(3) जी हां। वार्ड पंच के स्पष्टीकरण आने पर तथा उनका पक्ष सुनने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो निलम्बन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)**

## जिला स्थापना समिति जिला परिषद् नागौर के चयनित अध्यापक

**183. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला स्थापना समिति जिला परिषद् नागौर द्वारा अध्यापकों के चयन के लिए कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो जिला परिषद् के चुनाव के बाद कब-कब, कितने-कितने अध्यापकों का चयन किया गया और चयन के समय कितने रिक्त स्थान थे? विवरण चयन कर जारी की गई सूचियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) चयन के कितने दिन बाद किस-किस पंचायत समिति को कितने-कितने अध्यापक नियुक्ति के लिए कितने पद स्वीकृत किये गये तथा इन पंचायत समितियों में कितनी-कितनी जगह खाली थी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समितियों को जो चयनित अध्यापक एलाट किये गये थे उसका आधार क्या था? क्या रिक्त स्थानों के अनुपात में एलाट किया गया? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या अभी भी अध्यापकों के पद जिले में रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने और कब से तथा इनको भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई? पंचायत समितिवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार की निगाह में इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता हुई है? यदि हां, तो क्या और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिषद के चुनाव के बाद विज्ञापन संख्या 9/94 के अन्तर्गत दिनांक 10.5.95 को 356 आशार्थियों का चयन किया गया। चयन के समय 621 पद रिक्त थे। आशार्थियों के कार्यग्रहण करने पर दिनांक 8.9.95 को आरक्षित में से 103 आशार्थियों का चयन किया गया। विज्ञापन संख्या 10/95 में दिनांक 6.1.96 को 934 आशार्थियों का चयन किया गया। चयन के समय 738 पद रिक्त थे। पंचायत समितिवार रिक्त स्थान व आबंटन की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) चयन के बाद दिनांक 11.5.95 को 356 पदों का आबंटन किया गया। दिनांक 22.9.95 को 155, अक्टूबर में 9, नवम्बर में 32, दिसम्बर में 14 आशार्थियों का आबंटन किया गया।

विज्ञापन संख्या 10/95 के अन्तर्गत दिनांक 29.1.96 को 404, फरवरी में 64, मार्च में 226 तथा 121 आशार्थियों का आबंटन किया गया। पंचायत समितिवार रिक्त

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

स्थान व आबंटन की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जिला स्थापना समिति के निर्णयानुसार आशार्थियों की गृह पंचायत समितियों में रिक्त पदों को ध्यान में रखकर रिक्त पदों के अनुपात में आबंटन किया गया था। अन्य जिलों के आशार्थियों का आबंटन पंचायत समिति में रिक्त पदों के अनुसार किया गया है।

(4) जी हां। वर्तमान में 243 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जारी है।

(5) चयन राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में किया गया है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)**

## मारवाड़ जंक्शन व देसूरी (पाली) के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

**184. श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन व देसूरी जिला पाली में कितने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कब से खुले हुए हैं व उनमें से कितने अभी तक कार्यरत हैं?

(2) इन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खुलने से अब तक कौन-कौन अनुदेशक व पर्यवेक्षक कार्यरत हैं इन्हें कितना-कितना मासिक भुगतान किया गया?

**उत्तर**

(1) माह नवम्बर, 91 से माह जून, 96 तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में 56 व देसूरी (पाली) में 41 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खुले हुए हैं। पंचायत समिति देसूरी में 41 व पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में 44 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)**

## पंचायत समिति श्रीमाधोपुर की जीप पर व्यय

**185. श्री भरत सिंह** (खानपुर) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के वाहन (जीप) का गत दो वर्षों में कहां-कहां उपभोग हुआ? लॉक बुक की माहवार प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वाहन पर इस अवधि में डीजल रख-रखाव, ड्राइवर अथवा अन्य पर क्या-क्या खर्चा किया गया? माहवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के वाहन (जीप) का गत दो वर्षों में जहां-जहां उपयोग हुआ उससे संबंधित लॉग बुक की माहवार प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट "अ"

(2) उक्त वाहन पर इस अवधि में डीजल, रख-रखाव, ड्राईवर अथवा अन्य पर वर्ष 94-95 एवं 95-96 में हुये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

| | वर्ष 94-95 | वर्ष 95-96 |
|---|---|---|
| डीजल | 31,718/- | 35,890/- |
| रख-रखाव | 19,392/- | 31,608/- |
| ड्राईवर | 16,065/- | 18,421/- |
| योग | 67,175 | 85,919 |

माह वार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "ब")

**(प्रति एवं ब्यौरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)**

## विधान सभा क्षेत्र शिव के राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय

**186. श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में ऐसे कितने राजस्व ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या 250 से ऊपर होते हुए भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्रामों में सरकार इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिक विद्यालय खोलन का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) नवीन प्राथमिक शाला खोलने का आधार वर्ष 1991 की जनगणना में घोषित विद्यालय विहीन राजस्व ग्राम है।

बाडमेर जिले के विधान सभा क्षेत्र शिव में वर्ष 1991 की जनगणना में 250 से अधिक की आबादी वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं।

(2) सभी ग्रामों में शाला खोली जा चुकी हैं।

## जिला पाली में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र

**187. श्री भीमराज भाटी (पाली) :** क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी भवन बन चुके हैं। और शेष केन्द्रों पर आंगनबाड़ी भवन कब तक बनाने का सरकार की योजना है ?

(3) एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर औसत कितने बालक लाभान्वित हो रहे हैं और औसतन प्रति आंगनबाड़ी पर प्रतिमाह कितना खर्चा आ रहा है ?

(4) विधान सभा क्षेत्र पाली में वर्तमान में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची केन्द्रवार सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में कुल 188 केन्द्र कार्यरत हैं।

(2) इनमें से 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्मित हो चुके हैं। शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा अलग से राशि आबंटित कर भवन बनाने की कोई वर्तमान में योजना नहीं है।

(3) एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर औसतन 57 बालक लाभान्वित हो रहे हैं और प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्रतिमाह औसतन 1168/- रु. खर्चा हो रहा है। केयर के माध्यम से दिये जाने वाले पोषाहार का मूल्य उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(4) विधान सभा क्षेत्र पाली में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की केन्द्रवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)**

## निगम बस स्टैण्ड, जयपुर एवं कोटा पर पदस्थापित सुरक्षा कर्मी

**188. श्री शान्ति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) एवं **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड, जयपुर एवं कोटा के रोडवेज बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु वर्तमान में नियुक्ति सतर्कता निरीक्षक व ट्रैफिक मैनेजर यात्रियों को उक्त सुविधायें मुहैया कराने के बजाय अपने निहित स्वार्थों में लगे रहने, बिना वजह यात्रियों एवं स्टेण्ड परसिर स्थित दुकानदारों को परेशान करने आदि की शिकायतें सरकार एवं निगम प्रशासन को प्राप्त हुयी हैं? यदि हां तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी?

(2) क्या सरकार उक्त बस स्टेण्डों पर कार्यरत सुरक्षा कर्मी बिना वजह यात्रियों एवं परिसर स्थित दुकानदारों को परेशान न करें इस सम्बन्ध में कोई कारगर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) कोटा के बस स्टेण्ड पर सतर्कता निरीक्षक पदस्थापित नहीं है तथा वहां के सम्बन्ध में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यालय की सतर्कता शाखा में कार्यरत वृत्त निरीक्षक को सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड जयपुर के प्रबन्धक (यातायात) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इनके विरुद्ध भी यात्रियों एवं दुकानदारों को परेशान करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। "इन्टक" एवं "एटक" से सम्बद्ध संगठनों द्वारा कर्मचारियों को परेशान करने तथा निहित स्वार्थ सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(2) बस स्टेण्डों पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा यात्रियों एवं परिसर स्थित दुकानदारों को परेशान करने का कोई विशिष्ट मामला प्रशासन के ध्यान में आता है, तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

## परिवहन निगम की आय

**189. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में दिसम्बर, 1993 से मई, 1996 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कितनी आय हुई? वर्षवार आय एवं व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) परिवहन निगम का उक्त वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यों पर कितना व्यय हुआ? व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) परिवहन निगम को माह दिसम्बर, 93 से मई, 96 तक निम्नानुसार आय, व्यय एवं लाभ हुआ—

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | आय | व्यय | शुद्ध लाभ | |
|---|---|---|---|---|
| दिसम्बर, 93 से मार्च 94 | 113.23 | 108.17 | 5.06 | तदर्थ लेखों के अनुसार |

(राज्य मंत्री, यातायात)

| वर्ष | आय | व्यय | शुद्ध लाभ | |
|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 387.71 | 363.58 | 24.13 | अंकेक्षित लेखों के अनुसार |
| 1995-96 | 420.80 | 412.46 | 8.34 | तदर्थ लेखों के अनुसार |
| अप्रेल, 96 से मई 1996 | 77.71 | 71.44 | 6.27 | तदर्थ लेखों के अनुसार |

(2) परिवहन निगम द्वारा निम्न वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

## भीलवाड़ा-जयपुर बस सेवा में नसीराबाद का आरक्षण कोटा

**190. श्री कालू लाल गुर्जर (मण्डावर) :** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से जयपुर के मध्य राजस्थान रोडवेज की बस जो कि भीलवाड़ा से प्रातः पांच बजे प्रस्थान कर वाया नसीराबाद, श्री नगर होते हुये जयपुर पहुंचती है, में पूर्व में पांच सीटों का आरक्षण नसीराबाद से आरक्षित था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पांच सीटों के आरक्षण की सुविधा नसीराबाद से खत्म कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या निगम उक्त सुविधा पुनः चालू किये जाने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त बस में नसीराबाद से 5 सीटों की आरक्षण सुविधा अब भी यथावत उपलब्ध हैं।

## जयपुर-भरतपुर मार्ग पर निजी व अवैध बसों का संचालन

**191. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर-जयपुर मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की कितनी बसें चलती हैं तथा किस-किस समय पर जयपुर व भरतपुर से प्रस्थान करती हैं ?

(2) क्या इस मार्ग पर सवारी लाने व ले जाने हेतु सरकार ने निजी वाहन भी अधिकृत कर रखे हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मार्ग पर अवैध वाहनों के संचालन को बन्द करने हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) भरतपुर जयपुर मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा दैनिक 67 बसों से 88 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। मार्गवार विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) वाहनों के अवैध संचालन को रोकने हेतु विभाग सतत प्रयासरत है। अवैध वाहनों का कोई निश्चित मार्ग व समय नहीं होता है, अतः समय-समय पर चैकिंग करके ही इन पर कार्यवाही की जा सकती है। विभाग द्वारा उक्त मार्ग पर वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में निम्नानुसार चैकिंग की गई हैं—

(राज्य मंत्री, यातायात)

| वर्ष | वाहन चैक किये | चालान किये | वाहन सीज किये |
|---|---|---|---|
| 1995-96 | 13,954 | 4266 | 499 |
| 1996-97 (31.5.96 तक) | 1,970 | 798 | 61 |

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)**

## मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन

**192. श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोकने में वर्तमान मोटर व्हीकल एक्ट प्रभावी नहीं रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधित कर प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखा जाता रहा है; यदि हां, तो कब-कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्तमान मोटर व्हीकल एक्ट को और अधिक प्रभावशाली बनाये जाने से दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने में सहायता मिलने की सम्भावना है।

(2) जी हां। एक्ट में प्रस्तावित संशोधन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 30 दिसम्बर, 95 को तात्कालीन भूतल परिवहन राज्यमंत्री भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

## मृतक कर्मचारी के आश्रित को बकाया भुगतान प्रकरण

**193. श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्री उमराव प्रसाद शर्मा, कम्पाउण्डर "अ" क्षेत्र जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 30 मई, 1978 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या विभाग ने उनके आश्रितों को ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं कितना ? अब तक भुगतान न करने का क्या कारण रहा ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक प्रति-4/आनियु/95/51818-19, दिनांक 27-12-1995 को मृतक के आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति देने का निर्देश "ब" क्षेत्र जयपुर को दिया था ? क्या उक्त आदेश की पालना संबंधित अधिकारी द्वारा की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार मृतक के आश्रितों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। स्व. श्री उमरावप्रसाद शर्मा की पत्नी के हक में पारिवारिक पेन्शन पी.पी.ओ.न. 20700/आर.एस.एफ. दिनांक 11.3.96 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

कर्मचारी की दिनांक 1.10.70 से 30.5.78 तक की अवधि की सेवा प्रमाणित न होने के कारण ग्रेच्यूटी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) जी नहीं। निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 27.12.95 द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी, "ब" क्षेत्र जयपुर को मृतक के आश्रित पुत्र श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा का मूल आवेदन पत्र भेजकर यह लिखा था कि नियमानुसार परीक्षण कर नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करें। जिला आयुर्वेद अधिकारी "ब" क्षेत्र जयपुर ने प्रकरण के परीक्षण पर पाया कि मृतक के आश्रित की आयु की राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक है। इस कारण नियुक्ति प्राधिकारी (जिला आयुर्वेद अधिकारी) ने नियुक्ति प्रदान नहीं की है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के कारण, उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई मामला नहीं बनाता है।

(3) जी नहीं।

मृतक के आश्रितों को नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नियुक्ति दी जाती है। उक्त प्रकरण में आश्रित की आयु राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने से, नियुक्ति देना सम्भव नहीं है।

## आयुर्वेदिक औषद्यालय मोहनपुरा (कोटपूतली)

194. श्री गोपी राम जाट (आमेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेदिक औषधालय ग्राम मोहनपुरा पंचायत समिति कोटपूतली में वर्ष 1991-92 से अब तक कौन-कौन वैद्य व कम्पाउण्डर कार्यरत रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त औषधालय में उक्त अवधि में किसी भी वैद्य का पदस्थापन नहीं रहा और उसका वेतन उठता रहा ? यदि हां, तो किस-किस का कब से कब तक कितना वेतन उठाया गया और उनके द्वारा कहां-कहां कार्य किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस अवधि में कुल कितनी राशि की दवाइयां औषधालय को दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोहनपुरा जोधपुरा पंचायत समिति कोटपूतली में वर्ष 1991-92 से वर्तमान तक पदस्थापित व कार्यरत वैद्य/आयुर्वेद चिकित्सक तथा नर्स/कम्पाउण्डर का विवरण (परिशिष्ट–स) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1991-92 से मई, 96 तक राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोहनपुरा-जोधपुरा में सृजित वैद्य/चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर व परिचारक के पदों के विरूद्ध किस-किस कर्मचारी का कितना वेतन कब से कब तक उठाया गया और उसने कहां कार्य किया, यह विवरण (परिशिष्ट—ख) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोहनपुरा जोधपुरा को सप्लाई की गयी औषधियों की राशि का विवरण निम्न प्रकार है—

| वर्ष | राशि (रूपयों में) |
|---|---|
| 1991-92 | 1110.90 |
| 1992-93 | 1565.90 |
| 1993-94 | 1796.03 |
| 1994-95 | 1790.01 |
| 1995-96 | 7075.80 |

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री भीमराज भाटी एवं 11 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली में पिछले दिनों छोटे-मोटे पूंजी निवेशकों से शेयरों में पूंजी लगवाकर उनको लाभ दिलाने का धोखा करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और मंत्रीजी जा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। आसन खड़ा है तो आप भी खड़े हो रहे हैं न।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, थोड़ी बहुत प्रताड़ना दो, उनको थोड़ा बहुत तो कुछ कहो + + + करें।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप। जब आसन पैरों पर हो तो सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि विराजें रहें, अपने स्थान पर विराजें रहें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मंत्रीजी को प्रताड़ना दीजिये।

## प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष** : (1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भंवरगढ़ को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर की जीवन दीप गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक के साथ नगर सुधार न्यास एवं जिला पुलिस द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले की पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा के गांवों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा एक भी कनेक्शन नहीं देने के उपरान्त भी विद्युतीकृत घोषित कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्या, विधान सभा की ओर से अलवर के टी.बी. अस्पताल की हालत अत्यंत खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री फूलचन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला उदयपुर के उपखण्ड मुख्यालय सलूम्बर में खण्डीय कार्यालय का प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन एवं डाक बंगला का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) डॉ. जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के मेडिकल कालेजों में कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं को नियमित करने के सम्बन्ध में।

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशांनुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खैरवाड़ा बस स्टैण्ड की सड़क के टूट जाने तथा विभाग द्वारा उसकी मरम्मत नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम बनेठी, नांगल पंडितपुरा, द्वारपुरा, तालवा पूरण नगर, देवता आदि में पेयजल का संकट होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)** : अध्यक्ष महोदय, जहरीली गैस प्रकरण में हमारा एडजोर्नमेंट मोशन था।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय भाभड़ा साहब दो मिनट बात कह रहे हैं, विराजें आप।

## सूचना
## बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता

**श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने बाढ़ पर बहस के सम्बन्ध में जवाब देते हुए घोषणा की थी कि जितने भी बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हैं वहां पर आई.ए.एस. ऑफिसर की नियुक्ति कर दी जाएगी और वे वहां पर कलेक्टर्स के साथ मिलकर जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में उनका सहयोग करेंगे। उन आफिसरों की नियुक्ति कर दी गयी है। भरतपुर में श्री अनिल कुमार सिंह, श्री अश्विनी भगत, श्री कुंजीलाल मीणा, श्री भास्कर सांवत, श्री एथुजा नायका, मिसेज वर्षा जोशी; अलवर में श्री प्रवीण गुप्ता, श्री चन्द्रभूषण कुमार; नागौर में श्री सज्जन सिंह यादव, श्री राजीव सिंह ठाकुर। इसके साथ राजस्थान सरकार ने सी.ए.डी., इन्दिरा गांधी कैनाल और इर्रिगेशन विभाग की तीन टीमें भी वहां पर बांधों की तुरन्त रिपेयर्स करने के लिऐ भेज दी हैं। इसी प्रकार जहां नमक, खासतौर से फलौदी, डीडवाना में पानी में आ गया, उसका सर्वे करने के लिऐ इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट से, आर.एफ.सी., उद्योग जहां-जहां भी पानी में आ गये भरतपुर में वहां रीको सब टीम्स बनाकर वहां पर असैसमेंट करने के लिऐ और उनको आर्थिक मदद किस प्रकार से दी जा सकती है इसकी सारी व्यवस्था कर दी गयी है। यही सूचना मुझे आपको देनी है।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)** : अध्यक्ष महोदय, जहरीली गैस प्रकरण का मेरा एक एडजोर्नमेंट मोशन था। मेरा निवेदन इतना ही है कि उसकी डेट फिक्स करें आप। गवर्नमेंट को आपने भेजा है, आप डेट फिक्स कर दें।

**श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : बड़ा महत्वपूर्ण मामला है इस पर सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आ जाए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अभी यहां बैठकर तो बात नहीं हो पाएगी, अन्दर बात करके मैं बता दूंगा आपको। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : डेट फिक्स करने का है खाली, कि कब आएगा। वक्तव्य कब आएगा? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : डेट तो मैं दे दूंगा।

**श्री जुबेर खान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मौजूद हैं, उप मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं तो तारीख बता दें कि किस दिन जवाब दे देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने पूरी बात...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : यह और कोई मामला नहीं है, जयपुर से बाहर का मामला भी नहीं है कि ...(व्यवधान)...सूचना नहीं आ पाएगी।

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : आज मुख्य मंत्रीजी नहीं होने से उनसे पूछे बिना तारीख नहीं दे पाए तो अलग बात है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : थोड़ी देर बाद अपन बैठकर के बात कर लेंगे। आज बी.ए.सी. में तय कर लेंगे।...(व्यवधान)

**श्री ज़ुबेर ख़ान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि आप एक बार पूछ तो लीजिये अगर तैयार हो तो।...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : यह मामला अल्पसंख्यकों का है, ...(व्यवधान)...बहुत गम्भीर मामला है, गम्भीरता का सवाल है। (व्यवधान) यह नगर निगम (व्यवधान)...कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है, कोई भी एफ.आई.आर. ज़िम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने नहीं की है। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेख़ावत** : हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजें। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं थोड़ी देर बाद अभी बी.ए.सी. की मीटिंग होगी, सभी पक्ष विराजेंगे, वहां, उस समय बैठकर के जो भी होगा वह कर लेंगे। तीन बजे बाद बता दूंगा।

**श्री ज़ुबेर ख़ान** : अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. का कोई नहीं, बी.ए.सी. सदन से बड़ी नहीं हैं। हमें अधिकार है इस सदन से मालूम करने का। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं की गयी है। एफ.आई.आर. नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ नहीं लिखी गयी है।

**श्री ज़ुबेर ख़ान** : इससे हमें कोई सरोकार नहीं है।(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : यह मैं बता दूंगा। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह षडयंत्रकारी हैं। इसमें बहुत कुछ षडयंत्र है कि जो इस तरह से छिड़काव किया गया है। (व्यवधान) जिससे जानें गयी हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको जरूरत से ज्यादा टालरेट कर रहा हूं इन दिनों।

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेख़ावत** : अध्यक्ष महोदय, हम तो समय तय करने के लिये आपसे संरक्षण चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैंने मना नहीं किया। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेख़ावत** : डेट फिक्स कर दें। आप तो मंत्रीजी से पूछ लीजिये, क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आप तो तारीख तय कर दीजिये कि किस दिन चर्चा होगी।

**श्री अध्यक्ष** : क्या मैं सब बातें यहीं करने लग जाऊंगा? मैं पूछकर बात भी नहीं कर सकता?

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेख़ावत** : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में इतना ही पूछा है, हमने केवल आपसे निवेदन किया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैंने आपको यह कहा है कि तीन बजे बता दूंगा। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेख़ावत** : अध्यक्ष महोदय, तारीख तय करें।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने तीन बजे के बाद बताया तो कौनसा आकाश गिर गया? (व्यवधान)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है,

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जिन-जिन प्रश्नों पर भी इस सदन में बहस कराने की चर्चा होगी, डेट तय होगी, दिन भी तय हो जाऐ कि किस विषय पर हमको कब चर्चा करानी है।

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : अभी अलवर कांड में बी.ए.सी. ने तय नहीं किया था। आसन की तरफ से आदेश हुआ था और ट्रेजरी बैंचेज ने तारीख तय कर दी। दौसा के मामले में भी नहीं किया गया।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : समय तय करवाने की बात है तो अध्यक्ष महोदय समय तय कर देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, आप तय कर दीजिये डेट।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : इस तरह से कभी मेरे ख्याल से सदन में समय तय नहीं होता है और जो आपका इश्यु उठाया हुआ है। (व्यवधान) तो सारा बिजनेस तय करेंगे। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : केवल समय तय करने के लिये कह रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : तीन बजे के लिए कह दिया तो कौनसा आकाश गिर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, Why are you insisting for everything here and now, why do you want to churn it. आप केवल चर्निंग चाहते हैं क्या कि उसको निचोड़ लो अभी का अभी सबको मैंने कहा है कि तीन बजे__(व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : स्थगन प्रस्ताव का महत्व ही इसलिऐ है कि बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, तुरन्त कार्यवाही की जाए। काम रोक कर भी कार्यवाही की जाए। (व्यवधान) यह अधिकारों में प्रोविजन है।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कब कहा कि बी.ए.सी. छोटी है। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष आपको कोआपरेट नहीं करता है और आप गुस्सा हमारे पर निकाल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं गुस्सा नहीं निकाल रहा हूं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं नहीं, जहरीली गैस के छिड़काव की वजह से__(व्यवधान) इसमें आप बता दीजिये कि__

**श्री अध्यक्ष** : अब, रामनारायण जी साहब, इसमें डिस्कशन का विषय कहा हैं ? में आपको कह रहा हूं कि तीन बजे बता दूंगा।

**श्री रामनारायण चौधरी** : उप मुख्य मंत्री कह दें कि कब दिलवाऐगे स्टेटमेंट। (व्यवधान) आप कब दिलवाओगे ? आज दिलवाओगे या कल दिलवाओगे ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : इस सम्बन्ध में क्योंकि आज बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है, यह कोइंसिडेंस है। यह कोई इसके लिऐ नहीं हो रही, है आज ही हो रही है। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : उसमें रखोगे क्या आप ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : उसमें आप भी रहेंगे। आप जो भी सवाल रखेंगे, डेट तय करेंगे। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा मामला है__

**श्री अध्यक्ष** : सारे मामले में आपको बोलना बहुत जरूरी है। आप तो ईसामसीह के वाक्य उतार रहे हो। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : आप हम पर गुस्सा कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ऐसा लगता है as if you are commanding Isa 'Mashi's Ten 'Commandments. और जोर से बोलो आप, At the top of your voice.

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह समस्या इसलिऐ बढ़ती है, कि आपकी व्यथा को सरकारी पक्ष तो महसूस करता नहीं और सारी नाराजगी हमें झेलनी पड़ती है। आपको परेशानी होती है, आपको तकलीफ होती है, मानसिक तकलीफ होती है, आप गुस्सा भी होते हैं और सरकारी पक्ष आपको को-आपरेट नहीं करता। मैं आपकी व्यथा को समझकर...उनको तुरन्त एक्शन लेना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको कह रहा हूं, तीन बजे तक बात हो जाएगी, बात खतम। (व्यवधान) रामस्वरूप जी, विराज जाएं। आपको बोलना बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है हर मामले में।

**श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी टेलीफोन पर सूचना मिली है कि परबतसर तहसील के गांव बरवाली में एक ही परिवार के तीन लोगों का, निर्दयता से कत्ल कर दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : आप अनुमति लेकर बोलें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप किस तरह से चलाना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री रिछपाल सिंह** : मैं कभी बगैर इजाजत से नहीं बोलता। मुझे अभी टेलीफोन से सूचना मिली है...

**श्री अध्यक्ष** : खेतसिंह जी साहब माननीय सदस्य, आप क्या हाउस को चलाने में मेरी मदद कर सकेंगे?

**श्री रिछपाल सिंह** : पूरी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?

**श्री अध्यक्ष** : I fail to understand all these things now.

**श्री रिछपाल सिंह** : एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों का निर्दयता से कत्ल कर दिया गया...

**श्री अध्यक्ष** मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको मौका दूंगा। आप मुझसे परमिशन तो लें। मर्जी आए तब खड़े हो जाते हैं बिना परमिशन के।

श्री अरूण सिंह जी। विराजिये आप। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था तब तक वे चले भी गये। आपने यह घोषणा की है कि हमने आई.ए.एस. अफसरों को लगाया है, वहां पर हमने सी.ए.डी. और इन्दिरा गांधी नहर की टीम भी लगायी है। मैं यह जानना चाह रहा था कि बगैर पैसे के ये लोग वहां काम क्या करेंगे। उस काम के लिये आपने पैसों का इन्तजाम किया है क्या? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अभी तो वहां पर जो व्यवस्था की है उसका बताया है। वहां जो अधिकारी लगेंगे उसके लिये बताया है सूचना के लिऐ। विराजें, आप मंत्रीजी से बात कर लें। उनसे भी पूछ लेंगे। विराजिये आप। अरूण सिंह जी।

**श्री अरुण सिंह (डीग)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कामां क्षेत्र में एक महिला चेयरमैन हैं श्रीमती मीना गोयल। 30 तारीख को पूर्व मंत्री श्री मदन मोहन सिंघल ने इस महिला चेयरमैन को उसके घर जाकर बुरी तरह से पीटा, सारा सामान फेंक दिया बाहर और उनके 15 वर्ष के बेटे, सर्वेश को भी बुरी तरह से पीटा। एक एफ.आई.आर. 30 तारीख को 4 बजे लॉज हुई। श्री भंवरलाल शर्मा, वरिष्ठ मंत्री, राजस्थान के जो वहां थे, गवाह थे वहां। वे जिला कलेक्टर और एस. पी. के साथ

(श्री अरुण सिंह)

तहसील में गये। 29 तारीख को मदन मोहन सिंघल ने और कम से कम 50 आदमियों ने श्री भंवरलाल जी शर्मा के साथ भी बड़ी बदतमीजी की। वहां अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई हैं उसमें। सैक्शन 452, सैक्शन 395, सैक्शन 436, बीजेपी. की एक महिला चेयरमैन के साथ ऐसा अत्याचार होना, शर्म की बात है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। श्री गोपीचन्द जी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में बता दूं।

**श्री अध्यक्ष** : इनका भी इसी मामले पर है। वे इसी मामले पर बोल रहे हैं।

**श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर)** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इसी विषय पर मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 29 तारीख को पहले तो तहसील में महिला चेयरमैन के साथ बड़ी बदसलूकी पूर्व मंत्री माननीय मदन मोहन सिंघल ने की। उसके बाद 30 तारीख को दिन दहाड़े 11 बजे से लेकर एक बजे तक नंगा नाच किया। पूरे मकान को तोड़ा। कम से कम पांच लाख या छह लाख रुपये की सम्पत्ति को नष्ट किया। महिला को खींच लिया, उनके कपड़े फाड़ दिये। उस महिला चेयरमैन का पूरा बदन नीला पड़ा हुआ था। पड़ौसियों ने आकर उसको बचाया। सबसे शर्म की बात है कि बगल में थाना था। उनको जानकारी दे दी गयी, थाने में फोन कर दिया गया था—

**श्री अध्यक्ष** : हरिनारायण जी। इसी पर हरिनारायण जी का भी है।

**श्री गोपीचन्द गुर्जर** : लेकिन दो घंटे तक पुलिस मूक साधना करती रही और कोई कार्यवाही नहीं की। अपराध करने के बाद कम से कम एक घंटे तक वे लोग थाने में जाकर बैठे रहे। राजस्थान के गृह मंत्रीजी को कह देना चाहता हूं कि आप उस महिला चेयरमैन के लिए सुरक्षा गार्ड बुलाए और उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कराया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। श्री हरिनारायण जी।

**श्री हरिनारायण (खण्डार)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुनीता शर्मा कक्षा 11 की छात्रा थी जिसकी उम्र करीब 17-18 वर्ष थी। दिनांक 22.6.96 को दिन में अपनी मां का वेतन लेने के लिए सवाई माधोपुर आयी थी और शाम को बस द्वारा अपने गांव वापस छारोदा गयी थी बस में—

**श्री अध्यक्ष** : एक मिनट विराजें आप।

**श्री हरिनारायण** : शून्य काल में बोल रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। अभी बुलवाता हूं, आपको, आप विराजिये (व्यवधान) ज्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं है गुरूजी।

**श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, जब मैं 29 तारीख को कामां पहुंचा, यह बात सही है कि लोग बाढ़ की चपेट में थे और उस समय तक उनकी खैर-खबर नहीं ली गयी थी। उसके बड़े कारण भी थे क्योंकि रास्ता था ही नहीं जाने के लिये। मैं भी जब गया हूं तो पहले मथुरा, आगरा, कोसी, नंदगांव, बरसाना। उसके बाद रास्ता था नहीं लेकिन वहां पर एक तहसीलदार था, उनसे मैंने कहा कि कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा। चाहे जंगलों और पहाड़ी में से होकर लेकिन कामां जा सकते है। उन्होंने कहा कि ऐसा रास्ता बताता हूं। उस रास्ते से बड़ा ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों

(श्री भंवरलाल शर्मा)

में पहुंचा था। यह बहुत मुश्किल रास्ता था। इसलिऐ वहां सम्भव नहीं था, वहां के लोगों का आक्रोश स्वाभाविक था। वह न तो मेरे प्रति था, न और किसी के प्रति था। और जो अरुण सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ कोई दुव्यवहार नहीं किया गया और बड़ी शांति से सारी बात उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा कि आप आ गये हैं, हमें तो बहुत खुशी है और आप जब तक यह काम नहीं निपटे, हमारे साथ रहे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मेरे सामने या मेरे साथ तो कोई दुर्व्यवहार नहीं किसी ने किया। (व्यवधान) कमिंग, कमिंग, आप सुनो तो भाई। यह है क्या बीमारी ? मैं बता रहा हूं न। (व्यवधान)

**श्री बृजेन्द्र सिंह** : महिलाओं को पीटने वाली बात है। आपसे दुर्व्यवहार वाली बात ही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मेरी बात सुनिये। पहला बिन्दु था कि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। कामां के लोग बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करते रहे हैं, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया।

आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, यह हमारे आने के बाद की घटना है। वहां दूसरे दिन जब मैं गया तो पता चला कि यह घटना तो पहले दिन हुई, झगड़ा पहले दिन हुआ। जब दूसरे दिन मैं, एस.पी. और कलेक्टर साहब दुबारा गये, तब वहां लोगों ने कहा कि कल ऐसी घटना घट गयी है तो तत्काल, एस.पी. और कलेक्टर साहब ने हमने एडीशनल एस.पी. को छोड़ा, वहां उसका स्टेशन किया कि आप इस सारी घटना की जांच करिये, मौका देखिये और जो भी कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, करिये। हम एडीशनल एस.पी. को वहां छोड़कर आये इसी काम के लिये। उसके बाद की जानकारी तो गृह विभाग को होगी। बाकी इसकी पूर्ण व्यवस्था के लिऐ एडीशनल एस.पी. का हैड क्वार्टर वहां कर दिया गया था ताकि ऐसी परिस्थिति में जहां लोग अभाव में है, कोई भी दंगा-फसाद आपस में नहीं हो जाऐ, शांति से निपटाएं, अपराध किया है उनके खिलाफ कार्यवाही हो, यह निर्देश देकर हम आये हैं।

**श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, यह जो महिला चेयरमैन के लिए कहा जा रहा है, यह महिला चेयरमैन कल एक डेपुटेशन लेकर मेरे से मिली थी इस महिला चेयरमैन का यह कहना था कि पुलिस की कार्यवाही ठीक चल रही है लेकिन चूंकि पूर्व मंत्री इमसें दिलचस्पी ले रहे हैं इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाए। वे पुलिस की कार्यवाही से पूर्णतः संतुष्ट हैं। वहां पुलिस भी है और पुलिस पुख्ता कार्यवाही करेगी, इस बारे में मैंनें निर्देश दे दिये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिनारायण जी।

**श्री हरिनारायण** : अध्यक्ष महोदय, सुनीता शर्मा कक्षा 11 की छात्रा थी जिसकी उम्र करीब 17-18 साल थी। दिनांक 22.6.96 को दिन में अपनी मां का वेतन लेने का सवाई माधोपुर आयी थी और शाम को बस द्वारा वापस अपने गांव छारोदा गयी थी। बस में सुनीता के साथ 2-3 युवक भी थे जो सुनीता को छेड़ रहे थे। यह घटना बस में बैठे लोगों ने देखी थी। बस शाम को कुछ लेट थी अतः दिन छिपने के साथ छारोदा के निकट पहुंची थी। जब सुनीता बस से उतरी थी तब वे युवक भी सुनीता के साथ बस से उतर गये थे किन्तु उसी गांव का एक

(श्री हरिनारायण)

अध्यापक, खेमराज बस से नहीं उतरा था जिसको सुनीता के साथ ही छारोदा में जाना था। सड़क से छारोदा एक किलोमीटर दूर है, जहां बस ने सुनीता को उतारा था। रास्ते में सुनीता को गुण्डों द्वारा पकड़कर सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी और रेत के कुएं में डाल दिया गया। पता लगने पर सुनीता के शव को कुएं से निकालकर गांव वालों की मदद से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है सुनीता के घर में उसकी विधवा मां व एक छोटा भाई है जिसका नाम राकेश है। घर में समझदार व्यक्ति नहीं होने के कारण व गरीब की लड़की होने के कारण, असामाजिक तत्वों द्वारा दबाव डालने के कारण या फिर और भी कारण हो सकते हैं, जिसके कारण पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी और न ही पोस्टमार्टम कराया गया है और शव को जला दिया गया है। अतः सरकार द्वारा पुलिस थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर में रिपोर्ट दर्ज करवायी जाकर सी.आई.डी. द्वारा जांच करवाकर असमाजिक तत्वों को पकड़कर सजा दिलवायी जाए। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहनजी।

**श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)** : अध्यक्ष महोदय जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर आग लग जाने से रंगाई-छपाई की क़रीब दस फैक्ट्रीज जल कर राख हो गयीं। करीब दो-तीन करोड़ का नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर फायर बिग्रेड नहीं होने की वजह से यह इतना बड़ा हादसा हुआ है। वहां पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए और वहां जिन लोगों की फैक्ट्रीज जल गयी हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इतना ही मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र जी पारीक।

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर में एक गवर्नमेंट चितलांगिया सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है जिसमें साइन्स का सबजैक्ट था लेकिन अभी हाल ही में विभागीय निदेशानुसार वहां से साइन्स फैकल्टी को विथड्रा कर लिया गया है। जो इनके नार्म्स बने हुए हैं वे यह है कि 10 से कम बच्चे हैं तो अनइकोनोमिक मानते हैं लेकिन 10 से ज्यादा बच्चे होने पर वह स्कूल इकोनोमिक मानते हैं और वहां पर फैकल्टी चलाना वाजिब भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाऊं कि आज भी जो इलेवन्थ और ट्वैल्थ की क्लासेज है उनमें 17, 33 और हर बार ही 15 से कम बच्चे कभी नहीं रहे। ऐसी हालत में यदि वहां पर यह फैकल्टी बन्द कर दी जाएगी तो उस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी होगी क्योंकि आज हालत यह है कि अन्य स्कूलों में भी एडमीशन बड़े आराम से नहीं मिलता। वे बच्चे जब उस स्कूल में आलरेडी पढ़ रहे थे, वहां से यदि किसी अन्य स्कूल में जाएंगे तो वहां एडमीशन मिलना मुश्किल है और यहां फैकल्टी बंद होने से काफी परेशानी हो गयी है, बच्चों का वैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया साइन्स फैकल्टी को चितलांगिया स्कूल में पुनः आप चालू करने के आदेश फरमाएं।

**श्री अध्यक्ष** : हरजीरामजी बुरडक। आप बोल रहे हैं?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री)** : हां, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, ये जो अनार्थिक विद्यालय थे जिनमें बच्चों की संख्या 10 से भी कम थी और सारे का सारा हमारा स्टाफ लगा रहता है, शहरों में भी अगर विद्यालय में 10 बालक नहीं है तो हमने सोचा कि उसी शहर में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दूसरा साइन्स का विद्यालय है, उसमें वे बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारा स्टाफ किसी तरह से वहां से बचाया जा सकता है। इस कारण से हम ने किया। लेकिन फिर भी अब हमने यह कहा कि अगर 20 बालक वहां पढ़ने के लिये उसी शहर में उपस्थित हैं तो हम उस संकाय को चालू रख सकते हैं। इसके आप पुख्ता हमको कागज दे दें कि अगर 20 बालक वहां उस विषय के एडमीशन लेने वाले हैं तो हम उसके बारे में फिर से विचार कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरजीरामजी बुरड़क।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : अध्यक्ष महोदय, 1994-95 में वहां पर इलेवन्थ क्लास में 14 बच्चे थे, सीनियर में 12 बच्चे थे।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं-नहीं, देखिये आप। विराजिये, this is not the way. विराजिये आप। बुरडक साहब।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : 1995-96 में वहां पर 17 बच्चे हैं जूनियर में और 11 बच्चे हैं सीनियर में और वहां का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है इसलिए आप मेहरबानी करके स्कूल को खोलें।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप बात कर लेना, मंत्रीजी ने बात कह दी। आप विराजिये।

**श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विशिष्ट योजना संगठन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गांवों में जो निर्माण कार्य चलाये जा रहे हैं उनमें अधिकतर कार्य ऐसे हैं जो इसी विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। इस साल जब अकाल पड़ा अकाल राहत कार्य राज्य सरकार ने शुरू किये। इन्होंने जो आंकड़े दिये कि हमारे इतने कार्य चल रहे हैं, इसमें इतने मजदूर लगे हुए हैं उसमें विशिष्ट योजना संगठन के कार्यों पर जो मजदूर लगे हुए थे उनको सम्मिलित करते हुए इन्होंने यह कार्यक्रम चलाया था। जो कार्य रिलीफ विभाग से चले थे, उनमें यह व्यवस्था थी कि मजदूरी का भुगतान 15 दिन में करना है, लेकिन विशिष्ट योजना संगठन के द्वारा जो कार्य चलाये जा रहे हैं उनके कई मामले ऐसे हैं जिनमें साल भर से मजदूरों का पेमेन्ट नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैंने मंत्रीजी को कई बार निवेदन किया। इन्होंने भी अपनी तरफ से कलेक्टर को और डी.आर.डी.ए. चिट्ठियां लिखीं लेकिन उन मजदूरों का भुगतान आज तक नहीं हुआ। अब मंत्री महोदय अपने आप को असहाय समझ रहे हैं या क्या समझ रहे हैं, यह तो मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसे उदाहरण है कि साल-साल भर जिन मजदूरों ने मजदूरी की उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ। उनमें ऐसी योजनाएं भी हैं जिनमें मजदूरों को सौ दिन रोजगार देने की गारंटी दी गयी है। सौ दिन तो कभी के चल गये, पिछले साल में जिन लोगों ने मजदूरी की उनकी मजदूरी का आज तक भुगतान नहीं हुआ है। विशिष्ट योजना मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, इनके ध्यान में यह मामला कई बार आ चुका, इन्होंने थोड़ा-बहुत प्रयत्न भी किया लेकिन ये सफल नहीं रहे। अब ये आगे क्या करना चाहते हैं, बैठे हैं मंत्री महोदय, कुछ कहें।

**श्री अनंग कुमार जैन** (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास के कार्यों में काफी रुचि लेते रहते हैं और मेरे से बराबर सम्पर्क में रहते हैं जब-जब भी आपने कोई समस्या बतायी मैंने उसको हल करने का पूरा प्रयास किया है। अब यह कोई मजदूरों का बकाया बता रहे हैं तो उसको विभाग में दिखवा कर उसका पेमेन्ट करवा दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। श्री मिर्धाजी।

**श्री रिछपालसिंह** (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री रिछपाल सिंह)

परबतसर तहसील के बरवाली गांव में कल रात एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की बड़ी निर्दयता से तलवार से काट कर हत्या कर दी गयी। एक खेत की मेड़ के मामूली विवाद पर तीन हत्याएं तलवार से की गयी हैं। मुझे अभी टेलीफोन से सूचना मिली अध्यक्ष महोदय, इसलिए मै आपसे पहले इजाजत नहीं ले सका।

अध्यक्ष महोदय, तीन हत्याएं हुई, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं। कि अगर तुरन्त कार्यवाहीं नहीं हुई तो वहां की जनता में आक्रोष है, इससे ज्यादा मोटा कोई हादसा और हो सकता है। इसलिये इस मामले की तुरन्त जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए।

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकरण की आप चर्चा कर रहे हैं, यह शायद जमीन का झगड़ा है और कल हुआ है और उसमें गुमानारामजी और उनकी औरत और बच्चे पर हमला हुआ है। यह वही है न?

**श्री रिछपाल सिंह** : मर गये हैं साहब, हमला क्या।

**श्री कैलाश मेघवाल** : दो मरे हैं।

**श्री रिछपाल सिंह** : मेरे को तीन का बताया है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : है तो वही न?

**श्री रिछपाल सिंह** : हां, हां, वही है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : ऐसा है, इस में जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। गुमानाराम घायल है, उकसी औरत घायल है। गुमानाराम मौके पर नहीं था, उसकी औरत थी। 22 साल का एक लड़का था, पांच साल का एक लड़का था, इनमें से 22 साल के लड़के की और पांच साल के लड़के की हत्या कर दी गयी है। इसमें आपकी सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि पांच आदमी नामजद किये गये थे। उन पांच में भंवरसिंहजी, उनकी औरत और लड़का गिरफ्तार हो चुके हैं और दो को और गिरफ्तार करने के लिऐ पुलिस पुख्ता कार्यवाही कर रही है। यह आपकी सूचना के लिए है।

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का मामला तीन दिन पहले मैंने उठाया था। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के नादौती थाने में एक मर्डर हुआ है, उस मर्डर की हत्यारे आज तक पकड़े नहीं गये। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि उसके हत्यारों का क्या हुआ, आप पकड़ रहे हैं या नहीं? इतना बड़ा अन्याय हुआ है, आप बताइये इस बात को। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हो गया, विराजें आप। आराम से चलने दें आप, आराम से चल रहा है अभी। भवानी जी। (व्यवधान) सुनिये, सुनिये।

**श्री कैलाश मेघवाल** : अध्यक्ष महोदय, एक तारीख को माननीय विधायक ने यह मसला यहां पर उठाया था। मैं उनकी सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि इसमें चार मुलजिम नामजद हुए थे। चार में से धनसी पुत्र प्यारे मीणा और हरिबंस पुत्र प्यारेलाल मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुंजेला का मुकदमा है यह।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : हां, पुंजेला गांव का, नादौती थाने में।

**श्री कैलाश मेघवाल** : बाकी दो की तलाश कर रहे हैं और पुलिस की पुख्ता तौर पर सख्ती से त्वरित गति से कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : भवानीजी जोशी।

**श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं वन मंत्रीजी का** ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले में राज्य सरकार ने वन विभाग में एक कानून बनाया था कि 1980 के पहले के जो भी कब्जे हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। और उसके लिऐ एक कमेटी भी बनायी थी जिसमें विधायक, प्रधान, रेवेन्यू अफसर, जंगलात का एक अधिकारी होगा, लेकिन बांसवाड़ा जिले में उन अधिकारियों ने उनको रैगुलराइज तो नहीं किया, बल्कि उन लोगों को वहां से हटा कर उनके मकानों को तोड़ दिया और उनको हटाये जाने का अभियान चला रखा है। मेरा आप से निवेदन है कि जिन लोगों को हटा दिया गया उनको मुआवजा दिया जाए और तुरन्त 1980 के पहले के कब्जों को काबिज किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। रामगोपालजी।

**श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब से राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव हुए और महिला सरपंच जब से बन करके आयी हैं महिला सरपंचों के साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा है दिनांक 20-6-97 को ग्राम पंचायत मऊ जिला बारां में जब ग्राम सभा की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था तो रमेश चन्द्र सन ऑफ श्री कृष्ण शर्मा निवासी मऊ ने कुछ असामाजिक तत्वों के साथ आकर ग्राम सभा में हल्ला मचाया, सरपंच जी के साथ गाली-गालेच की और सरपंच के साथ छीना-झपटी करने की कोशिश की। उस समय ग्राम सभा में उपस्थिति लोगों ने समझा-बुझाकर वहां से उनको छुड़ाया। इसके बाद जब सरपंच ग्राम सभा खतम होने के बाद अपने पंचायत कार्यालय में पहुंची तो फिर दुबारा रमेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा अपने कुछ बदमाश लोगों के साथ पंचायत भवन में आया और सरपंच के साथ दुबारा अभद्र व्यवहार किया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मांगरोल में दिनांक 20-6-96 को दर्ज करवायी गयी और उच्चाधिकारियों को भी इस घटना ये अवगत कराया गया। महिला सरपंच के साथ इस तरह की घटना हुई और यह घटना एक दिन नहीं हुई इससे पूर्व भी कई सरपंचों के साथ इस तरह की घटनाएं होती चली गयी हैं लेकिन आज दिन तक भी दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। वे लोग घूम रहे हैं और आगे और तरह की घटना करने की धमकियां देते रहते हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक महिला सरपंच का मामला है, दोषी लोगों को जल्दी से गिरफ्तार करवाने का कष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। शम्भुदयाल जी।

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : इसमें तो आप मुझ से मिले थे घर पर, यह वही मसला है क्या ?

**श्री रामगोपाल बैरवा** : वह तो बांगली वाला प्रकरण था, उसमें तो एफ.आर. लगा दी गयी है। यह मऊ पंचायत वाला दूसरा प्रकरण है पहले वाले केस में भी एफ.आर. लगा दी गयी थी।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है, आप बात कर लेना। विराजिये।

**श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में केकड़ी तहसील के राजस्व गांवों में बीसलपुर के बांध विस्थापितों को चारागाह भूमि पर बसाया जा रहा है। मैंने तीन वर्ष पहले इन विस्थापितों को

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

केकड़ी तहसील में बसाने के लिऐ रोक लगवायी थी लेकिन इसके बावजूद अभी 15 दिन से यह कार्यवाही पुनः जारी कर दी गयी। मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी तहसील के 17 गांव भी बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र में आते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले केकड़ी तहसील के डूब क्षेत्र के ग्रामों को बसाने की कार्यवाही केकड़ी तहसील के क्षेत्र में की जाए। इस समय बुआई का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है इसलिये किसानों में भारी आक्रोश है क्योंकि चारागाह भूमि वैसे भी बहुत कम उपलब्ध है।

एक गांव का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे लसाड़िया पंचायत के छाबड्या ग्राम में एक खसरे में कुल 218 बीघा चारागाह भूमि थी। इसमें 200 बीघा चारागाह भमि विस्थापतियों को आबंटित कर दी। ऐसे में पशुपालकों और किसानों के लिये मवेशी चराने के लिऐ कोई जगह नहीं बच पाती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी वहां उपस्थित हो सकती है, शांति भंग होने का खतरा वहां है। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्व मंत्री जी से सिंचाई मंत्रीजी से कि इन विस्थापितों को किसी अन्य तहसील में बसाया जाए और वहां के किसानों, पशुपालकों के लिये चारागाह भूमि आरक्षित रखी जाऐ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामनारायण जी।

**श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं जो कार्मिक विभाग से सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का जो भर्ती नियम, 1962 है उसमें 2-4-96 को एक अमेंडमेंट हुआ हे कि 15 गुना परीक्षार्थी पास किये जाए, उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के भी होने चाहिये। लेकिन 10 तारीख को जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें सामान्य वर्ग के तो 15 गुना ले लिये गये। माननीय गृह मंत्रीजी, हम आपसे बार-बार कहते हैं, कहां-कहां मिसयूज हो रहा है इस सरकार में, ध्यान दीजिये गरीबों के प्रति। उसमें सामान्य वर्ग के तो 15 गुना ले लिये गये हैं लेकिन जो अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के पास किये गये हैं वे छह गुना पास किये गये हैं। 9 गुना और परीक्षार्थी आने चाहिये थे जिनमें से निश्चित तौर से कोई पास होते। यही कारण है, माननीय अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान में आदिवासी हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हो रहा है। गरीब लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं उसका मैन कारण यह है। अभी माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कहा था हमने अधिकारी लगा दिये हैं, मैं नाम पढ़ रहा था लेकिन गरीबों को इस बात का दुःख है कि बाढ़ में उनको राहत नहीं मिल रही है, सही काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ वह वर्ग, भारतीय जनता पार्टी के वे अधिकारी जो दुर्भावना रखते हैं काम नहीं कर रहे हैं। उनमें एक भी शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं था। मेरा निवेदन आपसे यह करना है कि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का जो रिजल्ट निकाला है उसमें सरकार ध्यान दे। 6 गुना पास हुए हैं, कृपा करके बाकी के 9 गुना जो परीक्षार्थी और हैं, उसमें जो निम्नतम स्तर तक के जहां अंक हैं वहां तक जितने आते हों उनको पास करें ताकि वे लोग मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। ये सब मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तक जाकर तो उत्तीर्ण होंगे। इस तरह का अन्याय कर राजस्थान में धीमा जहर दिया जा रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट/ट्राइब्स के लोगों को इसलिऐ इसमें मदद कीजिये आप।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। श्रवण जी।

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में राज्य सरकार द्वारा जैसी माननीय विधायक ने मांग की है वह निर्णय लिया जा चुका है कि प्रिलिमिनरी परीक्षा में 15 गुना को पास किया जाए। अभी माननीय विधायक की जो शिकायत है वह इस बात की है कि यह निर्णय लेने के पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में भी यह हो पर वे परीक्षाएं पुराने नियमों के हिसाब से नोटिफाई की गयी थीं, पुराने नियमों के हिसाब से उसमें लेने थे मुख्य परीक्षा के लिऐ। राज्य सरकार गम्भीरता से इस पर विचार कर रही है कि रिट्रोस्पैक्टिव इसको किया जा सकता है या नहीं। इस बारे में निर्णय सारी कानूनी परिस्थितियों और लॉ डिपार्टमेंट की राय लेकर लिया जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री जी के विचाराधीन यह मुद्दा है, इतना ही निवेदन है।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 23-3-96 को पंचायत समिति सूरजगढ़ में प्रशासनिक कमेटी की मीटिंग में माननीय विकास अधिकारी जी ने 15 प्रतिशत सरपंचों से मांगा। सरपंचों ने नहीं दिया तो उनके बिल पास नहीं किये गये तो वे मेरे पास आये कि, एम.एल.ए. साहब, हमारे से तो 15 प्रतिशत मांगते हैं। 27-3-96 को पंचायत समिति सुरजगढ़ में जनरल मीटिंग में बी.डी.ओ. ने कहा कि 15 प्रतिशत दोगे तो ही साइन करूंगा। उसके ऊपर प्रधान जी ने कहा कि इस तरह नहीं चलेगा तो उसने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरेआम मीटिंग में उसने कहा कि तेरे जैसे डेढ़ को मैं प्रधान ही नहीं समझता हूं। इस गरीब को मसीहा मानने वाली सरकार और पंचायत समिति में सरेआम प्रधान को बी.डी.ओ. यह कहे कि मैं तेरे को ढेढ़ मानता हूं और प्रधान मानता ही नहीं हूं। उसके बाद में पंचायत समिति के प्रधान के केस दर्ज करवाया, आज तक उसकी कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)....

**श्री परसराम मोरदिया** : यह गम्भीर मामला है।

**श्री अध्यक्ष** : होगा गम्भीर, वे खुद होशियार हैं, आपसे ज्यादा कमजोर नहीं हैं वे।

**श्री श्रवण कुमार** : आप और सुनें। उसके बाद में केशियर ने कहा कि जब बी.डी.ओ. 15 प्रतिशत लेता है तो 5 प्रतिशत मैं भी लूंगा। उसके बावजूद सी.ई.ओ. ने उसके आर्डर निकाल दिये कि आप कैशियर को रिलीव करके सी.ई.ओ. हैडक्वार्टर भेज दें। आज तक वह कैशियर नहीं बदला गया है और बी.डी.ओ....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये अब।

**श्री श्रवण कुमार** : और कहानी सुनो, बड़ी मार्मिक कहानी है। आपको इस भ्रष्टाचार से घृणा क्यों हो रही है? आप सुनिये पंचायत समिति के कारनामें....

**श्री अध्यक्ष** : यह पूरी डिबेट का विषय नहीं है। आधा मिनट, एक मिनट इम्पोर्टेंट रीसेंट आकरेंस हो उसके लिये बात है, और आप हैं कि समझ नहीं रहे हो।

**श्री श्रवण कुमार** : यह इर्म्पोटेन्ट नहीं है क्या? पंचायत समिति में भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है, उसके बाद आप एक प्रधान को बी. डी. ओ. ढेढ कह देता है। उसके बावजूद उसको आप नहीं मानते हो....(व्यवधान)

**श्री परसराम मोरदिया** : अध्यक्ष महोदय ढेढ कह दिया और आप कह रहे हैं बिलकुल....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : परसरामजी मोरदिया, बैठिये, आप इनको बोलने दें। (व्यवधान)__

**श्री परसराम मोरदिया** :__ बहुत ही गम्भीर मामला है।__ ढेढ़ कहा है ढेढ़ और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं आप। बहुत गम्भीर मामला है बी.डी.ओ. के प्रधान को ढेढ कह देना बहुत गम्भीर मामला है।__ (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : __(व्यवधान)__बहुत गम्भीर मामला है।

**श्री अध्यक्ष** : कांग्रेस की तरफ से आजकल प्रवक्ता हो गये हैं। रामस्वरूप जी, मैं, विरोध पक्ष के सचेतक महोदय, कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि कांग्रेस की तरफ से मात्र रामस्वरूप जी ही प्रवक्ता हैं तो यह कह दें आप कि__(व्यवधान)__ हर मामले में ये ही बोलेंगे। बोलने दें। श्रवण जी को, उसके बाद में आप कहना। अब बैठिये आप।

**श्री परसराम मोरदिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि पूरे राजस्थान के अन्दर जहां भी पंचायत समिति में हरिजन प्रधान बैठे हैं, पंचायतों में संरपंच बैठे हैं उनके साथ यह की यह बर्ताव हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : आप पंचायत विभाग की डिमाण्ड आये तब बात करना। एक छोटा-सा कोई रीसेंट आकरेंस हो उसकी बात हो रही है।__पंचायत की डिमाण्ड हो तब बात__ (व्यवधान)__फिर बोल गये आप।

**श्री श्रवण कुमार** : माननीय अध्यक्ष महोदय, छोड़ो इसको, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हो।

**श्री भीमराज भाटी** : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत समिति का ही नहीं यह पंचायत समिति में__(व्यवधान)__

**श्री अध्यक्ष** : आप इनको बोलने दीजिये। भीमराज जी भाटी, आप ज्यादा होशियार मत समझिये, ये कमजोर नहीं हैं।

**श्री श्रवण कुमार** : राजस्थान का मामला है।__माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद आप देखिये बी.डी.ओ. ने अपने को__(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हर मामले में खड़े हो जाते हैं जैसे कोई एक-आध किलो बादाम भेजा है आपने घर पर।

**श्री श्रवण कुमार** : मीटिंग के अन्दर बुलाया कृषि पर्यवेक्षक को, कृषि पर्यवेक्षक से पूछा कि बी.डी.ओ. ने आपसे क्या मांगा, उसने कहा__(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, भाटी के आते ही आप भाटी को + + + लगे।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, बोलने दीजिये आप। आज आप बहुत दिन से पधारे हैं, विराजिये।

**श्री राम नारायण मीणा** : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ + + + हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, उनको तो आप बादाम खिला रहे हो और हमारे__(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्रवण जी को बोलने दो, वे अपनी बात कह रहे हैं। उनकी सुनने दो क्या कह रहे हैं।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : आप इनको प्रवक्ता बना रहे हो। इतना गुस्सा मत करिये। इनको + + + ऐसा मत करो।

---

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(58)



**श्री श्रवण कुमार** : अध्यक्ष महोदय, बात सुनो। यह प्रतिष्ठा का सवाल है। मामला बहुत गम्भीर है इसको गम्भीरता से लीजिये। पंचायत समिति के बी.डी.ओ. ने सचिव को बुलाया मीटिंग में तो सचिव ने कहा कि बी.डी.ओ. ने मुझे सरेआम यह कहा है कि कृषि पर्यवेक्षक लगा रखा है पंचायत के अन्दर बी.डी.ओ. ने कहा है, 15 प्रतिशत दोगे तो ही आपको ऋण दूंगा। उसके बावजूद कृषि पर्यवेक्षक ने मना कर दिया। बी.डी.ओ. ने बायकाट करके और किसी मास्टर को चार्ज देकर 36 हजार रुपये निकलवाकर साढ़े चार हजार रुपये रिश्वत लिये सरेआम। श्री रामनारायण जी और शिवनाथ सिंह जी मीटिंग में थे, मैंने कलेक्टर साहब से मीटिंग में कहा। जांच करवायी गयी, जांच में बी.डी.ओ. को झूठा पाया गया। इस प्रकार का गम्भीर मसला है। आप देखिये, पहले बी.डी.ओ. था वह भ्रष्ट था, उसको हटाकर पहले रामनारायण जी के वहां लगाया। रामनारायण जी के यहां से उसको फेंका, मनोहरपुरा गया। यह बी.डी.ओ. बड़ा भ्रष्ट है। पहले अलवर में भ्रष्टाचार किया, अब झुंझुनूं जिले में सूरजगढ़ पंचायत समिति में दो साल से सरेआम भ्रष्टाचार कर रहा है और आपके पंचायत राज मंत्री जी आंख मूंदकर देख रहे हैं। इसका जवाब दें।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप।

**श्री श्रवण कुमार** : आप देखें इसको।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें, अब 10 मिनट हो गये। अब इस प्रकरण को ज्यादा नहीं लें। बैठिये आप।

**श्री श्रवण कुमार** : अध्यक्ष महोदय, पहली बार बोल रहा हूं और 10 मिनट हो गये? 10 दिन में पहली बार बोल रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : This is not allowed. केवल दो मिनट बात कही जाती है। कृपया बैठ जाएं आप। मेरे को इस तरीके से बन्द करना पड़ेगा।

**श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)** : अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो सही है। श्रवण जी ने कहा यह झुंझुनूं गया था, यह की यह हकीकत है।

**श्री अध्यक्ष** : 12 मिनट हो गये इस बात को। दूसरा भी तो प्रसंग आएगा। खेतसिंह जी साहब (व्यवधान) मंत्री जी बात कह रहे हैं, एक मिनट ठहरिये, आप।

**श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज)** : अध्यक्ष जी ये जो शिकायतें आती हैं जनरली, उसके लिये मैंने दो-तीन कदम उठाये हैं। एक तो आफीशियल्स के खिलाफ जो इन्क्वायरीज हैं उनकी शिकायतें आती हैं। अभी हमने तय किया है कि एक अभियान के रूप में इनकी इन्क्वायरीज को पूरी करा दें, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी एक महीने में कम्प्लीट हो जाए और डी.ई. तीन महीने में कम्प्लीट हो जाए। जिसके खिलाफ में शिकायत होती है उसके खिलाफ विभाग तुरन्त कार्यवाही करे, इस तरह की हमने व्यवस्था की है। राजस्थान में कहां-कहां शिकायतें हैं, बी.डी.ओ. हैं, जेई.एन. हैं, ग्राम सेवक हैं, और आफीशियल्स के खिलाफ हम अभियान चलाकर इनक्वायरी कर रहे हैं। जहां तक आपका यह पर्टीकुलर मामला है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस मामले में माननीय सदस्यों को चलाकर कहता हूं, जन प्रतिनिधियों को चलाकर कहता हूं कि आप लोग कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो तुरन्त विभाग को एक लिखित में कम्प्लेंट करें। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं तुरन्त मेरे पास जो भी इन्क्वायरी आती है मैं

(श्री नाथूसिंह)

उसी दिन इन्क्वायरी के आदेश करता हूं। इस मामले में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लिखित में दीजिये, मैं तुरन्त इन्क्वायरी के आदेश दूंगा और जो दोषी पाया जाएगा तो जो भी कठोर से कठोर उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है वह कठोर से कठोर कार्यवाही करूंगा। Let Me finish.

**श्री रामनारायण चौधरी** : हम लिखित में दे देंगे।

**श्री नाथूसिंह** : दूसरा, अगर आप लोगों ने पहले किसी की शिकायत की हुई है और उसमें कार्यवाही नहीं हुई है तो मेरी जानकारी में लाइये। एक मिनट सुनिये। आपने उसकी एक कापी रखी होगी कि आपने कब उसकी शिकायत की है। मेरे पास भी रिकार्ड होगा। अगर आप बताएंगे, मौखिक रूप से ऑफिस में आकर बताएंगे या उसकी कापी देंगे, मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जिसने भी जांच करने में डिले की है उसके खिलाफ भी मैं कार्यवाही करूंगा।

**श्री श्रवण कुमार** : अध्यक्ष महोदय, सी.ओ.ई. से अभी पूछ लीजिये। उसके खिलाफ भी पांच दिन पहले विभाग द्वारा चार्ज शीट इश्यू की गयी है। (व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप सब लोग बोलें, मैं किसी को नहीं टोकूंगा। (व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है। यह चिट सिस्टम में जो मामले उठते हैं, we are not supposed to give reply. लेकिन मैं फिर भी रेस्पोण्ड कर रहा हूं।

**श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा)** : आप खड़े होते हैं इसलिए हम पूछते हैं। (व्यवधान)

**श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)** : कितनी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं आप?

**श्री अध्यक्ष** : आप इसको बात का + + + बना रहे हो। विराजें आप। (व्यवधान)

**श्री शिवनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, हमको इस पर एतराज है। हम नहीं कहते हैं कि ये जवाब दें लेकिन जब जवाब देने को खड़े होते हैं तो हमारा यह अधिकार है पूछने का और इनको पूरा जवाब देना चाहिऐ।

**श्री नाथूसिंह** : आपको अधिकार है पूछने का अच्छा होता, मैं नहीं बोलता मैं रेस्पोण्ड नहीं करता।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें अब। माननीय खेतसिंह जी।

**श्री नाथूसिंह** : एक मिनट प्लीज।

**श्री श्रवण कुमार** : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट मंगवा लो, कलेक्टर साहब ने ही परसों इश्यू किया है। कलेक्टर साहब से मंगवा लो, क्या मंगवाना चाहते हो। ऐसे भ्रष्ट आदमी को लगा रखा है।

**श्री अध्यक्ष** : कह दिया न, आप तो सुनना ही नहीं चाहते हो।

**श्री श्रवण कुमार** : सी.ई.ओ. ने अभी चार्जशीट दी है।

**श्री नाथूसिंह** : मेरे पास आने दीजिये। जांच रिपोर्ट मेरे पास नहीं आएगी तो मैं कैसे कार्यवाही कर सकता हूं?

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री श्रवण कुमार** : सी.ई.ओ. के पास पड़ी है, अभी मंगवा लो।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें, श्रवण कुमार जी।

**श्री श्रवण कुमार** : आप कलक्टर से ले लें, सी.ई.ओ. से ले लें सारी रिपोर्ट....(व्यवधान) जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है, उसकी रिपोर्ट ले लो।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, पर्ची सिस्टम से कोई भी मामले उठते हैं, इमीजिएटली हम उसका कोई रिप्लाई दे नहीं सकते लेकिन फिर भी मैं रेस्पोण्ड कर रहा हूं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद भी मैंने एक कदम और उठाया है, कि बी.डी.ओज. जिनके खिलाफ शिकायतें आयी थीं या जनरल किस्म की शिकायतें रहती थीं, उसमें पांच साल से ज्यादा वालों को विभाग से बाहर भेजने की कार्यवाही की है। विभाग ने ट्रांसपेरेंसी रहे, अच्छा काम हो इसके लिये कई कदम उठाये हैं। कोई शिकायत हो, सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, इधर या उधर वालों से, मुझे लिखित में दें, मैं तुरन्त कार्यवाही करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : खेतसिंह जी साहब।

**श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जोधपुर मेडिकल कालेज में यूरोलोजी का डिपार्टमेंट पिछले 16 साल से चल रहा है शुरू में जब वहां यूरोलाजी शुरू की उन दिनों में यहां के एक रीडर को बड़ी मुश्किल से वहां ट्रांसफर करके भेजा था, उनका नाम है एन.एम. भण्डारी। उन्होंने उस डिपार्टमेंट को बढ़ाया, उन्होंने उसमें चन्दा भी करवाया, उन्होंने उस डिपार्टमेंट में काफी इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदे। उसके बाद में अभी आपने न मालूम किन कारणों से यूरोलोजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के पद को वहां से हटा दिया और आप वहां पर सिर्फ रीडर और लेक्चरार को ही रखने की सोच रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा अस्पताल है जोधपुर में। यूरोलोजी की, यूरीन की बीमारियां भी अक्सर आप देखते हैं डेजर्ट में ज्यादा होती हैं। जिस वक्त में यह डिपार्टमेंट खोला गया था उस वक्त में भी ये सारी बातें सोची गयी थीं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस डिपार्टमेंट को वैसा का वैसा जैसा पहले था रखिये। प्रोफेसर की पोस्ट भी वहां क्रीएट रखिये और इसको पैसा दीजिये, ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्स्ट्रूमेंट्स लगाइये लेक्चरार एक की जगह दो लगाइये क्योंकि यूरीन के बीमार आपको जोधपुर में हाईएस्ट नम्बर में मिलेंगे पांचों मेडिकल कालेज में। इतना मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)** : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर दो नम्बर की सिटी है। हम तो मंत्री महोदय से यह आशा रखते हैं कि कोई दूसरी यूनिट वहां लगे लेकिन मंत्री महोदय तो यहां से ट्रांसफर करके उसी को बीकानेर भेज रहे हैं। हम तो यह आशा रख रहे हैं कि मंत्री महोदय यह जवाब दें कि हमारी यह यूनिट कम से कम यहां से हटे तो नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : सूर्यकान्ता जी बोल रही हैं।

**श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)** : दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, जिन रीडर का माननीय सदस्य ने नाम लिया है उन्होंने जयपुर का मोह छोड़ा। उनको जोधपुर भेजा गया कि जोधपुर जाकर यूनिट जमा थी। 30 लाख से ज्यादा जन सहयोग का पैसा लगवाकर बिल्डिंग बनवायी। लेकिन मेडिकल विभाग का जो आर्डर निकला है कुछ दिन पहले, मेरे पास आर्डर की कापी है

—

(61)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

उसमें यूरोलोजी यूनिट को माना ही नहीं गया, वहां है ही नहीं उसका नाम।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें, सूर्यकान्ता जी।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं पूरी बात कह दूं। अध्यक्ष महोदय, जयपुर में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी स्पेशलिटी थी और डिग्री थी, उनको भी विभाग में हैड आफ डिपार्टमेंट या प्रोफेसर की तरह लगाया। फिर एक ही सरकार में दो मापदण्ड नहीं होने चाहिऐ। जोधपुर में भी उन प्रोफेसर ने इतने वर्षों तक एक स्पेशलिटी 15 साल तक प्राप्त की, उनके पास में डिग्री भी है। ऐसी स्थिति में मेरा तो आपसे यह अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करके इस यूनिट को कायम रखा जाए।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शेरगढ़ से आने वाले विधायक माननीय खेतसिंह जी राठौड़ साहब ने यह बात सही कही। जोधपुर के अन्दर हम तो और भी कोई डिपार्टमेंट ले जाना चाहते हैं लेकिन ये तो जो है उसको भी ले जाएंगे जयपुर से नैक्स्ट नम्बर जोधपुर है, वहां पर क्या होगा?

मैंने अभी दो दिन पहले ही नियम 295 के अन्दर इनको काफी कुछ जोधपुर के बारे में कहा था। कार्डियोलाजी खोलने के बारे में कहा था? कई डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा की थी। मगर एक राठौड़ तो अय्याशी के अन्दर लगा है और दूसरे राठौड़ सांहब वहां से यूनिट ले जाएंगे तो जोधपुर का क्या हाल होगा? 15 बरस तक एक भंडारी ने इतनी सेवा की और उसने इतना पैसा इकट्ठा करके बनवाया है और अब ये उसको भी वहां से__

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : अगर ऐसा अन्याय हुआ, अध्यक्ष महोदय, मरु प्रदेश की मांग होगी फिर।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : __बात सुनिऐ आप, बीच के अन्दर क्यों बोलते हैं, मजाक में क्यों ले जाते हैं?

**श्री अध्यक्ष** : बात आ गयी है ध्यान में। आप ज्यादा समय जाया न करें।

**श्रीमती तारा भंडारी** : अध्यक्ष महोदय, यह बात मजाक की नहीं है लेकिन मरू प्रदेश में यूरोलोजी के पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिऐ यह यूनिट बहुत जरूरी है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि जोधपुर से यूरोलोजी डिपार्टमेंट को समाप्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ डिपार्टमेंट जो सर्जरी के अंडर में चला करते थे, हमने सुपर स्पेशलिटी क्रीएट करने के लिये नये क्लीनिकल वार्ड और नये डिपार्टमेंट क्रीएट किये हैं। उसके तहत जोधपुर को अगर नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर लिया जाएगा। डाक्टर भंडारी की सेवाओं के बारे में जिस तरह से माननीय खेतसिंह जी ने कहा, निश्चित तौर पर अच्छी सेवाएं हैं। मैं प्रयास करूंगा कि डॉक्टर भंडारी वहीं कार्यरत रहें और इसके अलावा अगर इस यूरोलोजी के बीमारों की संख्या को देखते हुए और किसी चीज की आवश्यकता होगी तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, कार्डियोलोजी के बारे में माननीय सदस्या ने कहा है, उसमें अगर कुछ जन-सहयोग मिले, कुछ सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहयोग करे, हम सब मिलकर विचार करेंगे कि जोधपुर के इस विंग में भी क्या किया जा सकता है।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और अगर ये कार्डियोलाजी का करेंगे तो जोधपुर की जनता पूरा सहयोग देगी, हर बात में।

## नियम का निलम्बन अविलम्बीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिये

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खेतसिंह जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, कल जब यहां पर हाउस में चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि गाड़गिल साहब का स्टेटमेंट आने के बाद में हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। अध्यक्ष महोदय मैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैंने आपको एक प्रस्ताव का प्रारूप दिया था और आपने माननीय खेतसिंह जी की बात को मानकर उसको उस समय पर विचार के लिये नहीं लिया था। आज, अध्यक्ष महोदय, उस बात के सारे फैक्ट्स आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री वी. एन. गाडगिल ने कहा है कि न्यूनतम कार्यक्रम में यह बात तय हुई थी कि कीमतों को नहीं बढ़ने देंगे, इसलिऐ कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है और कीमतों को बढ़ाने पर पुनर्विचार करना चाहिये। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, सी.पी.एम. ने सी.पी.आई. ने, फारवर्ड ब्लाक ने, भारतीय जनता पार्टी ने, यहां तक कि जनता दल के जिन मंत्रियों ने भी कहा था, उन्होंने भी इस पर पुर्नःविचार के लिये कहा है। अध्यक्ष महोदय, 9 हजार 700 करोड़ रुपये का भार हिन्दुस्तान की जनता पर सात महीने में पड़ेगा और पूरे एक साल में 18 हजार करोड़ रुपये का भार आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। राजस्थान जो अकाल से और बाढ़ से और बिजली की कमी से पीड़ित प्रदेश है, जहां लंबी-लंबी दूरी की बसें चलती हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं, जीपों का साधन हैं, डीजल का भाव बढ़ने से किसानों को और उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने माना है कि इससे मुद्रा स्फीति भी 1.2 परसेंट बढ़ेगी। इसी प्रकार से कीमतें बढ़ेंगी। 1990 के बाद में पांच बार इस पर पैसे बढ़ाये गये हैं, अध्यक्ष महोदय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत लगातार गिर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसके साथ में है। इसलिऐ मैंने कल नियमों में शिथिलता प्रदान करने के लिये और सदन के द्वारा एक प्रस्ताव पास करने के लिये 306 के अन्तर्गत आपसे निवेदन किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे एक और सिद्धान्त की ओर यह सरकार बढ़ रही है। वह यह है कि यह सारा जो पैसा है, करीब 27 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी पैट्रोलियम पदार्थों पर देने पर भारत सरकार बात कह रही है और इससे 18 हजार रुपये की पूर्ति हो रही है। यह सिद्धान्त अगर आगे बढ़ा कि लागत कॉस्ट पर सामान उपभोक्ता को सप्लाई किया जाए, इसकी ओर सरकार बढ़ रही है, इसकी ओर सरकार बढ़ेगी। मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में संकुचित नहीं हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने—

**श्री परसराम मदेरणा** : कौनसे रूल्स में ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : 306 के अन्तर्गत।

**श्री जगदीप धनखड़** : यह है नहीं रूल्स में। रूल्स में 306 जुड़ ही नहीं रहा है, देखिये तो सही। देखते हैं, आपको भाषण देने की आदत पड़ती जा रही है।

**श्री परसराम मदेरणा** : कांस्टीट्यूएशन के आर्टिकल को रैफर कर रहे हैं क्या?

**श्री जगदीप धनखड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अत्यन्त गंभीर मुद्दे पर जीरो आवर्स का हीरो बनने का प्रयास निरन्तर करते जा रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं पढ़ रहा हूं। 306 नियमों का निलम्बन। कोई सदस्य अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव कर सकेगा। मैंने प्रस्ताव लिख कर दे दिया। प्रस्ताव लिख कर दे दिया और कहा कि खेतसिंह जी से बात हुई थी उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हैं तो राजस्थान विधान सभा की तरफ से प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा जाना चाहिये और कहा जाना चाहिये कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदेरणा साहब से निवेदन करूंगा, वे बहुत ही संजीदा, समझदार और हमारे लिये तो अनुभवी हैं और किसानों के बारे में भी सारी बात सोचते हैं। और चूंकि कांग्रेस पार्टी की भी नीति है, सी.पी.एम. की भी नीति है, जनता दल की भी नीति है, किसी का विरोध नहीं है, इसलिऐ मैं चाहूंगा कि राजस्थान की विधान सभा में पहल करके किसानों के और आम आदमी के हित में इस प्रस्ताव को पारित किया जाए ताकि आम आदमी को राहत मिल सकें। धन्यवाद।

**श्री विजयेन्द्र पाल सिंह** : मैं समर्थन करता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का भी अभिमत है__ (interruptions)......It's a august House. We should be very serious about this matter. कांग्रेस पार्टी का अभिमत है कि जो भी पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की गयी है, यह आर्बिट्रेरी वृद्धि है। आबिट्रेरी इसलिऐ है कि पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी। मुद्रा-स्फीति केवल पैट्रोलियम पदार्थों को जो कंज़ूम कर रहे हैं, उनमें नहीं बढ़ेगी, केवल पैट्रोल, डीजल और गैस की जो कन्जम्प्शन है उनकी प्राइसेज नहीं बढ़ेगी अन्य कंजूमर आर्टिकल की प्राइसेज में भी बढ़ोत्तरी होगी। यह वीशियस सर्किल है और यह जुड़ा हुआ है। हम इस बात का निश्चित तौर पर मानते हैं कि डीजल को बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप किसान के ऊपर भारी बोझ पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन की कीमत में बढ़ोत्तरी होगी, और इसका परिणाम कंजूमर पर भी इनडायरेक्टली जाएगा। सात दिन के बाद अगला सत्र होने वाला था और जब अगला सत्र होने वाला था तो ऐसे मुख्य मुद्दे के ऊपर बजट सैशन से पहले इस प्रकार की प्राइस हाइक करना कांग्रेस इसको अनुचित मानती है। कांग्रेस ने भी ऐसा निर्णय लिया था। अब आप जाओगे, इसलिऐ मैं पहले कह देता हूं एक्सप्लेनेशन। कांग्रेस ने ऐसा निर्णय लिया था और उस वक्त सभी राजनीतिक दलों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित थी कहा था कि आपने फेग एण्ड द पार्लियामेंट के सैशन में यह निर्णय क्यों लिया, हाउस सुप्रीम है इसलिऐ हाउस में निर्णय लेना चाहिये था। इसका मतलब यह है कि आप तो अभी इसकी खिलाफत इसलिऐ कर रहे हैं क्योंकि यू.पी. के इलैक्शन हैं। आप. ठहरिये, थोड़ा बहुत इनपुट

(श्री परसराम मदेरणा)

तो मैं डालूंगा इसमें। कल डालने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने बहुत ही निकाल दिया उस में से। अध्यक्ष महोदय, इसक मतलब है, जिस वक्त हमारा निर्णय था हमने बहुत कम प्राइसेज इन्क्रीज की थीं और आपने हा-हुल्ला मचाया था। यह पार्टियां जो आज युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का पार्ट हैं और जो आज शासन में बैठी हैं, हा तो बाहर से सपोर्ट जो कर रहे हैं, वह मिनिमन कामन प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं।

(13.00)

मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का मतलब यह है कि प्राइस-स्टेबिलिटी रहेगी। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का यह इन्सैपरेबल और इन्हेरेंट पार्ट है। इसलिऐ यह जो कुछ भी निर्णय लिया है वह मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के प्रतिकूल निर्णय है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ऐसा मानती है कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिऐ। सी.पी.एम. भी बाहर से सपोर्ट कर रही है। आप सी.पी.एम. से हैं ना ?....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, रुल 306 के तहत एक नोटिस चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है। वह नोटिस क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

**श्री जुबेर ख़ान** (रामगढ़) : एक मैंने भी दिया है।

**श्री परसराम मदेरणा** : आपका मोशन किस सम्बन्ध में है ?

**श्री जुबेर ख़ान** : यहां पर यह प्रस्ताव कर किया जाए....

**श्री परसराम मदेरणा** : आपको पार्टी से अनुमति लेनी चाहिए।

**श्री जुबेर ख़ान** : नहीं, नहीं। राजस्थान में बिजली के खम्भों पर जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, वे कम की जाएं। राजस्थान में आरएसईबी. के एक पोल के ऊपर 9200 रुपये लिये जाते हैं। (व्यवधान) उनको घटाया जाए। यह करने के लिये भी प्रस्ताव में यहां पर चर्चा होनी चाहिऐ।

**श्री परसराम मदेरणा** : हां, यह ठीक बात है। (व्यवधान) बिजली वाला अलग है। राजस्थान से सम्बन्ध रखता है। आपका यह बिजली पर है।

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : यह निर्णय तो ले लें। दिल्ली की बात तो छोड़िये। (व्यवधान) जयपुर का निर्णय तो ले लें।

**श्री परसराम मदेरणा** : आप ठहरिये। बाद में बात करेंगे।

ऐसे मसले पर अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने की बात है, टेलीफोन से एब्रप्टली सदन के अन्दर प्रस्ताव पारित करने में, अपनी पार्टी में चर्चा किये बिना, मैं किसी भी पार्टी के रिजोल्यशन का भागीदार नहीं बन सकता।

मुख्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्रियों की क्रांफ्रेस में गये हुए हैं। उसमें भी मिनिमम नीड प्रोग्राम है। ड्रिंकिंग वाटर से शुरू हुआ है। प्रधान मंत्रीजी आऐ थे तो ड्रिंकिंग वाटर के सम्बन्ध में राजस्थान की स्थिति मैंने उनको रोक कर बतायी थी। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी आ रहे हैं तो मैंने उनसे कहा कि डेजर्ट एरिया के गांव क्या हैं, ढाणियां क्या हैं, मजरे क्या हैं और पानी की कितनी डेप्थ है। मैंने उनसे कहा कि सिक्स हण्ड्रेड फीट डैप्थ है और आठ-आठ मील में गांव फैले हुए हैं। यह कर्नाटक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को ये वर्ड मुख्य मंत्री के सामने मैंने कहे। मैंने कहा, राजस्थान स्वर्गीय इन्दिरा गांधीजी का बहुत ग्रेटफुल है, उनका

(श्री परसराम मदेरणा)

बहुत बड़ा अहसान है कि रेगिस्तान के दस जिलों के लिये उन्होंने पूरे देश का क्राइटेरिया बदला। हमारे 4 साल के लगातार प्रयासों के बाद में उन्होंने यह निर्णय लिया था। बिना कैबिनेट मीमो के उन्होंने कैबिनेट सैक्रेटरी को डाइरेक्शन दिया था। दो महीने तक कैबिनेट मीमो नहीं आया तो उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री की फिर सभी स्टेट्स में मालूम करनी शुरू कर दीं, एक्चुअली एक दिन कहा कि उस का क्या हुआ। तो कहा कि अभी उसमें इन्फोर्मेशन लेनी है। उन्होंने कहा कोलोक्वअली कि जो डेजर्ट डिस्ट्रक्टस हैं, डैजर्ट है पूरा, जहां मवेसी और इन्सान एक जगह पानी पीते हैं वहां ए.आर.पी. का पर हैड क्वांटम बढ़ा दिया जाए। वह शत-प्रतिशत ग्राण्ट है जो आज यहां मिल रही है और इसलिए राजस्थान की ग्राण्ट की धनराशि उससे तीन गुना बढ़ गयी है।

श्रेय आप 25 हजार का लें या 26 हजार करोड़ का लें। अब आप अगली योजना बना रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही थी कि वाजपेयी जी अगर प्रधान मंत्री बनेंगे तो मैं 25 करोड़ की सोच रहा था, इसको 26 हजार करोड़ दूंगा। वह तो आप कर नहीं सके, लेकिन 25 हजार करोड़ का आप नवीं पचंवर्षीय योजना का प्रारूप और उसका आऊटले रखने की बात सोच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कांग्रेस ने इसको अनुचित बताया है। पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस-हाइक को कांग्रेस आर्बिट्री मानती है। यह मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के विपरीत दिशा में कदम है। जो पार्टियां हमारी आलोचना करती थीं, वे इस सरकार में बैठी हुई हैं। हमने यह कभी भी निर्णय नहीं किया है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि युनाइटेड फ्रण्ट गवर्नमेंट के किसी भी अनुचित निर्णय, गलत निर्णय और उनके किसी भी गलत कार्य की जिम्मेदारी हम हमारे ऊपर लेंगे, हम नहीं लेने वाले हैं। We shall not take the responsibility what they do. जिसको हम मैरिट या डिमैरिट पर उचित या अनुचित समझते हैं। उचित है तो हम सपोर्ट करेंगे, अनुचित है तो हम खिलाफत करेंगे। इसलिए तो हमने ज्वाइन नहीं किया और आपको हमने इसलिए सपोर्ट नहीं दिया कि—

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : हमको साम्प्रदायिकता की वजह से समर्थन नहीं दिया।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं साम्प्रदायिक? आप खड़े हो रहे हैं। + + +

मैं यह कह रहा हूं कि कांग्रेस सैक्यूलर पार्टी है और युनाइटेड फ्रण्ट सैक्यूलर पार्टी का था इसलिए हमने सैक्यूलर पार्टियों को सपोर्ट किया है। नॉन सेक्यूलर पार्टी की किसी भी गवर्नमेंट को एक फ्रैक्शन आफ सैकिण्ड के लिये भी समर्थन देने की बात हम स्वप्न में भी नही सोच सकते हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : हमने भ्रष्ट पार्टी का समर्थन मांगा ही नहीं।

**श्री परसराम मदेरणा** : मामला तो सब घूम कर के उत्तर प्रदेश की तरफ इशारा हो रहा है, क्या मामला है?

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उप मुख्य मंत्रीजी, बैठकर के इस पर बात करेंगे। आप

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसराम मदेरणा)

अभी इस प्रस्ताव को पैंडिंग रखिये। हमारी पार्टी के लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। and they ought to have given the copy to me first.

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : It is not here, sir.

**श्री परसराम मदेरणा** : Then I may not be here but my residence is known to everybody.

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : At that time, the situation was like this that we have to we have to give motion.

**श्री परसराम मदेरणा** : Then when I came, कापी आ जाती, मैं भी देख लेता। Heaven was not going to fall. When I come here and you have given a resolution on such an important matter, because the party, nowhere in any State is going to pass such a resolution.

हम पार्टी हाई कमान के अनुशासन से बंधे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, सदन को एश्योरेंस पे करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट का सैशन 10 जुलाई को हो रहा है, कांग्रेस इस पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस हाइके के मामले को जोरशोर से इसकी खिलाफत करते हुए पार्लियामेंट के प्रांगण में उठाएगी, in both the Houses of Parliament. (व्यवधान)

मैं प्रस्ताव को देख लेता हूं कि प्रस्ताव की भाषा क्या है। आपने प्रस्ताव हिन्दी में दिया है, हिन्दी विषय में मेरी मास्टरी नहीं है। इसलिए परसों जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, आप इसमें अंग्रेजी का शब्द बोल देते हैं। मैंने कहा, मैं तो अंग्रेजी-हिन्दी दोनों मिलाकर वी.पी. साहब की तरह अपनी बात कह देता हूं और अभिव्यक्ति में वहीं होना चाहिऐ। आप हिन्दी के मास्टर हैं, शास्त्री हैं कि नहीं हैं, मुझे मालूम नहीं हैं, साहित्य रत्न हैं कि नहीं हैं। जो भाषा लिखी है, उस भाषा के अन्दर कोई रहस्यमय बात तो नहीं है।

उसका कोई गूढ़ अर्थ तो नहीं है, ये सब बातें मुझे पढ़नी पड़ेगी इन बिटवीन दी लाइन्स, आपके प्रस्ताव में। यह आदमी हमेशा खुश रहने वाला है। लोग कह रहे हैं कि आज प्रसन्न बहुत दिख रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : खुश ही खुश है।

**श्री परसराम मदेरणा** : When the cat is away the mice play.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : कह लो साहब, मर्जी आपकी। बुजुर्ग हो, आपको अधिकार है, उम्र के हिसाब से कुछ भी कहने का।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, इसको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक दल अनुचित मानता है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अब इस प्रश्न पर तो कोई दो राय नहीं है कि जो कीमतें बढ़ी हैं, उसका भार आम जनता पर और खास तौर से किसानों पर पड़ेगा और उससे मंहगाई में बढ़ोतरी होगी, मंहगाई कम नहीं होगी। प्रस्ताव का जहां तक सवाल है, प्रतिपक्ष के नेता ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उससे सहमत हूं कि प्रस्ताव पारित करने से पहले हमें उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। लेकिन इसके बीच का एक

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रास्ता भी है—यदि सदन की आम सहमति हो तों सरकार अपनी ओर से केन्द्रीय सरकार को यह निवेदन करे कि वह इस पर पुनर्विचार करे। यदि सदन इस पर सहमत हो तो यह कदम उठाने में मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रस्ताव का जहां तक विचार है, उस पर आप गम्भीरता से विचार करिये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप उचित समझें तो उस पर विचार करिये, न उचित समझें तो न करें लेकिन अगर आपकी सहमति हो और आप इसको उचित समझते हों कि सरकार की तरफ से हम पुनर्विचार के लिये केन्द्र सरकार को निवेदन करें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के गरीब किसानों पर और राजस्थान की गरीब जनता पर जो भार बढ़ने वाला है महंगाई का, उसको हम उजागर कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के ध्यान में ला सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति अभी बाढ़ से, अकाल से और भी खराब है, इसमें ज्यादा डिटेरियोरेशन नहीं हो इसलिए इस पर वह पुनर्विचार करे, यह मेरा निवेदन है।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : (व्यवधान) इनकी बात का जवाब देने दीजिये। उनकी बात का जवाब देने का मौका नहीं मिलता। हमारे अधिकारों का हनन है। उसी से सम्बन्धित मोशन तुरन्त हमने दिया था। कम से कम दो मिनट हमें भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने दें।

**श्री परसराम मदेरणा** : उसके बाद में बोल लेना। अब यह प्रस्ताव जो आप बात कह रहे हैं कि हम सरकार की तरफ से ला रहे हैं, यह दूसरा इम्प्रूवमेंट है, इसके सम्बन्ध में। दूसरा इश्यू आ गया है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक बात कही—Congress consideres this steep rise in petroleum products a mockery of the common minimum programme and we consider it an insult to the common man of the country. फार्मर्स का भी नहीं, लेकिन When the Government brings a resolution,......

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मैं रिजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। केवल सदन की सहमति या भावना यह हो कि यह आपत्तिजनक है—(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : सहमति से तब रिजोल्यूशन ही पास हो रहा है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : तो हम पत्र लिख देंगे। रिजोल्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं रिजोल्यूशन की बात बिलकुल नहीं कर रहा हूं।

**श्री परसराम मदेरणा** : उसमें रिजोल्यूशन तो पहले वाला हो और गवर्नमेंट लाये, गवर्नमेंट का कोई मैम्बर ले आया है that makes no difference. एक्जीक्यूटिव लाती है या माननीय सदस्य सत्ता पार्टी का लाता है, that is one and the same thing. इसलिए इस प्रकार का प्रस्ताव अगर आप लाएंगे—

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं।

**श्री परसराम मदेरणा** : तो इस वक्त बिना सोचे-समझे और हमारे विधायक दल में उस पर चर्चा करके निर्णय लेने के अभाव में हम उसका समर्थन नहीं कर सकते।

**श्री जुबेर खान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव इस सदन में रखा जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि आम जनता पर और ग्रामीण—

**श्री शिवनाथ सिंह** : अध्यक्षजी, किसी को तो अधिकार दीजिये आप।

**श्री जुबेर खान** : और किसानों पर बड़ा भार पड़ रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये।

**श्री जुबेर खान** : इसी सम्बन्ध में मैंने भी इस सदन में कल एक प्रस्ताव रखा था। इस विधान सभा में जो सरकार बैठी है, उससे सम्बन्धित मेरा प्रस्ताव था कि जो इस सरकार ने कांग्रेस के समय से बिजली के खम्भे की कीमत को बढ़ाकर कम से कम 9000 (व्यवधान)—

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये अभी, this is not the issue.

**श्री जुबेर खान** : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। आप सुनते नहीं हैं।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : हमको बोलने नहीं देंगे और इनको बोलने दिया।

**श्री जुबेर खान** : यह क्या तरीका है आपका?

**श्री अध्यक्ष** : न तो उनका —(व्यवधान)—आप विराजें।

**श्री जुबेर खान** : वैसा ही प्रस्ताव इनका है।

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : इनको दो मिनट भी नहीं बोलने दे रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्री जगदीप धनखड़** : आप इनकी बात तो सुनिये। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : एक-एक खम्भे की कीमत आपने नौ हजार नौ हजार रुपये कर दी। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक-एक खम्भे की कीमत नौ हजार रुपये कर दी और इस तरीके से किसानों पर नौ नौ हजार रुपये का बोझ आ गया है।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये। एक सैकण्ड —(व्यवधान) क्या हो गया, वाट इज दिस?

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : आपने घनश्याम जी को दस मिनट बोलने दिया।

**श्री अध्यक्ष** : देखिये, जुबेर खानजी, + + + मैं कोई बात कह रहा हूं, पहले आप उसको सुनिये। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि राजस्थान में जो राज्य सरकार ने—(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं खड़ा हूं इसलिए (व्यवधान) क्या हो गया आपको यह (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : यह हुआ कि हमें आप बोलने नहीं देते। उधर से कोई बोले तो आप चुपकर के बैठ जाते हैं। कुर्सी पर और हम कोई—(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कुछ बोला ही नहीं। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : वाजिब बात कहते हैं, + + +

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कहा न, मैंने कोई बात की नहीं, आप बिराजिये। (व्यवधान)

**श्री टीकमचन्द कान्त** : अध्यक्ष महोदय, यह आक्षेप है।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : आसन पैरों पर है।

**राजेन्द्र पारीक** : + + + (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया, आप शांत रहे (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं—

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आक्षेप है तो माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकलवा दो (व्यवधान)

**श्री टीकमचन्द कान्त** : यह आक्षेप है और इस प्रकार सदन नहीं चल सकता। अगर आसान पर आक्षेप लगता है और (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (व्यवधान) : उनके खिलाफ अगर उनको बोलने नहीं देते, + + +

**श्री टीकमचन्द कान्त** : उसके ऊपर अगर शंकाए जाती हैं तो सदन (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उनका वही रिज़ोल्यूशन है, उनका वही है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको कोई बात कह रहा हूं, आप पहले बात तो सुनें।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : (व्यवधान) गरिमा नष्ट होती है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : कैसे नहीं बोलने देंगे आप ? (व्यवधान)

**श्री टीकमचन्द कान्त** : अगर राजनीति में आये हैं, दूसरी-तीसरी बार अगर एम.एल.ए. बनकर के आये हैं तो सदन की गरिमा, आसन का सम्मान करना सीखिये।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपको स्पष्टीकरण करने का किसने अधिकार दिया है ? बार-बार आप सरकार की सफाई क्यों करते हैं ? बैठ जाइये आप।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने अभी कोई बात नहीं कही है। आप दोनों पक्ष ख्वाहमख्वाह उग्र क्यों हो रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : इन्हें बी.जे.पी. ने मनोनीत कर दिया ? ये चुनिंदा मेम्बर हैं, ये अपने क्षेत्र की बात कहेंगे। पार्टी के हित की बात करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : अच्छा, मैं तो यह कह रहा हूं कि आप इतने उग्र क्यों हो रहे हैं। मेरी बात तो सुनें पहले।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आप बोलने नहीं देते हैं। जब कोई माननीय सदस्य खड़ा होता है, बैठिये-बैठिये। और उधर आप बीस-बीस मिनट दे देते हैं, यह क्या हुआ ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : इसका मतलब मैं बोल ही नहीं सकता ? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : बिलकुल नहीं मानेंगे (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मतलब आपकी ही सुनूंगा ? मेरी तो कोई बात कह ही नहीं सकता मैं ? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आसान सर्वोच्च है लेकिन हमारे अधिकारों का यदि हनन होता है तो हम अपनी बात को यहां पर रखेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : मैं बोलने के लिये कुछ कह ही नहीं सकता आपको, यही मतलब हुआ। आप क्या चाह रहे हैं अब ? मुझे समझ में नहीं आ रहा जुबेर खान जी, इतनी जोर-जोर से आप क्या बात कह रहे हैं। मैं किसी बात को (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि घनश्यामजी तिवाड़ी की बात से हमने कल भी आंशिक रूप से सहमति प्रदर्शित की थी क्योंकि माननीय घनश्याम जी जितने चिन्तित

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

हैं, राजस्थान के किसानों के लिये, सारा सदन और कांग्रेस पार्टी के लोग भी उतने ही चिन्तित हैं। यह सही बात है कि पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने से राजस्थान के ही किसान नहीं, भारतवर्ष के भी किसान प्रभावित होंगे। हम भी जो उन किसानों की वकालात करने के लिये यहां पर आये हैं, हम चाहते हैं कि जो दिल्ली से सम्बन्धित बात है, उसके लिये रिजोल्यूशन से लिया जाए लेकिन साथ ही जो राजस्थान से सम्बन्धित बात है, जिसका कि निर्णय राजस्थान की सरकार कर सकती है, जिसका निर्णय यह सदन कर सकता है, जिसका निर्णय यह सरकार कर सकती है, उसको भी इस रिजोल्यूशन में शामिल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ पैट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से किसान और मजदूर प्रभावित होगा तो आगे आने वाले एक वर्ष या दो वर्षों के लिये हम चाहते हैं कि बाढ़ और अकाल से ग्रस्त किसान के ऊपर और बोझ नहीं बढ़े इसीलिये मैंने रिजोल्यूशन दिया था कि उस रिजोल्यूशन के साथ-साथ में यह रिजोल्यूशन भी हाउस ले कि आने वाले दो वर्षों में राजस्थान की सरकार किसानों पर टैक्स नहीं लगाऐगी, बिजली की दरें नहीं बढ़ायेंगी, पानी की दरें नहीं बढ़ाऐगी और किसानों को मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। (व्यवधान)

**श्रीमती तारा भण्डारी** : महिलाओं की कमर तोड़ दी। आप यह बात किसको कह रहे हैं? आप इधर इशारे करके किसको कह रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इस तरीके से माननीय वरिष्ठ सदस्य बोलती हैं। आसन की गरिमा तो रखती ही नहीं हैं। बैठ जाइये आप। बार-बार डिस्टर्ब करती हैं, सदन की गरिमा भंग कर रही है। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, हमें दर्द इस बात का है, घनश्यामजी तिवाड़ी को अधिकार था, हमने तो यह नहीं पूछा कि किस नियम के अन्तर्गत बोल_(व्यवधान)

**श्रीमती तारा भण्डारी** : गरिमा तो आप सीखो। आपको कहने की जरूरत नहीं है_(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपको कोई विशेष प्रोटैक्शन नहीं है। (व्यवधान) आपको चेयर की तरफ से कोई विशेष प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : हमने उनकी बात का समर्थन किया। उनकी बात का समर्थन करके हमने अपनी बात कही है इसलिऐ, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव के ऊपर भी_(व्यवधान)

**श्री टीकमचन्द कान्त** : अध्यक्ष महोदय, बढ़ी हुई कीमतों का विरोध राजस्थान का यह सदन करता है, इस प्रकार की सिर्फ भावनाएं दिल्ली तक पहुंचानी हैं और अगर बिजली की बढ़ी हुई कीमतों की इनको भावना पहुंचानी है तो इस सदन के अन्दर सत्ता पक्ष बैठा हुआ है, बजट के ऊपर वाद-विवाद चलेगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। यह तो पूरे हिन्दुस्तान का प्रश्न है और हिन्दुस्तान के साथ-साथ राजस्थान भी इस प्रकार महंगाई में डूब जाएगा इसलिऐ दिल्ली के अन्दर बैठी हुई इस सरकार को, इस मिक्स सरकार को, जिसको कि कांग्रेस का समर्थन है, जिसने अप्रत्याशित ढंग से इतनी बड़ी_(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आकाश बांध, पाताल बांध, तो किसी भले आदमी ने कहा कि अपना

(श्री राजेन्द्र पारीक)

घर तो बांध लें। हिन्दुस्तान की बात करते हैं, राजस्थान में आग लगी हुई है और बात कर रहे हैं हिन्दुस्तान की। (व्यवधान)

**श्री टीकम चन्द कान्त** : कीमतें बढ़ा दीं, उसके लिये भावना पहुंचानी है, हम सब एक होकर पहुंचाए। कहां बिजली की बात और कहां उसको साथ में, जोड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : अपना घर तो सम्भाल लें, हिन्दुस्तान की बात बाद में कर लेना।

**श्री अध्यक्ष** : आपको किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप मर्जी आये जो बोलें। खूब बोलें आप। घंटे-आधे घंटे, पांच घंटे, सात घंटे....(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य की भावनाओं को देख कर....(व्यवधान)....

**श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)** : कल भी आपने घनश्यामजी को पूरा समय दिया, हमने कोई आपत्ति नहीं की।

**श्री अध्यक्ष** : मैं तो किसी को रोक ही नहीं रहा हूं।

**श्री जगदीप धनखड़** : आपने रूल 306 के तहत अब तक परमिशन उनको नहीं दी है, आप रूल 306 को देख लीजिये, आप कन्सेंट देते तो वे प्रस्ताव लाते। और चर्चा हो गयी। हमारे इधर से प्रस्ताव दिये गये थे, आप समय को देखेंगे, हमें पांच परसेंट समय भी नहीं दिया गया।

**श्री अध्यक्ष** : मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। आप मेरी तो सुनना ही नहीं चाहते। आप तो मर्जी आये जो करो न, मुझे क्या करना है।....(व्यवधान)....

**श्री जगदीप धनखड़** : हो सकता है कल भारतीय जनता पार्टी यूरोप के किसानों की समस्याओं को भी हल करने की सोच ले।....(व्यवधान)....आपको अमेरिका के, यूरोप के, अफ्रीका के किसानों की चिन्ता हो सकती है....

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलो आराम से, दो-तीन, चार घंटे, दस घंटे, बारह घंटे।

**श्री जगदीप धनखड़** : पर आप खुद जो किसान के ऊपर वजन डाल रहे हो उसकी चर्चा नहीं करेंगे ?....(व्यवधान)....

**श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना)** : यह तो बजट के वाद-विवाद में कहना चाहिऐ।....(व्यवधान)....

**श्री जगदीप धनखड़** : राजस्थान पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके बारे में मदेरणाजी ने कह दिया....(व्यवधान)....

**श्री टीकम चन्द कान्त** : बिजली पर चर्चा हो तो कहना चाहिये और जोरदार शब्दों में कहना चाहिये। विरोधी पक्ष है इसके लिये।....(व्यवधान)....लेकिन जब पूरा हिन्दुस्तान डूब रहा है, इसके कारण हिन्दुस्तान का किसान डूब रहा है, राजस्थान का किसान डूब रहा है, राजस्थान का किसान और गरीब डूब रहा है....

**श्री चन्दनमल बैद** : आप क्या कर रहे हो किसानों का, वह तो सोचते ही नहीं हो, बोलते हो दिल्ली का।....(व्यवधान)....

**श्री टीकम चन्द कान्त** : सारे मध्यम वर्ग की हालत खराब हो जाएगी। उस समय....

**श्री चन्दनमल बैद** : दिल्ली सोच रहे हो दिल्ली, राजस्थान में क्या हो रहा है, यह तो सोच नहीं रहे हो।

72



**श्री टीकम चन्द कान्त** : जब हिन्दुस्तान डूब रहा है तो राजस्थान भी साथ में डूब रहा है।

**श्री जगदीप धनखड़** : सर, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : उसकी भावना पहुंचाने की बात थी और कहां बात__(व्यवधान)__

**एक माननीय सदस्य** : टीकम चन्दजी, दिल्ली बहुत दूर है।__(व्यवधान)__

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उसी दिन राजस्थान डूब गया था, अब क्या डूबना बाकी रहा है।__(व्यवधान)__

**श्री रामस्वरूप** : अध्यक्ष महोदय, ये हिन्दुस्तान की बात करते हैं, राजस्थान के किसानों के साथ आपने कितना बड़ा अन्याय कर रखा है। "घर का पूत कुंवारा डोले, पड़ौसी का नौ फेरा,"__(व्यवधान)__राजस्थान की तो किसी को कोई चिन्ता नहीं, बात कर रहे हो आप वहां की।__(व्यवधान)__

**श्री टीकमचन्द कान्त** : राजस्थान हिन्दुस्तान से बाहर है ?__(व्यवधान)__

**श्री रामस्वरूप** : बिजली मंहगी कर दी आपने।__(व्यवधान)__

**श्री भंवर सिंह डांगावास** (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विपक्ष के माननीय सदस्यों ने दिया, राजस्थान सरकार को जो प्रार्थना की है__

**श्री रामस्वरूप** : __(व्यवधान)__चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हिन्दुस्तान की बात करने लग गये।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : कि आइन्दा टैक्स नहीं लगेगा, बिजली की दरें नहीं बढ़ायी जाएगी, खम्भों की कीमत कम की जाए__

**श्री रामस्वरूप** : इसलिए आप पहले राजस्थान को सुधारो।__(व्यवधान)__बिजली की कीमत कम करो। बिजली तो किसानों के लिये __(व्यवधान)__

**श्री जगदीप धनखड़** : उप मुख्य मंत्रीजी, जवाब दें।__(व्यवधान)__

**श्री रामस्वरूप** : हिन्दुस्तान की बात करने लग गये।

**श्री भंवर सिंह डांगावास** : इस प्रस्ताव को पास कर के दिल्ली सरकार को भेजने से क्या फायदा ? ये राजस्थान सरकार को निर्णय लेने हैं।__(व्यवधान)__आप राजस्थान से कहिये, इस प्रस्ताव में कोई तन्त नहीं है। हमारा प्रस्ताव दिल्ली सरकार को, केन्द्रीय सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिये है, इनका प्रस्ताव राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये है। राजस्थान सरकार सामने बैठी है, आप बात रखिये, हम सुनेंगे, निर्णय लेंगे।__(व्यवधान)__

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की सर्वमान्य परम्परा आज 40 साल से है, जब कोई माननीय सदस्य पाइण्ट आफ आर्डर रेज करता है__

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : मैं कुछ मेरी बात कह लूं ?__(व्यवधान)__

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : हमारे नेता महोदय बोल रहे हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : आप सुनिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : आपकी सब की कुर्सियों में स्प्रिंग लग रहे हैं, पहले तो इनकी जांच कराओ। + + + एक जना नहीं बैठता।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री किशन मोटवानी** : उजलाजी, आप यहां बैठती थीं और + + + और मैं आप से कहता था।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : कोई कम नहीं है। न कोई नियम से बोलता न कोई पूछ कर बोलता है। अध्यक्ष महोदय की तरफ देख कर नहीं बोलता।...(व्यवधान)...मेरी तरफ देख कर क्यों बोल रहे हो?...(व्यवधान)...आपकी कुर्सियों की स्प्रिंग की जांच तो कराओ, + + + कल तो उनको कुछ कर रहे थे...

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : हमारे नेता महोदय बोल रहे हैं, कृपया बैठ जाइये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मदेरणाजी से आग्रह करूंगी, फिर आग्रह करूंगी कि इनको प्रशिक्षित कीजिये कि किस प्रकार किस नियम के अनुसार कैसे बोला जाता है, उनका अध्ययन करवाएं। ये बिना नियम के बोलते हैं, बिना पढ़े-लिखे बोलते हैं। चाहे जो मन में आये, बोलते हैं। इन पर कहीं तो नियंत्रण कीजिये।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपके यहां तो सीधी भर्ती है, रंगरुट (व्यवधान)...

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : देखो, एक, दो, तीन, चार फिर से खड़े हो गये।

**श्री रामस्वरूप** : आप कौनसे नियम से बोल रही हैं?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : और खड़े हों, और खड़े हों। क्या तरीका है?

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा था। जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने मुझे एक सुझाव दिया है कि इनको प्रशिक्षण दिया जाए। अगर मेरी पार्टी की मीटिंग हुई तो प्रशिक्षिण देने में आपसे दक्ष कोई माननीय सदस्य इस सदन में नहीं है, मैं आपको निमंत्रण दूंगा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं आ जाऊंगी।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह नहीं है। मैं सर्वमान्य परम्परा और मान्यता की बात कर रहा था, इस ओर बैठे हुए और उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि जिस वक्त आसन पैरों पर हों, चेयर आन लैग्स, कोई भी माननीय सदस्य खड़ा नहीं रहे, उसको बैठ जाना चाहिये।

आज माननीय सदस्य बोल रहे थे, अध्यक्ष महोदय, खड़े हो गये वे बैठ गये। अध्यक्ष महोदय जब पैरों पर थे और सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी पार्टी के चीफ व्हिप की हैसियत से, आज चीफ व्हिप तो अपनी अभिव्यक्ति पर काफी नियंत्रण रखे हुए हैं, बड़ी भारी बात कह दी और उसमें पोलिटिकल मोटिवेटेड भी बात कह दी। क्रिस्टल क्लीयर बात को, मेरी पार्टी के स्टैंड को मैंने क्लियर कर दिया, आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं, बाहर से समर्थन दे रहे हैं, आपको नहीं दिया इसलिये आप का कलेजा जल रहा है।

**एक माननीय सदस्य** : दिया, नहीं, लिया नहीं?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : आपका समर्थन लेकर क्या करना है?

**श्री परसराम मदेरणा** : हिन्दुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास में मैंने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो 13 दिन के बाद में गिरी हो।

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैंने इसलिये प्रस्ताव की बात कही थी कि प्रस्ताव दूसरे भी आ गये हैं और तीनों ही प्रस्तावों को देखने के बाद में अपनी पार्टी के अन्दर इस पर चर्चा करूंगा। और इसलिये मैंने उप मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया था Heaven is not going to fall, कि कोई आज का आज या अभी कुछ रिजोल्यूशन पास कर दो।

All Political parties in the country, all India and regional parties also;

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : हां, ठीक बात है।

**श्री परसराम मदेरणा** : रीजनल पार्टी एक-दो आयी हैं, सब रीजनल पार्टी ने अपना मन्तव्य व्यक्त नहीं किया है लेकिन Almost all the parties, National party except Janata Dal, and Janata Dal Party's branch of Orissa has given the reaction.

इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था स्टेट इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी टैरिफ की इन्क्रीज, राजस्थान की गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, उसकी बिना अनुमति के नहीं की जा सकती। अभी आपने की, यह असैम्बली का सैशन आ रहा था, तो आपने और आपकी सरकार ने भी वैसा ही आचरण किया जैसा युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने किया है।—(व्यवधान)—

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : बहस चल रही है बजट पर। बजट पर बहस चल रही है।—(व्यवधान)—

**श्री चन्दनमल बैद** : रिजोल्यूशन तो पास कराने लग गये, बजट पर बहस है।

**श्री परसराम मदेरणा** : बजट की बहस के रूप में कांग्रेस विधायक दल को आप झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं, हम सब समझते हैं। आपका झुनझुना हम नहीं पकड़ेगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : क्या पकड़ेंगे ?

**श्री चन्दनमल बैद** : दिल्ली में नहीं पकड़ा, यहां क्या पकड़ेगे।

**श्री परसराम मदेरणा** : एक बात यह। दूसरी एक सर्वमान्य परम्परा है, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी भी मुझ से सहमत होंगे।—

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : हम सब सहमत हैं, साहब।

**श्री परसराम मदेरणा** : The moment a point of order is raised by anyone, whether it is a point of order or not, it is the Chair's privilege.

किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपको कह दूं।

मैं समझता हूं यह मामला अभी कोई बहस का विषय नहीं है। क्योंकि राजस्थान की विधान सभा के नियमों के अन्तर्गत यदि कोई प्रस्ताव आता है तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वे उसको देखेंगे और उचित समझते हैं तो उसकी इजाजत देंगे। इजाजत देंगे तो प्रस्ताव मूव होगा, उस पर विचार होगा, निर्णय होगा। अभी जिस इलैक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव की बात हुई है, इस प्रस्तावक ने तो इसको सर्वमान्य समझ कर कि कांग्रेस पार्टी भी इसमें हमारे साथ है, वह भी इसका विरोध कर रही है इसलिये 306 के अन्तर्गत सारे नियम प्रक्रिया को अध्यक्ष महोदय के आदेश से

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

निलम्बन करने के लिये निवेदन किया। आपका जो प्रस्ताव है वह रैगुलर प्रस्ताव है।

**श्री किशन मोटवानी** : नहीं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आपका रैगुलर नहीं है?

**श्री किशन मोटवानी** : जो किसान के प्रति आपको चिन्ता थी वैसी चिन्ता हमारी भी है किसान के प्रति।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : यदि आपका प्रस्ताव रैगुलर नहीं है_(व्यवधान)_यदि आपका प्रस्ताव रैगुलर नहीं है, आप कह रहे हैं आपका प्रस्ताव रैगुलर नहीं है, तो अध्यक्ष महोदय के देखने की बात है कि जो प्रस्ताव रैगुलर नहीं है उस पर बोलने की अनुमति दें या नहीं दें। इसमें हम कहीं नहीं आते।

**श्री किशन मोटवानी** : नहीं, इस पर शिथिलता जो मांगी थी, हम तो एग्री थे_(व्यवधान)_

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : सुन तो लो आप।

**श्री किशन मोटवानी** : हम तो एग्री थे शिथिलता पर। साथ में हमने भी रिजोल्यूशन जोड़ दिया।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मोटवानीजी, आप और मैं तो इस कुर्सी पर बैठे हैं। आप भी बैठे थे और मैं भी बैठा था, इतना तो हम भी समझते हैं कि यदि रैगुलर प्रस्ताव नहीं है तब तो अध्यक्ष की मर्जी पर है कि वह अलाउ करे कि नहीं। और रैगुलर प्रस्ताव है तो उसकी जांच कर के नियमों के मुताबिक अलाउ कर देंगे कि इस विचार हो जाए। इसलिये इस वक्त मैं समझता हूं कि इस बहस में एण्टर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो सभी दलों से सम्बन्धित था और उस पर चूंकि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अपने विचार व्यक्त कर दिये।

मैं मानता हूं कि अब इसके आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी दुबारा विचार होगा तो बैठकर विचार कर लेंगे। इसलिये अब आगे कार्यवाही शुरू की जाएं, मेरा तो निवेदन यह है। डेढ़ बज चुका है, कल भी बजट पर बहस नहीं हुई थी, जो मुख्य मुद्दा हमारे सामने है, वह आता रहे।

(13.30)

**(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री टीकमचन्द कान्त** : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मेरे लिये माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अभी बड़े प्रेम से कहा, और वह कोई बड़ी बात नहीं है। (व्यवधान) उन्होंने कहा कि आसन पैरो पर था_(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया, माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं। विराजें आप।

**श्री परसराम मदेरणा** : Hon'ble Deputy Speaker, sir, I was inpossession of the floor of the House. आनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी खड़े हुए, मैं बैठ गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय ने जो बात कही है, मैं उस इश्यू पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक यह निवेदन कर रहा था कि यहां परम्परा है कि चेयर लैग्स पर खड़ी हो तो उस वक्त सभी माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिये नहीं, तो हाउस में आर्डर नहीं रहता, सुचारू रूप से सदन नहीं चलेगा, एक।

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरा, मेरा यह अनुरोध है हाउस के सभी माननीय सदस्यों से, कि पाइंट आफ आर्डर जब रेज किया जाऐ तो दूसरे माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, उनके लिये इमीजिएटली बैठ जाना जरूरी है, आवश्यक है, अपरिहार्य है। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पाइंट आफ आर्डर रेज किया। व्यवस्था का प्रश्न सही है कि नहीं है, किस रूल में किया, यह आसन के निर्णय लेने का प्रश्न है। ये बोलते रहे, मेरा पाइंट आफ आर्डर है, मेरा पाइंट आफ आर्डर है और उस पाइंट आफ आर्डर को कोई सुन नहीं रहा। इससे इस सदन में व्यवस्था नहीं रहेगी। पाइंट आफ आर्डर और चेयर जब लैग्स पर हों तो उस वक्त इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को, नियमों के अनुसार भी, नियमों में लिखा हुआ है, उस वक्त आसन को सुनना चाहिये।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें।

**श्री जुबेर खान** : कल तीन प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत किये गये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया आप सुनें। विराजें। यह कौनसा आवर चल रहा है जिसमें आप पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं? आप विराजें कृपया।

**श्री जुबेर खान** : आप कहने देंगे तभी तो बताऊंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव। श्री भीमसेन चौधरी।

**श्री जुबेर खान** : मैं एक प्रोटेक्शन चाहता हूं आपसे। कल तीन प्रस्ताव दिये। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव पर अपनी बात कह दी, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव पर अपनी बात कह दी, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मेरा प्रस्ताव क्या है, मैं इस सदन के सामने जानकारी दे सकूं? जब आपने दो को दो-दो मिनट दे दिये तो मुझे एक मिनट देने में क्या आपत्ति है? अगर आप कहते हैं कि आपत्ति है, आप नहीं बोल सकते, आप कह दीजिये मैं बैठ जाऊंगा। मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

मैंने कल एक प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस के समय में बिजली के खंभें की कोई कीमत नहीं थी, पांच हार्स पॉवर तक खम्भे फ्री दिये जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज एक खम्भे पर किसानों से 9 हजार रुपये चार्ज किये जा रहे हैं। मेरा यह प्रस्ताव था सदन में, कि सदन यह प्रस्ताव लाऐ कि बिजली के खम्भे की कीमत, जो 9 हजार रुपये है, इसको घटाकर उसे फ्री कर दिया जाए। यह प्रस्ताव मैं इस सदन के सामने लाना चाहता हूं क्योंकि किसानों के प्रति सदन कल चिन्तित था और हम भी चाहते थे कि किसानों को रिलीफ मिले। यह सरकार, जो यहां बैठी है, इसके जूरिस्डिक्शन में मेरा प्रस्ताव था।

उस प्रस्ताव पर मुझे बोलने नहीं दिया जाए और जो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के जूरिस्डक्शन में हो उस पर आधा घंटा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को दें, यह बड़ी गलत बात है। मैं अपनी बात कहना चाहता था कि सदन जब भी इन प्रस्तावों पर विचार करे तो मेरे प्रस्ताव पर भी विचार करे कि किसानों पर बिजली के खम्भे के जो 9 हजार रुपये थोपे जा रहे हैं, इसको घटाकर जीरो किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भीमसेन चौधरी।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : पाइंट आफ आर्डर।

**श्री टीकम चन्द कान्त** : मुझे एक बात कहनी है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी एक-एक बात का कोई अन्त नहीं है। आप विराजें।

**श्री टीकम चन्द कान्त** : नहीं, एक-एक बात नहीं। अभी जो बात सामने आयी है उसके लिऐ मैं कहना चाहूंगा। बहुत जरूरी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपको आज्ञा नहीं दे पाऊंगा। आप विराजें।

**श्री टीकम चन्द कान्त** : मुझे एक मिनट चाहिये, मुझे भी अपना एक स्पष्टीकरण देना है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझ पर बात आयी है तो मैं उसको स्पष्ट करना चाहूंगा।—(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया आप विराजें। श्री भीमसेन चौधरी। (व्यवधान)

## व्यवस्था का प्रश्न
## कार्य-सूची का विन्यास और आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्डर रूल 142 और 28 के अंतर्गत बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल कोट करके पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं, रूल 142 एण्ड 28, पाइंट आफ आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन मिनट लूंगा। कल जो हुआ है उसके कारण से नियमों की अवहेलना हुई है और परम्परा की भी अवहेलना हुई है। मैं रूल 142 और रूल 28 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय रूल 142 के अनुसार बजट पर सामान्य चर्चा के लिये समय निर्धारित किया जाता है। यह परम्परा भी रही है और यह नियम भी रहे हैं कि बजट पर सामान्य चर्चा के लिये चार दिन निर्धारित किये गये। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने भी इस बात को तय कर लिया था और उसी कार्य सूची का अनुमोदन इस हाउस ने कर दिया था। कल जब अलवर कांड पर डिबेट समाप्त हो गयी उसके पश्चात् बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय के अनुसार इस हाउस की जो सम्मत्ति थी उसके अनुसार कार्य सूची का वितरण किया गया ओर कल बजट पर चर्चा की जानी चाहिये थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक परम्परा की अवहेलना हुई है, यह एक नियमों की अवहेलना हुई है कि पूरा दिन जो कार्य सूची के अनुसार बजट के लिये निर्धारित था, आपने बजट पर एक मिनट भी चर्चा नहीं करायी और न ही बजट के लिये सदस्यों को पूरा समय देने का तय किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल 28 के फोर्थ पार्ट की तरफ भी आसन का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा—

**श्री उपाध्यक्ष** : कौन सा रूल है ?

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : 28 का 4, आपकी सीमाएं असीमित हैं। जो भी कार्य सूची बनती है उसके अंदर आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बड़े इफ्स एण्ड बट्स हैं। मैं 28 के 4 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

(4) The Speaker may, after being satisfied that circumstances exist wherein it is expedient or unavoidable to do so, may not include in the list of business for the allotted day any item of business covered by the report of the Business Advisory Committee as adopted by the House......"

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

अर्थात् अगर आप इसे अति आवश्यक मानें, एक्सपीडियेंट मानें, अन-अवाइडेबल मानें तो आपको पहला अधिकार है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो तय किया हुआ है उसको आप अपनी कार्य सूची के अंदर सम्मिलित नहीं करें। आपको दूसरा अधिकार है कि जो पर्टीकुलर आइटम आपने आलरेडी ले लिया है उस सूची के अंदर, आप उस आइटम को भी नहीं लें। तीसरा अधिकार है कि जिस आर्डर के अंदर वह सूची बनी हुई है उस आर्डर के अंदर भी आप वेरीयेशन कर सकते हैं। आपको तीन अधिकार हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, न तो कोई ऐसी चीज एक्सपीडिएंट थी और न अब अवाइडेबल थी कि आपने कल कार्य सूची के अनुसार बजट पर चर्चा नहीं होने दी। हम 11 बजे तक बैठते, हम 12 बजे तक बैठते इसी हाउस में बैठ कर बजट पर दो-दो बजे तक चर्चा हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट एक छोटी-मोटी चीज नहीं है। लाइटली आप उसको नहीं ले सकते कि साढ़े सात या आठ बजे अचानक ही हाउस की कार्यवाही को स्थगित करके यहां से चले गये।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपको आल्टर करना है तो उसके लिये आपको कारण देने पड़ेगे। अगर कारण नहीं देते हैं तो कम से कम आपको इस सदन के अंदर घोषणा करनी पड़ेगी कि आप आज की कार्य सूची को आल्टर कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कल क्या हुआ, कार्य सूची वितरित कर दी कि बजट के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा की जाएगी। माननीय सदस्यों ने तैयार की। राजस्थान के कई विषयों पर गंभीर चर्चा की जानी थी और उस पर चर्चा हो नहीं पायी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, कल जो परम्परा तोड़ी गयी, नियमों की अवहेलना हुई, उसके लिये मैं सम्मानपूर्वक सदन का और इस आगस्ट चेयर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि आगे से ऐसा नहीं हो, हाउस को कोंफिडेंस में लेने के पश्चात् ही या कम से कम सीनियर लीडर्स के डिस्कशन के पश्चात् ही आप इस प्रकार कार्य सूची के अंदर डिक्लेयर करके कोई आल्टरेशन करें।

साथ ही अन्तिम निवेदन करना चाहूंगा कि आज तीन बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें बजट पर कितने घंटे चर्चा होनी चाहिये, कितने दिन चर्चा होनी चाहिये, अगर वह चर्चा पूरी नहीं हुई है तो कृपया सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करें, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है इसलिये बजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर व यह तय किया जाए और चर्चा के लिये घंटे बढ़ाये जाए दिन बढ़ाये जाए।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य सूची में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो बिजनेस लिया, साधारण परम्परा यह रही है कि हमारी विधान सभा का समय 11 बजे से 5 बजे तक है। उसमें क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे तक निपटा लिया जाए और उसके बाद कार्यवाही कार्य सूची के अनुसार चले। लेकिन जो कुछ कल हुआ, आज भी मैं समझता हूं अभी पौने दो बज रहे हैं।

अभी 295 के प्रस्ताव नहीं लिये गये और लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है। कई माननीय सदस्य बजट की तैयारी करके आते हैं, कई माननीय सदस्य अपने प्रश्न देते हैं और यह चाहते हैं कि जो स्टार्ड क्वेश्चन हैं वे इस सदन में ज्यादा से ज्यादा चर्चा में लिये जाए। (व्यवधान)

**श्री बृजेन्द्र सिंह** (बयाना) : बारह बजे बाद आप स्टार्ड क्वेश्चन—(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया बोलने दीजिये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** परम्परा यह रही है कि एक सवाल में दस मिनट लिये जाए और कम से कम दस सवाल तो आए ही। माननीय सदस्य उससे बहुत लाभान्वित होते हैं उन प्रश्नों में से कुछ निकालकर लाते हैं। और उससे सरकार भी काफी क्रियाशील होती है कि कौनसी बात गलत कही गयी। यह सदन जो कुछ करना चाहता है—

**श्री उपाध्यक्ष :** उन्होंने केवल यह कहा है कि कार्य सूची के अनुसार बजट पर कल बहस नहीं हुई।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** मैं उसी पर आ रहा हूं। सारे सदस्यों की पीड़ा है कि कार्य सूची के अनुसार सदन क्यों नहीं चलता है। मैं यह बार-बार प्रयास कर रहा हूं कि नियमों के अनुसार यदि यह सदन चले, जैसे क्वेश्चन आवर में केवल प्रश्न पूछे जाएं। प्रश्न के बजाय भाषण शुरू हो जाएं तो नये माननीय सदस्य अपने प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। इसी प्रकार जो 295 के प्रस्ताव पढ़ने चाहिऐ या बजट के भाषण पर चर्चा होनी चाहिऐ वह चर्चा समय नहीं होने के कारण नहीं हो पाती। कल भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही हुआ कि लगभग साढ़े सात-आठ बजे गये और अब सदस्य बैठने के लिये तैयार नहीं हों तो यह कार्य सूची पूरी कैसे होगी। मान लो—

कार्य सलाहकार समिति यह तय कर देती है कि अस्सी घंटे बजट पर चर्चा होनी चाहिये।—यह तय करती है तो अब उस तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार बजट पर बहस हो, अस्सी घंटे उपलब्ध रहें। मैं समझता हूं कि यह पूरे हाउस की नैतिक जिम्मेदारी है कि अस्सी घंटे उपलब्ध भी कराये जाएं और उन पर अस्सी घंटे चर्चा हो। चार तारीख तक बजट पर चर्चा होगी, आज चार तारीख हो गयी और उसके बाद आठ तारीख को केवल प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोलेंगेऔर उसका उत्तर दिया जाएगा तो जो समय निर्धारित है उस निर्धारित समय में माननीय सदस्य बजट पर कोई चर्चा नहीं कर सकेंगे। पर्ची के माध्यम से, बिजली की समस्या के मामले या और भी कोई समस्या के मामले यहां पर उठा रहे हैं पर मैं यह चाहता हूं कि यदि यही सारी चर्चाएं उपयुक्त माध्यम से की जा सकती हैं तो समय बरबाद नहीं हो। आसन के सामने बार-बार इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं, आसन और माननीय सदस्यों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है और उसके कारण से बहुत सारा समय व्यर्थ जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि हम कार्य सूची पूरी करना चाहते हैं, यदि हम बजट पर पूरी चर्चा करना चाहते हैं तो हम अपने आपको संयमित करें और और जिस प्रकार प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा, कुछ परम्पराएं हमने कायम की हैं, उनका पालन करें, जब आसन खड़ा हो तो सदस्य खड़े न हों।—(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : वह आपने तोड़ दी। आप ऐसा प्रस्ताव लाये कि जब तक मुख्य मंत्रीजी का भाषण समाप्त नहीं हो जाए तब तक का टाइम बढ़ा दिया जाए। आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जिक्र न करके नया प्रस्ताव लाकर सदन की अनुमति ले ली। आपने इस परम्परा को क्यों तोड़ा? आपको यह कहना चाहिऐ था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा निर्धारित कार्य सूची समाप्त न हो जाए तब तक के लिये टाइम बढ़ा दिया जाए। लेकिन आपने उसको तो बाई-पास

(श्री रामनारायण चौधरी)

कर दिया और नया प्रस्ताव ले आये कि जब तक मुख्य मंत्रीजी का भाषण समाप्त नहीं हो जाए तब तक के लिये सदन का टाइम बढ़ा दिया जाए।....वह सब आपने करवा दी सारी गड़बड़ तो हम क्या करें? हमने तो आपकी इज्जत की और उस इज्जत के हिसाब से हमने कहा, ठीक है बढ़ा दो और अब आप भाषण दे रहे हो उलटा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कल साढ़े सात-आठ बजे गये और सारे सदन की यह राय नहीं थी कि अब ज्यादा समय बढ़ाया जाए और जब आप सबकी यह राय थी कि ज्यादा समय नहीं बढ़ाया जाए तो उसके अलावा कोई आल्टरनेट नहीं था।....(व्यवधान) आप सब ने स्वीकार किया। आप सबकी राय जानते हुए मैंने यह कहा....(व्यवधान)..आप सबने हां की, मैंने समय बढ़ाया।

**श्री रामनारायण चौधरी** : हम यह चाहते थे कि पूरे कार्यक्रम को समाप्त किया जाए लेकिन आप वह प्रस्ताव नया लाये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : हम आपकी सहमति से यह प्रस्ताव लाये कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तब तक समय बढ़ाया जाए। यदि वास्तव में आपकी यह इच्छा थी कि बजट पर चर्चा करना चाहते थे तो आप कहते कि नहीं-नहीं, बजट पर चर्चा होने तक या आठ बजे तक, नौ बजे तक। मैंने कोई प्रस्ताव रखा तो आप उसमें संशोधन ला सकते थे, आप उसमें सुझाव भी दे सकते थे। मैंने आप सबकी भावनाओं को जानते हुए कि आप सब समय नहीं बढ़वाना चाहते थे....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मुख्य सचेतक जी, जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है, क्या वह उचित है? उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें।

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 28 के सम्बन्ध में पाइण्ट आफ आर्डर भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, अब रूल की जो मंशा है वह यह है कि जो कुछ थी बिजनेस आफ दी डे है, उस बिजनेस आफ दी डे में कोई दूसरा मैटर है, तो उसमें आल्टरेशन करने की बात है, उसमें संशोधन करने की बात है। ऐसा अगर स्पीकर उचित समझते हैं तो उस बात की घोषणा करें इस सदन के अन्दर क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट एडाप्ट कर ली है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को एडोप्ट करने का प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक महोदय प्रस्तुत करते हैं सदन में। कल जो प्रस्ताव आपने रखा, वह मुद्दा एक वक्तव्य के तौर पर था, उस पर मुख्य मंत्रीजी का भाषण हो जाता। आपने प्रस्ताव रखा कि मुख्य मंत्री महोदय के भाषण तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाए। आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रिजोल्यूशन को कम्प्लीटली वाटर डाउन कर दिया। स्टेट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट यू नो आप यह कह गये। इसलिये एक तो आपको रूल की जानकारी नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आज जो कुछ भी निर्णय लिया जाए उस वक्त रूल 28 को ध्यान में रखकर इस सदन को आगे का बिजनेस तय किया जाए वेटिंगली और अनवेटिंगली, नोइंग्ली और अननोइंगली, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गवर्नमेंट के चीफ व्हिप रूल की निश्चित तौर पर जानकारी रखते हैं पर आपने बीच में ही इस मामले को प्रीएम्प्ट कर दिया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मामले को आप प्रीएम्प्ट कर नहीं सकते थे क्योंकि हाउस ने एडाप्ट कर लिया था। हाउस में एडाप्ट करने के बाद में बिजनेस में थोड़ा बहुत कोई भी हेर-फेर करने की बात है तो Speaker alone can do it. इसलिये सब घपला तो किया है आपने अब आप परसैप्सन की बात कर लोगे रूल्स आफ

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोसीजर पर। उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मैं समझता हूं कि आपका अभिप्राय यही था। इस रूल 28 की मंशा को ध्यान में रखकर बिजनेस तय किया जाए और जो भी व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया है, उसका औचित्य है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने रूल 28 के अन्तर्गत एक पाइण्ट आफ आर्डर सदन के समक्ष रखा है। मैं उसको दो भागों में मैं बांटना चाहता हूं। आपने आसन के माध्यम से इस बात को रखा है, समय निर्धारित किया है कि इस डिबेट में कितना समय होगा और उसका विभाजन विभिन्न पार्टियों को किया गया।

आज बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दुबारा हो रही है जो आगे के कार्यक्रमों को तय करेगी या कुछ बदल करना है तो उस नाते से करेगी। मेरी सहमति प्रतिपक्ष के नेता महोदय से है कि आप विचार करते समय इस बात का विचार करें।

किन्तु दूसरी बात की ओर भी में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात सच है कि रूल 28 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय को कार्यक्रम में संशोधन करने का, आल्टरनेट करने का और उसको कम करने का अधिकार है किन्तु शायद प्रतिपक्ष के नेता भी इस बात को जानते हैं कि सदन सुप्रीम है। चाहे मैं यह कह दें कि श्रीमान सेचतक महोदय ने घपला कर दिया। किन्तु मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सचेतक महोदय ने जो बात कही है, मानसिक सहमति होगी, चाहे नहीं भी हो, अगर उन्होंने प्रस्ताव सदन में रख दिया और सारे सदन ने हां कर दी तो निश्चित रूप से आपसे बढ़कर सदन ने इस बात की मंजूरी दे दी कि आपने यह जो प्रत्युत्तर समाप्त करने की सीमा रखी है, माननीय मुख्य मंत्री जी के बाद समाप्त हो जाए। इसीलिऐ रूल 28 में जो विषय उठाया गया है वह ठीक नहीं हे क्योंकि सदन ने उस बात की सहमति दे दी हैं। इसलिये जो पांइट आफ़ आर्डर उन्होंने उठाया है रूल 28 के माध्यम से, वह ठीक नहीं उठाया। क्योंकि सदन ने इस बात को कन्फैस कर लिया है। हां, 80 घण्टे आपने दिये हैं उस पर विचार कर लीजिये। आप उसकी मीटिंग करेंगे, उसमें पुनः विचार कर लीजिये, मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं है। (व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** उपाध्यक्ष जी, इसी पाइंट आफ आर्डर के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता था कि समय लूं लेकिन सम्मानीय चतुर्वेदी जी के भाषण के बाद में मुझे बोलने के लिये विवश होना पड़ा।

उपाध्यक्ष जी, यहां बिजनस एडवाइजरी कमेटी का सवाल आया। मैं यह मानकर चलता हूं कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी की चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये। बिजनस एडवाइजरी कमेटी को हम बहुत हाई रैस्पेक्ट देते हैं और जो भी बिजनस एडवाइजरी कमेटी तय कर देती है उसी को सदन बिना किसी चूं चपट के करीब-करीब मान लेता है। आपने यह कह दिया कि अस्सी घण्टे तो निर्धारित किये थे, आज बिजनस एडवाइजरी कमेटी बैठ रही है, इस मामले को देख लें। देख क्या लें, सदन ने तो अस्सी घण्टे का जो समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया था उस को मान लिया। अब उसके बाद बिजनस एडवाइजरी कमेटी को कोई अधिकार नहीं है कि सदन ने जो यह तय कर दिया उसमें दुबारा देखे। अब आप इतना कर सकते हैं, जो डेज

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिये थे, 4 तक उसको समाप्त हो जाना चाहिये था, नहीं हुए उनके लिये आप अलग दिन तय कर सकते हैं, आगे की तारीखें तय कर सकते हैं। लेकिन अस्सी घण्टें के टाइम को घटाया नहीं जाए। नहीं घटाना ही सदन के हित में है और माननीय सदस्यों के हित में है।

दूसरा, माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा कि रूल 28 में नहीं होना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल जिस प्रकार का वातावरण था और हम डरे हुए थे इनकी बांह से, इसलिये डर कर रहिये कुछ भी कहिए, हमने बात मान ली लेकिन पीड़ा के साथ बात मानी। हमारा विचार यह था।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : स्ट्रेटेजी फेल हो गयी।

**श्री शिवनाथ सिंह** : हमेशा होता है कि स्टेटमेंट के बाद में जब भी मिनिस्टर रिप्लाई करता है तो उससे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिये, प्रश्न पूछने के लिये समय होता है। हमारा अधिकार है। मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद हम सोचते थे और हमारा अधिकार था कि हम उनसे कुछ और जानकारियां लेते। लेकिन आसन ने हमारे उस अधिकार को छीना और अचानक जैसे कोई आसमान गिर रहा हो, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, यह भी कोई धंधा होता है। चेयर बड़ी है, हम सम्मान करते हैं लेकिन चेयर को सदन की भावनाओं को देखना चाहिये, माननीय सदस्यों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। इसलिये कल माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन हुआ है और इस रूप में हुआ है कि आपने हम को समय नहीं दिया माननीय मुख्य मंत्री जी से कोई सवाल करने का।

**श्री उपाध्यक्ष** : भीम से आने वाले माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह जी रावत ने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है कि 1996-97 के बजट पर सामान्य वाद विवाद पर कल बहस नहीं हुई, यह सवाल अगर कल उठाया जाता तो यह संगत होगा। चूंकि समय इसका निकल गया, इसलिये इस पाइंट आफ आर्डर को मैं निरस्त करता हूं।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण करना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, फरमाएं। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : मैं इस विषय पर नहीं बोल रहा हूं। अभी माननीय जुबेर खान जी ने एक बात यहां रख दी और शायद उसकी एक गलतफहमी हो जाए कि किसान से 9 हजार रुपये प्रति पोल लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। जो जनरल कनेक्शन हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। —(व्यवधान)—

**श्री भंवर सिंह चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बोल रहे हैं। ये किसकी इजाजत से बोल रहे हैं?

**श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : उपाध्यक्ष महोदय, 9 हजार रुपये ले रहे हैं, 9 हजार रुपये। मन्त्री जी असत्य बोल रहे हैं —(व्यवधान)— इस बात की आप घोषणा करो —(व्यवधान)— चालीस हजार का कनेक्शन हो रहा है, चालीस हजार का।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : सुन तो लें आप। जो जनरल कनेक्शन हैं उनसे 9 हजार रुपये बिलकुल नहीं लिये जा रहे हैं। जैसा मैंने उस दिन कहा था कि 1983 तक के जनरल कनेक्शन राजस्थान भर में दे दिये जाएं, वे ये आदेश हो गये और 1994 तक एस. सी. के हो

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

गये। कुछ कनेक्शन्स बाकी हैं जो अभी हो जाएंगे। लेकिन ये जो नम्बर के हैं उनसे नहीं लिये जा रहे हैं। जो आउट आफ दी टर्न है, कोई 1983 के बजाय 1996 में लेना चाहता है कल एप्लीकेशन देकर, उससे ये पैसे लिये जा रहे हैं। जनरल किसान से नहीं लिये जा रहे हैं। जो आउट आफ दी टर्न लेगा, और जो स्वाभाविक रूप से लेता है। पिछली बार भी मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि नर्सरी और वन पोल, टू पोल आप कहें तो बंद कर दें और माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपने ही कहा था कि बंद मत करो। यदि हाउस चाहेगा तो हम यह 9 हजार रुपये नर्सरी का और वन पोल और टू पोल का बंद कर देंगे और जनरल कनेक्शन (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें। इस पर वाद-विवाद नहीं होगा।

**श्री भीमसेन चौधरी** : —(व्यवधान)— यह माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया है, आप विराजें। (व्यवधान) भीमसेन जी, आप जोर से बोलिये।

(14.00)

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## लूणकरणसर क्षेत्र की सिंचाई समस्या

**श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

1. पूगल ब्रांच की टेल आर डी 211 से लिंक चैनल निकाल कर केजेडी नहर के टेल के चकों 34 से 43 तक की सिंचाई हेतु निर्धारित मात्रा में पानी न पहुंचने की शिकायत है, जिसको दूर किया जा सकता है। इस चैनल को बनाना सरकार के विचाराधीन है या नहीं, बताया जाएं?

2. इस लिंक चैनल से केजेडी नहर के काश्तकारों की समस्या के समाधान के साथ-साथ कम से कम तीस हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

3. केजेड़ी नहर अनूपगढ़ शाखा के आर डी 365 से निकलने वाली केजेड़ी नहर के आर डी 62 से निकलती है और उस पर साढ़े तीन फीट का फाल दिया हुआ है। इस फाल को निकालने से केजेडी नहर को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। अतः अभी इस नहर में सिल्ट जमा होने की समस्या है इससे छुटकारा मिल सकेगा।

4. एन. जी. एम. व जी. डब्ल्यू. एम. दोनों माइनर्स का बैड सही नहीं बिना हुआ है। इसलिऐ इन माइनर्स के काश्तकारों को निर्धारित मात्रा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं होता है जिसे ठीक कराया जाए।

5. घग्घर बाढ़ से होने वाली हानि से बचाने एवं इस पानी के सिंचाई हेतु उपयोग लिये घग्घर रिप्रेशन नं. 19 व अनूपगढ़ शाखा के आरडी. 42 पर रैगुलेटर्स बना कर इनलैट चैनल के माध्यम से बाढ़ में पानी को इस अनूपगढ़ शाखा में डालकर सदुपयोग किया जाए। इससे घग्घर बाढ़ का भी बचाव होगा।

6. साहबा योजना के कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले लूणकरणसर तहसील के दुलसाचर, बक्कूसर, सुई, खोडाला, जैतपुर, ढाणी खोड़ा, छीला, पांडूसर, अमरपुरा गांवों के रकबे को सिंचित करने हेतु बनायी जाने वाली सुई सब ब्रांच के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है। ये

(श्री भीमसेन चौधरी)

अकाल प्रभावित गांव है। इस कार्य में तेजी लायी जाए।

7. कंवरसेन लिफ्ट नहर की खारी, शेरपुरा, मेघाना, भाडेरा माइनर केन्द्र विस्तार के स्वीकृत कार्यों को तेज गति से पूरा कराया जाए।

8. लूणकरणसर तहसील एवं बीकानेर तहसील के (क्रोनिकली ड्राट प्रोन एरिया) के क्रमशः महादेववाली, अजीतमाना, खोखराना, खियेरा, केलां, राजासर भाटियान, मकडासर, सोढ़वाली धीरेरां ग्राम पंचायत क्षेत्रों एवं बीकानेर तहसील के मोतीगढ़, जालवाली, कालासर आदि पंचायत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु योजना तैयार की जाए। इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के प्रथम स्टेज में वाटर एलाउंस कम करने से नये क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु पानी उपलब्ध है। इस बचत में पानी को उपयोग में उपरोक्त क्षेत्रों में सिंचाई विस्तार हेतु प्राथमिका दी जाए। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल सहरिया।

## राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भंवरगढ़ की क्रमोन्नति

**श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : मान्यवर, आपसे आग्रह है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भंवरगढ़ के आस-पास 20 ग्राम पड़ते हैं तथा 2 सैकण्डरी स्कूल तथा 7 मिडिल स्कूल इसके नजदीक पड़ते है। इनके सभी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा लेने के लिये भंवरगढ़ आना पड़ता है। लेकिन जब छात्र-छात्राएं राजकीय माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण होती हैं तब आगे पढ़ाई में उन्हें परेशानी होती है क्योंकि सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय वहां से काफी दूरी पर होने के कारण पढ़ाई बन्द करनी पड़ती है। कई छात्र/छात्राएं प्रतिभावान होते हुए भी अपनी पढ़ाई आगे चालू नहीं कर पाते। यह बड़े दुख की बात है।

भंवरगढ़ के छात्र/छात्राओं ने अगस्त माह 1995 को स्कूल को क्रमोन्नत कराने बाबत रास्ता रोको अभियान लगभग 10-15 दिन तक चलाया। इसको ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण गांव वालों का एक शिष्टमण्डल 15 अगस्त, 1995 को बारां जिले के प्रभारी मंत्री श्री रघुवीर सिंह कौशल, वन व विद्युत मंत्री से बारां पधारने पर मिला। आपने शिष्टमण्डल को आश्वासन दिया कि जुलाई, 1996 में माध्यमिक विद्यालय, भंवरगढ़ को क्रमोन्नत करवा देंगे। लेकिन अभी तक क्रमोन्नति के आदेश भी नहीं किये गये हैं।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तहसील किशनगंज के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भंवरगढ़ को शीघ्र ही क्रमोन्नत कराने का कष्ट करें ताकि पुनः धरना व रास्ता रोको अभियान चालू नहीं हो सके। इसी आशा एवं विश्वास के साथ, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री किशन मोटवानी।

## जीवनदीप गृह निर्माण सहकारी समिति अजमेर

**श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, मैं जो प्रकरण उठा रहा हूं उसके दोनों मंत्री जा रहे थे। अब बैठे हुए हैं माननीय भंवरलाल जी और माननीय मेघवालजी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रकरण अजमेर के दो मुख्य आर.एस.एस. के पार्ट हैं उनके टकराव के कारण है। और यह दो मंत्रालयों से सम्बन्धित है।

(श्री किशन मोटवानी)

गृह मंत्रालय और यू.डी.एच। दोनों बैठे हुए हैं। आप दोनों कृपा करके बैठे रहें। यह सौभाग्य है मेरा कि आप बाहर गये थे और वापस आ गये, बैठे हैं। कृपा करके मेरी व्यथा को सुने और निराकरण करें।

मान्यवर, अजमेर में कई वर्षों से जीवनदीप गृह निर्माण सहकारी समिति निर्माण कार्य में लगी हुई है, जिसका संचालक श्री कमल शर्मा है।

इसी समिति को काफी वर्ष पूर्व नगर सुधार न्यास, अजमेर ने आनासागर सर्कुलर रोड स्कीम के पीछे उस समिति के सदस्यों के लिये जमीन अलाट की थी। इस समिति में काफी तादाद में सदस्य जीवन बीमा निगम के कर्मचारी हैं। कर्मचारियों ने अलाटमेंट के आदेश के कारण काफी रकम सोसाइटी को जमा करायी व किन्हीं कारणों की वजह से 69 लाख की रकम सीधी नगर सुधार न्यास में जमा करायी जिसको नगर न्यास ने अपने कोष में जमा कर उपयोग भी कर लिया।

नगर सुधार न्यास, अजमेर ने यह रकम सीधी इसलिए स्वीकार की, क्योंकि जीवनदीप सहकारी समिति के संचालक एवं न्यास बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के संचालक श्री कमल शर्मा के बीच राजनैतिक मतभेद पैदा हो गये। बोर्ड व संचालक के बीच तनाव हो जाने से समिति के सदस्यों को काफी आर्थिक एवं मानसिक नुकसान होने लगा।

जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों पर जोर डाला कि वे लोन की रकम वापस जमा कराएं, कारण कि उन्होंने उस लोन से खरीदी जमीन का पट्टा तक नहीं जमा कराया और कर्मचारियों की तनख्वाह से ब्याज काटना शुरू किया।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी सदस्यों ने कई बार मिकलर प्रशासन, न्यास प्रशासन, जन प्रतिनिधियों को बार-बार न्याय दिलाने की पेशकश की किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला।

दिनांक 29.3.96 को निगम कर्मचारियों ने पूर्व अनुमति से निर्धारित समय पर न्यास में उपस्थित होकर विधिवत चिट भेजकर न्यास सचिव से भेट कर न्याय प्राप्ति के लिये आग्रह किया, जिस पर न्याय के स्थान पर न्यास ने पुलिस के माध्यम से उनको सींखचों में बन्द करा दिया एवं तुरन्त चालान भी पेश किया। यह कृत्य न्यास एवं प्रशासन की खोटी जालसाजी एवं मिली भगत का ही परिणाम है।

इस प्रकरण में राज्य के गृह मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री को आग्रह करूंगा कि वे दोनों अपने-अपने सम्बन्ध की फाइल, विवेक एवं खुले दिमाग से अपने दल की अजमेर इकाई की अंदरूनी लड़ाई से ऊपर उठकर देखें।

श्री भंवरलाल जी, शहरी विकास मंत्री जीवन दीप गृह निर्माण समिति के सभी सदस्यों को उनके हक का प्लाट दिलाएं व श्री कैलाश मेघवालजी, गृह मंत्री, जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के खिलाफ फौजदारी प्रकरण को न्यायलय से वापस लेने का आदेश प्रदान कर न्याय करेंगें।

मुझे विश्वास है कि दोनों मंत्रीजी न्याय करने का उदाहरण प्रस्तुत करने में बड़प्पन दर्शाएंगे धन्यवाद।

**श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) :** ये मामले लम्बे समय से अदालतों में चलते रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली है उसमें कोर्ट से स्टे भी है, तो मेरा सुझाव है आपको कि किसी दिन आप इन.एल.आई.सी. सोसाइटी वाले

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लोगों को यहां बुला लें और वे पूरी बात समझा दें। एक पक्ष तो मेरे पास आ गया और दूसरा पक्ष भी उनके आने से आ जाऐगा। आप भी साथ बैठ जाइये, जो भी निर्णय होगा, कर देंगे।

**श्री किशन मोटवानी** : सोमवार के बाद कोई भी समय निश्चित कर लें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अपन तय कर लेंगे।

**श्री किशन मोटवानी** : ठीक है माननीय गृह मंत्रीजी, कुछ कृपा करें। बस हाथ जोड़ दिये। धन्यवाद। हाथ जोड़ने के लिऐ धन्यवाद आपको।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री महावीर भगौरा।

## पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा (उदयपुर) में विद्युतीकृत गांव

**श्री महावीर भगौरा** (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के जरिये निवेदन करूंगा कि उदयपुर जिले की पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटड़ा के निम्न गांवों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, उदयपुर द्वारा किसी भी प्रकार के एक भी कनेक्शन नहीं देने के बावजूद विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है। जैसा कि सर्वविदित है उदयपुर जिला जनजाति जनसंख्या बहुल जिला है। भौगोलिक दृष्टि से अधिकतर भाग पहाड़ी है जिसमें दो पहाड़ों के बीच व ढलानों पर उपलब्ध छोटी-छोटी जोत पर अपने मकान बनाकर जनजाति के परिवार आवासित हैं एवं उन्हीं जोतों पर कुएं या नदी-नालों से पानी ले जाकर कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। अर्थात् पूरी आबादी बिखरी हुई है। एक राजस्व ग्राम कई किलोमीटर क्षेत्रफल में बसा हुआ है। इन गांवों के विद्युतीकरण में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। इन गांवों के विद्युतीकरण में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि डीपी. या ट्रांसफार्मर बिखरी हुई आबादी के गांव के मध्य में स्थापित किया जाता। खाली खानापूर्ति के नाम पर उल्टी-सीधी लाइनें खींचकर गांवों को विद्युतीकृत बता दिया गया है परन्तु वहां किसी भी प्रकार का एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है।

इस तरह घोषित विद्युतीकृत गांवों में भविष्य में भी विद्युतीकरण की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वहां का आदिवासी अगर अपने कुएं एवं घर पर विद्युत कनेक्शन लेना चाहे तो 7500 से लेकर 70,000 तक की डिमाण्ड विद्युत विभाग द्वारा जारी की जाती रही है। क्या दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार को गुजारा करने वाला गरीब आदिवासी मजदूर किसान इतनी डिमाण्ड भर सकेगा।

पंचायत समिति, गोगुन्दा एवं कोटड़ा के विद्युतीकृत गांवों की सूची जहां पर किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है :—

**पंचायत समिति गोगुन्दा :**

| क्र.सं. | नाम गांव | विद्युतीकरण की दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | पावा | 20.9.89 |
| 2. | रायला | 26.2.87 |
| 3. | वासना | 10/88 |
| 4. | मार्टो का गुडा | 29.3.80 |
| 5. | हिन्याल | 26.10.89 |
| 6. | चित्रावास | 27.2.93 |
| 7. | कडेटा | 27.2.93 |
| 8. | रिछवारा | 27.2.93 |
| 9. | पिपरना | 23.1.90 |
| 10. | पला | 31.3.89 |

(श्री महावीर भगौरा)

| क्र.सं. | नाम गांव | विद्युतीकरण की दिनांक |
|---|---|---|
| 11. | राछव | 12/89 |
| 12. | टेंगड़ा | 6/91 |
| 13. | कुलावास | 26.10.89 |
| 14. | ओडो | 31.1.81 |
| 15. | अवानी | 29.11.80 |
| 16. | छिपाला | 31.1.83 |
| 17. | चुण्डावतों का गुडा | 29.11.80 |
| 18. | बेर की | 22.3.80 |
| 19. | उन्दरी | 3/89 |
| 20. | घाटा | 31.1.83 |
| 21. | नाल | 29.12.79 |
| 22. | पाटिया | 15.3.83 |

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के विशेष उल्लेख के जरिये माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान इस अत्यंत लोक महत्व के मामले की ओर दिलाते हुए आग्रह करता हूं कि इस तरह से जनता, क्षेत्र, सरकार एवं विधान सभा को गलत सूचनाएं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अपराधिक जिममेदारी निर्धारित कराएं एवं इन गांवों को ही नहीं उदयपुर जिले के उन तमाम गांवों को जिन्हें बिना एक भी कनेक्शन दिये विद्युतीकृत घोषित किया गया है, नये सिरे से विद्युतीकृत करने की कार्यवाही कराएं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्रीमती मीना अग्रवाल।

## टी.बी. अस्पताल, अलवर की दयनीय स्थिति

**श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के जरिये निवेदन करना चाहती हूं कि अलवर में तीस बिस्तरों का टी.बी. अस्पताल है जिसमें जिले से आने वाले टी.बी. के मरीजों को भर्ती करके इलाज किया जाता है। अस्पताल की हालत खराब है। पलंग टूटे पड़े हैं, लाइटें खराब हैं, चादरें आदि गंदी है। भवन टूटा-फूटा, बिना रंगाई-पुताई किया हुआ है। पता चला है कि धोबी चादरें भी नहीं धोता है। अस्पताल तक जाने वाली सड़क टूटी पड़ी है, उसकी कोई संभाल नहीं है। वहां आने वाले मरीजों को यह कह कर ही भर्ती किया जाता है कि वह अपने खाने की व्यवस्था खुद करेगा, अस्पताल से सिर्फ दूध मिलेगा। बजट की कमी के कारण वहां अस्पताल की तरफ से मरीजों को खाना, दवाई नहीं दी जाती बतायी। इस समय वहां केवल 10-11 मरीज ही हैं।

खाने की व्यवस्था नहीं होने से मरीज वापस चले जाते हैं जिससे उनके आसपास रहने वाले लोगों में भी इस बीमारी के फैलने का खतरा है।

अतः निवेदन है कि इन सब बातों की जांच करवा कर व्यवस्था कराएं ताकि गांव व शहर से आने वाले मरीज वहां रह कर ही इलाज करवा सकें और यह बीमारी दूसरे लोगों में फैलने से रोकी जा सके। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री फूलचन्द मीणा।

## सलूम्बर (उदयपुर) उप खण्ड मुख्यालय पर प्रशासनिक भवन एवं विश्रान्ति गृह

**श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले के उपखण्ड सलूम्बर मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के तहत आदिवासी, बहुल मुख्यालय पर खंडीय

(श्री फूलचन्द मीणा)

कार्यालय की स्थापना पिछले वर्ष की थी। यह तो प्रशंसनीय है कि यह उपखण्ड आदिवासी, बहुल उपखण्ड है और संसदीय सीट का जनजाति आरक्षित मुख्यालय है। सरकार ने सारी स्थिति को गम्भीरता से लेकर पिछड़े क्षेत्र के विकास का सीधा प्रशासनिक लाभ दिया, उसके लिये मैं धन्यवाद करूंगा। इसके साथ ही इस लोक महत्व के जरिये ध्यानाकर्षित करूंगा कि गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र में भवन की बहुत ही कमी है। इसलिए इस उप खण्डीय कार्यालय का प्रशासनिक भवन एवं आवास, अधिकारी-कर्मचारियों के भवन निर्माण की वित्तीय वर्ष 1996-97 में बजट का प्रावधान कर स्वीकृति देकर राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

सरकार से पूर्ण रूप से अनुरोध है कि संसाधनों की कमी का जिक्र न कर इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान कराए।

इसी प्रकार इस उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला नहीं है जबकि यह ऐतिहासिक नगरी हाड़ी रानी वीरांगना के नाम से जानी जाती है। यहां पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थली बन सकती है। सरकार की विस्तार नीति का लाभ मिल जाए तथा माननीय मंत्री जी गंभीरता पूर्वक ध्यान दें तो सार्वभौमिक लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। जिला प्रशासनिक अधिकारी उदयपुर नगर में रहकर ग्रामीण इलाकों का काल्पनिक, अव्यवाहरिक विकास करने के प्रयास में प्रयत्नशील हैं। इस रीति-नीति की वजह से इन स्थानों के विकास की उपेक्षा होती रही है। वहां निरीक्षण के तौर पर आने वाले अधिकारी के रहने की व्यवस्था नहीं होने से ठहरते नहीं हैं तथा सीधे उदयपुर जाने की जल्दी में अपना कार्य भी राम भरोसे छोड़ते चले आते रहे हैं। संवेदनशील कभी नहीं रहे।

इसलिए मेरा आग्रह है कि इस उपखण्ड मुख्यालय में 10-12 कमरों का विश्रान्ति गृह (डाक बंगला) बनाने की स्वीकृति प्रदान कर जनजाति क्षेत्र की जनता को राहत दिलाएं। जनजाति क्षेत्र में उच्चाधिकारी एवं जनता आपसी समझ से विकास की गंगा आगे बढ़ाने में तत्परता दिखा सके, ऐसी मेरी भावना है। प्रक्रिया नियमानुसार अत्यन्त ही लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के तहत निवेदन है कि कृपया पूर्ण ध्यान देकर सरकार एवं मंत्री महोदय इस वित्तीय वर्ष में इस उपखण्ड मुख्यालय पर :—

1. खण्डीय कार्यालय का प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन कर्मचारियों एवं अधिकारियों का बनाएं।

2. विश्रान्ति गृह (डाक बंगला) बनाने की स्वीकृति प्रदान कराने की व्यवस्था करें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

## मेडिकल कालेजों में लम्बी अवधि से कार्यरत सहायक आचार्यों की समस्या

**डॉ. जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के जरिये आपका ध्यान राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कालेजों में लम्बी अवधि से कार्य कर रहे सहायक आचार्यों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में काफी लम्बी अवधि से तदर्थ आधार पर सहायक आचार्य कार्य कर रहे हैं जिनकी सेवा अवधि तीन से नौ वर्ष तक है। विभिन्न कारणों से राज्यों लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार नहीं लिये जाने से ये लोग नियमित होने से वंचित रह गये हैं।

काफी लम्बे समय के बाद हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होने के बावजूद इन लोगों की वरिष्ठता समाप्त हो गयी व इतने लम्बे समय तक की गयी राजकीय सेवाओं का उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ हासिल नहीं हुआ। दूसरी और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद इनकी वरिष्ठता की अनदेखी की जिससे इनके द्वारा पढ़ाये गये छात्र इनसे सीनियर हो गये।

सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों के तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे व्याख्याताओं एवं तदर्थ आयुर्वेद चिकित्सकों को जो कि लम्बे समय से राजकीय सेवा में थे, नियमित करके वरिष्ठता प्रदान कर दी है। आपसे निवेदन है कि जिस तरह इन लोगों को नियमतित कर वरिष्ठता दी गयी है। वही लाभ मेडिकल कालेजों में लम्बी अवधि से तदर्थ आधार पर नियुक्त हुए मेडिकल टीचर्स को भी दिया जाए।

मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री दयाराम परमार।

## "खैरवाड़ा (उदयपुर) बस स्टैंड की क्षतिग्रस्त सड़क"

**श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा का गांव खैरवाड़ा तहसील का प्रमुख गांव है। यहां पर तहसील मुख्यालय के साथ-साथ पंचायत समिति मुख्यालय भी है। इसके अलावा भी कई सरकारी कार्यालय जैसे पी.टी.एस. एम. बी. सी. उपखण्ड कार्यालय, पी.डब्ल्यू.डी., विद्युत विभाग आदि हैं।

इसके साथ ही यह गांव नेशनल हाईवे पर बसा हुआ होने के कारण आवागमन के साधन बहुत ही अधिक हैं लेकिन खैरवाड़ा बस स्टैण्ड की सड़क इतनी टूट-फूट गयी है कि वहां पर वाहनों को तो आने-जाने की कठिनाई है ही, पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। क्योंकि सड़क तकनीकी दृष्टि से सही बनी हुई नहीं है। इसलिऐ न केवल बरसात के दिनों में बल्कि अन्य दिनों में भी पानी व कीचड़ बराबर बना रहता है। इस सड़क की मरम्मत करवाने के लिऐ बार-बार विभाग को कहने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

खैरवाड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग में दो उप-खण्ड हैं। एक तो नेशनल हाईवे का और दूसरा बी.एण्ड. आर. का लेकिन दोनों एक दूसरे की सड़क बता कर टालते रहते हैं। नेशनल हाइवे वालों का कहना है कि यह सड़क हमारी नहीं है क्योंकि नेशनल हाईवे बस स्टैण्ड के बाहर से निकल रहा है और बी.एण्ड आर. उप खण्ड का कहना है कि यह सड़क हमारी नहीं है। इन दोनों उप खण्डों की आपसी लड़ाई से खैरवाड़ा बस स्टैण्ड की सड़की की जो करीब 300 मीटर की लम्बाई की है, मरम्मत नहीं हो पा रही है।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं

(श्री दयाराम परमार)

कि खैरवाड़ा बस स्टैण्ड की सड़क जो करीब 300 मीटर लम्बी है, उसको तकनीकी दृष्टि से ठीक करवाते हुए तत्काल मरम्मत करवायी जाए ताकि आम जनता की तकलीफ दूर हो। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री रामचन्द्र रावत।

## कोटपूतली क्षेत्र के गांवों में पेयजल की विकट समस्या

**श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत कोटपूतली क्षेत्र के गांवों में पेयजल की विकट समस्या के सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, मैं सदन में सरकार के समक्ष लोक महत्व के तथ्य पेश कर रहा हूं। राजस्थान विधान सभा के कोटपूतली क्षेत्र के ग्राम बनेठी की हरिजन बस्ती एवं नांगला पंडितपुरा, द्वारपुरा, तालना, पूरणनगर, देवता, इन गांवों में पीने के पानी की भंयकर रूप से समस्या बनी हुई है। ग्राम बनेठी में हरिजन बस्ती एवं नांगला बस्ती के अन्दर जनता को पीने के लिये पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से नांगल, पंडितपुरा में एक बोरिंग सरकार की तरफ से बना हुआ है। सरकार की तरफ से वहां पर एक टंकी बना कर उक्त ग्राम को पानी दिलाया जाए। इसी तरह ग्राम मोरड़ा में भी पानी की समस्या बनी हुई है। इसी तरह कोटपूतली क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए वहां पर अविलम्ब हैण्ड पम्प लगवाये जाए। ग्राम बजाहेड़ा में सारे ग्राम में पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। उक्त ग्राम को मीठा एवं शुद्ध पानी नल योजना द्वारा प्रदान कराएं। क्या ऐसी समस्या पर सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता है? इस संकट के समाधान के लिये सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उसे लागू कर दिया जायेगा? क्या उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले नदी-नालों के पानी को रोक कर पेयजल समस्या एवं कृषि की स्थायी समाधान हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो सदन को अवगत कराएं। सरकार से इस पेयजल के सम्बन्ध में मेरी यह पुरजोर शब्दों में मांग है कि इन सभी ग्रामों में पीने का पानी सुलभ करवाने के लिये कोई योजना शीघ्र बनाएं।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें। जय हिन्द।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सदस्य, जिन शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों में हैण्ड पम्प नहीं हैं वह सूची आप मुझे दे दें और बाकी स्कीम का आप बता रहे हैं उसकी चर्चा कर लें। ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन मुझे आप वह सूची दे दें जिन मौहल्लों में, हरिजन मौहल्लों में हैण्ड पम्प नहीं हैं या पानी की व्यवस्था नहीं है।

**श्री रामचन्द्र रावत** : 30 हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प नहीं हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप लिख कर दे दें।

**श्री रामचन्द्र रावत** : धन्यवाद।

## सदन की मेज पर रखे गये पत्र

### प्रतिवेदन व लेखे

### राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा, मंत्री राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री नाथूसिंह, पंचायती राज राज्य मंत्री जिला परिषद, दौसा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंच व सचिवों को गैर कानूनी तरीके से परेशान किये जाने की कथित कार्यवाही के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

## शासकीय वक्तव्य

### जिला परिषद दौसा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा सरपंच व सचिवों को गैर कानूनी तरीके से परेशान किया जाना

**श्री नाथूसिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज्य मंत्री)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा पर जिले की ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्रुप सचिवों को गैर कानूनी ढंग से परेशान किये जाने का आरोप लगाये गये हैं।

इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा द्वारा जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक रिकार्ड मंगवाया जाकर निरीक्षण किया गया है। यह सही नहीं है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं के द्वारा ग्रुप सचिवों को धमका कर किसी प्रकार की झूठी शिकायत लिखवा ली गयी हो व न ही उनके स्तर पर किये जाने वाली कार्यवाही के पीछे कोई राजनैतिक कारण है।

जिले की लगभग 100 ग्राम पंचायतों के सचिवों से रिकार्ड मंगवा कर जांच करवाये जाने की बात पूर्णतया सही नहीं है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर केवल जिला परिषद में प्राप्त 39 शिकायतों के मामलों में ही सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से रिकार्ड तलब कर निरीक्षण किया गया है। यहां यह उल्लेख करना भी समुचित है कि नये पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 88 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा को पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर होनी वाली हेराफेरी एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से सीधे ही रिकार्ड मंगवाया जाकर देखे जाने हेतु अधिकृत किया गया है। जिला परिषद स्तर पर प्राप्त सभी शिकायतों के प्राप्त होने के बाद उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है।

उक्त शिकायतें के विवरण से यह प्रकट होता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लोक सेवक होने के नाते दायित्वों का निर्वहन करते हुए तत्परता से कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के रिकार्ड को ग्रुप सचिवों से मंगवाया था एवं रिकार्ड का

(श्री नाथूसिंह)

निरीक्षण कर पुनः वापस कर दिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर कोई राजनैतिक कारणों से अथवा विद्वेषता के कारण से कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। जो भी शिकायतें उनके कार्यालयों में विचाराधीन चल रही थीं अथवा नयी प्राप्त हुई उन सभी पर लोक सभा चुनावों के कार्यों को निपटाये जाने के बाद एक साथ अभियान के रूप में रिकार्ड का निरीक्षण कर शिकायतों का निस्तारण करने की कार्यवाही की गयी। जिला परिषद, दौसा द्वारा साधारण सभा की बैठक दिनांक 13.3.96 में भी प्रस्ताव संख्या–2 पारित कर शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिकराय को लिखा गया पत्र, पं.सं./जिला परिषद/दौसा/96/20 30 दिनांक 7.6.96 जिला प्रमुख महोदय के निर्देश पर जारी किये जाने के तथ्य सही हैं। जिला परिषद एक स्वायत्तशासी स्थानीय निकाय है जिसका मुखिया निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिला प्रमुख है एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का सचिव है। अतः ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह दायित्व होता है कि विधि सम्मत मामलों में जनहित को ध्यान में रखते हुए जिला प्रमुख के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें। यह सही नहीं है कि ग्राम पंचायत ठीकरिया के सरपंच के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.6.96 को ग्राम पंचायत हींगवा, ठीकरिया एवं गण्डावरा के मंगवाये गये रिकार्ड की जांच के बाद दर्ज करायी गयी है। पुलिस में दर्ज कराये गये मामले का माह जून, 1996 में तलब किये गये रिकार्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरपंच, ग्राम, पंचायत, ठीकरिया, श्री पंखीराम मीणा के विरुद्ध जिला परिषद के पत्र संख्या एफ-1/पं/जिला परिषद दौसा/6/95/1272, दिनांक 25.5.96 के द्वारा पूर्व में पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद, दौसा से प्राप्त जांच रिकार्ड के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, दौसा को निवेदन किया था। प्रासंगिक पत्र दिनांक 7.6.1996 के द्वारा सरपंच के विरुद्ध एक अन्य मामले में शिकायत प्राप्त होने पर ही रिकार्ड मंगवाये जाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिकराय को पत्र लिखा गया था। परन्तु सरपंच, ग्राम पंचायत, ठीकरिया द्वारा ग्रुप सचिव को रिकार्ड जिला परिषद में नहीं ले जाने दिया गया और इसी कारण ग्राम पंचायत ठीकरिया के रिकार्ड का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सका।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि शिकायतों के मामलों में की गयी कार्यवाही किसी प्रकार से राजनैतिक कारणों से प्रेषित नहीं की गयी है और न ही इस कार्यवाही का लोक सभा चुनाव, 1996 के चुनाव में जिला प्रमुख के पराजित हो जाने से कोई सम्बन्ध है। किसी भी आपराधिक मामले की जानकारी मिलने पर संज्ञेय अपराधों के मामलों में अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत पुलिस के माध्यम से अन्वेषण करवा कर कानूनी कार्यवाही करवाये जाने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाए। अतः इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच जन प्रतिनिधि होने के साथ-साथ ये लोक सेवक भी हैं और उनके द्वारा आपराधिक कृत्य करने के कारण पुलिस कार्यवाही करवाना किसी भी प्रकार गैर कानूनी नहीं है। किसी भी आपराधिक कार्य की जानकारी मिलने पर प्रचलित कानूनों के अनुसार संज्ञेय अपराधों के

(श्री नाथूसिंह)

मामलों में कार्यवाही करवाने का दायित्व सभी राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सामान्य नागरिकों का भी है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक को लिखकर आपराधिक मामलों में सरपंच के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवाया जाना उनकी ड्यूटी का ही हिस्सा है। यह गलत है कि सरपंच के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के पीछे कोई राजनीतिक आधार है या ऐसी कार्यवाही किसी सरपंच को परेशान करने की नीयत से की गयी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री परसादीलाल।

**श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है वह तथ्यों से परे है। इस स्टेटमेंट का मुख्य आधार यह है कि यह सारी कार्यवाही राजनीतिक आधार पर नहीं की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान जिला परिषद् के एक पत्र, जिसका हवाला मैंने उस नोटिस में दिया है—।

**श्री उपाध्यक्ष** : तथ्यों से परे कैसे हैं? तथ्य क्या हैं?

**श्री परसादीलाल मीणा** : तथ्य ही तो बता रहा हूं। जिला परिषद की तरफ से विकास अधिकारी, सिकराय को जो एक पत्र लिखा गया है उसकी भाषा को सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सारा मामला राजनीतिक आधार पर है। जिला प्रमुख के निर्देशानुसार सीई.ओ. ने जो पत्र लिखा है उसकी शुरू आत है—प्रमुख महोदय के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत धींगवा, ठीकरिया, गंडवारा के सचिवों को अपने स्तर पर पाबंद करें कि वे स्वयं निम्न रिकार्ड दिनांक 11.6.96 को 11 बजे आवश्यक रूप से जिला परिषद कार्यालय में लेकर उपस्थित हों। जो रिकार्ड मंगवाया गया है उसका विवरण इस पत्र में लिखा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां के जिला प्रमुख ने पिछला चुनाव लड़ा था और वे हार गये थे तो उन्होंने ठीकरिया, गंडवारा, सिकराय, लालसोट, बांदीकुई, महुआ, दौसा के जितने भी सरपंच थे, जो कांग्रेसी थे उन सबका रिकार्ड मंगवाया है।—(व्यवधान)—आप पहले ध्यान से सुन तो लें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह कैसे साबित करेंगे कि ये सरपंच कांग्रेसी हैं या नहीं।

**श्री परसादीलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, साबित करेंगे आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो सारी चीजें हम साबित कर देंगे। इन सरपंचों का रिकार्ड 11 तारीख को मंगवाया गया था—(व्यवधान)—

**श्री उपाध्यक्ष** : जिनका प्रस्ताव हैं उन्हें बोलने दीजिये। आप विराजिये।

**श्री परसादीलाल मीणा** : जिला प्रमुख ने जो पत्र लिखा है उसमें 11 तारीख को यह सारा रिकार्ड मंगाया गया। उससे पहले 10 तारीख को सीई.ओ. जिला परिषद ने उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जबकि, पंचायती राज मंत्रीजी, आपके एक्ट में पंच और सरपंच को आपने लोक सेवक माना है, उसके खिलाफ कोई मामला बनता है तो कोई भी अधिकारी या बी.डी.ओ. एफ.आई.आर. दर्ज करवाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेगा—(व्यवधान)—।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** (मेड़ता) : यह अपने कांस्टीट्यूशन में है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया आप विराजें।—(व्यवधान)—

**श्री परसादीलाल मीणा** : आपके पंचायती राज एक्ट की धारा 108 पढ़ लीजिये, उसके अनुसार राज्य सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है। __(व्यवधान)__

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया व्यवधान न करें, माननीय सदस्य।

**श्री परसादीलाल मीणा** : मान लीजिये, किसी सरपंच ने कहीं गड़बड़ की तो, पंचायती राज मंत्रीजी, साफ बताइये कि रिकार्ड का मालिक सरपंच है या सैक्रेटरी है? आपके एक्ट में लिखा हुआ है कि सारा रिकार्ड सैक्रेटरी के पास रहेगा, सरपंच की क्या जिम्मेदारी है? __(व्यवधान)__ रिकार्ड तो सैक्रेटरी के पास रहेगा, उसमें लिखा-पढ़ी सैक्रेटरी करेगा। यह एक्ट में प्रोवीजन किया है। पंचायती राज मंत्रीजी, सरपंच अंगूठा छाप भी हो सकता है। अगर संरपच बिना पढ़ा-लिखा है वे सैक्रटरी गड़बड़ है, उसके लिये सरपंच की क्या जिम्मेदारी है? अगर कहीं कोई फर्जी कार्यवाही की गयी है, फर्जी मस्टररोल भरे गये हैं, फर्जी रोकड़ बही लिखी गयी है, उसके लिये आपका सैक्रेटरी जिम्मेदार है, आपका बी.डी.ओ. जिम्मेदार है आपने क्यों उनका भुगतान किया? इस तरह की कार्यवाही में सरपंच का उल्लेख कहां आता है?

ठीकरिया के सरपंच ने राजेश पायलट को अपने गंव में सिक्कों से तौला था, उसी से क्रोधित होकर जिला प्रमुख ने यह कार्यवाही की है और पंचायती राज मंत्रीजी, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक आधार पर वह कार्यवाही नहीं की है। यह सारी कार्यवाही राजनीतिक आधार पर हैं। (व्यवधान) धारा 100, पंचायत एक्ट में क्लीयर लिखा हुआ है कि सरपंच के खिलाफ राज्य सरकार के अलावा कोई एजेंसी जांच का आदेश नहीं दे सकती। कहां लिखा हुआ है कि जिला प्रमुख जांच कराने का आदेश दे सकता है? जिला प्रमुख ने कैसे आदेश दे दिया? सी.ई.ओ. को कहां से अधिकार मिला है उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने का? पंचायत मंत्रीजी, आपने कहा कि यह प्रस्ताव जिला परिषद का है। जिला परिषद तो प्रस्ताव रख देगी कि नाथूसिंह को पंचायत मंत्री के पद से हटा दिया जाए, जिला परिषद आपको हटा सकती है? मान लेंगे आप? आपका यह एक्ट किसलिये बनाया है? विधान सभा ने इसको क्यों पास किया है? सी.ई.ओ. ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। जितने भी 39 पंचायत सरपंचों का उल्लेख किया है, उन सबने जो कांग्रेसी थे, लोक सभा चुनावों में कांग्रेस का साथ दिया, इसी से प्रेरित होकर हारे हुए व्यक्ति ने, जिला प्रमुख ने उनके खिलाफ कार्यवाही की है। और आप कहते हैं कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है?

अगर कहीं सरपंच ने गलती की है, हमारे किसी भी कांग्रेसी सरपंच ने, तो आप फांसी लगा दीजिये, राज्य सरकार को अधिकार है, उसको जेल भेज दीजिये परन्तु एक जिला प्रमुख और सी.ई.ओ. को अधिकार नहीं है कि वह उसके खिलाफ कार्यवाही करे। उन्होंने सरे आम राजेश पायलट को सिक्कों से तौला है इसीलिये उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच को नोटिस नहीं दिया, सुनवाई का मौका नहीं दिया। आपके एक्ट में लिखा है कि अगर सरपंच के खिलाफ कोई मामला है, उसको नोटिस देंगे, उसका जवाब लेंगे, उसकी डी.ई. करवायेंगे, उसके बाद पी.डी.आर. एक्ट में वसूली की कार्यवाही करेंगे। सीधी एफ.आई.आर. दर्ज कराकर आपके सी.ई.ओ. ने कौनसी बुद्धिमानी का

(श्री परसादीलाल मीणा)

परिचय दिया है? आपका सीईओ. जिला परिषद में बैठ करके रोज +++ रोज +++ सीईओ. को पैसा चाहिये__(व्यवधान)__ पंचायत मंत्रीजी मैं आपको चैलेंज करता हूं__(व्यवधान)__

**श्री उपाध्यक्ष** : इन शब्दों को निकाल दिया जाए।

**श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)** : उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसे शब्द यूज करते हैं, कृपया इनको निकाला जाए।

**श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)** : आपके भ्रष्टाचारी सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं इसलिये आप इन पर आरोप लगा रहे हैं। सीईओ. पर जो आरोप लगा रहे हैं वे निराधार हैं।__(व्यवधान)__

**श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)** : शब्दों को कार्यवाही से निकालना ही काफी नहीं है, ऐसे शब्दों का यूज किया है इसलिये इनको क्षमा मांगनी चाहिये__(व्यवधान)__ऐसे व्यक्ति जो यहां सदस्य नहीं हैं उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का यूज करने के लिये इनको माफी मांगनी चाहिऐ। क्षमा याचना करें कि मैंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया।__(व्यवधान)__

**श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता)** : उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को एक्सपंज करना ही काफी नहीं है, इनसे क्षमता याचना मंगवाइये। किसी भी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है।

**श्री कालीचरण सराफ** : परसादीलालजी, जांच करा लीजिये।__(व्यवधान)__

**एक माननीय सदस्य** : +++ भ्रष्टाचार कर रहे हैं__(व्यवधान)__ किसी व्यक्ति की मानहानि करना ठीक नहीं है।__(व्यवधान)__ अगर ये आरोप सच हैं तो उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी जानी चाहिऐ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।__(व्यवधान)__माननीय डॉक्टर साहब

**श्री परसादीलाल मीणा** : खड़े होने की आप इजाजत देते नहीं हैं।__(व्यवधान)__

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके पक्ष के बोल रहे हैं, बैठ जाइये।__(व्यवधान)__

**श्री परसादीलाल मीणा** : भ्रष्टाचार को कहां तक संरक्षण देंगे आप?__(व्यवधान)__

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

**श्री परसादीलाल मीणा** : खड़े होने की इजाजत आप देते नहीं, बोलने की इजाजत आप देते नहीं।__(व्यवधान)__

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये__(व्यवधान)__ कृपया विराजें। श्री पारीक साहब के अगल बगल में जो माननीय सदस्य विराजे हुए हैं कृपया संभालें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों से बंधा हुआ हूं।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** :__(व्यवधान)__उन शब्दों को एक्सपन्ज करने से मतलब नहीं है। ये शब्द वापस लें और क्षमा याचना करें। इसके लिए आप क्या व्यवस्था देते हैं।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।__(व्यवधान)__

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : भ्रष्ट सरपंचों को बचाने के लिये उस अधिकारी के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। एक छात्र जो परीक्षा देने गया उसका नाम मस्टर रोल में अंकित है और जब मालूम पड़ गया तो उस मस्टररोल को बदला गया, उसको काटा गया। ऐसे भ्रष्ट सरपंच को अगर कोई न्यायालय में पेश करें तो उसके खिलाफ यह बात क्यों हो रही है ? __(व्यवधान)__

**श्री कालीचरण सराफ** : __(व्यवधान)__ मस्टररोल में ऐसे व्यक्ति का नाम दिया है जो कि उस दिन सिकराय में परीक्षा दे रहा था। __(व्यवधान)__

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : __(व्यवधान)__ मैंने आपसे जातिवाद की बात नहीं की है।

**श्री कालीचरण सराफ** : __और ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति की यहां पर ये पैरवी कर रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिये। इनको + + +

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप इसका निर्णय करें कि इन शब्दों के बारे में ये खेद प्रकट करें, माफी मांगे। __(व्यवधान)__

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : __(व्यवधान)__ (अश्रृव्य). + + + बड़े शर्म की बात है। __ आप प्रोटैक्ट कर रहे हैं__आप प्रोटैक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसका आचरण गलत है। __ (व्यवधान)__

**श्री कालीचरण सराफ** : आप बताइये__(व्यवधान)__

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : __(व्यवधान)__उसकी जगह + + + शब्द ठीक है? + + + लिख दिया जाऐ। __(व्यवधान)__

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : आप भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंच को प्रोटैक्ट कर रहे हैं__(व्यवधान)__

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : __(व्यवधान)__बी.जे.पी. का नाम भ्रष्टाचार जननी पार्टी है। __(व्यवधान)__और भागो जनता पकड़ेगी बी.जे.पी. का मतलब यह हो गया है। __(व्यवधान)__

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। मैं श्री परसादीलाल जी, माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे भाषा में संयम बरतें। मैं सत्ता पक्ष के__(व्यवधान)__एक मिनट, सुनिये आप__

**श्री कालीचरण सराफ** : यह एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। __(व्यवधान)__

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य श्री परसादी लाल जी कुछ बोल रहे हैं। अगर उनके बारे में आपको कोई अनुचित बात लगे तो मैं आपको भी अवसर दूंगा। कृपया बीच-बीच में व्यवधान नहीं डालें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर कोई असंगत भाषा होगी, मानहानिकारक होगी मैं उसको निकाल दूंगा। यह आसन का कर्तव्य है, इसमें आसन अपना कर्तव्य निभाएगा कृपया शांति से सुनें। असंसदीय भाषा होगी तो मैं उसको निकालूंगा। उस पर मैं व्यवस्था भी दूंगा।

**श्री भंवरसिंह (डांगावास)** : ये शब्द आप निकाल देंगे लेकिन ऊपर नहीं निकलेंगे। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिये। इन शब्दों को प्रेस में__

**श्री उपाध्यक्ष** : इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। आप विराज जाएं।

---

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री कालीचरण सराफ** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी अधिकारी के बारे में यह कहना कि वह + + + है, + + + है ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भंवरसिंह जी को आप निर्देश दें कि माइक को अपने मुंह से दूर रखें। कुछ सुनाई नहीं देता,

**श्री उपाध्यक्ष** : आदरणीय डॉक्टर साहब। माननीय चौधरी साहब, इतने लम्बे-चौड़े आपको दिख नहीं रहे हैं क्या?

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष जी, आपने प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया। आपका आदेश शिरोधार्य है। आप यह तो व्यवस्था कीजिये कि जो अधिकारी ऐसा है जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं और ऐसे ही कुकृत्य करता है, इस प्रकार का आचरण करता है उस आचरण को वास्तव में कौनसी भाषा में और किन शब्दों में वर्णित किया जाए। आप बता दें या माननीय सदस्य बता दें। जिस अधिकारी का आचरण वैसा ही है जैसा कि आप बताते हैं या माननीय सदस्य बताते हैं तो फिर कौनसी भाषा और किस शब्दावली में उसका वर्णन किया जाए, वह बता दीजिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : ऐसे व्यक्ति को + + + कहा जाता है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं। जिन शब्दों का यहां प्रयोग किया गया वे आपने निकाल दिये लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारी के बारे में यह बात कही जा रही है—मैं भ्रष्टाचार के बारे में कि हुआ या नहीं हुआ और सरपंच के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरी जानकारी नहीं है लेकिन जो वहां सीई.ओ. है श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी मैं उनको जानता हूं। आपने उनके बारे में कहा है, वे सीकर में एसडीओ. रह चुके हैं। वह आदमी न तो + + + यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और उसके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाना गलत बात है।

**श्री अमराराम (धोद)** : वह क्या-क्या नहीं करता है, जानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उससे घटिया कोई एसडीओ. नहीं है इस राजस्थान में। लक्ष्मीनारायण चौधरी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री परसादीलाल जी। आप विराजिये, बैठिये, माननीय सदस्य। श्री परसादीलाल जी बोल रहे हैं। श्री परसादीलाल जी। आसन पैरों पर है कृपया विराजें। श्री परसादीलाल जी।

**श्री परसादीलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक्ट जो नया बना है। उसकी धारा 108 में सरपंच को लोकसेवक माना है और आगे धारा नम्बर 2 में लिखा है 'अभियोजन के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति—एक न्यायाधीश से लोक सेवक पर आपराधिक या फौजदारी मुकद्मा चलाने से पहले राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी होती हैं।'—(व्यवधान)— सीई.ओ. जिला परिषद में कहीं भी उसकी स्वीकृति आज तक नहीं ली है। न कलक्टर की नालेज में यह बात आयी है, न राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस ठीकरिया सरपंच के खिलाफ जो सरपंच ने चुनाव लड़ा था बी. जे. पी. का, वह व्यक्ति हारा

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

हुआ है। उसने जिला प्रमुख को शिकायत की है कि सरपंच यह गड़बड़ी कर रहा है। रिकार्ड सारा सैक्रेटरी के पास था, सरपंच बिलकुल अनपढ़ है और उसको जानकारी नहीं है। उसके पहले सैक्रेटरी ने और पुराने वाले सरपंच ने मिलकर यह सारी कार्यवाही की है। सरपंच को जो इसमें मुलजिम बनाया है वह राजनीति से प्रेरित है और मैं इसकी निन्दा करता हूं इसी सरपंच का नहीं है, जिला प्रमुख ने यह पत्र लिखा हुआ है। माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। यह राजनीति से प्रेरित 40 पंचायतों का रिकार्ड मंगाकर उससे बेतहाशा तरीके से पेश आये हैं। जैसे स्वर्ण मन्दिर में भिण्डरवाला पेश आता था उसी तरह से जिला प्रमुख उनसे पेश आया है। आपने किस पार्टी को वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपकी छाती पर पत्थर रखकर आप को जिला परिषद में घुमाऊंगा। मैं कहूं वह लिखिये, नहीं तो आपको यह सजा मिलेगी। इस तरह से हमारे सरपंचों को कहा जिनको बुलाया है। आप सबसे जानकारी कर लीजिये। जिला परिषद और सी.ई.ओ. ने क्या व्यवहार किया। मैं पंचायत मंत्री जी, आपकी जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं। पहले वाले सी.ई.ओ. थे श्री पी.सी. मीणा। जिला प्रमुख की गाड़ी की रिपेयरिंग के 40 हजार थे उसका बिल क्यों रोका? बिल रोकते ही सी.ई.ओ. की छाती पर जिला प्रमुख ने रिवाल्वर लगा दिया। उसने कलक्टर को शिकायत की है। कलक्टर ने उस पर गार्ड लगायी है। वह गार्ड के घेरे में 10 दिन तक अपने क्वार्टर पर रहा है। 20 दिन तक वह जिला परिषद में नहीं गया। उसके बाद ट्रान्सफर होकर नया सी.ई.ओ. आया है उसने आते ही इस बिल को पास किया। आप, मंत्रीजी, बता दीजिये कि बिल जो पहले वाला सी.ई.ओ. था उसने रोका वह सही था या यह सी.ई.ओ. सही है। यह सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस पंखीलाल से आपके जो इंस्पेक्टर ने जांच की है उसने सी.ई.ओ. और जिला प्रमुख के नाम से 14 हजार रुपये लिये हैं।

जिसकी आप कहो व जांच कराने के लिए मैं तैयार हूं, आपको हलफनामा देने को तैयार हूं कि उसने 15 हजार रुपये लिये पांच हजार इंस्पेक्टर के, पांच हजार सी.ई.ओ. के और पांच हजार जिला प्रमुख के। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस तरह से राजनैतिक आधार पर जिला परिषद के सी.ई.ओ. जो जिला प्रमुख के इशारे पर कार्यवाही कर रहे हैं, बिना कोई जानकारी के—

**श्री रामप्रताप कासनियां** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मीणा और जाटों की लड़ाई है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरपंच ने कोई कहीं गड़बड़ की है, रिकार्ड का मालिक सैक्रेटरी है, सैक्रेटरी के खिलाफ कराए। सरपंच का मान लो कोई दोष आया है, उसको नोटिस देना चाहिए, उसको सुनवाई का मौका देना चाहिए।

**श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)** : यह व्यक्तिगत लड़ाई को क्यों लाते हो विधान सभा में? यह व्यक्तिगत घर की लड़ाई को यहां क्यों उछालते हो आप? घर की लड़ाई को घर में ही रखो आप। जिला प्रमुख पर वैसे ही आरोप लगा रहे हो। मैं जानता हूं, विधान सभा में यहां क्यों उछाल रहे हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय कन्हैयालाल जी, विराजें आप। (व्यवधान)

**श्री परसादी लाल मीणा** : आप विराजिये। मैं भी जानता हूं आपको।

**श्री गोपीराम जाट** : क्या जानते हो कन्हैयालाल जी के बारे में ?

**श्री कालीचरण सराफ** : कन्हैयालाल जी आपसे ज्यादा ईमानदार, आपसे ज्यादा पढ़े-लिखे, आपसे ज्यादा समझदार हैं। क्या जानते हों उनके बारे में? आपके बारे में भी जानते हैं वे सब।

**श्री परसादीलाल मीणा** : यह हमारा सामाजिक मामला है, सराफ साहब, आप क्यों बोल रहे हैं? कन्हैयालाल जी का और हमारा आपसी मामला है। Who are you? बैठिये आप। + + +

**श्रीमती तारा भण्डारी** : यह सदन में यहां क्यों ला रहे हो? सामाजिक मामला है तो अपने घर पर जाकर करो।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : अगर आपका आपसी मामला होता तो एक जाति का नाम आप नहीं लेते। ऐसा भी आपको आक्षेप नहीं करना चाहिये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। शालीनता का व्यवहार करें, विराजें।

**श्री परसादी लाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, 7.6.96 को एक आर्डर निकला है कि दूरभाष पर पंचायत समिति सिकराय को जिला प्रमुख का एक सन्देश मिला है कि फलां-फलां ग्राम पंचायतों का रिकार्ड लेकर वहां आएं। उपाध्यक्ष महोदय, न्याय के सिद्धान्त में अगर सरपंच कहीं दोषी पाया जाता है__

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें। एक-दो माननीय सदस्य और बोलेंगे। इसमें काफी कह दिया। जोशी जी, क्या हो रहा है यह?

**श्री परसराम मदेरणा** (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के लिए मुझे भी सूचना दी है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। लेकिन पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जाटों का और मीणों का कहा, यह कहां जाटों का और मीणों का मामला है? आप ठहरिये। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य लक्ष्मीनारायण जी को अच्छी तरह से जानते हैं__

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैंने तो उनके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में बात की है।

**श्री परसराम मदेरणा** : व्यक्तिगत बात को तो, मैं भी लक्ष्मीनारायण जी को अच्छी तरह से जानता हूं, वे भोपालगढ़ तहसीलदार थे। जाटों की आबादी, यह पीलीबंगा, नोहर और भादरा नहीं है, यह नागौर, झुन्झुनूं और सीकर नहीं है। दौसा जिले के अन्दर आपके शाहपुरा और यह सब निकले हुए हैं उसमें से बाहर। जाटों की आबादी तो मेरी समझ में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 हजार ही नहीं होगी और मीणों की आबादी दौसा डिस्ट्रिक्ट में होगी, मैं लोक सभा कांस्टीट्यूएंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, कम से कम होगी तो तीन-साढ़े तीन लाख होगी। इसलिए कहां कारण दे रहे हैं जाटों का और मीणों का? अपने को यहां पर जातिवाद के इस भूत को खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई जाट आफिसर खराब है तो खराब है, मीणा आफिसर खराब है तो खराब है। ब्राह्मण और महाजन लोग, ये सबसे ज्यादा आफिसर हैं, इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : ये तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खराब हो ही नहीं सकते।

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री परसराम मदेरणा** : हां, ये खराब हो ही नहीं सकते। खराब इसलिए नहीं हो सकते कि ये दूसरों को खराब करते हैं।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : ब्राह्मण तो वैसे ही सर्वमान्य होते हैं। (व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : एक आफिसर कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है इसलिए उसको जाति के मामले में लाएंगे तो यह बिलकुल गलत होगा। मैं कुछ कहना नहीं चाहता लक्ष्मीनारायण जी के बारे में। मैं इतना जरूर कह सकता हूं....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैंने यह कहा है कि उनको मैं जानता हूं। आप भी जानते हैं मदेरणा साहब कि वे + + + और मैं भी जानता हूं कि वे + + + ।

**श्री परसराम मदेरणा** : मेरे सामने कभी भी इस तरह का उनका कंडक्ट आया नहीं और आप जानते हो कि मैं तो काफी हार्ड टास्क मास्टर हूं। आफिसर से यों मिलता भी नहीं हूं। लेकिन मैंने उनको यहां पर शाहपुरा से और बैराठ से आने वाली माननीय सदस्या के कहने से वहां तहसीलदार लगाया था जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था। और डेढ़-दो महीने के बाद में उन्होंने हाथ जोड़ दिये कि इनका तो जल्दी से ट्रांसफर करो। मैंने कहा कि मैं जल्दी से ट्रांसफर करूं तो रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन मानेगा ही नहीं, मुझे माफ करना। मेरे जीवन में अगर मैंने कोई भी गलती की है और जहां मैंने थोड़ी-सी भीरूता दिखायी है तो वह है भोपालगढ़ का फायरिंग केस। If anybody was responsible about this, भोपालगढ़ का फायरिंग केस जिसमें जाट मरे थे पांच, The entire responsibility meddling was done by the then Tehsildar.

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री परसादी लाल जी। परसादी लाल जी, आपने समाप्त कर दिया क्या ?

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : यह जाट और मीणों की बात है वह प्रतिपक्ष की तरफ से उठायी गयी थी, सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं उठायी गयी थी। यहां से किसी ने आवाज दी कि यह जाट है। जब मैं बोल रहा था तो मुझे यह कहा था कि वह अधिकारी जाट है और ये जाट है इसलिए पक्ष ले रहे हैं। प्रतिपक्ष की तरफ से हुई थी यह बात, उधर से नहीं आयी थी।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : उन्होंने ही चर्चा शुरू की थी और यह बात उधर से ही उठी थी कि यह जाति की लड़ाई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह बात समाप्त हो चुकी है।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सबसे पहले एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहूंगा, बार-बार माननीय कालीचरण जी इंटरप्शन करते हैं। मैं और परसादी लाल जी कल इस आगस्ट, सर्वोच्च सदन के सामने हमारी जायदाद का, हमारे बाप दादों से हमने जो इन्हेरेंट किया उसका, एम.एल.ए. से पहले हम क्या थे और अब हमारे पास कितनी जायदाद है, हम आस-औलाद, भगवान को साक्षी रखकर ईमानदारी से कल विवरण पेश कर देंगे। माननीय कालीचरण जी भी एम. एल. ए. से पहले कितनी उनकी जायदाद थी और आज कितनी है....(व्यवधान)

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो सब्जेक्ट मैटर में ही नहीं है। यह विषय नहीं है।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : कभी किसी को __(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** : हम तैयार हैं। हैं तैयार।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : आप तैयार हो ही नहीं सकते। + + +

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप आगे चलिये।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह पूरा का पूरा जो मामला है यह पंचायत एक्ट के तहत जो अधिकार दिये हैं__

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इसको शार्ट और स्वीट__

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : शार्ट और स्वीट। मैं पेशे से वकील हूं इसलिए टाइम ज्यादा ले सकता हूं। मैं अनुरोध करूंगा पूरे कंडक्ट के सम्बन्ध में, पहले यहां पी.सी. मीणा सी.ई.ओ. थे, जिला परिषद, दौसा ने अपनी गाड़ियों को सुधारने के और पैट्रोल, डीजल के बिल उसको पेश किये। अधिकारी के ऊपर कानून में आरोपित किया हुआ उसका दायित्व है, पंचायत एक्ट के तहत लेकिन अगर आपके पोलिटिकल बोसेज कोई गलत आदेश आपको दें तो आप उनको याद दिला दें कि आपके द्वारा दिये गये आदेश गैर कानूनी हैं, अनियमित हैं, नियमानुसार नहीं हैं इसलिए मैं इनकी अनुपालना नहीं कर सकता। यही वजह हुई। जिला परिषद दौसा में जिला प्रमुख को वह रास नहीं आया। जिला परिषद दौसा पर आठ दिन तक ताला डाल दिया, उनके सीने पर पिस्तौल लगा दी कि इन बिलों को पास करो। वे पी.सी. मीणा, सी.ई.ओ. साहब राज्य सरकार के सामने घुटने टेककर, हाथ जोड़कर खड़े हो गये, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी को हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति यहां ले लो, मैं जिला परिषद, दौसा में काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वह रोया है, आंखों में आसूं आ रहे थे। यह कंडक्ट है जिला प्रमुख का। इसी का नतीजा यह हुआ कि सरकार__

**श्री कन्हैयालाल मीणा** : यह असत्य है। एफ.आई.आर. लाज करायी है क्या? ऐसे ही जबरदस्ती पिस्तौल वाली बात बता रहे हो आप। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : रोकें सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, श्री कन्हैया लाल जी।

**एक माननीय सदस्य** : एक महीने पहले हवा निकाली है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री कन्हैया लाल जी। आदरणीय कन्हैया लाल जी। इधर भी कुछ है क्या? कोई है? आप विराजिये।

(15.00)

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : उपाध्यक्ष महोदय, नतीजा यह हुआ कि जो मौजूदा सी.ई.ओ. गया, वह राजनैतिक दबाव में आ गया। क्योंकि राजस्थान सरकार विफल रही कि उस सी.ई.ओ. को जो कानूनी तरीके से काम कर रहा था, प्रोटेक्ट करे। इसलिए दूसरा जो सी.ई.ओ. गया वह राजनैतिक दबाव में आ गया। जो कुछ भी गलत सही आदेश जिला प्रमुख ने दिये वह उसको मान लेता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रमुख के अधिकारों के

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

सम्बन्ध में इस एक्ट की धारा 35 में विवेचन दिया हुआ है, उसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ कि वह किसी पंचायत के रिकार्ड को तलब कर सके और उसकी जांच करवा सके। हां, बहरहाल, धारा 88 में सी.ई.ओ. को जरूर पावर्स हैं। धारा 88 में सी.ई.ओ. को जरूर पावर्स हैं कि शिकायत पर वह किसी पंचायत का रिकार्ड तलब करवा ले, उसकी जांच करें और दोषी पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाए। विधायिका ने एफ.आई.आर. दर्ज करवाने का अधिकार नहीं दिया उसको। उसमें क्लीयरकट प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर किसी प्रकार कोई गबन हुआ हो, अपवंचन हुआ हो सरकारी निधि का, तो पी.डी.आर. एक्ट के प्रोविजन के तहत उसकी वसूली सम्बन्धित अध्यक्ष, सरपंच या प्रधान से करवा ले। इसका मतलब है कि विधायिका में एक अधिकार दिया हुआ है कि आप पी.डी.आर. के तहत उसकी वसूली कर लें तो विधायिका की क्लीयरकट मंशा थी, यह इरादा था कि जिनको हम लोक सेवक मानते हैं, राज्य सरकार की परमिशन के बिना किसी भी प्रकार से उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो।

मैं आपका ध्यान थोड़ा-सा और आकर्षित करना चाहूंगा सेक्शन 38 की तरफ, उसमें राज्य सरकार को असीमित पावर्स दिये हुए हैं। सरपंच को, प्रधान को, जिला प्रमुख को हटाने का, निलम्बन करने का अधिकार किसका है, यह राज्य सरकार का है। सरपंच, प्रधान, चुने हुए मेम्बर्स, पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद के सदस्य, इनके खिलाफ अगर कोई कार्यवाही कर सकती है तो राज्य सरकार ही सक्षम है, न कि सी.ई.ओ. जिला परिषद। यह राज्य सरकार को दिया हुआ है।

मैं इसके साथ ही इस एक्ट की धारा 111 का जो सब-सैक्शन (2) है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : इस विषय को कब तक चलाना चाहते हैं? थोड़ा शार्ट करें।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : थोड़ा शोर्ट ही कर रहा हूं मैं, यह रेलेवेन्ट है इसलिए आपसे पढ़ने की इजाजत मांग रहा हूं। सैक्शन 111 पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के दायित्व। मैं इसका सब सैक्शन (2) बोल रहा हूं। जब कभी किसी पंचायती राज संस्था द्वारा की गयी शिकायत पर या अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी भी ऐसे सदस्य या यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने पंचायती राज संस्था के किसी धन, सम्पत्ति को हानि, दुरुपयोग या दुर्व्यवहार किया है तो सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित पदाधिकारी को उसके विरुद्ध किये गये अभिकथनों का नोटिस देगा। उससे वह तारीख और समय में जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाए, उपस्थित होवे और उसके विरुद्ध किये गये अभिकथनों के उत्तर में लिखित कथन फाइल पर करने की अपेक्षा करे। क्लीयरकट है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसको नोटिस दिया जाऐगा। (व्यवधान) नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियों को, अधिकारियों को या अध्यक्ष को या सदस्य को दिया जाएगा, जिसके खिलाफ आरोप है। उसको यह मौका दिया जाएगा कि वह उस नोटिस का जवाब दे। उसको यह मौका दिया जाएगा कि उसके विपरीत जो शाहदत पेश की जा रही है। उसको वह क्रास-एग्जामिन करे। उसको यह मौका दिया जाएगा कि वह अपने डिफेंस में क्या सबूत पेश करना चाहता है, वह पेश करे। यहां जिला परिषद, दौसा द्वारा इस प्रक्रिया की पूर्णरूपेण अवहेलना की जा रही है। जिन-जिन सरपंचों को नोटिस दिये हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार की सुनवाई का मौका नहीं दिया, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है।

(श्री हरिसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जिला परिषद ने नोटिस गया है कि ठीकरिया के सरपंच—

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं एक निवेदन करूं आपसे, एक निवेदन छोटा-सा, इसके अन्दर जो छपकर आया है, कार्यकारी अधिकारी के बारे में है, जिला प्रमुख के बारे में कुछ नहीं है। इसमें तो कुछ नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : है है, इसको पढ़ो। अन्दर देखो, छपकर आया है। उसको नोटिस दिया है। जिला प्रमुख के नाम का उल्लेख है, आप देख लीजिये। आपको मैं दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद, दौसा ने ठीकरिया सरपंच श्री पंखीलाल मीणा को एक नोटिस दिया है। उस नोटिस में उन्होंने लिखा है कि श्री प्रमुख महोदय के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत हींगवा, ठीकरिया, गंडरावा के सचिवों को अपने स्तर से पाबंद करें कि वे स्वयं निम्न रिकार्ड दिनांक 11.6.96 को प्रातः 11 बजे आवश्यक रूप से लाकर उपस्थित हों। इसका रेफ्रेंस उन्होंने दिया, मैं भी दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह नोटिस दिया सात तारीख को, 11 को रिकार्ड मांगा। आप आश्चर्य करेंगे, बिना कोई सुनवाई का मौका दिये हुए 10.6.96 को सरपंच के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आगे चलिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोई उसको जांच का मौका नहीं, रिकार्ड मांगा नहीं, जांच की नहीं और एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, यह वहां के सैक्रेटरी और सी.ई.ओ. ने पंचायत प्रसार अधिकारी को भेजा जो उनसे मिला हुआ था। सरपंच के खिलाफ फर्जी रिकार्ड बनवाया गया और दो आदमियों के नाम मस्टररोल में फर्जी चढ़वाये गये। उसके बाद में उस प्रसार अधिकारी ने वहां के सरपंच से रिश्वत ली और यह कहा कि मैं इसको दुरुस्त कर देता हूं ओर अकाउन्ट्स बुक्स में उसकी दुरस्ती करवाने के नाम पर फिर उसको जाल में फंसवाया। इलहाम हुआ नहीं। कहां से हो गया? नोटिस दिया नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान धारा 108 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धारा 108 में सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे, यह पंचायती राज एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन है। हमारे यहां राजस्थान सरकार में एक प्रक्रिया है कि जब किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई गबन आदि का आरोप होता है और जांच में प्रूव हो जाता है तो राज्य सरकार से उस अधिकारी के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने की परमिशन ली जाती है। यह वैल-एस्टैब्लिशड लॉ का सिद्धान्त है अपने यहां पर। सरपंच को जब लोकसेवक मान लिया—

श्री भंवरसिंह डांगावास : कहां लिखा है?

श्री हरिसिंह (महुआ) : है, आप उनसे पूछिये। डी.ओ.पी. से पूछिये जहां पर परमिशन रोजाना ली जा रही है, लीगल सैल में ली जा रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरपंच के खिलाफ राज्य सरकार से किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गयी। अगर सरपंच ने कोई गबन किया तो राज्य सरकार को सूचित करना चाहिये था, राज्य सरकार उसकी जांच करवाती। जांच करवाकर उस सरपंच को निलम्बित कर सकती है, सरपंच को उसके पद से पदच्युत कर सकती है, यह तो सम्भव है लेकिन वहां का सी.ई.ओ. किस प्रकार से कार्यवाही करे? मैं यहां खुले रूप में आपकी परमिशन से आरोप लगा रहा हूं कि राजनैतिक

(श्री हरिसिंह)

विद्वेषपूर्ण भावना से, चूंकि पंखीलाल ने वहां लोक सभा के कांग्रेसी उम्मीदवार श्री राजेश पायलट को सिक्कों से तौला था, यह बात बरदाश्त हुई नहीं। जिला प्रमुख महोदय उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको यह बात बरदाश्त नहीं हुई। उनको झूठे कानून के शिकंजे में फंसाने के लिए सब कुछ कार्यवाही की जा रही है।

मैं महुआ का उदाहरण दूंगा आपको, नोरंगवाड़ा के सरपंच के 12 वर्ष की बच्ची है। वहां एक देवी का मन्दिर है। उसने देवी के मन्दिर में मनौती बोली थी, हे देवी मां! राजेश पायलट जीत जाएगा तो मैं तुझे पांच रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आप सुन लो।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस सवाल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : सम्बन्ध है इसीलिए मैं कह रहा हूं। आप ही ने पूछा था। उस बच्ची की मां कांग्रेस की समर्थक है, सरपंच है। उस बच्ची ने पांच रुपये का प्रसाद चढ़ाया और उसका इनाम उस जिला प्रमुख महोदय ने यह दिया कि पंचायत का रिकार्ड तलब करवाकर उसको झूठे जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उस सरपंच का कसूर यह था कि उसकी बच्ची ने राजेश पायलट के जीतने पर पांच रुपये का प्रसाद चढ़ाया था देवी के नाम से इसलिए रिकार्ड तलब करवा दिया।

**श्री टीकमचन्द कांत** : यह कौनसे रिकार्ड में है? यह कही रिकार्ड में है क्या?

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : यह बच्ची की भावनाओं पर कुठाराघात किया गया। उससे बदला लिया जा रहा है। राजनैतिक विद्वेषता का इससे घृणित उदाहरण दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस सीई.ओ. को तुरन्त निलम्बित किया जाए और जिला प्रमुख के खिलाफ....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये। श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, ठीकरिया के सरपंच श्री पंखीलाल मीणा (व्यवधान) वह शुरू से बीजेपी का था। अबकी बार हम सब कांग्रेस वालों ने ठान ली कि गिर्राज मीणा को नहीं आने देना है। शुरूआत इसकी तो यहां से होती है। वह बीजेपी का गिर्राज बुरी तरह हारा, उसकी जमानत जब्त हो गयी। यह भी सत्य है, उपाध्यक्ष महोदय, पंखीलाल मीणा जो सरपंच है....

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया सुन लें।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, जो पंखी मीणा सरपंच जीता है कांग्रेस का, वह बिलकुल अंगूठा टेक, अनपढ़ है। उसको बिलकुल ही क का का ज्ञान नहीं है और जो गिर्राज मीणा है, वह पुराना बीजेपी का सरपंच रहा है। उसके बारे में आप जानते हैं कि वह + + + था। उसने ठान लिया कि इस पंखी को कैसे न कैसे फंसाना है। सचिव के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, उसके रिकार्ड को, सीई.ओ. को लालच देकर उससे गलत मस्टररोल के अन्दर साइन करवाये। उसको किसी न किसी तरीके से फंसाने की इसने ठान ली थी। उसके बाद लोक सभा के चुनाव आये। उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल सत्य है यह,

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

उस पंखी मीणा ने कांग्रेस के कैंडीडेट श्री राजेश पायलट का समर्थन किया। उस वक्त कांग्रेस के उम्मीदावार थे राजेश पायलट और बीजेपी. के उम्मीदवार थे किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा की क्योंकि बहुत बुरी हार हुई है और उसके कारनामों के बारे में पूरा ही जिला जानता है, पूरा राजस्थान जानता है।

**श्री गोपीराम जाट** : संघर्षशील व्यक्ति हैं, सारा राजस्थान जानता है।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : उसी दिन से, पंखी ने जिस दिन तौला पायलट साहब को। पायलट साहब की जीत हो गयी तो अपनी वह मिटाने के लिए उसके रिकार्ड को सीईओ. के माध्यम से मंगवाया और उसकी थाना मानपुर के अन्दर दस तारीख को एफ.आई.आर. लाज करवायी। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस उसके घर पहुंचती है, पूरा थाना उसके रात-दिन चक्कर काटता रहता है, पंखी कभी जयपुर, कभी गांव में, कभी हमारे यहां, कभी दिल्ली भागता रहा है। 15-20 रोज से। उसके बाल-बच्चे कहां हैं, उसके खेत-खलिहान का क्या ध्यान है, पशु उसके बिक रहे हैं, डोल रहे हैं, कोई सम्भालने वाला नहीं है। तो, मान्यवर, संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि सीईओ. भ्रष्ट है + + +. है और भी वह—

**श्री परसादीलाल मीणा** : और आगे ये बताएंगे नहीं।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : बताऊंगा नहीं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और वह निलम्बित हो और जिला प्रमुख को भी सजा दे सकते हो आप, उसको भी सजा दें। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां छह सरपंचों को—(व्यवधान)

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : विपक्ष ने जो तथ्य रखे हैं, एक्चुअली सत्य बोलो, वे कतई सत्य नहीं है, मैं आपको दो मिनट में बता सकता हूं। इन चुनावों से कोई सम्बन्ध नहीं है इसका। चुनावों से पहले 11.4 को गवर्नमेंट में एप्लीकेशन दी, शिकायत की जिस पर जांच नहीं हुई। क्या समझ रहे हो आप? उपाध्यक्ष महोदय, यह सैक्शन 108 अभियोजन के लिए है। चालान करने के लिये जब कोर्ट में जाएंगे उससे पहले राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, न कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए। इसलिए कहीं भी, किसी भी लोक सेवक को या इंन्डिवीजुअल परसन को यह लगे कि कहीं गड़बड़ हो रही है तो एफ.आई.आर. दर्ज करायी जा सकती है। सीईओ. को ही नहीं, किसी को भी अधिकार है एफ.आई.आर. दर्ज कराने का। यह तो जहां तक एफ.आई.आर. दर्ज कराने का मामला है, स्थिति है। दूसरा, यह जो एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है, रिकार्ड मंगाया गया है। तारीख के लिये आप बोल रहे हैं और दस तारीख को एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। यह एफ.आई.आर. जो दर्ज करायी गयी है, जहां तक मुझे जानकारी दी गयी है विभाग से—(व्यवधान)—जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर बोल रहा हूं। अगर उसमें कहीं—

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, इस तरह नहीं बोलिये आप। आप जिम्मेदारी के साथ बोलिये। विभाग की तरफ से बोलिये आप, जिम्मेदारी के साथ।

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(106)



**श्री नाथूसिंह** : हां, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं विभाग की तरफ से ही बोल रहा हूं, विभाग ने जो—

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही कि उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। सीईओ. को यह इन्क्वायरी दी गयी और उस पीईओ. ने नोटिस दिया 19.2.95 को।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : वह क्या फरमा रहे थे 11 तारीख के लिये?

**श्री नाथू सिंह** : पूरा ही बता रहा हूं। सुनवाई का नोटिस 19.2.95 को जारी कर सुनवाई का मौका दिया गया। जांच रिपोर्ट सीईओ. के समक्ष दिनांक 3.4.96 को प्रस्तुत की गयी। जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात ही पुलिस अधीक्षक, दौसा को शिकायत सूचना दिनांक 25.5.96 को प्रेषित की गयी। सरपंच ने नोटिस जो दिनांक 19.2.95 को दिया गया था, लेने से इन्कार कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पुराना प्रकरण था उस मामले में दसें तारीख को एफआईआर. दर्ज करायी गयी थी। यह जो रिकार्ड मंगाया गया, एक और पाइंट उठाया गया यहां पर, सैक्शन 35 का जिक्र किया गया कि जिला प्रमुख को इस तरह का कोई पावर—

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां छह सरपंचों को नोटिस मिले हैं, मेरे को बोलने की अनुमति दी जाए। उपाध्यक्षजी, मेरे यहां छह सरपंचों का रिकार्ड मंगवाया है तो मेरे को एक मिनट बोलने की अनुमति दी जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) आप बोलिये।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, एक मिनट बोलने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : मैं सत्यता ही बोलूंगा, कुछ भी आक्रोश में नहीं। दो मिनट दें सर। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आपको मैं एक मिनट भी दूंगा तो यह मेरे लिये बहुत भारी होगा, और भी बोलेंगे। इसलिए आप विराजें। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 6 सरपंचों, ग्राम अचेड़ी, पूंदापाड़ा, बड़ियाल, बेनाड़ी, महुपुरा, बिवाई, इनके कांग्रेस के जो सरपंच थे उनको नोटिस दिया। उनको कोई जूरिडिक्शन नहीं था। C.E.O. was not entitled for calling the records. He had to seek, under the law, prior premission from the Government. हमारे कांग्रेस के सरपंचों को जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है।

**डॉ. रामराय** : सिर्फ दो मिनट का टाइम चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री गोपीराम जाट** : डॉ. रामराय वहां दौसा में रहते हैं, सारी चीजें जानते हैं, इनको बोलने दें। (व्यवधान)

**श्री कन्हैयालाल मीणा** : जिस तरह यहां सदन में पेश किया गया है तोड़-मरोड़ कर, राजनीति का प्रवेश तो होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराज जाएं।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मेरे को तो परमिशन नहीं और आपको परमिशन? आपके सरपंचों का रिकार्ड मंगवाया है क्या? सरपंचों का रिकार्ड मेरे यहां का मंगवाया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : जोशीजी। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) आप सुनिये, सरकार को सुनिये आप।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जो लीगल और फैक्चुअल पाइंट्स यहां पर उठाये हैं, रेज किये हैं, मैं उनसे सम्बन्धित आपको निवेदन करना चाहूंगा। पहले तो सैक्शन 108 के बारे में कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी जा सकती without prior premission of the Government. नहीं है लेकिन 88 में सीई.ओ. को है। जब ये अलग-अलग शिकायतें प्राप्त हुई उसके पश्चात् जिला परिषद ने दिनांक 13.6.96 को एक प्रस्ताव लिया, प्रस्ताव संख्या-2, जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। 'आये दिन ग्राम पंचायतों', पंचायत समितियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की अनियमितताएं, भ्रष्टाचार की शिकायतें जिला परिषद को प्राप्त होती रहती हैं। जांच कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का कार्य है इसलिए उचित है कि जिला परिषद स्तर पर नियमित तथा शीघ्र कार्यवाही कर जनता की शिकायतें निपटाने के लिये जांच प्रकोष्ठ कायम किया जाता है तथा इसी प्रकार से जन प्रतिनिधियों के गांवों में प्रवास के दौरान जनता से प्राप्त शिकायतों के लिए तत्काल प्राथमिक जांच के लिएं तथा तुरन्त कार्यवाही के लिए सम्बन्धित पंचायत पदेन सचिव को अभिलेख चैक कराने हेतु जिला परिषद मुख्यालय पर जांच प्रकोष्ठ में तलब कर शिकायत की कार्यवाही की जाए तथा प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर विस्तृत जांच प्रस्तावित की जाकर नियमानुसार आगे कार्यवाही की जाए।"

**श्री हरजीराम बुरड़क** : जिला परिषद के पावर में है क्या वह? सीई.ओ. की तो बेईमानी साफ हो गयी इसमें।

**श्री नाथूसिंह** : वह अलग बात है।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : जिला परिषद को इस प्रकार निर्णय लेने का कोई पावर नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : उन्हें कुछ कहने दीजिये। वे पूरा बोल लें, माननीय सदस्य। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे आप। आप कृपया विराजें, उन्हें पूरा करने दीजिये।

**श्री नाथू सिंह** : अब आप पहले सुन तो लें। प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर विस्तृत जांच प्रस्तावित की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों व सरपंचों के विरुद्ध नियमानुसार तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए तथा शिकायत के बिन्दुओं की पुष्टि नहीं होने पर शिकायत का तुरन्त निस्तारण हो सके जिससे एक तरफ सतर्कता से कार्य की स्थिति बनेगी, साथ ही जनता में तुरन्त कार्यवाही होने से शासन के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : यह कौन-सी धारा में है?

**श्री नाथू सिंह** : Let me complete, please.

**श्री हरजीराम बुरड़क** : कौन सी धारा में पावर है, बताइये आप।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : आप लीगल मानते हैं, इस प्रस्ताव को?

**श्री नाथूसिंह** : Let me complete first.

**श्री हरजीराम बुरड़क** : दूसरे यह बता दीजिये कि सीई.ओ. को रिकार्ड मंगाने का कहां पावर है। नये एक्ट में यह लिखा हुआ है कि पंचायत का रिकार्ड कार्यालय से बाहर नहीं जाऐगा। सीई.ओ. को देखना होगा तो वहां जाएगा।

**श्री नाथू सिंह** : आप अगर विराजें तो मैं इन सब के जवाब दे दूंगा। अगर कोई प्रश्न

(108)



(श्री नाथूसिंह)

अनुत्तरित रह जाए तो कहें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही पुराने सदस्य हैं, गांवों के, पंचायत एक्ट के बारे में बहुत जानकारी है, आपका कोई भी पाइंट अनुत्तरित रह जाए या मैं जवाब नहीं दूं उसके बाद आप चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दे पाऊंगा।

एक प्रस्ताव लिया अब जहां तक प्रस्ताव लेने या नहीं लेने का या पावर का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, एक्ट में प्रोवीजन है।

कई बार कई पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें इस तरह के प्रस्ताव ले लेती हैं जो उस एक्ट के पर व्यू में नहीं आते। उसके लिए हमने एक्ट में एक प्रोविजन कर रखा है कि राज्य सरकार को अपने-आप पता चले या कोई जानकारी दे तो हम उस प्रस्ताव को निरस्त कर दें सरकार की तरफ से। इस तरह का एक्ट में प्रोविजन है आपको यह मालूम होगा। इस सम्बन्ध में आपने यह रेज किया है कि क्या इस तरह का प्रस्ताव लाने का साधारण सभा को अधिकार था या नहीं। मैं इसकी जांच करवाऊंगा, दिखवा लूंगा कि वैदर यह अधिकार उनको था या नहीं।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : नहीं है अधिकार।

**श्री नाथू सिंह** : अब नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि मैं इसको दिखवा लूंगा।...(व्यवधान)...

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : इस तरह के अवैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये दो-दो...(व्यवधान)...

**श्री रतन लाल ताम्बी** : यह हाथों-हाथ देनी चाहिये उस पर टिप्पणी...(व्यवधान)...

**एक माननीय सदस्य** : सीईओ. आपका क्या बिगाड़ रहा है?

**श्री रतनलाल ताम्बी** : इसका मतलब है कि वह भी गलत काम कर रहा है।

**श्री नाथू सिंह** : यह है ऐसा प्रोविजन...(व्यवधान)...

**श्री हरजीराम बुरड़क** : राज्य सरकार को रिपोर्ट करनी चाहिये थी...(व्यवधान)...इसलिये इसको तो इसी पर सस्पेंड करो आप।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : सी. ई. ओ. के अधिकार में है, ऐसा प्रस्ताव अगर पास होता है तो तीन दिन में राज्य सरकार के यह नोटिस में लाए...(व्यवधान)...

**श्री हरजीराम बुरड़क** : आपने जो प्रस्ताव सुनाया है उसी प्रस्ताव...(व्यवधान)...

**श्री भंवर सिंह डांगावास** : पहले तो विचारणीय विषय है कि यह प्रस्ताव जनहित में है या नहीं, कोई बदनियति से है या नहीं, यही कानून है। जो जनहित में काम किया जाए वही कानून है। Law is Nothing but commonsense.

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को प्रश्न करने की अनुमति दी जाए।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा ने इस कानून को पास किया, उस कानून के अन्तर्गत पंचायती राज की संस्थाएं चलनी चाहिये। अब उसके अनुसार मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई प्रस्ताव...(व्यवधान)...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये फिर पूछ लेना।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : यह तो पूरी हो गयी प्रस्ताव वाली तो।

**श्री नाथू सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के तहत अभी एक माननीय सदस्य उठा रहे थे कि यह प्रस्ताव भी किस नेचर का है। हमने एक्ट में प्रोविजन कर रखा है कि किस

(श्री नाथूसिंह)

नेचर का प्रस्ताव होगा तो उसको नहीं माना जाएगा, किस नेचर का होगा तो उसको स्वीकार किया जाएगा।

**श्री परसादीलाल मीणा** : इसका तो दुरुपयोग हो रहा है, माननीय मंत्री जी।

**श्री नाथू सिंह** : यह डिस्प्यूटेड हो सकता है कि किस नेचर का प्रस्ताव है और किस नेचर का नहीं हो तो माना जाए या नहीं माना जाए। मैंने इसके लिये बता दिया है कि मैं इसको लीगली एग्जामिन करवा लूंगा कि इस नेचर का प्रस्ताव यह साधारण सभा ले सकती है या नहीं ले सकती है और ले सकती है तो सीईओ. क्या कर सकता है और क्या करना चाहिये था, या नहीं किया। यदि उसको कुछ करना चाहिये था और उसने नहीं किया तो I will take action.......(व्यवधान) मैं करूंगा कार्यवाही।

अब जो नियमों के तहत कार्यवाही हो सकती है वही करूंगा और नियमों के तहत यह सही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने दोनों बातें कही हैं कि इसको लीगली मैं एग्जामिन करवा लूंगा, दिखवा लूंगा। जहां तक प्रश्न है कि उसके बाद, कुछ पब्लिक ने शिकायतें की, कुछ प्रमुख साहब दौरे पर गये उनको शिकायतें प्राप्त हुई—

**श्री परसादी लाल मीणा** : मंत्री जी, जो चुनाव में हारा था उसी की शिकायत पर किया?

**श्री नाथूसिंह** : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत किसी भी समबन्ध में कोई भी कर सकता है। शिकायत हुई और प्रमुख जी ने यू.ओ. नोट बनाकर सीईओ. को दिया। उसके आधार पर सीईओ. ने कुछ ग्राम पंचायतों का रिकार्ड तलब किया कि रिकार्ड लेकर के आप आइये, जिला परिषद में उसको चैक करके उसी दिन रिकार्ड लौटा दिया। अब सवाल यह आता है, अभी माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया था कि क्या सीईओ. को पावर है, रिकार्ड तलब करने की पंचायती राज एक्ट का सैक्शन 88 आप पढ़ लीजिये।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : दूसरे भी पढ़ो।

**श्री नाथू सिंह** : सैक्शन 88 की बात है, सैक्शन 88 आफ द न्यू पंचायती राज एक्ट, 1994। उसमें —

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : एक्ट में तलब करने का अधिकार तो है लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज करने का अधिकार भी दिया है, उसमें पी.डी.आर. के तहत वसूली करने का अधिकार दिया हुआ है। यह विधायिका—(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, उनको बोलने तो दीजिये आप। क्या पता आपकी बात आ जाए। विराजिये।

**श्री नाथूसिंह** : मुझे पूरा सुनेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद आप सबको संतुष्ट कर सकूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना योग्य हूं कि आपकी सारी चीजों को संतुष्ट कर सकूं लेकिन मैं कोशिश करूंगा।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : आपकी योग्यता पर भरोसा है, आप बोलें तो सही।

**श्री नाथू सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, 88 में रिकार्ड तलब करने का, उसको चैक करने का ये सब पावर्स हैं। सवाल है कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने का पावर है कि नहीं है। मैंने जैसा पहले कहा कि एफ.आई.आर. कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, Whether it is C.E.O., B.D.O., or any private person. उसमें कहीं रोक नहीं है एक्ट में। जहां तक रिकार्ड तलब करने का मामला है इसमें रिकार्ड तलब करने का सीईओ. को अधिकार है, इसलिये जो आपने सैक्शन—

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : मुझे तो आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, अभी कोई प्रश्न का जवाब नहीं होगा। नो, आप विराजें कृपया (व्यवधान) बोलिये मंत्रीजी।

**श्री नाथूसिंह** : जहां तक उस सरपंच का सवाल है, उनके खिलाफ पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पी.ई.ओ. के द्वारा करा दी गई थी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गयी थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि नियमों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी हो। ऐसा उसमें कहीं नहीं है_(व्यवधान)_

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : फाइनल इंक्यावरी के बिना एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो सकती। फाइनल इंक्यावरी राज्य सरकार_(व्यवधान)

**श्री नाथू सिंह** : हां, देखिये, एफ.आई.आर. में कहीं ऐसा नहीं है।_(व्यवधान)_ मान लीजिये, प्रिलिमिनरी ऐसी कोई चीज आती है कि किसी ने बहुत बड़ा गबन किया है तो हमारे कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें तुरन्त एफ.आई.आर. दर्ज कराते हैं।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : कहां है ऐसा? है कहीं?

**श्री नाथू सिंह** : कई जगह है राजस्थान में। यह तो पावर्स का मामला है या वसूली का मामला है।, जहां तक महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था सैक्शन 111 के सम्बन्ध में कि क्या नोटिस दिया, क्या रिप्लाई लिया, मैंने बताया कि नोटिस भी दिया गया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी की गयी। सीई.ओ. ने पीई.ओ. को इंक्वायरी आफिसर_ (व्यवधान)_

**श्री. रतनलाल ताम्बी** : कहां दिया? पीई.ओ. नहीं ले सकता।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज, कृपया आप इधर देखें, मंत्री जी।

**श्री नाथू सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एफ.आई.आर. का मामला है। एफ.आई.आर. में मैं समझता हूं, कोई लीगल ऐसी त्रुटि नहीं है। आप कोई और जानकारी दें। जहां तक जांच रिकार्ड तलब करने का मामला है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, सीई.ओ. को पावर है। आप एक-दो पाइन्ट्स मेरी जानकारी में लाये हैं, मैंने जैसा कहा कि जो प्रस्ताव था वह प्रस्ताव साधारण सभा ले सकती है, सीई.ओ. के क्या कर्तव्य हैं यह मैंने कहा है मैं दिखवाऊंगा। एक माननीय सदस्य ने एक बिल का मामला उठाया है कि जो बिल थे गाड़ियों के कहीं मरम्मत के या पेट्रोल के_

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : 30 हजार के।

**श्री नाथू सिंह** : जो भी हैं जितने भी हैं, पुराने सीई.ओ. ने मना किया था नये सीई.ओ. ने दे दिये, कर दिये। कितना बिल था कितना होना चाहिये था, इस सम्बन्ध में क्योंकि आपने यह उठाया है मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरे मामले को दिखवा लूंगा। नियमों के तहत अगर इसमें कुछ हुआ या नियमों के विरुद्ध अगर सीई.ओ. ने कार्यवाही की है इसमें तो I will take action. Thank you.

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : जो नोटिस दिया उसकी बात कर रहे हैं, मंत्री जी। हकीकत यह है कि सीई.ओ. ने जिला परिषद से प्रसार अधिकारी भेजा है, प्रसार अधिकारी, सैक्रेटरी मय रिकार्ड के जिला परिषद आ गया है और सरपंच को इसकी कोई सूचना नहीं कि क्या उसके खिलाफ जांच की गयी है, क्या उसके खिलाफ आरोप लगाये गये हैं। ये आपके भ्रामक तथ्य निर्मूल हैं। आपके इन भ्रामक तथ्यों से अवगत कराया गया है इसलिये आप

(श्री हरिसिंह)

इस विषय पर भी सख्त से सख्त कार्यवाही सीईओ. के खिलाफ लें। मंत्री जी ने पूरे सदन को गुमराह करने की कोशिश की है... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 6 पंचायतों-अचेड़ी, पूसापाड़ा, बड़ियालकला, बेलाड़ा, महुखुर्द और भिवाई इनके सरपंचों का रिकार्ड लिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि एक दिन के लिऐ 11 जून को रिकार्ड गया, मेरा यह कहना है कि आज ढाई बजे तक रिकार्ड जिला प्रमुख महोदय के यहां, सीईओ. साहब के यहां है। मैंने अभी टेलीफोन पर विकास अधिकारी बांदीकुई से मालूम किया ढाई बजे यहीं से इसी परिसर से तो बताया गया कि रिकार्ड नहीं पहुंचा है और उस रिकार्ड को टेम्बर विद किया जा रहा है, उसमें फोर्ड्ड एन्ट्री की जा रही है। इस तरह कांग्रेस के जो भी सरपंच जीते हुए हैं, जो क्रियाशील मैम्बर हैं, जो 1962 से सरपंच हैं उनसे एक-एक को चुन-चुन कर बदला लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में।...(व्यवधान) जिला प्रमुख के द्वारा इस तरीके का किया जा रहा है कि वहां पर एक तरह से सम्प्रदायवाद का झगड़ा होने वाला है। जातिवाद हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, इसके लिये प्रायर परमीशन की जरूरत है, आपने प्रायर परमीशन ली नहीं और उन्होंने विदाउट जूरिस्डिकशन काम किया।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपकी बात समझ में आ गयी है, आप बैठिये। श्री परसादी लाल जी, कुछ कहना चाहते हैं? परसादी लाल जी, पूछ रहे हैं, माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

**श्री परसादी लाल मीणा :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से दो बातों की जानकारी चाह रहा हूं। आपने इस प्रस्ताव के ऊपर अभी अपना कोई अभिमत नहीं दिया, राय नहीं दी है कि सही है कि गलत है। मान लो, यह प्रस्ताव गलत हुआ तो उसके बाद इन सरपंचों का रिकार्ड मंगवाकर सीईओ. ने यह जो कार्यवाही की है, क्या आप उस सीईओ. के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? आप इस बात को कब तक हाउस के सामने बताएंगे कि यह जो जिला परिषद का प्रस्ताव लिया था यह सही है या गलत है, सीईओ. की इस पर क्या नैग्लीजेंसी रही है, सीईओ. द्वारा कहां तक जिला प्रमुख के दबाव में आकर यह कार्यवाही की गयी है?

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, उत्तर देना चाहते हैं?

**श्री परसादी लाल मीणा :** दूसरा मेरा सवाल है। मैंने आपसे एक जानकारी चाही थी कि ग्राम पंचायत के रिकार्ड की जिम्मेदारी सारी सैक्रेटरी की होती है, सरपंच का उसमें कोई लेना-देना नहीं होता। लिखा-पढ़ी, मस्टर-रोल, रोकड़, बही जो भी करता है वह सचिव करता है, फिर सरपंच को इसमें शिकार क्यों बनाया गया? गलती भी की है तो सरपंच का कहां दोष है उसमें? आपके पंचायत एक्ट में आपने प्रोविजन किया है कि सरपंच अंगूठा छाप हो सकता है। जो महिलाएं एससी. और एसटी. की सरपंच बनी हैं...

**श्री उपाध्यक्ष :** डाक्टर रामराय। कृपया विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री परसादी लाल मीणा :** हमने सीईओ. से पूछा है। उसने यह बताया कि रिकार्ड की जिम्मेदारी सैक्रेटरी की है, तो उसमें सरपंच का कहां दोष है? यह सारी जो इल्लीगल कार्यवाही की गयी है...

**श्री उपाध्यक्ष** : समझ में आ गयी बात।

**श्री परसादी लाल मीणा** : आप इस सारी कार्यवाही को रुकवाते हुए.....

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका प्रश्न समझ लिया गया।

**श्री परसादी लाल मीणा** : फोर्जरी की है। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप सीईओ. को सस्पेण्ड करिये, उसको वहां से हटाइये वरना दौसा जिले का कोई सरपंच सुरक्षित नहीं है। वहां सारा का सारा काम राजनैतिक आधार पर किया जा रहा है, जिला प्रमुख महोदय के निर्देश से किया जा रहा है। इसमें कोई बचाव नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में एक-एक सरपंच को चुन-चुन कर हैरेस किया जा रहा है। (व्यवधान) इस तरह की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। (व्यवधान) कांग्रेस को भी अधिकार है बी.जे.पी. को भी अधिकार है। टैम्पर विद किया जा रहा है रिकार्ड को।

रिकार्ड को जलाया जा रहा है। कोई जूरिस्डिक्शन नहीं है उनका। He has no right to call to records.

**श्री उपाध्यक्ष** : डॉ. रामराय। (व्यवधान) आप सुनिये पहले।

**श्री परसादी लाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रस्ताव हमारा है। पहले सुन लें मंत्री जी को।

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** : परसादी लाल जी, आसन पैरों पर है।

**श्री परसादी लाल मीणा** : डॉ. रामराय का दौसा में कोई लेना-देना नहीं है, डॉ. रामराय जयपुर के हैं। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : हम दौसा जिले के चार एम.एल.ए. आपके सामने खड़े हैं और दौसा जिले की जगह आप उनसे पूछ रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मंत्री महोदय, आप प्रोटैक्शन दीजिये कि कांग्रेस के सरपंचों को भी रहने का अधिकार है।

**श्री उपाध्यक्ष** : डॉ. रामराय कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपने हमें अनुमति दी है। ये न देने वाले कौन होते हैं? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट सुनिये। (व्यवधान)

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** : आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। जनता पकड़ेगी, पीटेगी। जनता गिरेबान पकड़ेगी, छोड़ेगी नहीं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : जनता पकड़ेगी और पीटेगी भ्रष्टाचारियों को।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय जोशी जी, आप किधर बोल रहे हैं?

**श्री परसादी लाल मीणा** : मैं तो आपकी तरफ ही बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आसन पैरों पर है। आप विराजें।

**श्री परसादी लाल मीणा** : पहले हमारा उत्तर आ जाए। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में पुछवा लीजिये आप।

**श्री उपाध्यक्ष** : उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर में दिलवाने का प्रयास करूंगा लेकिन आप विराजें तो सही।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : पहले चिट्ठा तो खोल दूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री जी अगर एक साथ उत्तर दे दें तो क्या दिक्कत है आपको ?

**श्री परसादी लाल मीणा** : नहीं, हमारा उत्तर दिलवाइये, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। डा. रामराय।

**डॉ. रामराय शर्मा (जमवा रामगढ़)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की बात बहुत देर से सुनकर बड़ा—

**श्री उपाध्यक्ष** : सवाल पूछ लें, सवाल पूछ लें।

**डॉ. रामराय शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दौसा जिले के सरपंचों का सवाल है, मैं संक्षिप्त में पंखीराम मीणा, गीजगढ़ सरपंच, आभानेरी सरपंच, बड़ियाल कलां सरपंच, आंचेरी सरपंच और सैंथल सरपंच आदि के बारे में व्यक्तिशः जो मुझे ध्यान है वह मैं अवगत कराना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, अवगत क्या ? मंत्री जी। (व्यवधान) एक मिनट (व्यवधान) सुन लें क्या कहते हैं।

**डॉ. रामराय शर्मा** : माननीय सदस्यों ने जो मामला उठाया था। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आप कोई सी.आर. मेकर हैं ? You are not suppposed to be C.R. Maker. (व्यवधान)

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय)** : जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को दौसा जिले के बारे में कोई नालेज नहीं है। जमवारामगढ़ दौसा जिले में नहीं है।

**डॉ. रामराय शर्मा** : पंखीराम मीणा के खिलाफ लोक सभा चुनाव के पहले एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। उसमें विद्यार्थियों के नाम मस्टर रोल में हैं और विद्यार्थी जब सिकराय के अन्दर एग्जामिनेशन दे रहे थे उस समय के हैं। कैश बुक पकड़ी गयी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया सुन लीजिये। व्यवधान नहीं करें।

**डॉ. रामराय शर्मा** : काफी काट-पीट की गयी है, मस्टर-रोल में दुरूस्तियां की गयी हैं और सैक्रेटरी के आज तक सिग्नेचर नहीं हैं।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : असत्य झूठ बोलता है उसका सत्यानाश जाएगा। (व्यवधान) एक हड्डी फंस जाऐगी, चोरों को निकाल दो (व्यवधान) भ्रष्टाचारियों, पापाचारियों, दुराचारियों को (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : यह प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। (व्यवधान)

**डॉ. रामराय शर्मा** : यह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो लोकप्रिय (व्यवधान) उन्होंने नाक में नकेल डाल रखी है और इनको बांध रखा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया माननीय सदस्य। परसादी लाल जी, विराजें। (व्यवधान)

**श्री महेन्द्रकुमार मीणा** : यह तो हवाला काण्ड का पैसा सामने आ गया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। मंत्री महोदय।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट क्लेरिफिकेशन चाहता हूं मंत्री जी से।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, आपकी इच्छा पर चर्चा समाप्त कर दूं ? आप मंत्री जी का उत्तर नहीं सुनना चाहते ?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : नहीं, एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, आ जाएगा साथ। मंत्री जी, आपने कहा कि प्राथमिक जांच करायी। प्राथमिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को नोटिस किस व्यक्ति द्वारा दिया गया और किस माध्यम से दिया गया ? क्या हुआ यह बात अलग रही। जांच अधिकारी नोटिस देगा, कानून में यह लिखा है। कोई भ्रष्ट को मैं नहीं बचाना चाहता, मैं कानून की बात करता हूं (व्यवधान) दूसरा, 10 तारीख को एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गयी थी तो यह 11 तारीख को रिकार्ड मंगाने का क्या औचित्य था ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बार-बार उठकर बोल रहे हं, बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, विराजें।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि रिकार्ड को रखना ग्राम सेवक का दायित्व है लेकिन इस मामले में जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है वह हमने सरपंच और ग्राम सेवक, दोनों के खिलाफ दर्ज करायी है। इसलिये दर्ज करायी गयी कि आरोप तय हुए थे कि इन्होंने मस्टर रोल में गड़बड़ी की, हेराफेरी की ओर कैशबुक में हेराफेरी की। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि मस्टर रोल और कैशबुक, दोनों में हेराफेरी करने के लिये लिऐ सरपंच और ग्राम सेवक दोनों पर जिम्मेदारी ठहरायी जाती है। इसलिऐ दोनों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। दूसरा, जो रिकार्ड मंगाया गया है, आप जो कह रहे हैं वो जो बाद में रिकार्ड मंगाया गया है, उसका सम्बन्ध इस एफ.आई.आर. से नहीं है, यह तो पहले जो प्रिलिमिनरी जांच होकर आई थी जिसमें पंचायत पी.ओ. ने जो जांच की थी, उसके आधार पर यह एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी। जो बाद में रिकार्ड मंगाया यह अलग शिकायत है। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : यह प्रोविजन नहीं है। एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है।

**श्री नाथूसिंह** :— यह नियम नहीं है, नियम से सम्बन्धित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पाइंट रेज किया। उन्होंने यह कहा कि कई महीनों से रिकार्ड मंगा कर जिला परिषद में पटक रखा है, वापस नहीं लिया है। मैं इसकी जांच करवा लूंगा। अगर इतना टाइम पटके रखा है, क्यों पटका रखा है ? इसको दिखा लूंगा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

**श्री नाथूसिंह** : मैंने कहा कि मैं जांच करवाउंगा, जांच में दोषी पाये जायेंगे तो कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : रिकार्ड को टैम्पर विथ किया जा रहा है। टैम्पर विथ का मतलब तो समझते हो ? रिकार्ड को टैम्पर विथ किया जा रहा है, एडजेस्ट किया जा रहा है—(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राम स्वरूप जी शांत रहें, उनको धन्यवाद दे दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आय-व्ययक (बजट) 1996-97, प्रथम अवस्था, सामान्य वाद-विवाद। राज्य के विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1996-97 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद। श्री रामपाल उपाध्याय।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : कितने दिनों में आप रिकार्ड क्लीयर कर दोगे, समय तो बताओ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामपाल उपाध्याय। आप बोलना चाह रहे हैं? आप खड़े रहें और बोलते रहें, बोलिये आप।

**श्री परसादीलाल मीणा** : मंत्री जी से जवाब तो दिलवाइये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने चर्चा समाप्त कर दी। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त। मैंने कई पक्षों में कई बार इस पर चर्चा करवा ली। माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया, आपने अपनी बात कह दी। फिर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। अब आज इसका हल तो करना पड़ेगा। इसलिऐ मैंने चर्चा समाप्त कर दी। माननीय रामपाल जी उपाध्याय। (व्यवधान) कृपया विराजें।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : आसन की अवहेलना करते हुए ये तो खड़े हैं और हम बोलना चाह रहे हैं तो खड़े नहीं होने देते, बहुत अंकुश लगा रखा है आपने हमारे ऊपर।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामपाल जी।

**श्री परसादीलाल मीणा** : सीईओ. के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं आप? सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें।

## आय-व्ययक 1996-97 पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)** : मैं आपका आभारी हूं और हमारे नेता और (व्यवधान) अभी आप नहीं बोलें तो अच्छा है। इतनी गंभीर बात पर बात कर रहे हैं। राजस्थान के पांच करोड़ लोगों की तकदीर बनाने की बात कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। बहुत हो गया, आपने पौने चार बजा दिये। आप मेहरबानी करके इस पर बोलिये। ऐसी क्या + + + बातें कर रहे हैं? मैं अपनी बात 1996-97 के बजट के सामान्य वाद-विवाद में रखना चाह रहा हूं और आपका, मुख्य सचेतक महोदय का और नेता महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा नाम प्रथम कर लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय—

**श्री उपाध्यक्ष** : आसन के आभारी नहीं हैं?

**श्री रामपाल उपाध्याय** : आपका तो पहले ही कहा मैंने।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप प्रथम वक्ता है, प्रथम वक्ता, आज।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय उपाध्याय महोदय, मैं पूरे सदन से, पूरे मंत्रिमंडल से यह चाहूंगा, आप पांच करोड़ लोगों की एक वर्ष की तकदीर बनाने के लिये जो कार्यक्रम, जो लेखा-जोखा इस प्रदेश के उन्नयन के लिये रख रहे हैं उस पर हमको—

**श्री रमाकांत** : पांच करोड़ कब से हो गयी राजस्थान की जनता?

**श्री रामपाल उपाध्याय** : लगभग है। उसमें क्या बात है। माननीय पूर्व जिलाधीश महोदय

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

116



(श्री रामपाल उपाध्याय)

और आज के माननीय सदस्य महोदय, यह लगभग ऐसा ही है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो वित्त मंत्री महोदय भी हैं, उनके कथन को पढ़ना चाहूंगा और उससे अपना श्रीगणेश करूंगा। उन्होंने पृष्ठ एक के कालम 2 पर अपनी बात कही है—विकास के वर्तमान कार्यक्रमों एवं नीतियों को चलते 6 वर्ष हो गये हैं। इस अवधि में हमने (1) आम आदमी को हमारी नीतियों का केन्द्र बिन्दु रखा। (2) अप्रत्याशित रूप से विनियोजन बढ़ाया। (3) आर्थिक सुधार के लिये आर्थिक सुधार किये और (4) वांछित नीतिगत परिवर्तन किये ताकि प्रदेश का त्वरित् आर्थिक विकास हो और गरीबों के हितों का संवर्धन हो सके। इसी तरह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कालम ? पर यह अभिव्यक्त किया है कि मैं राजस्थान को एक ऐसे विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता हूं जिसमें 2001 ईस्वीं तक कोइ निरक्षर नहीं हो, स्कूल जाने की आयु के सब बच्चे स्कूल जाते हों, कोई गांव बिना बिजली के न हो, हर व्यक्ति की पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, सभी को पीने को पानी आसानी से उपलब्ध हो तथा राज्य में सभी लोगों को रोजगार मिले। इन क्षेत्रों में राजस्थान महत्वपूर्ण उपलब्धियों प्राप्त कर सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बढ़ता विनियोग तथा तेजी से हो रहा विकास मेरे इस विश्वास का जनक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही है, उन्होंने एक पहला चरण जो मैंने पढ़ा उसमें इस वर्ष की बात कही और कई बिन्दुओं पर उन्होंने ध्यान दिलाया, और नम्बर दो, जो मैंने यह नवां चरण पढ़ा है, उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अध्ययन, 1996-97 और राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा, 1995-96 के आधार पर विनम्र तरीके से लेकिन सटीक रूप से आपके सामने अपनी बात को कहूंगा। बहुत बात होती है कि जो हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना है, जो 1992 से 97 तक के समय की है, इसमें 11 हजार 500 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा-सा हम विचार करें कि हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं में— एक मिनट माननीय अमराराम जी, थोड़ी प्रार्थना कर रहा हूं मैं आप से। थोड़ी मेरे ऊपर कृपा करें आप। मैं कभी नहीं बोलता किसी के बीच में, मेरे ऊपर कृपा करें। भारतवर्ष की प्रथम राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना 1960 करोड़ की थी और उसमें राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना 64.50 करोड़ की थी। उस समय इसका प्रतिशत था 3.29। दूसरी राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना 4672 करोड़ की थी और हमारी पंचवर्षीय योजना 105.27 करोड़ की थी जिसका प्रतिशत 2.25 था। तीसरी राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना 8570 करोड़ रुपये की थी और राजस्थान की 236 करोड़ की थी, इसका प्रतिशत 2.75 था। चौथी राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना 15779 करोड़ की थी, इसमें राजस्थान का हिस्सा 306.21 करोड़ का था और उसका प्रतिशत 1.94 था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना 39426 करोड़ की थी और राजस्थान की 840.16 करोड़ थी, जिसका प्रतिशत 2.15 था। छठी पंचवर्षीय योजना 97500 करोड़ की थी जिसमें राजस्थान का 2025 करोड़ का हिस्सा था, 2.07 प्रतिशत हमारा था। सातवीं राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना एक लाख 80 हजार करोड़ की थी जिसमें तीन हजार करोड़ की राजस्थान की पंचवर्षीय योजना थी, जिसका प्रतिशत 1.67 है। इसी तरह से आखरी, अब जो आज चल रही है, वर्तमान योजना, वह

(श्री रामपाल उपाध्याय)

राष्ट्रीय योजना है चार लाख 34 हजार करोड़ की और उसमें राजस्थान की पंचवर्षीय योजना 11500 करोड़ की है। मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका प्रतिशत 2.65 है। मैंने ये आंकड़े इसलिऐ रखे हैं, सदन का समय बेकार नहीं खर्च करके मैंने विचार के लिये इन आंकड़ों को रखा है। आप राजस्थान के साथ-साथ गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सभी प्रदेशों को देखें तो इन सबकी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना, राजस्थान से भी ज्यादा आंकड़ों की है।

(15.54)

**(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)**

मैं ज्यादा उन आंकड़ों को कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, हमारे माननीय सदस्य जो बारबार सदन में + + + कि हमारी पंचवर्षीय योजना 11 हजार 5 सौ करोड़ की है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बढ़ते हुए राष्ट्रीय परिदृश्य में दूसरे प्रदेशों की जिस तरह से बढ़ी है, उसी तरह से हमारी भी बढ़ी है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 11 हजार 5 सौ करोड़ की योजना बना दी। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया बहुत विचार की बात है। मैंने इस बजट को पढ़ा है और सभी माननीय सदस्यों ने भी इसको पढ़ा है। इसमें हमेशा भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार पर एक आरोप लगता रहा है, चाहे वह हमारा दसवां वित्त आयोग हो और चाहे सरकारिया आयोग हो, हम इनको कोसते रहते हैं कि इनसे हमको न्याय नहीं मिलता। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दसवें वित्त आयोग ने क्या अनुशंसा की है। आज जिस प्रकार से हमको हमारे करों में से अंश मिलता है और जिस तरह हमको अनुदान मिलता है, उनमें और दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा में कोई फर्क नहीं है, बल्कि 0.5 प्रतिशत की कमी आएगी।

माननीय सभापति महोदया, मैं इस आठवीं पंचवर्षीय योजना के विगत चार वर्ष और पांचवें वर्ष पर अपन ध्यान दे रहे हैं। उसमें विकास व्यय का क्या विस्तार हुआ और उसके बाद हमारे प्रशासनिक खर्च का क्या हश्र हुआ है, इस पर मैं आपका ज़रा ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, 1992-93 में कृषि पर 12.9 प्रतिशत हमको खर्च करना था, 9.12 प्रतिशत खर्च हुआ। 1993-94 में 9.23 प्रतिशत खर्च हुआ, 1994-95 में 9.94 प्रतिशत खर्च हुआ और 1995-96 में 9.81 प्रतिशत खर्च हुआ और अब आगे इस प्रकार का आप अनुमान ही करना चाह रहे हैं, आप जितना चाहें उतना करें।

माननीय सभापति महोदया, ग्राम विकास मण्डल, ग्राम विकास कार्यक्रम पर हमको खर्च करना था टोटल हमारे प्लान आउट ले का 8.88 प्रतिशत 1992-93 में हमने 7.17 प्रतिशत खर्च किया, 1993-94 में 6.69 प्रतिशत खर्च किया, 1994-95 में 7.47 प्रतिशत खर्च किया और 1995-96 में हमने 7.76 प्रतिशत खर्च किया। अब आप देखिये, जो 11 हजार 5 सौ करोड़ का प्लान आउट-ले

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

है, उसमें से हमको मूल राशि का 8.88 प्रतिशत खर्च करना था, जिसमें इस प्रकार गिरावट आयी।

माननीय सभापति महोदया, अब मैं जरा सिंचाई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सिंचाई में हमारा खर्च होना था 16.70 प्रतिशत। हमारा 1992-93 में निश्चित तौर पर 18.70 प्रतिशत खर्च हुआ। किन्तु 1993-94 में 16.64 प्रतिशत, 1994-95 में 15.78 प्रतिशत और मुझे आप क्षमा करें, विगत वर्ष 1995-96 में केवल 14.17 प्रतिशत खर्चा हुआ। आगे 1996-97 का भगवान मालिक है, क्या होगा।

मैं विद्युत के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। विद्युत पर जिसको सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है, 28.31 प्रतिशत टोटल आउट-ले का खर्च करना था। उसमें 1992-93 में 28.12 प्रतिशत खर्च हुआ, 1993-94 में 28.6 प्रतिशत खर्च हुआ और बहुत तकलीफ की बात है कि 1994-95 में मात्र 26.97 प्रतिशत खर्च हुआ। उससे भी ज्यादा कष्ट की बात है कि 1995-96 में सिंचाई में 28.38 प्रतिशत के अगेंस्ट में केवल 25.50 प्रतिशत खर्च हुआ। यह तो हमारे विकास की एक अजीब-गरीब कहानी का एक चित्र मैंने आपके सामने रखा।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सामान्य सेवा पर क्या खर्च हुआ। जनरल सर्विसेज में हमारे प्लान आउट-ले का 0.51 प्रतिशत खर्च किया जाना था।

(16.00)

लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिये, जहां हम विकास में पिछड़े हैं, वहां हमारी जनरल सर्विसेज के या प्रशासनिक खर्चे किस तरह से बढ़े हैं, इसका लेखा-जोखा में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। 1992-93 हमको करना था 0.51 प्रतिशत और हमारा खर्चा हुआ 0.90 प्रतिशत 1993-94 में 1.03 प्रतिशत और 1994-95 में 1.02 प्रतिशत और 1995-96 ने तो सारे रिकार्ड तोड़ डालें, इसमें खर्चा हुआ है 1.38 प्रतिशत। अब आप यह कल्पना करें कि जो मैंने पहले पढ़ा था, उसके अन्दर कहां व्यक्तियों की कीमत हो रही है। हमारा प्रशासनिक खर्चा बढ़ रहा है और हमारे विकास के सारे के सारे खर्चे कम पड़ रहे हैं।

मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, केन्द्र के ऊपर हमेशा यह आरोप लगाया जाता है कि केन्द्र हमको पूरा पैसा नहीं देता है। और इसमें भी यह कहा कि दसवें वित्त आयोग की जगह हमको कुछ हुआ नहीं, वगैरह-वगैरह। मैं थोड़ा-सा लेखा-जोखा आपके सामने रखना चाहता हूं। 1992 में भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता जो करों के अंश और ग्रांट-इन-एड के रूप में मिली है, उसका चार वर्षों का लेखा-जोखा आपके सामने रखना पसन्द करूंगा। करों में हमारा हिस्सा 1992-93 में 1074.41 करोड़ रुपये हमको मिला। उसके बाद 1993-94 में 1154.14 करोड़ रुपये मिला, 1994-95 में 1251.69 करोड़ मिला और 1995-96 में 1483.22 करोड़ रुपया हमको मिला। इसी तरह से भारत सरकार से ग्रांट-इन-एड में 1992-93 में 1074.73 करोड़ मिला, उसके बाद 1993-94 में 1311.19 करोड़ मिला, 1994-95 में 1427.31 करोड़ मिला और 1995-96 में 1457.55 करोड़ मिला और इस बार 1996-97 में 1337.6 करोड़ रुपये मिलने की, जैसा कि बजट अनुमानित है उसके अन्दर कल्पना की गयी है।

माननीय सभापति महोदया, हम थोड़ा इसके पहले यह देख लें कि 1995-96 में

(श्री रामपाल उपाध्याय)

हमारी विकास दर क्या है—3.90 और भारत सरकार की विकास दर क्या है—6.3 प्रतिशत। इसके बाद, प्रति व्यक्ति आय क्या है, जैसा कि माननीय चंदनमलजी साहब ने उस दिन बताया था, उमसें क्या वृद्धि हो रही है। 1994-95 में और 1995-96 में भारत सरकार की 4.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है और हमारे राजस्थान में दोनों वर्षों में 1.78 प्रतिशत की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में हुई है।

सभापति महोदया, अब मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो पहला पैराग्राफ लिखा है उसकी कहां तक अनुपालना हो रही है। इसके अन्दर चार बिन्दु मैं कहना चाहता हूं क्या आम आदमी हमारी नीतियों का केन्द्र बिन्दु है, क्या यह अप्रत्याशित रूप से विनियोजन बढ़ा है, क्या यह आर्थिक सुधार का सुपरिणाम है और क्या ये नीतिगत परिवर्तन प्रदेश के त्वरित विकास के अन्दर परिलक्षित हो रहे हैं। सभापति महोदया, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। पूरे देश की राष्ट्रीय सड़क सौ किलोमीटर में 62 किलोमीटर बनी है और राजस्थान में सौ किलोमीटर पर मात्र 33.12 प्रतिशत सड़क है। यह हमारी सड़कों की एक छोटी-सी तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं।

विद्युत, क्योंकि प्रत्येक केन्द्र बिन्दु तो विद्युत के बारे में कह रहे हैं न। माननीय सभापति महोदया, मैं आपको मात्र स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1985 से 90 में जो हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अन्दर कांग्रेस सरकार थी, उस समय 963 मेगावाट की अतिरिक्त् वृद्धि हुई और इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो 31 मार्च, 1997 को समाप्त हो जाएगी, मात्र 280 मेगावाट बिजली पैदा हुई जबकि इसका लक्ष्य था 540 मेगावाट। मैं इसके बाद आपसे निवेदन करूं कि अब हमारे विकास और गैर-विकास व्यय को भी देखें। 1992-93 में हमारा विकास व्यय हुआ 66.95 प्रतिशत, 1993-94 में 66.30 प्रतिशत, 1994-95 में 62.91 प्रतिशत और 1995-96 में 58.29 प्रतिशत और 1996-97 में अनुमानित है 64.82 प्रतिशत। आप इस दृष्टि से देखों तो विकास व्यय का प्रतिशत निरन्तर गिरता जा रहा है और गैर विकास व्यय का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता जा रहा है। केन्द्र बिन्दु व्यक्ति को मानें तो हमारी अर्थव्यवस्था, जो राजस्थान का भाग्य निर्माण करने जा रही है, वह कहां जाकर टिकेगी?

मैं बजट घाटे की बात भी आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। हमारे 1996-97 के बजट का राजस्व घाटा 362.42 करोड़ है, जिसकी आंशिक पूर्ति उन्होंने कैसे की ? मैं समझता हूं, हमारे मुख्य मंत्रीजी से बड़ा कलाकार, हिसाब-किताब ऊंचा-नीचा करने वाला इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। (व्यवधान) क्या ताली बजा रहे हो, सुनिये। अभी आपको और हमको दोनों पैरों में सर देकर रोना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, कहां राजस्थान को ले जा रहे हैं?

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : 16 साल में क्या आपको आज ही पता चला?

**श्री रामपाल उपाध्याय** : जब नींद खुली तब से ही अक्ल आयीं, और क्या करें, चलिये। मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि इसकी आंशिक पूर्ति, पूंजीगत प्राप्तियों से 223.33 करोड़ ले कर इस घाटे को 139.09 करोड़ ही बता दिया गया। कोई कारखाने लगाने में, कोई खेती की अभिवृद्धि में तो कर्जा ले करके आप रुपया खर्च कर सकते हैं, और बाप के क्रिया-कर्म में और बेटी की शादी में भी कर्जा ले करके कोई एक व्यक्ति तो खर्चा कर सकता

(श्री रामपाल उपाध्याय)

है लेकिन राजस्थान के चार-पांच करोड़ जो लोग हैं उनकी किस्मत पर आप इस प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते।

माननीय सभापति महोदया, यह व्यवस्था न केवल व्यवहारिक नहीं है बल्कि वित्तीय प्रबन्धों के सामान्य नियमों के भी विपरीत है। 1996-97 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 7514.58 करोड़ बतायी गयी हैं जो 1995-96 की प्राप्तियों की तुलना में 236 करोड़ रुपये कम है। जरा विचार करें और उसके बाद यह कमी कैसे पूरी करें? यह कमी कर भिन्न राजस्व मद में लगभग आधी आय के कारण हुई है। अब आप देखें कि आधी आय कैसे हुई। आधी आय इस तरह से हुई कि जो हमारा कर भिन्न राजस्व है वह 1992-93 में 28.56, 1993-94 में 21.11, 1994-95 में 22.58 और 1995-96 में 16.22 और 1996-97 में? उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ इतनी हो रही है कि जहां 1994-95 में हमारा कर भिन्न राजस्व 222662.76 लाख था वहां एक वर्ष के अन्दर 119417.52 लाख रह गया मतलब 22 का आधा रह गया। अब आप मुझे बताइये क्या गारंटी है, कहां से यह पैसा लाएंगे? इसमें से काट-काट कर अपने घाटे की पूर्ति करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप थोड़ा सा सर्विसेज पर भी ध्यान दें।

**श्री सभापति** : आप भी तो मेरा ध्यान नहीं रखते, आप बारबार उपाध्यक्ष महोदया कहते हैं, सभापति सभापति महोदया कहिये न।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : मैं चाहता हूं, शुभकामना करता हूं कि आप उपाध्यक्ष बनें।—(व्यवधान)—

**श्री रतनलाल ताम्बी** : हम चाहते हैं कि एक महिला बने उपाध्यक्ष।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : हमारे यहां पर सामाजिक सेवाएं हैं जरा उनका लेखा-जोखा देखें। हमारी सामाजिक सेवाओं पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : पंडितजी, कहां चक्कर में पड़ रहे हो आप।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : देखें जाओ, महावीरजी, मुझे थोड़ी बाहें चढ़ानी हैं। मैं आपका दोस्त हूं।—(व्यवधान)—मेरी शुभकामना है आपको। बाहें चढ़ाने की आदत भूल जाएं।

सामाजिक सेवाओं में आप सब जानते हैं, पी.एच.सी. हैं, स्कूल हैं, हास्पिटल वगैरह हैं, जरा इनके बारे में देखिये। हमारी सामाजिक सेवा, 1992-93 में 37.68 परसेंट थी, 1993-94 में 37.15 परसेंट, 1994-95 में 37.44 परसेंट और मुझे आप क्षमा करना, 1995-96 में मात्र 36.37 परसेंट हमारी सामाजिक सेवाओं पर पैसा खर्च हो रहा है।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** : 1989-90 भी बता दें जरा।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : और उसके बाद अब अनुमान लगाया है कि हम 1996-97 में 41.57 परसेंट करेंगे। अब यह प्रस्तावित है। इसी तरह से जरा आर्थिक सेवाओं पर ध्यान दें।

**श्री कालीचरण सराफ** : उपाध्याय जी, मैं बीच में इंट्रप्ट करूंगा, 1989-90 में सामाजिक सेवाओं पर कितनी परसेंट था?

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : वह आप बताना।

**श्री कालीचरण सराफ** : आप के राज में कितनी थी, वह भी बता दो।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : सभापति महोदय, मैंने सदन से बहुत विनम्र भाव से निवेदन किया है। मैं किसी के बोलने में कभी डिस्टर्ब नहीं करता।

**श्री कालीचरण सराफ** : हम तो ज्ञानवर्धन कर रहे हैं आपका।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह कोई दौसा के उस सीईओ. का प्रश्न नहीं है, यह राजस्थान की करोड़ों-करोड़ जनता के एक वर्ष और पांच वर्ष के भाग्य निर्माण का प्रश्न है इसलिये मेहरबानी कर के इस प्रकार की हल्की-फुल्की बातें मत करें। इसको हमको पास करना है, थोड़ा सा आप सुनिये और देखिये। आप चाहेगे तो मैं ये आंकड़े सब के पास भिजवा दूंगा। कालीचरण जी, आप के पास हैं, आप भी थोड़ा ध्यान दें, क्या हो रहा है।

सामाजिक सेवाओं की आपने बात सुन ली, अब, सभापति महोदया, आर्थिक सेवाओं पर ध्यान दीजिये।

**श्री सभापति** : मैं पूरा ध्यान दे रही हूं।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : यह आपके माध्यम से सब को सुनाना चाह रहा हूं कि आर्थिक सेवाओं में एग्रीकल्चर है, सिंचाई है और दूसरे हैं, इसके अन्दर क्या हाल है। 1992-93 में हमारा 29.27 परसेन्ट खर्चा हुआ, 1993-94 में 29.15 परसेंट, 1994-95 में खर्चा हुआ 25.47 परसेंट और मुझे आप क्षमा करना, 1995-96 ले डूबा इन सेवाओं को और हमारा जो अलीवेड खर्चा था उसमें से केवल 21.52 परसेंट हुआ और अब इनका अनुमान है कि 22.85 परसेंट हम इसमें करेंगे। हमारी सेवाओं, हमारे विकास की मूल जड़, हमारे विकास के मूल आधार की तो यह दुर्गति हो रही है और खर्चा क्या हो रहा है, जरा इस पर भी आप ध्यान दें।

जो जनरल सर्विसेज हैं, थोड़ा इनका हिसाब देख लेना। 1992-93 में खर्चा हुआ 33.65 परसेंट 1993-94 में 33.78 परसेंट 1994-95 में हुआ 37.89 परसेंट और मुझे अत्यन्त दुःख है, माननीय सभापति महोदया, कि 1995-96 में यह खर्चा हुआ 41.71 परसेंट और अब आपका अनुमानित खर्चा करने का विचार है 36.98 परसेंट। व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु बना कर जो यह बजट बनाया गया है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, आखिर में आपका खर्चा तो इस कदर बढ़ रहा है, और आपके विकास के जो मूल आयाम हैं—कृषि है, सिंचाई है, उद्योग हैं, उनके आधार पर आप इस प्रकार कर रहे हैं तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी परम्परा भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, विकास व्यय और गैर विकास व्यय। गैर विकास व्यय की कहानी मैं सुना चुका और विकास व्यय की कहानी मैं आपको सुना देता हूं। अब जरा घाटे की बात सुनिये। हमारा यह घाटा, अभी मैंने कुछ कहा था, यह कमी हमारी कर-भिन्न राजस्व की है। मैं दोहरा रहा हूं कि यह कमी कर-भिन्न राजस्व की है। आज मैं यह कहता हूं कि 1995-96 में हामरी नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर 22 के बजाय 11 सौ करोड़ की रह गयी, 11 सौ करोड़ था जो भी है, तो उसके बाद 1996-97 में कहां से आप लाएंगे? आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू निरन्तर गिर रहा है और कितना गिरा, जरा यह देख ले। कर भिन्न राजस्व में भारी गिरावट आयी है। मैंने बता दियां था कि भारत सरकार द्वारा जो भी अंश आपको मिलना चाहिये वह भी सारा मिला और इस बार तो भारत सरकार द्वारा अंश

(122)



(श्री रामपाल उपाध्याय)

प्राप्तियों में वृद्धि हुई है और वह वृद्धि हुई है 217.57 करोड़। भारत सरकार के अनुदान में भी वृद्धि हुई है और वह वृद्धि है 80 करोड़ की।

गैर योजना व्यय आपने 1995-96 में 6647 करोड़ आंका था और 1995-96 में आपने 6340 करोड़ आंका, तो विकास की दर बढ़नी चाहिये, आमदनी की दर बढ़नी चाहिये। या आमदनी में 3340 करोड़ की कमी आनी चाहिऐ? उदाहरण दे रहा हूं—

1995-96 में गैर योजना व्यय 6164 करोड़ रुपया प्रस्तावित था परन्तु क्या हुआ? 6647 करोड़ रुपया गैर योजना व्यय में चला गया। इस तरह 510 करोड़ रुपया गैर योजना व्यय में ज्यादा चला गया, और योजना व्यय में सभापति महोदया, आप देख रही हैं कितनी गिरावट आयी।

आयोजना व्यय, अब आयोजना व्यय में देखिये, अनुमानित 1995-96 में रखा है 1052.63 करोड़ और 1996-97 में 1020.00 करोड़। इस प्रकार 23 करोड़ कम अनुमानित है। 1995-96 में 1500.60 करोड़ व्यय हुआ। इस दृष्टि से मैं, सभापति महोदया, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर में यह सब—

**श्री सभापति** : अब आप कन्क्लूड करें।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : बिलकुल, कर रहा हूं। आप कहें तो मैं बैठ जाऊं लेकिन दो मिनट मुझे और चाहिये।

मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये सारी देनदारियां, ये सारी लेनदारियां आखिर में क्या हैं? सभापति महोदया, आज हमारे ऊपर 16 हजार सात सौ कुछ का कर्जा है। 1991-92 में यह छह हजार करोड़ का कर्ज था। इस कर्जे का अभिशाप क्या हो रहा है? इस कर्जे का अभिशाप यह हो रहा है कि 1994-95 में 1035.93 करोड़ का कर्ज था और 1995-96 में 1518.73 करोड़ रुपये का कर्जा हमको विरासत में मिला। कुल कर राजस्व हमारा 3276.56 करोड़ और इसको माइनस करने के बाद मात्र हमारे पास 1767.83 करोड़ शेष रहता है। इसका मतलब हमारी जो टैक्स रेवेन्यू है उस टैक्स रेवेन्यू में से 46 परसेंट ब्याज में जा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सन् 2001 की बात कही, पर विश्वास से कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार कर्जा लेना पड़े, इस प्रकार हमारी कृषि, सिंचाई और जितनी भी उत्पादित योजनाएं हैं, उनमें कमी आऐ और इस प्रकार हमारा जो गैर-योजना व्यय है उसके अन्दर वृद्धि होती रहे करोड़ों-करोड़ रुपये साल की, और ऐसी परिस्थिति में इतना ज्यादा ब्याज देना पड़े, इतना सारा कुछ करना पड़े तो अर्थव्यवस्था की स्थिति का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं।

उस दिन हमारे माननीय चन्दनमल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि योजना हमारे प्रशासन और हमारे अनुमानों में समन्वय होना चाहिये। हमारी योजना 11,500 करोड़ हैं फिर भी 2745 करोड़ बाकी रहते हैं 11,500 में। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने इस बजट भाषण में 500 करोड़ रुपये और करके 3200 करोड़ रुपये की बना दी, बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया, 3200 करोड़ की है।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

एक मिनट, यह आखिरी बात है। मैं आपको यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आखिर

(श्री रामपाल उपाध्याय)

में यह सारा कैसे हुआ। 11,500 करोड़ की आठवीं योजना में 1995-96 तक 8,765 करोड़ खर्च हुआ और अब मात्र बचा है, 2735 करोड़ 1996-97 में। इसके बाद यह 3200 करोड़ की बनायी जा रही है। इसके अंदर 465 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है, वे इसका समायोजन करेंगे। मैं कुल मिलाकर अपनी बात से यह सिद्ध करना चाहता हूं, सभापति महोदया, ये आंकड़े सरकार के हैं, कोई मनगढ़त आंकड़े नहीं है, कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। सन् 2001 तक सम्पूर्ण राजस्थान को स्वावलम्बी कर देना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु बनाकर उसको स्वतन्त्र और स्वावलम्बी कर देना चाहते हैं। जब 1995-96 में घाटा 507 करोड़ का है और सारे घाटे को आप गैर योजना व्यय के अन्दर कर रहे हैं तो मुझे बताइये कि किस प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, किस प्रकार से राजस्थान स्वावलम्बी बनेगा। केवल सरकारी आयोग या दशम् वित्त आयोग के भरोसे सारी बात करना कि हम उनसे बात करेंगे, आप की सरकार (व्यवधान) किसी तरह का नया धन उपार्जन करना नहीं चाहती। चन्दनमल जी ने ठीक कहा था क्योंकि इन्होंने हमेशा टैक्स लगाने का विरोध किया, मैं भी यह नहीं कहता कि टैक्स लगाइये लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आयोजना, गैर-आयोजना आय-व्यय को सन्तुलित करने के लिये सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिये। नहीं तो, मैं इन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं, यह राजस्थान दिवालियेपन के कगार पर पहुंच रहा है और 2001 तक आते-आते अर्थव्यवस्था बिलकुल नष्ट हो जाएगी। इसलिऐ मैं सदन से गंभीरता से प्रार्थना करना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप सब इसको पढ़ें, देखें, विचार करें और क्या नये कदम हो सकते हैं, राजस्थान को मजबूत करने के लिये वे कदम उठाएं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

**श्री सभापति** : श्री राजपाल सिंह शेखावत

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (बनीपार्क) : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय रामपाल जी उपाध्याय का भाषण सुन रहा था, उन्होंने काफी गहरी आपत्ति इस बात पर की कि नॉन प्लान का साइज क्यों बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वे इस बात की चर्चा करना चाह रहे थे कि प्लान में जो साइज की बढ़ोतरी हुई है कोई आश्चर्यजनक नहीं है, प्लान में जो साइज की बढ़ोतरी हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई योगदान नहीं है। प्लान की साइज की बढ़ोतरी वे और चाहते हैं।...(व्यवधान)

**श्री रामपाल उपाध्याय** : शायद आपने आंकड़े नहीं देखें।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : हां, मैंने देखे हैं। इसका मतलब आपकी मंशा है कि राजस्थान के विकास के लिये प्लान का साइज और बढ़े। क्या आपको राजस्थान के प्लान के साइज को और बढ़ाने में आपत्ति है? मैं सोचता हूं आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप प्लान का साइज बढ़ाना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय सदस्य, इनका पाइंट यह था।...(व्यवधान) पाइंट अलग-अलग नहीं हैं, पाइंट आपकी समझ में ही नहीं आया। पाइंट यह था कि पूरी कण्ट्री का जो प्लान है, उसके सेवंथ प्लान का जो परसेंटेज था यह 1150 करोड़ रुपये है। अब जो कण्ट्री का प्लान है...

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : अब रिड्यूस हो गया।

**श्री परसराम मदेरणा** : वह परसेंटेज करीब-करीब बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है। यह ऐसे मत कहिये।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : अब रिड्यूस हो गया है, वह मैं मान रहा हूं। यही तो अर्ज कर रहा हूं कि आपकी मंशा यह है कि प्लान का साइज और होना चाहिये। प्लान का साइज बड़ा होता तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिशत अपने आप बढ़ गया होता। प्लान साइज बढ़ना चाहिये, नॉन प्लान नहीं बढ़ना चाहिये। अब यह मेरी समझ में नहीं आया। रामपाल जी मुझे यह समझा दें तो मैं सोचता हूं दुबारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लान साइज बढ़ाना चाहते हैं, और नॉन प्लान को अपराध मानते हैं। (व्यवधान)

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय सभापति महोदया, विद योअर काइंड परमीशन, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि प्लान की साइज बढ़ती है तो नॉन प्लान की साइज कहां से बढ़ेगी? यह बढ़ा दिया न नॉन प्लान में खर्च बढ़ाकर, फिर आप कहां से कंसल्ट करेंगे, कहां से प्रोफेसरों की बात करेंगे? टू दी पाइंट बात करो। ये आर्थिक मामले हैं, आंकड़े हैं, यह अर्थ है, ये आर्थिक परिस्थितियां हैं। चन्दनमल जी ने मेरे से हजार गुणा ज्यादा अच्छा कहा, लेकिन वे तो आर्थिक विद्वान हैं मैं तो थोड़ा इधर-उधर करके बोल देता हूं। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपा करके टू दी पाइंट रहें।

**श्री परसराम मदेरणा** : अभी तो आप बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपने भी कभी पसन्द नहीं किया कि कोई आपको बीच में इंट्रप्ट करे। यह आपने पसन्द नहीं किया, अब उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मुझे इंट्रप्ट किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री सभापति** : अभी स्टार्ट ही किया है और आपने खुद भी पसन्द नहीं किया।

**श्री चन्दनमल बैद** : स्टार्ट अच्छा किया है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बैद जी, मुझे फरमा रहे थे कि नॉन प्लान का साइज इस ढंग से नहीं बढ़े (व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : हम इनके बीच में खलल नहीं डालेंगे और हम इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब कोई इंट्रप्शन नहीं करेगा, आप बोलिये।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : आपके इंट्रप्शन से मेरे ज्ञान में वृद्धि होती है।

**श्री परसराम मदेरणा** : बाद में जब मेरी बारी आऐगी तो मैं रिप्लाई भी दूंगा टू दी पाइंट्स।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं मदेरणा साहब का गहरे दिल से सम्मान करता हूं और मदेरणा साहब को मैं सुनना चाहता हूं। अगर मैं कहीं इस हाउस से बाहर भी होता हूं और मुझे मालूम होता है मदेरणा साहब बोल रहे हैं तो मुझे सदन आकर्षित करने लगता है। आपके इंट्रप्शन से मेरे ज्ञान में वृद्धि ही होगी।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं इंट्रप्ट नहीं करूंगा, आप बोले जाओ।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : बैद जी ने फरमाया कि टप्पे नहीं चलेंगे। अब टप्पे चलने की प्रवृत्ति पर अंकुश भी लगेगा। मैं इतना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कहना चाहता हूं, दो दिन पहले बैद साहब फरमा रहे थे कि राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया, दिवालियेपन के कगार पर ला दिया, राजस्व घाटे को बढ़ा दिया, नॉन प्लान राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिये कर्ज ले लिया, नॉन प्लान राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिये कर्ज ले लिया है, कर्ज से पूरा करने की कोशिश की गयी है, रेवेन्यू भी घट गयी है, रेवेन्यू पर एक्सपेंडिचर भी घट गया है, इनकम भी घट गयी है, डवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी गिर गया है, सोशल सर्विसेज के सैक्टर के अंदर हमारा परसेंटेज गिर रहा है। एक दिन ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश की गयी मानो राजस्थान के अन्दर पता नहीं क्या होने वाला है। अभी कह रहे थे, विनियोजन नहीं हो रहा है, राजस्थान का विकास रूक गया है, कर्जा बढ़ रहा है। कर्जे के इंट्रप्ट का पेमेंट करने के लिये हमारी टैक्स रेवेन्यू का, अभी रामपाल जी उपाध्याय ने ठीक किया 46 प्रतिशत किया, बैद जी 50 प्रतिशत फरमा रहे थे कि हमारी टैक्स रेवेन्यू का 50 प्रतिशत इंट्रैस्ट में चला जाता है और दो-तीन साल के अन्दर तो ऐसा होगा कि पूरी की पूरी टैक्स रेवेन्यू इंट्रैस्ट में चली जाएगी। गोया टैक्स रेवेन्यू कांस्टेंट है फिर उसमें वृद्धि होनी ही नहीं है। और टैक्स की वकालत भी कर रहे थे, टैक्स की पोटेंसी मान रहे थे राज्य के अन्दर और बिना टैक्स लगाये जो बोयेंसी आयी है टैक्स के अन्दर, उसको उन्होंने स्टेगनेंट मान लिया, कि खतम हो गयी, इस साल के बाद नहीं बढ़ेगी। अब ऐसी स्थिति है तो मान सकता हूं कि बहुत जल्दी वह दिन आने वाला है कि जिसके हाथ में राजस्थान की सरकार है, जिस प्रकार का वित्तीय प्रबन्ध उस व्यक्ति ने गये पांच-छः साल में राजस्थान का करके दिया है, उसने आपके द्वारा छोड़े गये दिवालियेपन के कगार से राजस्थान को बाहर निकाल दिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जैसाकि रामपाल उपाध्यायजी कह रहे थे, पांच करोड़ लोगों की बात है, पांच करोड़ लोगों की जिन्दगी का सवाल है, देश की दिशा का सवाल है। राजस्थान के प्रति हमारा भी दायित्व उतना ही जितना कि आपका दायित्व है। राजस्थान में तो आपने बहुत लम्बे समय तक राज किया है, लोगों ने आपको स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, उनके प्रति आपका भी दायित्व है। कई मामले ऐसे होते हैं जिनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिऐ और एकेडेमिक प्रिंसीपल से डिस्टोरशन पोसिबल भी नहीं है। डिस्टोरशन करने की कोशिश की तो यह वह आग है जिसमें हाथ जलेगा और हाथ जलेगा तो राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसमें इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो सकता है? यह फिस्क प्रोफलीगेसी आयी है, ये फिस्कल इम्बलैन्सेज आये हैं इनका करेक्शन कैसे हो, इस करेक्शन की दिशा कौनसी हो? इस बात पर चर्चा की जाती है आपने यह किया वह ठीक किया, उसको और दुरुस्त कर लेते तो मैं समझता हूं कि हम सदन के लिए और राजस्थान की जनता के लिऐ बजट को सही दिशा दे पाते, सही दृष्टिकोण दे पाते।

मैं पहले बैदजी के उठाये गये सवालों पर चर्चा करता हूं। आपने कहा कि राजस्व घाटे को कर्जे से पूरा किया। यह सही बात है कि राजस्व घाटे की पूर्ति कुछ हद तक कर्ज लेकर की गयी है। पर यह पहली बार नहीं है। साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि हमने जो 546 करोड़ तक कन्टेन किया है, इस घाटे को वह 546 करोड़ कन्टेन केवल कर्जे से किया हो, ऐसा नहीं है। जो रिवाइज्ड बजट है उसमें हमारा बजट एस्टीमेट से 309 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ है। इसका मतलब 546 करोड़ का घाटा जो एस्टीमेड था उसमें 309

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करोड़ का राजस्व घाटे के अन्दर व्यय और बढ़ा। यानी कुल मिलाकर घाटा होना चाहिऐ था आठ सौ चौबीस करोड़ रुपये। और 824 करोड़ रुपये के घाटे की पूर्ति बैदजी के अनुसार या कुछ और भी कह रहे थे कर्ज के द्वारा की जानी चाहिये। हमने 587 करोड़ का एडीशनल रेवेन्यू जेनरेशन किया है और 824 करोड़ घाटे को कंटेन करने का प्रयास किया है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन बैदजी, एक बात नहीं बोले कि राजस्थान की सरकार ने अतिरिक्त आय करके इस डैफिसिट को कन्ट्रोल करने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। उन्होंने यह कहा कि कर्ज के द्वारा इस डैफिसिट को पूरा करने की कोशिश की गयी है।

इस डैफिसिट को पूरा करने की परम्परा पहले भी थी, यह डैफिसिट पहले भी पूरा किया गया है और बैदजी जरूर जानते हैं इस बात को कि, एक डवलपिंग इकानामी, एक लैस डवलप्ड कन्ट्री की इकामानी, डैफिसिट फाइनेंसिंग होगी। आपको पता होगा कि प्रिंसली स्टेट्स में आम तौर पर फिस्कल क्राइसिस नहीं हुआ करता था क्योंकि कल्याणकारी राज्य की कल्पना उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं थी, एक कन्ट्री डवलपिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है? वहां शिक्षा नहीं, वहां चिकित्सा नहीं, सड़कों का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं, बिजली नहीं, कम्युनिकेशन नहीं। यह पिछड़ा हुआ है, इसकी नीड़ बहुत ज्यादा है, इसके विकास की भूख बहुत गहरी है, विकास की जरूरत बहुत ज्यादा है और संसाधनों का कन्स्ट्रेन्ट है, संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी हो और समस्याएं अधिक हों और उन समस्याओं की पूर्ति करने के लिऐ सरकार का प्रयास हो, इस दिशा में जब सरकार बढ़ेगी तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, और इसीलिये पूरी की पूरी डवलपिंग इकानामी डेफिसिट फाइनेंसिंग पर चलती है। चूंकि हमने प्लान्ट इकानामी ली है इसलिऐ प्लान-नॉन का नाम और आ गया और नान प्लान को हमने गुनाह मानना शुरू कर दिया। अमेरिका जैसी इकानामी में प्लान-नान प्लान का काम नहीं है क्योंकि प्लाण्ट इकानामी नहीं है लेकिन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर और नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर का कैटेगराइजेशन जरूर है। यह सही है कि हमने प्लान्ट इकानामी ली और प्लान्ट इकानामी में डेफिसेट फाइनेंसिंग सिस्टम हमारे यहां डवलप हुआ। मोटे तौर पर जब आप विकास करोगे तो कैपीटल एक्सपेंडिचर शुरू होंगे और कैपीटल की बोरोइंग करोगे। आपने देखा होग, हिन्दुस्तान के शुरू के बजटों के अन्दर रेवेन्यू सरप्लस हुआ करता था। राजस्थान के बजटों में भी मैंने एक दो बार देखा था जहां रेवेन्यू सरप्लस है, और रेवेन्यू अकाउंट के सरप्लस को कैपीटल अकाउंट में डाला गया। कहते हैं अच्छी बात है, वास्तव में बहुत अच्छी बात है। इनीशियल स्टेज के ऊपर डवलपमेंट की प्रीरिक्विजिट है, कैपीटल, इनीशियल स्टेज के ऊपर आप पर कोई लोन नहीं, आपको कोई इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट नहीं करना है। कैपीटल अकाउंट का मेजर कम्पोनैट फाइनेंस के बोरोइंग्स हैं कि आपने बोरोइंग्स लीं और चूंकि बहुत कम स्ट्रक्चर है, आपका, बहुत कम इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं आपका इसलिऐ रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बहुत कम होगा। जब रेवेन्यू एक्सपेंडीचर कम होगा तो रेवेन्यू अकाउंट के अन्दर सरप्लस होने की संभावना बढ़ जाएगी, और रेवेन्यू अकाउंट को सरप्लस कैपीटल अकाउंट में डालेंगे। ज्यों-ज्यों डवलपिंग इकानामी आगे बढ़ेगी, कैपीटल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अकाउंट में बारोइंग्स बढ़ने लग जाएगी और रेवेन्यू अकाउंट का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट स्ट्रैस जोन बन जाएगा। जब रेवेन्यू अकाउंट स्ट्रैस जोन बन जाऐगा तो यह सरप्लस डैफिसिट में कनवर्ट हो जाएगा और रेवेन्यू अकाउंट का डैफिसिट पूरा करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि कैपीटल अकाउंट से निकाला जाए। अगर आप कैपीटल अकाउंट से निकालोगे तो कैपीटल अकाउंट के अन्दर कोई गुंजाइश नहीं रह पाएगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर को खतम करके, विकास को रोककर के अगर आप इर्रिगेशन पर पैसा लगाना बन्द कर दें, बिजली पर पैसा लगाना बन्द कर दें, कृषि पर पैसा लगाना बन्द कर दें, इस विकास को रोक दें। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है, इसको कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। जब विकास करना है और रेवेन्यू अकाउंट में इस प्रकार की स्थिति जब बनेगी, रेवेन्यू अकाउंट जब स्ट्रेस जोन बनेगा तो कैपीटल अकाउंट से रेवेन्यू अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के अलावा कोई इलाज आम तौर पर नहीं हो सकता। इसलिऐ बोरोइंग्स बढ़ती हैं और जब बोरोइंग्स बढ़ती हैं तो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट बढ़ता है। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट बहुत बड़ा कम्पोनेटेड हैं जनरल सर्विसेज का, जिसकी चर्चा अभी रामपाल श्री उपाध्याय कर रहे थे कि जनरल सर्विसेज का खर्चा बढ़ रहा है। जनरल सर्विसेज का खर्चा बढ़ेगा। यह खर्चा बढ़ेगा और कैपीटल अकाउंट में बोरोइंग्स आएंगी। जब बोरोइंग्स आपकी आएगी, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आप करोगे तो बजट डैफिसिट होगा और जब बजटरी डैफिसिट को और नेट लाइबिलिटी को अगर जोड़ देंगे तो फिस्कल डैफिसिट ही बनता है, फिस्कल डैफिसिट बढ़ेगा। लेकिन फिस्कल डैफिसिट कहां तक होना चाहिऐ? रेवेन्यू अकाउंट का डैफिसिट हम कहां तक मीट आउट कर सकते हैं? रेवेन्यू अकाउंट का फिर हमको कैटेगराइजेशन करना है प्लांन्ट रेवेन्यू अकाउंट, प्लांड रेवेन्यू-नॉन प्लांड रेवेन्यू, प्लान कैपीटल-नॉन प्लान कैपीटल। और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के लिऐ लोग कहते हैं, ज्यादातर लोग तो बिलकुल मानते हैं, मैं भी कुछ हद तक मानता हूं कि रेवेन्यू अकाउंट का नान प्लान डैफिसिट हो सकता है। रेवेन्यू अकाउन्ट का डैफिसिट खतरनाक है, उससे ज्यादा नान प्लांड रेवेन्यू अकाउन्ट का डेफिसिट ख़तरनाक है। राजस्थान की सरकार ने नान प्लांड रेवेन्यू अकाउंट के डैफिसिट को खतम किया लेकिन आपने किसी ने भी धन्यवाद सरकार को नहीं दिया। यह बहुत बड़ा फिस्कल करैक्शन राजस्थान की सरकार ने किया है। न केवल उसको एलिमिनेट किया है बल्कि नान प्लांड रेवेन्यू अकाउंट में सरप्लस पेश किया है। यह धन्यवाद की पात्र है, फिस्कल करैक्शन की बात है। अगर इसमें मैं कहूं कि भैरोंसिंह शेखावत के अन्दर फिस्कल प्रूडैन्स है। मैंने कई बार कहा कि यह स्टेट्समैन का बजट है। मुझे दो-तीन लोग यहां स्टेटसमैन की तरह जरूर नजर आते हैं—माननीय भैरोंसिहं जी शेखावत, हमारे सदन के नेता उनमें से एक हैं। परसरामजी मदेरणा भी कई बार कांग्रेस पार्टी के नेता कम और स्टेट्समैन ज्यादा नजर आते हैं। एक-दो लोग हैं। मैंने कहा कि यह स्टेट्समैन का बजट है तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने कहा कि यह फिस्कल मैनेजमैंट के विजार्ड का बजट है, एक जादूगर का बजट है। मुझे खुशी है कि दो-तीन दिन पहले बाढ़ पर चर्चा करते हुए दो-तीन बार विपक्ष के माननीय नेता ने भैरोंसिंह जी शेखावत को फिस्कल विजार्ड ही माना। इस बजट की खिलाफत करने का कोई और चारा नहीं था तो बैदजी आर्थिक दृष्टिकोण से उसकी क्रिटिसाइज करने की बजाय राजनीतिक अटैक करने लगे और कहने लगे, पीतल सोना हो गया, सोना पीतल हो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गया। सोना पीतल, पीतल, सोना और बजट पर बहस—

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने पहले पढ़ा था हिस्ट्री में डॉक्टर शाह का, मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब को फिस्कल विजार्ड कहा। बाद में मैंने फिस्कल विजार्ड आपका सुना तो दोनों विद्वानों की सुनने के बाद मुझे याद रह गया तो मैंने फिस्कल विजार्ड रिपीट कर दिया।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं समझता हूं, कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि आप जैसे लोग और भैरोंसिहजी शेखावत जैसे लोग इस सदन में मौजूद हैं और ये राजस्थान की सम्पत्ति हैं, किसी अकेली पार्टी की सम्पत्ति नहीं है। इसलिऐ मैं कहता हूं, उम्मीद करता हूं, और मेरे जैसे कई युवा इस बात की उम्मीद करते होंगे कि कई मामले ऐसे हैं जिनमें राजनीति नहीं आनी चाहिऐ। उन चीजों का राजनीतिकरण चाहे कानून की निगाह में अपराध नहीं हो लेकिन मोरल कोड आफ कण्डक्ट में अपराध की सीमा को छुएगा जरूर। यह एथिक्स की बात है, मोरल कोड ऑफ कण्डक्ट की बात है। इसलिऐ जहां गलत है वहां कहने में कोई आपत्ति नहीं जब मैं कहता हूं कि बजटरी डैफिसिट बहुत बढ़ जाए, रेवेन्यू अकाउंट में डैफिसिट बहुत ज्यादा हो जाए, बोरोइंग्स उम्र प्रोडक्टिव हो जाएं, जब डैट ट्रैप में फंस जाएं तो खतरा है, आपको आगाह भी करना पड़ेगा, ठीक भी कहना पड़ेगा।

राजस्व घाटे के बारे में और चर्चा की गयी। सदन के माननीय सदस्यों को पता होगा कि दसवें वित्त आयोग की रिकमण्डेशन के कारण हमको नान प्लान रेवेन्यू अकाउंट की डैफिसिट पर जो ग्रांट मिलती थी वह ग्रांट 98 करोड़ रुपये से कम होकर के 33 करोड़ रुपये हो गयी। आपको यह पता होगा कि नोन प्लान मानकर जो रेवेन्यू डैफिसिट ग्रांट हमें मिलती है वह समाप्त हो गयी। 306 करोड़ की रेवेन्यू डैफिसिट ग्रांट और 98 करोड़ के बजाय मिलना, 33 करोड़, 370 करोड़ का नुकसान जो हमें हुआ है उसको हम इसमें जोड़ दें तो रेवेन्यू अकाउंट का डैफिसिट कितना रह जाऐगा और कर्ज लेने की कितनी जरूरत पड़ जाऐगी? अगर दिल्ली की सरकार के द्वारा दिये जाने वाले पैसो में नये टैंथ फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के अनुसार सरकार को हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार का वित्तीय प्रबन्धन नहीं बल्कि ये केन्द्रीय सरकार का गैर जिम्मेदाराना काम है। इस बात के लिये भी उन्होंने क्या प्राइज दिया है कि यह प्रूडेंट स्टेट है, फिस्कल स्ट्रैस स्टेट नहीं है। जिसने अच्छा काम किया उसको पनिशमेंट और जिसने बुरा काम किया है या जो ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा है उसको अवार्ड, यह शैली है केन्द्रीय सरकार की। राजस्थान की सरकार ने बेहतर परफारमेंस दी है, यह फाइनेंस कमीशन ने माना है। उसको फिस्कल स्ट्रैस स्टेट नहीं माना और इसीलिये उन्होंने कहा कि इसको वाइप आउट कर दीजिये, एलिमिनेट कर दीजिये, ग्रांट देना बन्द कर दीजिये। अगर यह ग्रांट हमको मिली होती तो—

(16.42)

**(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

रेवेन्यू अकाउंट का डैफिसिट जो आपको नजर आ रहा है वह नजर नहीं आता। रेवेन्यू अकाउंट डैफिसिट कि जब मैं चर्चा करूंगा तब मैं बात करूंगा कि दिल्ली की सरकार ने एनकोचमैंट किया है हमारे अधिकारों पर तो फिर सवाल आ जाएगा कि केन्द्र को कमजोर करना चाहते हैं।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

आज हिन्दुस्तान के अन्दर सैण्ट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लिबरलाइजेशन के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद, फोरेन इन्वेस्टमेंट के बाद, प्राइवटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा बोयेंट कोई टैक्स है तो कारपोरेट टैक्स है। यह कारपोरेट टैक्स इंनकम टैक्स की तरह है। इनकम टैक्स व्यक्तियों पर लगता है और कम्पनियों पर लगने वाला इनकम टैक्स कारपोरेट टैक्स कहलाता है। कारपोरेट टैक्स की ग्रोथ रेट क्या है ? कारपोरेट टैक्स की ग्रोथ रेट हाइएस्ट है। अब कारपोरेट कम्पनियां हैं स्टेट के अन्दर, स्टेट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती हैं। स्टेट में रहती हैं, स्टेट उनका आपरेशन जोन है और कारपोरेट टैक्स पर एक्सक्लूजिव राइट सैण्ट्रल गवर्नमेंट का है। अगर कारपोरेट टैक्स की हम मांग करते हैं तो हमारा अपराध क्या है ? कि कारपोरेट टैक्स की मांग आप कर नहीं सकते, केन्द्र कमजोर हो जाएगा। आप इनकम टैक्स के अन्दर ही हिस्सा ले लें, तो इनकम टैक्स की स्लेब तो घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं। लेकिन उसमें जो सरचार्ज लगाएंगे उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं। सरचार्ज में आपकी हिस्सेदारी नहीं, कारपोरेट टैक्स में आपकी हिस्सेदारी नहीं। रायल्टी के रिवीजन की बात करेंगे तो आपत्ति हो जाएगी। मैं इस पूरे मामले में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस प्रकार का अतिक्रमण केन्द्रीय सरकार ने किया है उस कंडीशन के अन्दर रेवेन्यू अकाउंट के डिफिसिट को मीट आउट करने के लिए एडिशनल रेवेन्यू रिसोर्सेज को जनरेट करने की पोटेंशी किसी स्टेट में कम है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है, मेरी नजर में, जो प्रदेश इस फिस्कल प्रोफ्लीगेसी से बचा हुआ हो। इसके लिये कोई जिम्मेदार है तो केवल मात्र केन्द्र सरकार जिम्मेदार है, इसके लिये किसी राजनीतिक पार्टी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

केन्द्रीय सरकार की जो केन्द्रीयकरण की नीति है, जिस केन्द्रीयकरण की नीति को कांग्रेस के राज ने बढ़ावा दिया है वह राज्य सरकारों के इस फिस्कल प्रोफ्लीगेसी की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। मैं इसकी डिटेलिंग में नही जाना चाहता।

पिछली बार आपने कहा कि रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहा, हमारा खुद का टैक्स रेवेन्यू। हमने टैक्स नहीं लगाये। बैद जी की सलाह दिल्ली की सरकार ने तो मान ली, हमने सलाह नहीं मानी। आपकी सलाह आपने शाम को दी, उन्होंने रात को लगा दिया। इसलिये कि टैक्स की बोयेंसी क्रीएट नहीं कर पाये। इसके लिये जिम्मेदार देवेगौड़ा जी नहीं है।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं हूं ?

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : नहीं, आप भी नहीं हैं।

**श्री रामनारायण डूडी** : फिर आप क्या कहना चाहते हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : वह पेपर्स में आ गया है कि जिम्मेदार कौन थे।

It has come in the papers that there was a gap between the revenue and expenditure, and the fiscal deficit percentage cannot be contained or brought down. And who is responsible? Now you are coming to that point.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं चर्चा करूंगा फिस्कल डैफिसिट की भी। पर मैं

(श्री राज्पालसिंह शेखावत)

कहना चाहता हूं कि जो टैक्स लगाने की बात आपने कही, हमारी सरकार ने पांच-छह साल में लगाये नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से टैक्स न लगाकर के गये दो सालों के अन्दर टैक्स का जनरेशन हमने किया है, जो बोयेंसी हमने क्रीएट की है, मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास के अन्दर किसी भी दो साल के कम्पेरीजन करने पर वह बोयेंसी टैक्स में नहीं मिलेगी।

टैक्स का बैटर कलेक्शन हमने किया है, हमने लोगों को मोटिवेट किया है। हम लोगों को मोरल कोड आफ कंडक्ट के दायरे में लाना चाहते हैं, हम लीगल एक्शन से उनको बचाना चाहते हैं इसका परिणाम मिला है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ। हम अपनी हाइएस्ट टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर यह डैफिसिट रहता है तो कौन जिम्मेदार है? हम, लेकिन फिर भी इसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। हम केन्द्र सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, हम केन्द्र सरकार के भरोसे राजस्थान की जनता को भी नहीं छोड़ सकते यही कारण है जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था, कि नोन प्लान रेवेन्यू अकाउंट के डैफिसिट को हमने एलीमिनेट करके सरप्लस में बदला है। इस बात का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को, उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

आपने यह भी कहा कि राजस्व व्यय में कमी आ रही है। बैद जी जरूर जानते हैं कि यह कमी क्यों आयी है। इतने लम्बे समय तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता होगा कि अकाउन्टेंट जनरल की रिपोर्ट के हिसाब से आपने अकाउंट सिस्टम को बदला। और जो लाटरी का कम्पोनेंट था हमारी ट्रांजिट का, ट्रांजेक्शन का कम्पोनेंट, उसे हम पहले ग्रोस लेकर आते थे दोनों साइड इनकम की साइड में भी और एक्सपेंडीचर की साइड में भी। अब सीधी उसकी एण्ट्री हम इनकम साइड में नैट में करने लग गये। इसलिये दिखने वाला जो लोस है वह एपोरेंटली लोस नहीं है। आपने कहा, डॉक्टर नहीं आएगा, नर्स नहीं आएगी, कम्पाउन्डर नहीं आएगा, मास्टर नहीं आएगा। मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई चिन्ता करने की बात है। यह अकाउन्टिंग का ज्यादा एप्रोप्रिएट पैटर्न इण्ट्रोड्यूस किया, यह ज्यादा डी फैक्टो पोजीशन को झलकाएगा। यही बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्व आय में भी बढ़ोतरी हुई है। राजस्व आय के अन्दर 10.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आपने कहा, राजस्व आय घट रही है। यह चीज नहीं है, राजस्व आय और व्यय के अन्दर लाटरी के कम्पोनेंट को अगर निकालकर देखा जाए।

**श्री चन्दनमल बैद** : 1995-96 का आरई. है। 1995-96 का जो बीई. है उसमें राजस्व आय कम हुई है कि नहीं हुई है?

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : यह मैं देखकर बता दूंगा, मैं अभी लाया नहीं। अगर आया होगा तो मैं बतला नहीं सकता पर मैं उसको जरूर बताऊंगा जो मेरी जानकारी में पहुंचा।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैंने यही कहा था कि 1995-96 की जो आरई. है वह सात हजार सात सौ कुछ करोड़ की है और 1996-97 की जो बीई. है वह सात हजार पांच सौ कुछ करोड़ है तो आरई. से बीई. कब हो गयी, इसका मतलब रेवेन्यू फाल्ट है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : आरई.से बीई.

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

कम होना, वह कोई खास बात नहीं है। आरई. से बीई. का कम्पेरीजन, मैं सोचता हूं बहुत ज्यादा प्रूडेंट कम्पेरीजन नहीं माना जाता, और कम से कम इतना तो नहीं माना जा सकता कि उसमें किसी सरकार को कटघरे में खड़ा कर उसको एलोज कर सकें। यह उसके इन्टेन्शन को चुनौती नहीं है। मैं सोचता हूं यह कम्पेरीजन बड़ा अनजस्टिफाइड कम्पेरीजन है। यह कम्पेरीजन जस्टिफाइड नहीं हो सकता। न तो इकोनोमिक स्टेज पर जस्टिफिकेशन है इस आर. ई. बी. ई. का। हां, आपको इसका कम्पेरीजन करना है तो अगले साल तक इन्तजार करना पड़ेगा और उसके बावजूद अगर आपकी बात सही लगे तो मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि ऐसा सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिये।

तीसरा, राजकोषीय घाटे की बात बैद जी साहब ने कही और बताया कि राजकोषीय घाटा 3171 करोड़ का हुआ। मैंने कोशिश की निकालने की। इस साल के केन्द्रीय सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे की एक डेफिनेशन दी गयी है, इसको डिफाइन कर रखा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों और कुछ पूँजीगत प्राप्तियों जो कि उधार नहीं है, तथा कुल व्यय जिसमें से वापसी अदायगियों को घटाकर ऋणों को शामिल किया गया है, के बीच का अन्तर है। यह अन्तर देखने के बाद मुझे लगा कि यह फिस्कल डैफिसिट 3171 करोड़ का जो माननीय बैद जी ने बताया, वह सही नहीं है। यह फिस्कल डैफिसिट वास्तव में 2476 करोड़ रुपये का है। इसी प्रकार यह फिस्कल डैफिसिट 1996-97 तक 2372 करोड़ रुपये तक पहुंचेगी और इसके अन्दर भी पूंजीगत व्यय दोनों सालों में निकाले जाएं और रिवाइज व्यय के कम्पोनेंट को भी देखा जाए तो इस फिक्सल डैफिसिट में 1929.50 करोड़ का पूंजीगत व्यय और निवेश 1995-96 में हुआ था और 1996-97 के अन्दर 2010 करोड़ का पूंजीगत व्यय और निवेश इसमें प्रस्तावित है।

फिस्कल डैफिसिट की जो मैंने चर्चा की है, फिस्कल डैफिसिट को कंटेन किया जाना चाहिये। कंटेन करने की दिशा में राज्य सरकार बढ़ रही है, यह आपने बजट में देखा है। इसके अन्दर जिस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडीचर किया गया है, निवेश किया गया है उस कम्पोनेंट को देखते हुए इस फिस्कल डैफिसिट का जो डाइमेंशन आप बताना चाहते हैं, वह जीडीपी. से आपने कम्पेरीजन किया है। जीडीपी. किसी स्टेट के मामले में मिसनोमर है। किसी देश के मामले के अन्दर जीडीपी. का कम्पेरीजन जेन्युइन है लेकिन स्टेट के मामले में जीडीपी. का फिस्कल डैफिसिट से कम्पेरीजन कई अर्थशास्त्री सही नहीं मानते। फिर भी, मैं कहना चाहता हूं, जीडीपी. से अगर आपने कम्पेरीजन कर भी दिया फिस्कल डैफिसिट का, तो भी यह 12.7 प्रतिशत नहीं पहुंचा है, यह केवल 6.58 प्रतिशत रहा है। 6.58 प्रतिशत से इस फिस्कल डैफिसिट और जीडीपी. के परसेंटेज में अगर बात करें तो 5.79 परसेंट से रिड्यूज इस बजट में कर दिया गया है। हमने प्रस्तावित किया कि 1996-97 में इस डैफिसिट परसेंटेज को घटाकर 5.79 परसेंट तक लाएंगे इस बात पर बैद जी को खुशी जाहिर करनी चाहिए।

**श्री चन्दनमल बैद** : लेकिन आप जो डैफिसिट निकाल रहे हैं वह गलत है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : देखिये, अगर ऐसा है तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। जो

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

डेफिनेशन गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने दी है उसके हिसाब से निकाली है। इसमें कोई और बदलाव आ सकता है, उस बदलाव को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो बजट में डिटेलिंग दी है उस बजट डिटेलिंग के अन्दर स्पेसिफिकली फिस्कल डैफिसिट को डिफाइन करने की कोशिश की है, डिफाइन किया है। उस डेफिनेशन के हिसाब से फिस्कल डैफिसिट इन्हीं फीगर्स पर आता है। मैंने एक-दो प्रोफेसर्स से भी इस बारे में जानकारी की है और मुझे लगा कि यह फिस्कल डैफिसिटी ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसमें अगर कोई नया डाइमेन्शन आता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसको 5.79 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार बताया कि ब्याज टैक्स रेवेन्यू का 50 प्रतिशत हो गया। टैक्स रेवेन्यू का 50 प्रतिशत नहीं हुआ, अभी रामपाल जी उपाध्याय साहब ने इसको दुरूस्त किया और कहा कि 46 प्रतिशत हो गया। यह सही है कि टैक्स रेवेन्यू का 46 प्रतिशत ब्याज हो गया। बराबरी की चर्चा की तो बताऊं कि हमारे टैक्स रेवेन्यू की वृद्धि उससे ज्यादा है। टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ रेट इन्ट्रैस्ट की ग्रोथ रेट से ज्यादा है इसलिए बराबर होने का सवाल उठता नहीं है। मैं समझता हूं उससे बोयेंसी और क्रीएट होगी और यह कम्पोनेंट है टोटल टैक्स रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू का ब्याज का प्रतिशत केवल 19.68 रहा है और 1995-96 में घट करके 18.67 प्रतिशत रह जाएगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बात करें। आपने कहा यह इनका खतरनाक इंडीकेटर है, अगर यह किसी स्टेट की इकोनोमिकल हैल्थ को जज करने का बहुत खतरनाक इंडीकेटर है तो दिल्ली की सरकार के अन्दर स्थिति मेरे ख्याल से हाथ से बाहर निकल चुकी है। दिल्ली की सरकार के अगर हम इन्ट्रैस्ट को और रीपमेंट की इन्स्टालमेंट को जोड़ दें तो टैक्स रेवेन्यू का 99 प्रतिशत बैठता है। इन्स्टालमेंट प्लस इन्ट्रैस्ट को भी जोड़ दें तो दिल्ली की सरकार की टोटल टैक्स रेवेन्यू का 99 प्रतिशत केवल ब्याज और उसकी किस्त की अदायगी में चला जाता है। यह कुल राजस्व का 52 प्रतिशत है। दिल्ली की सरकार के कुल राजस्व का 52 प्रतिशत इन्ट्रैस्ट में चला जाता है और टोटल खर्चे का 30 प्रतिशत—

**श्री चन्दनमल बैद** : 6 प्रतिशत का मार्जिन है आपके पास।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : हम इसको रिड्यूस कर रहे है, दिल्ली के मुकाबले में, मैं सोचता हूं राजस्थान की सरकार को बैदजी ने नसीहत दी है, यह नसीहत करने का उनका दायित्व है। उनका अधिकार भी है। पर यह नसीहत दिल्ली की सरकार के पास पहले पहुंच गयी होती तो दिल्ली की सरकार में जो गड़बड़ी आ रही है, जो तकलीफ देवेगौड़ा जी को हो रही है, अभी आपको पता होगा, सी.आर.आर. कम किया गया।

## सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय रात्रि 10 बजे तक बढ़ाया जाए।

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : समय एक-एक, दो-दो घंटे बढ़ाते हैं—(व्यवधान)—

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : सदन की कार्यवाही जो आपने बजट की बहस में दिन निर्धारित कर रखे हैं वह बढ़ाइये। कल का

(श्री रामनारायण चौधरी)

दिन चला गया तो आप दिन बढ़ाइये, रात में उसकी पूर्ति मत कीजिये। यह तो कोई कायदा नहीं है कि आप हमें ही टैक्स कर रहे हैं। यह कौनसा कायदा हुआ? पांच रोज और आगे बढ़ जाएगा सदन।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन रात को तीन-तीन, चार-चार बजे तक चला है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : वह ठीक है। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है लेकिन—

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : सारे माननीय सदस्य बजट पर बोलना चाहते है इसलिए आवश्यक है। यदि समय नहीं बढ़ाया गया तो लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा—(व्यवधान)—

**श्री रामनारायण चौधरी** : आप दो दिन और बढ़ा दीजिये। आपके काननू हों वे पहले पास करवा लीजिये। लैजिसलेटिव वर्क हो वह पहले करवा लीजिये। लेकिन आप माननीय सदस्यों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने के लिऐ पूरा समय दीजिये और रात को बैठ कर आपाधापी मत कीजिये। आधे सोयेंगे, आधे जागेंगे। ऐसा मत करो। आपको जो उचित पावर्स हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स में ही आप एक घंटा बढ़ा लो ज्यादा से ज्यादा। वर्किंग आवर्स को ठीक रखियेगा चीफ व्हिप महोदय, आप इसमें कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आपके कान में कह दिया आपकी पार्टी के किसी ने कि ऐसा करना है, ऐसा क्यों? कुछ आप भी डिस्क्रीएशन एक्सरसाइज करो। यह कोई बात हुई क्या कि आपने उठा करके सीधे ही पांच घंटा बढ़ा दिया।—(व्यवधान)— यह कोई बात हुई? पांच घंटे कभी बढ़े हैं क्या पहले? आप विधान सभा का इतिहास उठा कर देखो, पांच घंटे कभी एक साथ बढ़े हों तो। (व्यवधान)— यह तो हुआ है कि कार्य सूची के समाप्त होने तक टाइम बढ़ाया जाए। यह बात और है लेकिन 5 घंटे बढ़ा दो?—(व्यवधान)— सदन प्रारम्भ हुआ था 11 बजे हुआ एक घण्टा निकाल दीजिये सदन की कार्यवाही नहीं है। जीरो आवर के बाद सदन दो बजे से चालू हुआ दो बजे तक चला—(व्यवधान)—दो से पांच तक का तीन घंटे है, आपने उठा कर पांच घंटे बढ़ा दिया सीधे ही, यह कोई बात हुई?— (व्यवधान)

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : एक महीने रखना चाहते हो दो महीने रखो न आप इसको, क्यों रात को बूढ़े आदमी को मारते हो? (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : वह अच्छा बोलते हैं, वह अच्छे वक्ता है और वित्त के जानकार हैं। लेकिन आपको पता नहीं, आप तो राज कर रहे हो बैठे हुए। हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : मुझे किसी ने कान में नहीं कहा। मैंने सब लोगों से चर्चा की थी कि आज रात को 11 बजे, 12 बजे तक सदन को चलाया जाए। मैंने सोचा कि बार-बार किसी के बीच में इंटरफियरेंस न हो इसलिये मैंने किया है। आप सब की यह मंशा है तो अभी दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की इजाजत से सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : हम सुबह 11 बजे आते हैं—(व्यवधान)— मंत्रीजी ने कोई बात मेरे से कही है, मैं कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री रामस्वरूप मीणा)

महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि सुबह 11 बजे से आपकी सेवामें हाजिर होते हैं, रात को आप चाहें तीन बजे तक हमको बैठाओ हम बैठने को तैयार हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, यादव साहब जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इन्होंने जिले की मीटिंग के अन्दर हमसे कहा था कि आप विधान सभा में इसलिए जाते हो कि 125 रुपये आपको मिलते हैं। क्या हमारी कीमत सवा सौ रुपये हैं ?...(व्यवधान)...सुबह 11 बजे हम आए और 3 बजे तक रात को बैठे रहें, और यादव जी, जो पुराने मंत्री हैं हम उनकी इज्जत करते हैं...(व्यवधान)...

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : इन्होंने अपमानित किया है कि सवा सौ रुपये के लिए विधान सभा में आते हैं। + + + यह आज माफी मांगें सदन के अन्दर। ये शब्द कैसे कहे, अपना स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)

**श्री सुजानसिंह यादव** : बात कुछ और थी, कह कुछ रहे हैं।...

## आय व्ययक 1996-97 पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : यह सही है कि 1989-90 में जब कांग्रेस की सरकार गयी तब राजस्थान के ऊपर केवल 6,127 करोड़ रुपये का कर्जा था। यह भी सही है कि 1996-97 के अन्त तक यह कर्जा 16,483 करोड़ हो गया। यह कहा गया कि कर्जा लेकर हम घी पी गये। कर्ज लिया परिसम्पत्तियां नहीं बनायीं, कर्जे में राजस्थान को डुबो दिया, राजस्थान को दिवालियापन के कगार पर खड़ा कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि 1980-85 के बीच में यह कर्जा बढ़ा था 96 प्रतिशत की रफ्तार से, 1985-90 के बीच में यह कर्जा बढ़ा 100.5 प्रतिशत की रफ्तार से और अब इन पांच सालों में कर्ज की वृद्धि केवल 93.1 प्रतिशत हुई है। हमारे पांच सालों में केवल 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई व प्लान की साइज में 283 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे टाइम में कर्ज में केवल 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन बजट के साइज में 161 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे टाइम में कर्ज में केवल 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन सामाजिक सेवाओं में जिनकी रामपालजी उपाध्याय बड़ी चर्चा कर रहे थे, तिगुनी वृद्धि हुई है। यह कर्जा लेकर हमने स्कूलें खोली हैं, कर्ज लेकर हमने शिक्षा के केन्द्र स्थापित किये हैं, कर्जा लेकर हमने चिकित्सा के सेन्टर बढ़ाये हैं, कर्जा लेकर हम गरीब की बहबूदी करना चाहते हैं, कर्जा लेकर हम गरीब को जिसको समाजवाद के नाम पर आपने 40 साल तक लूटा, राजस्थान की आम जनता के बराबर लाकर खड़ा करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान को पिछड़ा प्रदेश नहीं, राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बना कर खड़ा करना चाहते हैं। इसमें किसी को आपत्ति क्या है ? कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। आपसे कर्ज कम लिया, आपसे कर्ज लेने की रफ्तार कम रही। आपसे कर्ज कम लिया और विनियोजन बढ़ा दिया। आपसे कर्ज कम लिया सोशल सैक्टर में खर्चा तिगुना कर दिया। आपसे कर्ज कम लिया, गली-गली, मौहल्ले-मौहल्ले के अन्दर गरीब के दरवाजे पर जाकर विकास की गंगा ने दस्तक दी है। इस

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

बात के लिये कर्ज लिया। कर्ज लिया परिसम्पत्तियां नहीं बनायीं, खा गये और इस ढंग से पेश किया क्यूमिलिटिव फोर्म में, प्रोग्रेसिव फिगर्स दिये गये—(व्यवधान)—

(17.00)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : परिसम्पत्तियां कौन-कौनसी खड़ी कर दीं, जरा बता दें आप।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : वह इन्वेन्ट्री सरकार से मांग लें, मंत्री महोदय देंगे आपको।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया व्यवधान नहीं।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : नॉन प्लान रेवेन्यू के ऊपर क्रिटिसिज्म फिर बढ़ाओगे आप। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं बड़े प्रोग्रेसिव फिगर दिये गये, क्यूमिलिटव फिगर दिये गये। एक बार तो मैं भी दशहत में आ गया। बताया गया कि 1991-92 में 365 करोड़ की कमी थी कर्ज के मुकाबले परिसम्पत्तियों के बनाने में। 1992-93 में यह कमी 464 करोड़ हो गयी, 1993-94 में 772 करोड़ हो गयी, 1994-95 में 1192 करोड़ की कमी हो गयी और 1995-96 में 2000 करोड़ से भी ऊपर की परिसम्पतियां बनाने में कमी रही। स्थिति बिलकुल ऐसी नहीं है, ये प्रोग्रेसिव फिगर्स हैं। 1991-92 में केवल 48 करोड़ की संपत्तियां कम बनी, 1992-93 में केवल 109 करोड़ की सम्पत्तियां कम बनीं, 1993-94 में 297 करोड़ की सम्पत्तियां कम बनी और 1994-95 में 424 करोड़ की सम्पत्तियां कम बनी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में इस दरमियान कर्जे का असैट्स में कनवर्जन 90 परसेंट रहा है, 89.81 प्रतिशत रहा है और दिल्ली की सरकार में यह कनवर्जन 67 परसेंट रहा है। बाकी का 33 परसेंट कहां गया, भगवान जाने और आज हमें कह रहे हैं कि असैट्स में कनवर्जन नहीं हुआ, कर्ज लिया, कर्जा खो दिया। यह असैट्स में कनवर्जन हुआ है और असैट्स में कनवर्जन आपसे 30 परसेंट ज्यादा हुआ है। इस तरह के फिगर्स देकर बताया गया कि कर्ज पता नहीं कितना हुआ है, असैट्स में कनवर्जन नहीं हुआ, पैसा कहां चला गया, सीपेज हो गया या अनप्रोडेक्टिव इनवेस्टमेंन्ट हो गया। हम कर्ज लेंगे उसका प्रोडेक्टिव इनवेस्टमेन्ट करेंगे, हम कर्ज लेकर राजस्थान की जी.डी.पी. को बढ़ाएंगे, हम कर्ज लेकर राजस्थान की जनता की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएंगे, हम कर्ज लेकर राजस्थान के गरीब की सेवा करेंगे और गरीब की सेवा करके राजस्थान से गरीबी का उन्मूलन करेंगे जिसकी चर्चा आप 40 साल करते रहे। आप तो चर्चा करते रहे और हम गरीबी का इस राज्य से उन्मूलन करेंगे। गरीबी की पहली बार आवाज सुनी जाने लगी है, गरीब के दुःख की पीड़ा को सरकार पहली बार समझने लगी है। यह इस सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। इस संवेदनशील सरकार की संवेदनशीलता परिचायक है कि यह गरीब को गणेश मानकर सही रूप में सेवा करना चाहती है, उस गरीब की गरीबी को दूर करना चाहती है। इसमें मैं सोचता हूं कि बैद जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सदन में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसे केवल राजनीतिक अटैक माउंट करने के लिए इस पिक्चर को इस तरह पिक्चराइज किया जाए कि राजस्थान कर्ज में डूब रहा है। हम एक बार भी कर्ज में डिफाल्टर नहीं है। डैट् सर्विसेज में राजस्थान कहीं भी डिफाल्ट नहीं है। कर्ज मिलता है साख वाले को। हम डिफाल्ट नहीं रहे। हम डिफाल्टर हुए होते तो स्थिति शायद दूसरी हुई होती। हम डैट् की सर्विस बड़े प्रापरली कर रहे हैं। डैट् सर्विस में खर्चा जो बता रहे हैं आप, हमारी टोटल रेवेन्यू का केवल 19 परसेंट है, जिसको भी हम कम कर

(श्री गजपालसिंह शेखावत)

रहे हैं। 18.77 परसेंट यह रिवाइज में आया है, हम यह प्रपोज करते हैं। टोटल एक्सपेंडीचर हमारा 12 परसेंट है और रिवाइज एस्टिमेट में 11.24 परसेंट है। डैट्स सर्विसेज में हम कभी डिफाल्टर नहीं रहे और डैट्स सर्विसेज का टोटल अमाउंट का जो हमारा परसेन्टेज है वह हम रिड्यूस कर रहे हैं, यह किस बात का द्योतक है? किस बात को इंगित करता है? यह इस बात को इंगित करता है कि हम राजकोषीय घाटे के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं। हम राजकोषीय घाटे को कम करेंगे, हम बजट के डैफिसिट को कम करेंगे, हम राजस्व खाते के घाटे को कम करेंगे। इस प्रकार की स्थिति है जिसमें एक तरफ फिस्कल करेक्शन किये जा रहे हों दूसरी तरफ राजस्थान के गरीब को सेफ्टिनेट दिया जा रहा है, प्रोटैक्टिवनैट दिया जा रहा है जिसको आप 40 साल में नहीं दे पाये। आप 40 साल में न तो ग्रोथ जनरेट कर पाये। हम यह मानते हैं कि अगर आपने ग्रोथ किया होता, कैपिटल सेक्टर के अन्दर कैपिटल इनवेस्टमैंट किया होता, अगर आपने कैपिटल इनटेंसिव टैक्निक का इस्तेमाल भी किया होता तो मैं यह मानता कि ड्यू कोर्स आफ टाइम के अन्दर यह डवलपमेन्ट ट्रिकल डाउन करेगा। ऊपर का डवलपमेन्ट, कैपिटल सेक्टर में किया गया। इनवेस्टमेन्ट, कैपिटल इनटेंसिव टैक्निक में किया गया इनवेस्टमेन्ट धीरे-धीरे गरीब तक पहुंचेगा और 40 साल में पहुंच गया। यह ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी भी नहीं थी, आप गरीब को कोई सेफ्टिनेट भी नहीं दे पाये, न आप गरीब को प्रोटैक्टिवनैट दे पाये। न राजस्थान की इकानमी को बोयेंसी दे पाये, न आप ग्रोथ रेट दे पाये। जगदीप जी धनखड़ कह रहे थे कि आपने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं लिया। हमने तो नहीं लिया, दिल्ली की सरकार ने तो बहुत लिया? हमने तो कम लिया। दिल्ली की सरकार ने कम लिया इसी का परिणाम है कि आपको क्रेडिट रिजर्वेशन में कमी करनी पड़ी। मार्केट में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच आ गया। लिक्विडिटी क्रंच आने का मतलब इनवेस्टमेन्ट रुक जाएगा, इनवेस्टमेन्ट कम हो जाएगा। आप बोयेंट इकानामी पर जाना चाहते हैं पर लिक्विडिटी क्रंच आ रही है। लिक्विडिटी क्रंच से मीट आउट करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने, सेन्ट्रल बैंक ने अपने नीचे वाले बैंकों का जो पैसे वे अपने पास रखते हैं, उसको 13 परसेन्ट से 12 परसेन्ट कर दिया। जिससे साढ़े सात हजार करोड़ रुपया बाजार में आया। तो आज हिन्दुस्तान की इकानोमी में लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, इनवेस्टमेंट रुक रहा है। यह सही है जी.डी.पी. बढ़ रहा है। यह सही है कि हमारे से ज्यादा जी.डी.पी. बढ़ा है, मैं स्वीकार करता हूं और हमसे ज्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट भी बढ़ी है, यह भी सही है। यह कमाल है आपका, यह सही है। यह ग्लोबलाइजेशन का कमाल है क्योंकि मनमोहन सिंह जी खुद कह रहे थे कि 12 परसेंट से 15 परसेन्ट के बीच तक ग्रोथ रेट रखना चाहता हूं इंडस्ट्रियल सैक्टर में और इकानामिक ग्रोथ रेट रखना चाहता हूं 6 परसेन्ट, 7 परसेंट। इसका मतलब इकोनामी में इंडस्ट्रियल सैक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते है। हां, 8 परसेन्ट 15 परसेंट टार्गेट है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इकानामी ग्रोथ आपकी इन्टररेटेड इकानामिक ग्रोथ, जी.डी.पी., डवलपमेन्ट ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, दे आर को-रिलेटेड। आप 12 परसेंन्ट की ग्रोथ लेना चाहते हैं, 15 परसेन्ट की ग्रोथ लेना चाहते हैं इंडस्ट्रियल सैक्टर में।

**श्री परसराम मदेरणा** : 12 परसेंन्ट लेना चाहते हैं।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : हां, लेना चाहते हैं न। 12 परसेंट लिया है आपने।

**श्री परसराम मदेरणा** : you see the target of 15 per cent of industrial growth......

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : Yes. There is a target of 15 per cent but you have achieved 12 per cent. That is laudable. It is true. That it is laudable.

**श्री परसराम मदेरणा** : टार्गेट रखा है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : हां, टार्गेट 15 परसेंट का और 12 परसेंट एचीवमेन्ट, बड़ा अच्छा एचीवमेन्ट है।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : चाइना ने यही किया है।

**श्री परसराम मदेरणा** : कोरिया ने कितना किया है?

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : ज्यादा किया है, 30 per cent.

**श्री परसराम मदेरणा** : It is more than China.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं अर्ज करना चाहता था कि 12 परसेंट की ग्रोथ रेट इन्होंने इंडस्ट्रियल सैक्टर में अचीव किया है और छह पाइन्ट कुछ परसेंट हमने टोटल डवलपमेन्ट की ग्रोथ रेट ली है। अब यह फिक्टीशस ग्रोथ है। यह झूठी ग्रोथ है। आम तौर पर आप सबने देखा है, आप सब लोग भी जानते हैं कि जब देश की जीडीपी. बढ़ती है तो पर कैंपिटा इनकम बढ़ती है, यानि जीडीपी. पर एक्सक्लूसिव राइट आपका है, जीडीपी. पर एक्सक्लूसिव राइट हिन्दुस्तान की जनता का है। फोरेन इनवैस्टमैन्ट आ रहा है, बाहर का इनवैस्टमैन्ट लिक्विडिटी के रूप में आ रहा है यहां प्रोडक्टिविटी पैदा कर रहा है। प्रोडक्शन आ रहा है, सेवाएं आ रही हैं। ये प्रोडक्शन और सेवाएं जो विदेशी पैसे से पैदा की जा रही हैं, वे आपके जीडीपी. में जुड़ रही हैं। विदेश से लाये हुए पैसे से जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो सेवाएं दी जा रही हैं, वे जीडीपी. में जुड़ रही हैं। विदेश से आये हुए पैसे के द्वारा जनरेटेड पैसे की इनकम भी बाहर जा रही है। यह जीडीपी. जुड़ जाएगी आपके यहां पर लेकिन जीडीपी. का टोटल पर कैपिटा इनकम में कनवर्जन आपके लोगों के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह ऐसा है जैसे मेरी और अनंग कुमार जी जैन की पार्टनरशिप फर्म हो और पार्टनरशिप फर्म की इनकम को राजपाल सिंह अपनी इनकम में जोड़ ले और अपनी बुक्स में बताए कि यह मेरी इनकम है। कम्पनी अपनी ही तो है, फर्म अपनी ही तो है। फर्म तो अपनी है लेकिन इसमें हिस्सेदारी है, हिस्सेदार के हिस्से को अलग करना पड़ेगा तब जाकर के राजपाल सिंह जी की व्यक्तिगत इनकम जस्टिफाइड होगी। यह डी फैक्टो इनकम अलग है। डी जूरे इनकम अलग है। यह मिसचीफ है, यह फिस्कल मिसचीफ है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो 6.2 परसेन्ट की ग्रोथ रेट आपने जनता को दिखायी है वह आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट का परिणाम है या मानसून का परिणाम है? यह मानसून तो आपकी किस्मत का परिणाम है, देश की जनता की किस्मत का परिणाम है। हमारी एग्रेरियन इकानामी है और राजस्थान की इकनामी भी एग्रेरियन इकानामी है। लेकिन जो फोरेन इनवैस्टमैन्ट के भरोसे आपने ग्रोथ जनरेट की है

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

और उसको जी.डी.पी. में आपने एन्टर किया है और जी.डी.पी. में एन्टर करने के बाद में पर कैपिटा इनकम में उसका रिफ्लैक्शन झलकाया है वह रिफ्लैक्शन सही नहीं है। हमने इस प्रकार से जनता को झूठी चीज दिखाने की कोशिश नहीं की, हम राजस्थान का विकास किसी के भरोसा नहीं करना चाहते, हम राजस्थान को गरीब, लाचार नहीं देखना चाहते। हम राजस्थान का विकास राजस्थान की जनता के बल पर करेंगे, राजस्थान की जनता का विकास हिन्दुस्तान की जनता के भरोसे नहीं होगा। हम किसी और फोरेन इनवैस्टमैन्ट के भरोसे जी.डी.पी. नहीं दिखायेंगे, पर कैपिटा इनकम नहीं दिखायेंगे इसलिये ग्रोथ रेट कम नजर आती है लेकिन यह ग्रोथ रेट डी फैक्टो ग्रोथ रेट है। आपकी ग्रोथ रेट डी फैक्टो नहीं है।

(17.09)

**(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री परसराम मदेरणा** : डी जूरे है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : डी जूरे भी नहीं है। आपके द्वारा 31 तारीख को जो प्राइस राइज किया गया है—

**श्री परसराम मदेरणा** : उनके साथ आप (व्यवधान) वह तो आपके पार्टनर बन गये हैं, मन-मन राजी हो रहे हैं कि मैं कम्पनी में पार्टनर बन गया हूं।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं आपसे यहां अर्ज कर रहा था कि हमने सारे ढिंढोरा पीटा इस बात का कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इम्पोर्ट हम कन्ट्रोल करेंगे। चुनाव में बड़ा नारा सुनता था अखबारों में कि फोरेन रिजर्व लबालब है और यह मनमोहन सिंह जी की और नरसिंह राव जी की प्रूडेन्ट नीतियों का परिणाम है। मुझे भी कई बार लगा कि नरसिंह राव जी कांग्रेस के लिए भले ही शुभ न हों, देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए शुभ हैं। पर यह सोच एक छलावा है।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : यह आपके अब समझ में आयी ?

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : यह मेरे अभी लेटेस्ट समझ में आयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फाइनेंशियल ईयर के गये दो महीने के अन्दर हमारा फोरेन ट्रेड का गैप 771 मिलियन डालर हो गया। इन्हीं दो महीनों का गये साल का हम लें तो हमारा यह गैप था केवल 275 मिलियन डालर।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** (औसियां) : राजपाल सिंह जी, डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता लेकिन जो आप भावनाएं बता रहे हैं और भैरों + + + की प्रशंसा कर रहे हैं, आप वाले भाषण में और जसवंतसिंह जी ने जो भाषण दिया था उसमें बहुत बड़ा फर्क है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : Well. I don't want to compare myself with Jaswant Singh ji. He is an hon'ble member of my party.

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : नहीं, नहीं, I am not comparing.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : But I say I am talking about the data which

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

have been recently collected from last years......

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : No. No. I am not going. I am going in the principle of your "Bhashan." जो जसवंतसिंह जी ने मापदण्ड दिये थे कि भाजपा की फाइनेंशियल पॉलिसी यह होगी और जो आप प्रेच कर रहे हैं आपके मुख्य मंत्रीजी को, उसमें अन्तर है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : I don't think that there is some kind of contradiction. We all believe in foregin investments but we want to control the administrative sectors. This is what Jaswant Singhji had said, this is what Mr. Bhairon Singhji had said and this is what my party had said.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : He is speaking very well sir. But for a person like.....

श्री अध्यक्ष : This is not the subject of any discussion now. He must complete his version.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एतराज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसलिए आया कि जैसे-जैसे आप बढ़ाते गये आप दोनों में अन्तर भी बढ़ता गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : Well. This is a matter of perception only. Here we sit to sort out the perceptions.

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य का कहना था कि जसवंतसिंहजी भाजपा में नेता हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हुए 13 दिन के लिए और भैरोंसिंहजी कई सालों से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन दोनों की बातों में से ये किस को पसंद कर रहे हैं। दोनों में डिफ्रेन्सियेट कर रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मेरे ख्याल से कामन इम्प्रेशन यह है कि जसवंतसिंह जी और भैरोंसिंह जी एक ही चीज हैं, एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी के लीडर हैं। सदन का अन्तर है, जसवंतसिंह जी परसैप्शन में, भैरोंसिंह जी की परसैप्शन में, मेरी पार्टी की परसेप्शन में मेरी परसैप्शन में कोई अन्तर नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो उनके भाषण के अंश का अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी आपके पास भाषण का अंश तो है नहीं, आप यूं ही फरमा रहे हो।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : Mr. Speaker sir, The perception, you see, in regard to the financial management and the budgetary control and income and expenditure, the Chief Minister's preception is confined to the State of Rajasthan. The Hon'ble Member's perception, his horizon, as spread wide and he is covering now beyond sikkim.

श्री राजपाल सिंह शेखावत : I think it is a matter of honour to all of us to have a Bhairon Singh Ji kind of Person. He has got a very enlightened horizon and multi-dimentional -

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

perception but I say.....मैं आपसे जो अर्ज करना चाह रहा था.....

**श्री परसराम मदेरणा** : Compare import-export to acute import-export which you were discussing.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : He too is quite expert in exporting and importing people. मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि फोरेन रिजर्व की जब हम चर्चा करते थे, बड़ी खुशी से करते थे। वह फोरेन करेंसी हमारे रिजर्व में ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। जब फोरेन करेंसी रिजर्व में नहीं रहने वाली है और जिस तरह का पैट्रोलियम प्रोडेक्ट्स इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट हमारा बढ़ रहा है, हमारे पास में इस फोरेन एक्सचेंज की क्राइसेस को मीट आउट करने के लिए एक्सटर्नल डैट के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इंस्टालमेंट और इन्ट्रैस्ट को पेमेंट करने के लिए जिस देश की टैक्स रेवेन्यू का 99 पैसा जाता हो वह देश अब और कर्ज लेने की हालत में नहीं है।

**श्री परसराम मदेरणा** : That is why the present Finance Minister has made the hike in the petroleum products.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : This kind of experiment was done earlier also which was miserably failed, but that was during the Congress regime. We wanted to reduce the petroleum consumption in the State. Resultantly we incressed, we hiked the prices but the result was none. You hiked the prices in consumption goods. It proved like a different goods where the principles could not apply. The same story is going on now also and I do not think that this is going to affect any kind of consumption in anyway. And if you want to reduce the consumption then what do you want to do? you want to reduce the consumption of diesel? What do you want to do out of it? Do you want to stagnant the economy? I don't think if even you want to do this kind of thing. This is not a very judicious decision.

**श्री परसराम मदेरणा** : That is a 10 percent increase.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : That is substantial because you are talking in terms of controlling the inflation. I think this will rise the inflation ultimately which you have brought down, which you have brought down deliberately, you have brought down by C.R.R., you have brought down by the interest as uplift and that entire exercise will come to nil. मैं इतना ही अर्ज कना चाहता हूँ।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द)** : Are you going to........

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : Now we are only reaching to the point.......

**श्री चन्दनमल बैद** : Another financial wizard.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं इतना ही अर्ज करना चाहता था कि जो ग्लोबलाइजेशन की चर्चा की है, जो लिबरलाइजेशन की बात हम करते हैं उस लिबरलाइजेशन को ब्लाइंडली एक्सैप्ट करने के पीछे जो दुर्गति छिपी थी उस दुर्गति से हम मुक्त नहीं हो सके। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बारबार स्वदेशी की चर्चा करती है और कहती है कि uncle chips no, computer chips yes. परिणाम भोगेंगे, यह देश परिणाम भोगेगा, देश का गरीब सबसे ज्यादा परिणाम भोगेगा। हम देश के गरीब को आगे नहीं बढ़ा पाये उसको सैफ्टीनैट दे नहीं पाये। हम झूठी जी.डी.पी. (G.D.P.) बढ़ाकर यह बताना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के गरीब को गरीबी की रेखा के ऊपर कर लिया है। इन झूठे आंकड़ों से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, आर्थिक लाभ नहीं हो सकता। देश को सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त है आर्थिक लाभ की। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आर्थिक परिवर्तनों का लाभ हम लेना चाहते हैं, राजस्थान की सरकार ने लिया है। एक बैलेंस फार्म के अन्दर, सिंथेसाइज फार्म के अंदर, एक प्रेग्मेटिक फार्म के अन्दर एक तरफ हम ग्रोथ को बढ़ाने चाहते हैं, जी.डी.पी. को बढ़ाना चाहते हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना चाहते हैं पर दूसरी तरफ हम सामाजिक दायित्वों से मुक्त नहीं होना चाहते। हम कल्याणकारी राज्य की अवधाराणा से बंधे हुए हैं, हम गरीब के प्रति संवेदनशीलता के तार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सामाजिक सेवाओं में तीन गुना वृद्धि हुई।

यहां विकास और गैर विकास व्यय की भी चर्चा की और कहा कि गैर विकास व्यय बढ़ रहा है, विकास व्यय घट रहा हैं। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं—

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं, You have not taken that point to the logical conclusion. What about the foreign investment?

**श्री राजपालसिंह शेखावत** : क्या? I couldn't get the point.

**श्री परसराम मदेरणा** : With reference to the globalisation, you had your own reservation about the foreign investment.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : I do have my own reservations about the foreign investments in certain sectors.

**श्री परसराम मदेरणा** : As ex-Finance Minister of Govt. of India, he remained only for 13 days.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : Yes.

**श्री परसराम मदेरणा** : He has increased the targets from 2 billion to 15 billion.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : Yes, he has increased the targets of foreign investments but he has done in specified sectors.

**श्री चन्दनमल बैद** : उन्होंने यह भी कहा था कि हम कन्ज्यूमर इण्डस्ट्री को दूसरी इण्डस्ट्रीज से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, I very well remember it.

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : जसवंतसिंह जी ने कहा कि इनको साथ लेकर जाएंगे।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : Well, I don't want to drag myself in such a kind of controversy because I really don't remember what he said there. So far as you are endorsing it so I do have reasons

(142)



(श्री राजपालसिंह शेखावत)

to believe you. But it is a fact which is not known to me so far and I don't know the context also. But I didn't say. विकास व्यय और गैर विकास व्यय की बात की गयी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं प्लांड इकोनामी के पैटर्न पर तो विश्वास करता हूं पर हमारा जो अकाउंटिंग का तरीका है, बजटिंग का तरीका है प्लान-नान प्लान का, उससे मैं काफी हद तक व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि पूरा का पूरा बजट इस रूप में देखा जाना चाहिये कि कौन सा एक्सपेंडीचर डवलपमेंटल था और कौन सा एक्पेंडीचर नान डवलपमेंटल था। मैं कोई कैपिलटलिस्ट इकोनामिक को प्लीड नहीं कर रहा। यह सही है कि डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर गिर रहा है तो सरकार का प्रथम दायित्व है कि यह देखें कि डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर कैसे स्टेप-अप हो। हमारी सरकार के अन्दर 1992-93 में हमें बताया गया कि हमारा डवलपमेंटल व्यय 66.95 प्रतिशत था, जो सही नहीं है। हमारा व्यय इससे कम था हमारा व्यय था 61 प्रतिशत यह सही है। लेकिन 1993-94 में हमारा व्यय हो गया 71 परसेंट और आपने बताया 66 परसेंट। हमारा 1994-95 में हो गया 68.5 परसेंट, आपने बताया 62 परसेंट। हमारा 1995-96 में हो गया 66 परसेंट, आपने बताया 58 परसेंट और अब 1996-97 के प्रपोज्ड बजट के अन्दर हमारा विकास व्यय हो जाएगा 70.46 परसेंट। विकास में कमी कहां आ रही है? विकास में तो कमी आयी थी, मुझे ध्यान है।

**श्री चन्दनमल बैद** : माननीय सदस्य, एक मिनट, मैंने जो फिगर दिये हैं वे उन किताबों से दिये हैं जो किताबें बजट के साथ हमको दी गयी थीं। या तो वे किताबें गलत हैं या आप गलत कह रहे हैं।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं भी फिगर वहीं से लाया हूं।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं वे किताबें आपको दिखा दूंगा। (व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : Alright. I will also look into those figures and when I speak I will be the final arbiter.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं इतना जरूर अर्ज कर सकता हूं कि अगर इसमें आपको आपत्ति है तो आप बताएं क्योंकि आप उन दिनों फाइनेन्स मिनिस्टर थे।

**श्री चन्दनमल बैद** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि भैरोंसिंह जी शेखावत ने मुझे जो किताबें दी थीं उन किताबों से मैं बता रहा हूं। या तो वे किताबें गलत है या आप गलत हैं।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : वह किताब मुझे मिल चुकी है। मेरे अलावा भी कोई गलत हो सकते हैं। किताबें वहीं है, वही आपको मिली है और मुझे भी वही मिली है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : देखने का फर्क है। (व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : किताबें दोनों एक ही हो सकती है। Many, times there is a snag in the calculator also in arriving at the percentage. I will use two calculators.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : I think my clacucaltor is new eough and I am prudent enough because this technology is a new generation technology to which I am more adepted.

**श्री चन्दनमल बैद :** आपकी किताबों से आपका विकास व्यय 1992-93 में 66.95 प्रतिशत था, 1993-94 में 66.30 प्रतिशत था, 1994-95 में 62.91 प्रतिशत था, 1995-96 (आरई) में 58.29 प्रतिशत हो गया। ये मैंने आपकी किताबों से नोट किया है। आप बहुत यंग आदमी हैं, मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा। कैलाश जी मेघवाल ने उस दिन फिगर्स को चैलेंज किया तो उनको माफी मांगनी पड़ी थी। मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा करना पड़े।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत :** मैं आपके फिगर्स को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं यह अर्ज जरूर करना चाहता हूं कि विकास व्यय बनाम गैर विकास व्यय की अगर हम चर्चा करें तो 1980-85 में माननीय चन्दनमलजी बैद यहां फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे__

**श्री चन्दनमल बैद :** आप क्यों बुरे दिनों की याद दिला रहे हैं।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत :** ये फिगर मैंने चैक किये हैं, मैंने अपने हाथ से कैलकुलेट किये हैं लेकिन ये फिगर मेरे छोटे भाई ने कैलकुलेट किये हैं इसलिये मैं चुनौती देने की स्थिति में नहीं हूं और बैदजी को मैं चुनौती दे भी नहीं सकता लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 1980-85 में विकास व्यय में वृद्धि की रफ्तार थी केवल 11.8 प्रतिशत और गैर विकास व्यय की वृद्धि की दर थी 18.8 प्रतिशत। आज हम यह कहते हैं कि विकास व्यय घट रहा है__(व्यवधान)__इसीलिये हमने 70 प्रतिशत कर दिया।

**श्री चन्दनमल बैद :** मेरे पदचिन्हों पर चलोगे तो मेरी जैसी स्थिति आपकी भी हो जाएगी।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत :** इसी प्रकार 1985-90 में विकास व्यय की ग्रोथ रेट 14.5 प्रतिशत थी और गैर विकास व्यय की 16.8 प्रतिशत थी। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि यह सही है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, विकास व्यय में वृद्धि होनी चाहिये। विकास व्यय की वृद्धि दर गैर विकास व्यय की वृद्धि दर से बढ़नी चाहिये इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है कि धीरे-धीरे विकास व्यय का शेयर बढ़ता चला जाए। इस सिद्धान्त को हमने स्वीकार किया है, इसीलिये हम इसको 70 प्रतिशत पर ले जाना चाहते हैं। बैदजी की नसीहत को हमारी सरकार ने माना है और ग्रोथ रेट जो बैदजी की सरकार ने दी उसमें सुधार किया है, यही कारण है। इससे यदि किसी को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिये था तो कांग्रेस के मित्रों को होना चाहिये था। यह दरियादिली उन्हें दिखानी चाहिये__(व्यवधान)__यह ब्रेक अप मैंने नहीं दिया।

**श्री परसराम मदेरणा :** मानसून का भी योगदान रहा है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत :** हां, यह सही है मानसून का योगदान हमेशा रहा है क्योंकि मानसून का ही योगदान था कि__

**श्री परसराम मदेरणा :** This is a golden period from 1992. It has been extra-ordinary good monsoon in the State.

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह :** तीस मिनिस्टर्स से काम चला रहे हैं (व्यवधान)

**श्री राजपाल सिंह शेखावत :** सोशल सैक्टर और जनरल सैक्टर की बात की गयी। यह बात भी की गयी कि जनरल सर्विसेज का खर्चा

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

बढ़ रहा है और सोशल सैक्टर में खर्चा घट रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 1989-90 में जनरल सर्विसेज पर कुल खर्चा हुआ था 978.18 करोड़ रुपये यानी 36.26 प्रतिशत, 1996-97 में यह खर्चा घटकर हो गया 35.98 प्रतिशत 36.26 प्रतिशत से घटकर 35.98 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार 1989-90 में सोशल सर्विसेज पर खर्चा किया था 1118.94 करोड़ रुपये यानी 41.48 प्रतिशत, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में विकास पहुंचाने पर 41 प्रतिशत खर्च किया, 1118 करोड़। हमारी सरकार 1996-97 में 3306.29 करोड़ रुपये खर्च करना चाहती है कांग्रेस सरकार की तुलना में जो कि 41.97 प्रतिशत है। सामाजिक सेवाओं पर हम ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। यह सही है कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं, फिगर्स में कोई रेडिकल चेंज नहीं है मैं मानता हूं। जनरल सर्विसेज में आपको पता है इंटरेस्ट का कम्पोनेंट है जो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन फिर भी सोशल सैक्टर में हमारा स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने खर्चा किया एक हजार करोड़ रुपया, हमने खर्चा किया तीन हजार करोड़ रुपया। एक हजार करोड़ रुपये खर्च करके हमारे तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करने पर भी आपको आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, अभी मानसून की चर्चा की गयी। मुझे खुशी है इस बात की कि यह बताया गया कि हमारे यहां जी.डी.पी. में वह ग्रोथ रेट नहीं आयी। मदेरणा साहब ने स्वयं ने इसका जवाब दिया कि इसमें मानसून का बड़ा रोल है। विकास व्यय में भी बड़ा रोल है और जी.डी.पी. में भी बड़ा रोल है। आपको पता है कि राजस्थान की इकानामी एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारी टोटल रेवेन्यू, हमारी जी.डी.पी. का बहुत बड़ा कम्पोनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर है। जिस साल मानसून अच्छा जाता है, हमारी जी.डी.पी. बढ़ जाती है, जी.डी.पी. बढ़ जाने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। राजस्थान के दूसरे इलाके या तो एरिड हैं या सेमी एरिड हैं। आजकल तो हमारे दो-तीन जिले बाढ़ पीड़ित और हो गये। जहां दो-तीन जिले बाढ़ पीड़ित हों, 3/5 क्षेत्र एरिड और सेमी एरिड हो तो मानसून पर उसकी डिपेंडेंस कितनी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारी तो ग्रोथ रेट को ही चुनौती दे दी। आपके यहां पर तो जी.डी.पी. और पर कैपिटा इनकम एब्सोल्यूट टर्म्स के अन्दर घट गयी। मैं मानता हूं लेकिन इस बात पर किसी को मैं एलीज नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी जी.डी.पी. का मानसून के साथ गहरा ताल्लुक है। बेहतर मानसून, हमारा बेहतर जी.डी.पी. मानसून ठीक नहीं है तो जी.डी.पी. गिर जाएगा, निप कर जाएगा। कई मौके ऐसे आये हैं जब निप किया है और दो तरफा मार पड़ी है। जब मानसून ठीक नही आए, जी.डी.पी. घट जाएगा और रिलीफ आपरेशन बढ़ जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिये कहना चाहता हूं कि जिन-जिन मुद्दों पर राजस्थान के बजट की आलोचना करने का प्रयास किया गया। वह केवल इसलिये किया गया कि हमें आलोचना करनी है और उस आलोचना के जरिये पोलिटिकल अटैक डवलप करना है कुछ नजर नहीं आया तो कहने लगे कि दिवालिया हो गये, दिवालिया हो गये, कर्ज ले लिया, कर्ज ले लिया, परिसम्पत्तियां नहीं जुटाई। हम कर्ज लेंगे लेकिन गरीबों की सेवा करेंगे। अगर राजस्थान की जनता को चिकित्सा की सुविधा पहुंचाने के लिये कर्ज लेना पड़े,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान की जनता को पेयजल देने के लिये हमें कर्ज लेना पड़े, राजस्थान की जनता को शिक्षा की सुविधा देने के लिये कर्ज लेना पड़े तो भी हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा स्ट्रैस ज़ोन एच.आर.डी. है। ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट है। हम राजस्थान की आनेवाली जनरेशन को आंखों में देखकर काम कर रहे हैं। शिक्षा उसके लिये, चिकित्सा उसके लिये, पेयजल उसके लिये मोलन्यूट्रिशन को खत्म करना चाहते हैं। हम अच्छी ब्रीड पैदा करना चाहते हैं, एक पढ़ी-लिखी जनरेशन पैदा करना चाहते हैं, आने वाले राजस्थान की सुनहरी तस्वीर के अवतरण के लिये कर्म-सुकर्म करना चाहते हैं और उस सुकर्म के लिये धन्यवाद देना चाहिये था।

इस बजट के अन्दर कई चीजें अच्छी हुई हैं। कई बहुत ही अच्छी चीजें हुई हैं और पहली बार हुई हैं, जिन पर किसी ने चर्चा नहीं की। हमारे यहां हमेशा बजट के घाटे की चर्चा की गयी है। हम लगातार बजटीय डैफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहे है। इस बार के बजट में तो हम सोचते हैं कि शायद प्लान असिस्टेंस के बाद हम इसको एलिमिनेट ही कर दें। इस बार हमने 139 करोड़ के बजट डैफिसिट की बात की है, हम उम्मीद करते हैं कि प्लान असिस्टेंस से इसको एलिमिनेट कर दें। हम बजट डैफिसिट को लगातार कम करना चाहते हैं, इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं लेकिन इस बात के लिये किसी ने राजस्थान सरकार को धन्यवाद नहीं दिया। हमने नॉन-प्लान रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को न केवल एलिमिनेट किया है बल्कि सरप्लस में कन्वर्ट किया है और सरप्लस में कन्वर्ट किया है इस प्रकार से हमने रेवेन्यू अकाउन्ट के घाटे में सुधार किया है। 1995-96 में अनुमानित हमारा रेवेन्यू अकाउन्ट का घाटा था 824 करोड़ रुपये, इसको कम करके किया 546 करोड़ रुपये। राजस्व घाटे में हमने 33.33 पर्सेंट का सुधार किया और इस बार के बजट के अन्दर हम इसको 362 करोड़ पर लाना चाहते हैं, यानी हम 56 पर्सेंट का सुधार करना चाहते हैं। हम बजट अकाउन्ट में सुधार करना चाहते हैं, बजट डैफिसिट में सुधार करना चाहते हैं, हम रेवेन्यू अकाउन्ट के घाटे में सुधार करना चाहते हैं। अगर हमने बजट घाटे में सुधार कर लिया, हमने राजस्व घाटे में सुधार कर लिया तो जिस राजकोषीय घाटे की चर्चा हम बार-बार करते हैं और बार-बार जिस बोरोइंग्स की बात करते हैं यह राजकोषीय घाटे में कमी होने की शुरूआत राजस्थान में पहली बार होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्लान की चर्चा भी की गयी—

**श्री रामनारायण मीणा** : मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 3 दिसम्बर, 1990 को राजस्थान के ऊपर विदेशी कर्जा कितना था और आज कितना है? कृपया इतनी सी जानकारी दे दें।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें, विराजें। (व्यवधान)

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : मैं आपको इतना अर्ज कर दूं, मैं कोई फिगर तो आपको दे नहीं पाऊंगा।

**श्री रामनारायण चौधरी** : इन किताबों में सब है। आप तो अपना भाषण दो। (व्यवधान)

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि कर्ज के अन्दर हमारी एक्सटर्नल डिपेन्डैंन्स लगातार कम हो रही है और हमारी इन्टरनल डिपेन्डैंस बढ़ रही है। हम कर्ज ले रहे हैं तो प्रोविडेन्ट फण्ड से ले रहे हैं, हम कर्ज

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

**अपने सोर्सेज से ले रहे हैं। हमारे यहां से लिये हुए कर्ज का कम्पोनैन्ट बढ़ रहा है, यह खुशी** की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर हमारे कर्ज का है। कर्जे का कम्पोनैन्ट कितना है, इस रूप में मैं कहना चाहता हूं कि 1987-88 के अन्दर ही कांग्रेस की सरकार में तो बजट के वोल्यूम का 21 पर्सेंट कर्ज था और हमारा तो केवल इस वक्त 19.55 पर्सेंट है। आपके बजट के अंदर 21 पर्सेंट से भी ज्यादा कर्ज था और हमारे यहां घटकर 16 पर्सेंट हो गया, और इसके अन्दर भी हमारा इन्टरनल रिर्सोसेज का कम्पोनैन्ट बढ़ गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि प्लान की साइज बढ़ रही है, सब जगंह बढ़ रही है, आपके यहां बढ़ गयी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्लान की साइज बढ़ गयी और 11500 करोड़ की हो गयी और हमारे प्लान की परफार्मेन्स इतनी अच्छी है कि 11500 करोड़ की प्लान 12000 करोड़ की प्लान हो गयी। दूसरा 7 पंचवर्षीय योजनाएं आपके जमाने में बनीं। सातों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर जितनी बड़ी योजनाएं थीं उनका प्रोपर और कम्पलीट यूटीलाइजेशन आप नहीं कर पाये। सात योजनाओं में से चार योजनाओं का अण्डर यूटीलाइजेशन हुआ है। हमारे राज्य में एक आठवीं पंचवर्षीय योजना बनी और 500 करोड़ रुपये से भी एक्सेस यूटीलाइजेशन हुआ है हमने इसके लिए रिसोर्सेस मोबीलाइज किये हैं। आपकी सात योजनाओं में से पांच योजनाओं को आप यूटीलाइज नहीं कर पाये और अण्डर यूटीलाइज्ड योजनाएं रहीं। लेकिन इस प्लान परफार्मेन्स के लिए किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। मैं इतना ही और कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू केपिटल रेशो जो है जो प्लान के अन्दर रेवेन्यू केपिटल रेशो होता है जो यह तय करता है कि इस प्लान का फर्स्ट मेजर डाइरेक्शन क्या होगा। इस प्लान का जो रिजल्ट होगा, इसका कल्मीनेशन होगा वह कैसा होगा तो मैं, अध्यक्ष महोदय, इतना कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू केपिटल रेशो जो प्लान है 'देट इज इम्प्रूविंग इट इज इम्पोरिंग इन दी रेफरेन्स आफ केपिटल' यह 1995-96 में 37 पर्सेंट रेवेन्यू था और 63 पर्सेंट केपिटल था। 1995-96 के संशोधित आंकडों के अन्दर यह हो गया 33 पर्सेंट रेवेन्यू और 67 पर्सेंट केपिटल और 1996-97 के अन्दर रेवेन्यू 32 पर्सेंट रह गया है और केपिटल 68 पर्सेंट हो गया है। केपिटल का कम्पोनैन्ट लगातार हमारे यहां पर बढ़ रहा है। लेकिन इस बात के लिए कोई मुंह नहीं खोलता। राजस्थान को सही दिशा दी जा रही है। राजस्थान में पहली बार फिस्कल करेक्शन किया जा रहा है। राजस्थान में पहली बार फिस्कल इम्बेलेन्स को बेलेन्स किया जा रहा है। पहली बार राजस्थान के अन्दर प्रूडेन्ट फिस्कल मैनजमेन्ट हो रहा है। इसके बारे में कांग्रेस के सदस्यों ने कुछ नहीं कहा।

मैं कहता हूं कि राजनीति से पीड़ित होना ठीक बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह हमारी प्लान परफार्मेन्स पूरी हो गयी हमने तो एक्सेस कर लिया। इनके तो सात में से चार प्लान परफार्मेन्स कम्पलीट नहीं हुए। अण्डर यूटीलाइज्ड रहे। रीजन यह था कि अतिरिक्त संसाधनों को मोबीलाइज नहीं कर पाये। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर प्लानिंग कमीशन ने हमें टार्गेट दिया था 2827 करोड़ रुपये के एडिशनल रिसोर्सेज मोबीलाइजेशन का। 5 साल में 2827 करोड़ रुपये एडिशनल मोबीलाइज करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने हमसे उम्मीद की थी और हमें टार्गेट दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि केवल 96 तक हमने उसमें से 3540 करोड़ रुपये का मोबीलाइजेशन किया है। 713 करोड़ टार्गेट से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हम आगे हैं जबकि एक साल अभी बाकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लान साइज हमारा बढ़े, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्लान का बढ़वाना बड़ी बात नहीं है। प्लान तो कई राज्यों में बढ़ा था। प्लान पंजाब में बढ़ा। पंजाब के अन्दर प्लान यूटीलाइज नहीं हो पाया। कई स्टेट्स हैं जिनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं जिनके प्लान की साइज काफी बड़ी है लेकिन वह प्लान को यूटीलाइज नहीं कर पाये। प्लान की साइज बढ़ाने से खुशी नहीं होनी चाहिये। प्लान का साइज बढ़ जाये और प्लान का यूटीलाइजेशन नहीं कर पायें, यह सही नहीं है। इस सरकार के जमाने में न केवल प्लान का साइज बढ़ा है, पर-कैपिटा प्लान आउट ले बढ़ा है बल्कि प्लान का बैटर एप्रोप्रिएट इफैक्टिव इम्पलीमेन्टेशन हुआ है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह और कहना चाहता हूं कि जब यह कहा गया कि हमारा टैक्स रेवेन्यू घट रहा है और राजस्व घट रहा है। मैंने पहले भी कहा है, अध्यक्ष महोदय, कि गये दो साल के अन्दर जितना टैक्स कलेक्शन इफैक्टिव हमने किया है, उतना राजस्थान के इतिहास में कभी टैक्स कलेक्शन इफैक्टिव नहीं रहा। हमने 1994-95 में बिना टैक्स लगाये 2307 करोड़ रुपया हमारा टैक्स था और 1995-96 के रिवाइज्ड एस्टीमेट के अन्दर 2783 करोड़ हो गया और 1996-97 के अन्दर 3276 करोड़ रुपया यानी 20 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ में हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। टैक्स रेवेन्यू की इतनी बोयेन्सी राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। बिना टैक्स लगाये इस प्रकार की टैक्स के अन्दर रिकवरी सीपेज को रोककर, लोगों को मोटीवेट करके, मोबीलाइज करके कभी नहीं हुई। मैं, अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार इन राजनैतिक आरोपों से डरने वाली नहीं है। यह सरकार गरीब को गणेश मानकर सेवा कर रही है। इस सरकार ने पर-कैपिटा प्लान आउट ले को आगे बढ़ाया है। इस सरकार ने एक तरफ ग्रोथ रेट को हायर रखने की कोशिश की है दूसरी तरफ आम गरीब को सेफ्टि नेटवर्क, प्रोटेक्टिव नेटवर्क देने की कोशिश की है। इस सरकार ने बारानी ज़मीन का लगान माफ किया है, इस सरकार ने तकाबी को माफ किया है, इस सरकार ने किसानों के लिऐ 10 हजार रुपये तक कर्ज की माफी की है, इस सरकार ने 9-18-27 का राज्य सरकार के अन्दर पदोन्नति नहीं मिलने पर स्केल आगे बढ़ाने की चीज राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी है। इस सरकार ने वर्कचार्ज का नियमितिकरण किया है। इन लोगों ने खालों की कीमत वसूली को डेफर किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इतने सारे रिलीफ, हर साल कोई न कोई टैक्स में रिलीफ देने के बावजूद और समाज से सभी को समान रूप से देखते हुए, किसी पर टैक्स नहीं करते हुए सर्वस्पष्टी रूप से छूट देते हुए जिस प्रकार से राजस्थान के विकास के लिए आगे बढ़ रही है और जिस प्रकार की फिस्कल इम्बेलेन्स कांग्रेस के राज ने पैदा की थी चाहे वह बजट डैफिसिट के रूप में पैदा किया है, चाहे नान प्लान रेवेन्यू डैफिसिट के रूप में पैदा किया है, चाहे रेवेन्यू अकाउन्ट में डैफिसिट के रूप में पैदा किया है, चाहे फिस्कल डैफिसिट के रूप में पैदा किया है या कर्ज का प्रोपर आप्टीमम यूटीलाइजेशन नहीं कर पायी हो या कर्ज का प्रोटेक्टिव यूटीलाइजेशन नहीं कर पायी हो इन सारे फिस्कल इम्बेलेन्सेस को दूर करके यह सरकार गरीब को गणेश मानकर राजस्थान के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह फिस्कल विजार्ड का बजट है और कई दिनों से गये चार पांच साल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

से जिस प्रकार का बजट आया है, एक साल का बजट नहीं है। यह केवल अकाउन्ट्स नहीं है यह भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आर्थिक दर्शन का ट्रान्सलेशन है। जिस रूप से हमने समाज के प्रत्येक तबके को इस बजट में छूआ है वह हमारे एकात्म मानववाद की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए किया है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि स्वदेशी के साथ जनता के एक-एक पैसे का अधिकतम अनुकूलतम उपयोग किस प्रकार से किया जाये इसके ऊपर समर्पित और सही दिशा की तरफ जाने वाला प्रूडेन्ट और बेलेन्स्ड बजट पेश किया है जो आने वाले टाइम के अन्दर सन् 2001 की जो चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अन्दर कोई निरक्षर नहीं रहेगा, 2001 में पीने के पानी की कोई स्थिति नहीं होगी, किसी कुएं में बिजली नहीं है यह स्थिति नहीं होगी। हम एनर्जी में रिच होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में हम ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेन्ट पर जो खर्चा कर रहे हैं वह और दूसरे सेक्टर में खर्चा कर रहे है वह एक राजस्थान की नयी तस्वीर उभरकर आने वाली है और पूत के पांव पालने में नजर आने लगे। दसवें फाइनेन्स कमीशन ने माना है कि फिस्कल स्ट्रैज की स्टेट नहीं है। उसने माना है कि नहीं राजस्थान का फिस्कल मैनेजमेन्ट बहुत अच्छा है इस बात को स्वीकार किया है। यह अच्छे फिस्कल मैनेजमेंट का बजट है, यह गरीब को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालने का बजट है, यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति देने का बजट है, आने वाले समय में राजस्थान को अविकसित दिशा से हटाकर विकास के अन्दर सबसे आगे खड़ा करने वाला बजट है। इस प्रकार का बजट लाना राजस्थान की जनता के लिए सौभाग्य का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह खुशी की बात है और सदन के अन्दर इस प्रकार का बजट जो पेश किया गया है वह सदन के लिए, मैं समझता हूं, बहुत खुशी की बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं विचार। श्री महावीरप्रसाद जी जैन।

## समिति का प्रतिवेदन

## कार्य सलाहकार समिति का 17वां प्रतिवेदन

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) :** अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में दिनांक 4 जुलाई, 1996 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे हुई। समिति अपने 16वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 5 जुलाई, 1996 से 22 जुलाई, 1996 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

| | | |
|---|---|---|
| शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 1996 | : | आय-व्ययक (बजट) 1996-97 पर सामान्य वाद-विवाद। |
| शनिवार, दिनांक 6 जुलाई, 1996<br>रविवार, दिनांक 7 जुलाई, 1996 | : | बैठक नहीं होगी। |
| सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 1996 | : | आय-व्ययक (बजट) 1996-97 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर। |
| मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 1996 | : | 1. शासकीय विधायी कार्य<br>2. आय-व्ययक 1996-97 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान |
| बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 1996<br>गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 1996<br>शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 1996 | | आय-व्ययक 1996-97 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। |
| शनिवार, दिनांक 13 जुलाई, 1996<br>रविवार, दिनांक 14 जुलाई, 1996 | | बैठक नहीं होगी। |
| सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 1996<br>मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 1996<br>बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 1996<br>गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 1996 | | आय-व्ययक 1996-97 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान |

**नोट :** आय-व्ययक (बजट) 1996-97 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगे मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 18 जुलाई, 1996 को सदन द्वारा पारित की जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 1996 | : | विनियोग विधेयक पर विचार। |
| शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 1996<br>रविवार, दिनांक 21 जुलाई, 1996 | | बैठक नहीं होगी। |
| सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 1996 | : | विनियोग विधेयक पर अग्रेत्तर विचार एवं पारण। |

---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

माननीय श्री रामनारायण जी।

**श्री माधवसिंह दीवान :** कौन-कौन सी डिमाण्ड होंगी, इसके बारे में बता दें।

**श्री अध्यक्ष** : वह कल बता देंगे। कल उसका अलग से बुलेटिन जारी होगा।

## आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार के साल भर के लेखे-जोखे का, आमदनी का और खर्चे का ब्यौरा प्रतिवर्ष विधान सभा के सामने या संसद के सामने जो प्रस्तुत होता है वह हमारा आय-व्ययक बजट है। राज्य सरकार ने इस चालू वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है और उसके ऊपर पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से माननीय विद्वान सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उन विचारों से सदन और मैं लाभान्वित हुआ हूं।

मान्यवर, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती, सत्ता में आते ही इतनी बातें बदलती हैं हाथों हाथ। 13 दिन की सरकार के अन्दर हमारे प्रदेश से ही चित्तौड़ लोक सभा के निर्वाचित प्रतिनिधि वित्त मंत्री बनें और उनका पहला स्टेटमेंट भारत की आर्थिक स्थिति के ऊपर मैंने अखबारों में पढ़ा। उसमें स्थिति को उन्होंने शोचनीय बताया। अब कहां विश्वास करें? जहां पांच वर्ष तक शोचनीय स्थिति, किसी ने उनकी पार्टी ने भी नहीं बतायी थी, उन्होंने खुद भी कभी नहीं बतायी लेकिन वित्त मंत्री बनते ही भारत सरकार की आर्थिक स्थिति को शोचनीय बता दिया। जब नरसिंह राव जी ने देश की बागडोर सम्भाली थी और चन्द्रशेखर जी ने राज छोड़ा था, उस वक्त यदि वे कहते तो बात समझ में आती क्योंकि देश का सारा सोना इंग्लैण्ड के बैंकों में पड़ा था, देश की हालत जर्जर हो गयी थी, पैसा अपने पास था नहीं, बैंक बेलेंस निल हो गया था, 15 दिन से ज्यादा भारत सरकार के पास पेमेंट की गुंजाइश नहीं थी। तो वह तो स्थिति थी लेकिन आज जब सारा देश भरा-पूरा है, सब जगह सब कुछ है तो वे कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक है।

हमारे यहां भी घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है। घाटे का बजट हमारे यहां ही नहीं, सारे प्रदेशों के अन्दर घाटे का बजट प्रस्तुत हो रहा है और भारत सरकार का भी बजट घाटे का प्रस्तुत हो रहा है। मुझे दूसरे देशों का तो नहीं मालूम लेकिन मैंने पढ़ा है कि जिस जिस देश का, जिस सरकार का सरप्लस बजट होगा वह अच्छा बजट नहीं समझा जाता, घाटे के बजट को ही अच्छा, आदर्श बजट माना गया है। बजट में सरप्लस छोड़ा जाता है तो जो बजट बनाने वाले लोग हैं वे समझते हैं कि यह बजट आदर्श नहीं है। तो, घाटे का बजट हैं, मैं इसकी छीछालेदर में नहीं जाऊंगा। जितना साधन राजस्थान के पास आय और व्यय का है उसका ठीक प्रकार से नियोजन, ठीक प्रकार से उसका खर्चा हो और जो आना चाहिए वह ठीक प्रकार से खजाने में आ जाए, मैं उसको ही आदर्श बजट मानता हूं और वही आदर्श बजट है।

थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य श्री रमाकान्त जी सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे और अभी हमारे बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य भी वे यद्यपि उम्र में और सदन की सदस्यता के हिसाब से नये हैं लेकिन उनकी विद्वता का मैं कायल हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं। पहले भी मैंने उनका भाषण सुना था, आज भी उनका भाषण बड़ा अच्छा है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि हम किसी के भरोसे पर नहीं हैं, हम हमारे भरोसे पर अपने सहारे पर राजस्थान का विकास करेंगे, किसी के सहारे पर नहीं। अब मेहरबानी करके बताएं कि आप अपने सहारे पर किस प्रकार से राजस्थान का विकास करेंगे? आज जो पैसा है वह सारा पैसा योजना के हिसाब से आता है। आप बता

(श्री रामनारायण चौधरी)

रहे थे कि आपको पंचवर्षीय योजना के पांच वर्ष के अन्दर कुल मिलाकर दो अरब रुपये अपने सोर्सेज से एकत्रित करने को कहा गया है। आप उससे भी ज्यादा कर रहे हैं, तीन अरब रुपये कर रहे हैं। बाकी पैसा कहां से आयेगा, उसके बारे में आप मौन धारण कर लेते हैं, वास्तविकता नहीं बताते कि कहां से पैसा आयेगा। हम जुटा रहे हैं यह तो आपने बता दिया बाकी, पैसा कहां से आयेगा इसका कहीं लेखा-जोखा न आप बताते हैं, न इन किताबों में हैं। मेरे को तो स्वयं को समझ में नहीं आता। चन्दन मल जी को भले ही आ गया हो, दूसरों को आ गया हो, मेरे तो यह समझ में नहीं आया कि आखिर क्या चीज है। मैं यह मानता हूं कि सारा पैसा भारत सरकार की जो पंचवर्षीय योजना है उसका हिस्सा मिलता है, उससे आप डवलपमेंट कर रहे हैं। आज जितना पैसा राजस्थान को मिल रहा है, कोई भी योजना आप उठाकर ले लीजिये, उसमें सारा पैसा भारत सरकार का है। राजस्थान सरकार की, बैदजी बता रहे थे कि ऐसी जर्जर हालत हो गयी है, वे ठीक कह रहे थे कि राजस्थान सरकार की आज आर्थिक स्थिति यह है कि आपके पास अपने कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के लिए पैसा नहीं है। आज जो आपके करण्ट बिल्स हैं एक्सपेंडिचर के, वे आप चुका नहीं सकते, ट्रेजरीज को आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, स्लो गोइंग कर रखा है, धीरे चलो। कहीं वे तेजी करते हैं तो यहां से फैक्स चला जाता है, टेलीफोन चला जाता है कि क्या कर रहे हो, इससे आगे नहीं बढ़ाया जाए। वहीं रोक देते हैं, कुछ न कुछ बहाना करके उस खर्चे को रोक देते हैं। फिर अगर करना होता है तो भारत सरकार का पैसा आपके पास पड़ा है, डी.आर.डी.ए. का है, और है, वह पैसा निकालते हैं। आपके एम्प्लाइज का पी.एफ. का पैसा कई बैंकों में जमा है उसके अगेन्स्ट में आप पैसा ले लेते हैं। इस तरीके से पैसा ले-लेकर, उधार पैसा ले-लेकर काम चल रहा है। आज मेरे घर में अनाज नहीं है, मैं सुजान सिंह जी के पास से उधार लेकर के मेरा शाम का काम चलाता हूं यही राजस्थान सरकार की आज आर्थिक स्थिति है। यह मैं नहीं कहता, आपके तमाम कर्मचारी कहते हैं, राजस्थान के सब लोग कहते हैं। अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करें। आज यह जुलाई का महीना चल रहा है, अप्रेल गया, मई गयी, जून गयी और चौथा महीना चल रहा है, आप मुझे बताएं कि जो डी. आर.डी.ए. के काम हैं, आपका तो मुझे नहीं पता, हमारे झुंझुनूं जिले में तो सब काम बंद है, एक भी काम का भुगतान नहीं हो रहा है। हम पूछते हैं तो कहते हैं कि फण्ड्स नहीं आये। फण्ड्स के लिये फिर यहां पूछते हैं कि फण्ड्स क्यों नहीं आये क्योंकि हमने चार महीने का बजट पास किया है। टोटल जो एक्सपेंडीचर है, टोटल बजट है, उसका एक तिहाई है चार महीने का—

**श्री परसराम मदेरणा** : तीसरा हिस्सा नहीं है। बजट का तीसरा कर दिया लेकिन जितनी भी सेन्ट्रल स्कीम्स हैं, उनका 20 प्रतिशत पैसा उनका है और 80 प्रतिशत भारत सरकार की ग्रांट है। तो 80 प्रतिशत तो मिल रहा है इनको, ये 20 प्रतिशत भी नहीं दे रहे हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं तो कह रहा हूं कि टोटल बजट, चार महीने का रुपया, हमने आपको पास कर दिया फिर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोले कि हमें तो पता नहीं इस बात का। यह स्थिति आज आपकी है। 80 प्रतिशत पैसा आपको भारत सरकार से आता है और 20 प्रतिशत आप अपने यहां से लगाते हैं। वह भी आप कैसे लगाते हैं, वह बैदजी ज्यादा अच्छा बता सकते थे लेकिन मैं

(श्री रामनारायण चौधरी)

मेरे कामनसेंस से और मैं जो अनुभव कर रहा हूं, उस हिसाब से बता रहा हूं कि यह बजट जो आप पास करवा रहे हो, उसमें जितना खर्चा कम कर सकते हो उसके अन्दर आप वाले में आप कम करके दिखाओगे। आपके पास में पूरे अध्यापक नहीं, आपके पास में पूरे ग्रामसेवक नहीं, आपके पास में एस्टैब्लिशमेंट नहीं, जो आपको खर्चा करना चाहिये वह आप खर्चा नहीं करते हो। वह सारा खर्चा, वह सारा पैसा बचा कर 12 महीने पकड़ते हो। आज तमाम स्कूलें खाली पड़ी हैं, तमाम ग्रामसेवक के पद खाली पड़े हैं। जितने डवलपमेंट के वर्क्स होने चाहिए, वे सारे के सारे इस समय स्टैण्डस्टिल हैं। अब आप कहते हो कि हम हमारे बूते पर करेंगे। आपका वह बूता इन भुजाओं से तो होगा नहीं। अब वह जमाना तो रहा नहीं कि भैरोंसिंहजी खड्ग निकाल लेंगे और रण जीत लेंगे। यह राजस्थान का विकास खड्ग से नहीं जीता जाएगा, इसके लिए धन चाहियेगा। वह जमाना चला गया कि जब खड्ग से निर्णय होते थे, जब भुजबल से निर्णय होते थे। आज तो सारी दुनिया के अन्दर निर्णय धनबल से होते हैं। धनबल आपके पास कहां हैं? कहते हैं कि हम हमारे बूते पर करेंगे, आप यह तो बताओ कि आपका बूता है कहां, कहां है बूता? अब आपका नियोजन (व्यवधान) बूता है आपका शेखी मारने में और फिर कुछ बूता हम आपका बढ़ा देते हैं। आपको बूस्टअप करना भी चाहिए, कुछ न कुछ हम आपको कह देंगे कि आप ठीक कर रहे हैं तो उसमें आपका और हौसला बढ़ जायेगा। लेकिन राजस्थान की स्थिति बहुत दयनीय है, यह आज की स्थिति है।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट की तरफ। यह हमारा कांस्टीट्यूशन है, इसकी हमने शपथ ली है। इसके अन्दर जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, औरों को तो जाने दीजिये, जो हमें करने के हैं, उनकी स्थिति देखिये। आप देखिये इसमें आर्टिकल 40 : "The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-govern-ment." यह आपका आर्टिकल 40 है। इसके तहत 1989 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री राजीव जी गांधी ने सारे देश के लोगों की ओपिनियन लेकर, आप लोगों को भी कांफिडेंस में लेकर एक कानून बनाया था। आप लोगों ने ही उसको गिरा दिया 1989 में। जब दुबारा चुनाव हुए, नरसिंह राव जी प्रधानमन्त्री बने। आप सब लोगों की राय से उसमें थोड़ी बहुत काट-छांट करके यह कानून बनाया। उसमें पंचायत बनी, पंचायत समिति बनी, जिला परिषद बनी। उन पंचायतों की, पंचायत समितियों की और जिला परिषदों की आज क्या स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, आप ही निर्णय कर लीजिये। महात्मा गांधीजी ने यह कहा था कि देश का शासन दिल्ली से नहीं चलेगा, प्रदेश का शासन जयपुर या लखनऊ से नहीं चलेगा, देश का शासन गांव की पंचायतों से चलेगा। वह इस संविधान के अन्दर जोड़ा गया। जब संविधान बनने के अन्तिम रूप में जा रहा था, महात्मा गाँधीजी उस समय नहीं रहे थे हमारे बीच में, जब उस पर कौनसी दृष्टि डालते हैं कि दुबारा इसको देखो, दिव्य दृष्टि डाली। तब कहा कि गांधीजी का सपना कहां है,

(श्री रामनारायण चौधरी)

गांधीजी का प्रोग्राम कहां है। तब लोगों ने कहा कि यह तो गजब हो गया और तब पंचायती राज वापस जोड़ा गया। जब यह पंचायती राज जोड़ा गया और इस पर बहस हो रही थी तो जो जुझारू लोग थे, नासमझ, हमारे जैसे, मेरे जैसे, उन्होंने वहां बाहें चढ़ा लीं संसद के अन्दर कि नयी पंचायत के पास यह होना चाहिए, विलेज पंचायत के पास यह होना चाहिए। तो स्वर्गीय श्री बी. आर. अम्बेडकर, जो उस समय कांस्टीट्यूशन को पायलट कर रहे थे, उन्होंने सारा चित्रण खींचा, कि आप पंचायत-पंचायत, गांव-गांव करते हो गांव है क्या। तो उन्होंने गांव को बताया A village is a den of superstition and a village is a sink of orthodoxy and a sink of communalism, casteism. इस तरह से गांव को डिफाइन किया. This is the situation of the villages today. का उन्होंने उस वक्त जो चित्रण खींचा था वह वास्तविकता उस वक्त तो नहीं थी लेकिन आज वह स्थिति पंचायतों में भी आ गयी, एम.पी. के चुनावों में आ गयी, असेम्बली के चुनावों में आ गयी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था—It is a den of superstition and a village is a sink of communalism and casteism.

तो इसको सुधारने के लिये, देश को मार्गदर्शन देने के लिए पंचायतों का हमने गठन किया था। आपने इस तरफ कुछ नहीं किया। पंचायतों के पास एक पैसा नहीं, पंचायत समितियों के पास कोई प्रोग्राम नहीं, जिला परिषद के पास में कोई प्रोग्राम नहीं। मेरे मित्र माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे कि आज जिला परिषद के प्रमुख को आप देते हो 1500 रुपये और जयपुर के मेयर को आप देते हो 5000 रुपये। कहां जिले का जिला प्रमुख और कहां आपका यह नगर परिषद कहो या इसको बड़ा नाम नगर निगम दे दिया और मेयर कर दिया। वही तो जयपुर है जहां पहले म्युनिसिपल कौंसिल थी, उसको आप 5000 रुपये देते हो। आपका दृष्टिकोण देखिये गांव के प्रति और शहर के प्रति। तो यह जो प्रोग्राम था आर्टिकल 40 का, उसको आपने कुछ नहीं किया। आपने शेखी मारी थी। मैं जानता हूं मुख्य मंत्री जी और विधानसभा में हमारे पक्ष के नेता भैरोंसिंह जी को प्रतिपक्ष के नेता क्या कहते हैं, फाइनेंशल विजार्ड। मैं कहता हूं फाइनेंस तो मैं समझता नहीं लेकिन इस मामले में वे माहिर हैं, उनको पता चल गया कि संसद में यह कानून पास हो गया है। सबसे पहले श्रेय जाता है माननीय मोहन लाल जी सुखाड़िया जी को जिन्होंने 1959 में पंचायती राज को इन्ट्रोड्यूस यहां राजस्थान में किया था।

(18.00)

क्यों नहीं अपन भी सबसे पहले इन्ट्रोड्यूस करके यह श्रेय लें। तो उन्होंने उसी कानून को लाकर के यहां की लोकल सिचुएशन के हिसाब से, अमेण्डमेंट के हिसाब से सबसे पहले पास करवाया।

**श्री परसराम मदेरणा :** केवल ग्राम पंचायतों में।

**श्री रामनारायण चौधरी :** हां, ग्राम पंचायतों में।

**श्री परसराम मदेरणा** : ग्राम पंचायतों में तब करवाया जब कि जे.पी.सी., कम्बाइंड सलैक्ट कमेटी जिसके नाथूरामजी मिर्धा चेयरमैन थे, उसकी रिकमण्डेशन सदन में पेश हो गयी। उसको वे लेकर आये कि करीब-करीब इस प्रकार का अमैण्डमेंट कांस्टीट्यूशन में होने वाला है। उसकी लाइन्स के ऊपर यहां करवाया, लेकिन फिर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्पलीमेंट ही नहीं किया, अमेण्डिंग बिल बाद में जो पंचायती राज एक्ट बना है इसमें उसको रिपील कर दिया। यह तो कांस्टीट्यूशनल अमैण्डमेंट के बाद में यहां पंचायती राज बिल बना है। जो कुछ भी उन्होंने किया, वह न तो इम्प्लीमेंट किया, न चुनाव करवाये उसके अन्तर्गत। चुनाव ही नहीं करवाये बल्कि जब 1994 में बिल यहां पर आया और पंचायती राज बिल बन गया तो ये दोनों ही एक्ट–पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट और राजस्थान ग्राम पंचायत एक्ट, 1953 दोनों को ही रिपील कर दिया, amended by the Shekhawat Government in the Year 1992.

**श्री रमाकांत शर्मा** (थानागाजी) : नगरपालिकाओं के चुनाव तो हुए थे न उसी तरीके से? और जो प्रावधान नगरपालिका में थे वे ही पंचायतों के अन्दर थे।

**श्री रामनारायण चौधरी** : स्थिति माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बतायी वह थी। मान्यवर, वह बिल यहां लाकर के जब आपकी उस जमाने की बी.जे.पी. की लैजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में रखा तो प्रत्येक आदमी ने उसमें कहा कि यह क्या गजब कर रहे हैं। एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., महिलाएं इनका आपकी पार्टी में जबरदस्त विरोध हुआ था। भैरोंसिंह जी घबराये, इसलिए भैरोंसिंह ने लास्ट में कहा कि आप मानो तो मानो, यह कानून दिल्ली में आ गया है। आपके ऊपर यह लदेगा, डंडे के जोर से बनेगा कानून। अगर आप नहीं चाहते हो, मत बनाओ। आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन अगर मेरी मानते हो तो इसको आप पास करो। तब आपने इसको पास किया। वह बताया कि यह पार्लियामेंट में आ गया है और तमाम स्टेट इसको एडाप्ट करेंगे, मैं तो आपको श्रेय दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले राजस्थान से शुरू हो। इस तरीके से आपने उसका श्रेय लिया।

**श्री रमाकांत शर्मा** : यह कैसे पता लगा कि पार्टी ने विरोध किया? कहीं अखबारों में छपा था क्या या आपके पास सूचना आ गयी?

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह विरोध किया या नहीं किया, हरिजनों को क्या दे रहे हो, महिलाओं को क्या दे रहे हो, एस.टी. को क्या दे रहे हो, ओ.बी.सी.—कुम्हार, खाती, सुनार, सुथार, इनको क्या दे रहे हो, कहां बैठा रहे हो हमारे सिर के ऊपर, यह घनश्यामजी की फिलासाफी थी, कहां बैठा रहे हो हमारे सिर के ऊपर।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक)** : ये बी.जे.पी. के प्रवक्ता हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह स्थिति थी आपकी पार्टी के अन्दर।

मान्यवर अभी कह रहे थे प्रवक्ता आपके उधर से बनीपार्क से आने वाले योग्य हैं। मैं उनको ही पसन्द नहीं करता हूं, मुझे उनके आर्ग्यूमेंटस भी पसन्द हैं और जिस तरीके से पुट-अप करते हैं वह भी पसन्द है–इस छोटी सी उम्र में। अब मुख्य मंत्रीजी, उनसे पुट-अप तो सब

(श्री रामनारायण चौधरी)

करवा रहे हैं, मैंने उनको पूछा भी था कि आपको पूछते ज्यादा क्यों नहीं हैं, यह क्या बात है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप कैसे चलाएंगे? राजस्थान को? आप नौकरों से चलाना चाहते हैं, पटवारियों से चलाना चाहते हैं, थानेदारों से चलाना चाहते हैं, तहसीलदारों से चलाना चाहते हैं? नाजिम और कलक्टर से आप राजस्थान को चलाना चाहते हैं? ग्राम सेवकों से चलाना चाहते हैं जो पहले आपने हमारी छाती के ऊपर बैठा दिये और ऐसी आदत उनकी बिगाड़ दी कि एक-एक ग्राम सेवक जिसके खाने के लिए रोटी नहीं थी, जिसके छप्पर के ऊपर फूस नहीं था, आज उनकी हालत देख लो। 1950 के अन्दर यहां की को-आपरेटिव टीम गयी थी चायना के अन्दर। जब वह वापस आयी तो उसने रिपोर्ट दी कि हमने चायना का भ्रमण किया। चायना के अन्दर जो को-आपरेटिव सिस्टम था, जिस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिस्ट पार्टी सहकारी समितियों से और कम्यून से करवा रही है, हमने देखा कि ग्राम सेवक सहकारी समिति, जिसको आप यहां यह नाम देते हैं, वहां यह नाम नहीं है उसके आफिस वियरर्स जिनके मकानों पर टिन शीट्स थी दो साल के अन्दर उनके वहां पर अब आर.सी.सी. के और पट्टियों के मकान हैं और जिनके झोंपड़े थे उनके पक्के मकान हैं, उनके ऊपर टिन शीट्स हैं। यह डवलपमेंट दो साल में उन आफिस वियरर्स के अन्दर चीन में हो गया। आपको मालूम है कि 1950 के बाद में 1967 और 1968 के अन्दर वहां पर कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ था और लाखों आदिमियों को कत्ल कर दिया गया था। क्यों कत्ल कर दिया गया था? कह रहे थे कि राजस्थान को हम चलाएंगे, इन भुजाओं से चलाएंगे? हम चलायेंगे, हम विकास करेंगे। उन लाखों आदमियों का कत्ल कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? क्योंकि खा गये सारे पैसे। आज आपकी नाक के नीचे की बात है, यह सुजान सिंह जी नहीं मानेंगे, गांव के आदमी हैं आप तो, क्या ग्राम सेवकों की हालत थी? हमारे लीडर आफ अपोजीशन मानेंगे मेरे ख्याल से कि उन ग्राम सेवकों ने किस तरीके से हेवोक मचा दिया। खा गये सारे के सारे पैसे। और आज क्या स्थिति है? आज भी ग्राम सेवक जहां सैक्रेटरी हैं, सरपंचों को कोई घास नहीं डाल रहे हैं। कभी आप ग्राम सेवकों को सैक्रेटरी बना देते हो, कभी आप टीचर को बना देते हो, कभी आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को बना देते हो। कोई एक पालिसी तो रखो, किसी को एक को बना दो। मास्टर को बना दो, ग्राम सेवक बना दो। बस्ता लिये ग्राम सेवकजी तो आगे भाग रहे हैं, सरपंच उसके पीछे भाग रहा है। यह स्थिति आपने ग्राम पंचायतों की कर दी। और आज पंचायत समितियों की क्या स्थिति है, सुजानसिंह जी, आप अपनी छाती पर हाथ रख कर, सिर पर हाथ रख कर कह दो। या तो आपको अनुभव नहीं है। उनको याद कीजिये—1959, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67 तक की पंचायत समितियों को आप याद कीजिये, अगर किसी माननीय सदस्य का अनुभव हो तो वह अपनी याद करें कि क्या उनका रूतबा था, क्या प्रधान का रूतबा था और क्या पंचायत समिति की रेपुटेशन थी। जिले का कलक्टर, एस.डी.ओ. की तो गिनती ही नहीं थी, एस.डी.ओ. को तो कोई घास नहीं डालता था पंचायती राज में। जिला कलक्टर भी पंचायत समिति की मीटिंग में आकर स्पेशल इनवाइटी के रूप में बैठता था और प्रधान उसकी अध्यक्षता करता था और आर.ए.एस. बी.डी.ओ. होते थे। वह उनका रूतबा था। और आज? आज वह प्रधान है,

(156)



(श्री रामनारायण चौधरी)

धेला ही नहीं है उनके पास। एक पैसा उनके पास नहीं। जो है उसमें बी.डी.ओ. घास नहीं डालता, दफ्तर का बाबू कहना नहीं मानता, ग्राम सेवक कहना नहीं मानता। यह स्थिति आपने पंचायत समितियों की कर रखी है और जिला परिषदों की हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी है। जिला बोर्ड किसी जमाने में होते थे। मैं जिला बोर्ड का चेयरमैन था।

**श्री हरजीराम बुरडक** : मंत्रियों की उससे भी बुरी है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : चूरू में भी जिला बोर्ड था, बीकानेर में जिला बोर्ड था, गंगानगर में जिला बोर्ड था, झुंझुनूं में था, सीकर में था—

**श्री रतनलाल ताम्बी** : मालपुरा में था।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मालपुरा में था, टोंक में था। उस जमाने के जिला बोर्ड को आपने बाद में बनाया जिला परिषद वे जो जिला बोर्ड के चेयरमैन थे, मैं कहता हूं कि उनके सामने राजस्थान का चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं। मैं चेयरमैन था, रास्ते चलते मेरे को कहा कि चेयरमैनजी, रूको-रूको, म्हारो छोरो है। मैंने कहा, ले भाई। उसको अपाइंटमेंट वहीं दे दिया, जा भाई, नियुक्ति पत्र ले लेना। उस जमाने में कोई एम्पलायमेंट आफिस वगैरह कुछ था ही नहीं। ले लिया अपाइंटमेंट। उस जमाने के सैंकड़ों वैद्य और लगाये हुए आज नौकरी कर रहे हैं। आज क्या कर सकता है जिला परिषद का प्रमुख? क्या है उसके पास? आपने प्रमुख तो बना दिया लेकिन क्या है उसके पास? है क्या?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : वे नौकरी लगे हुए ही आपको आज जीता रहे हैं। हम तो किसी को लगा नहीं सकते, हमारे पास तो पावर नहीं है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : और छोटा-सा फण्ड होता था। अभी आप कह रहे थे—

**श्री परसराम मदेरणा** : यह यों मतलब नहीं है, पावर का सवाल था।

**श्री रामनारायण चौधरी** : पावर था।

**श्री परसराम मदेरणा** : उसके पास में रिक्रूटमेंट के पावर थे। आज आपको टीचर्स के रिक्रूटमेंट के पावर हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : प्रधान को क्या है, सर?

**श्री परसराम मदेरणा** : प्रधान के पास तो कुछ भी नहीं है, कोई वर्क भी नहीं है, कोई सेंक्शन भी नहीं है। डी.आर.डी.ए. उसको पूछता भी नहीं है। सीधा कलक्टर बी.डी.ओ. के प्रपोजल लेता है और वह खुद सेंक्शन करता है। पंचायत समिति के पास तो कुछ भी नहीं है। उसको जीप जो है, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक दिन बी.डी.ओ. जा रहा था। प्रधान ने कहा कि मुझे भी आप छोड़ दीजिये। तो कहा कि मैं यहां आपको छोड़ कर जा रहा हूं, मुझे दूसरे गांव जाना है। कहा कि कोई बात नहीं, मुझे शाम को ले लेना। शाम को आये नहीं, वह तो वापस सिणदरी चला गया और वह प्रधान वहां बैठी रही। वहां से सात मील दूर जाकर आपकी बस थी, बस में बैठ कर अपने घर गयी।

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह स्थिति है। यह पंचायत समितियों की स्थिति है, यह जिला

(श्री रामनारायण चौधरी)

परिषदों की स्थिति है। आपने डी.आरडी.ए. बना रखा है, डी.आरडी.ए. में जिले का कलक्टर चेयरमैन है और एम.एल.एज. एम.पीज. और प्रधान एवं प्रमुख उसके मैम्बर हैं। अब, मान्यवर, मेरी तो समझ में नहीं आता, प्लान बनवाते हैं ग्राम सभा में, प्लान बनाता है गांव का ग्राम सेवक, सरपंच को कोई पता नहीं, पंचायत को कोई पता नहीं, नाम ग्राम सभा है उसको कोई पता नहीं, ग्राम सेवक ने लिख करके पंचायत समिति में विकास अधिकारी को जो दे दिया। यह गांव का प्लान है। उसको इन्सट्रक्शंस हैं। तीन गुने काम के। अन्दाजन लास्ट ईयर का बजट देख कर के इतने गुने की प्लान बना दो, वे तीन गुने नाम लाते हैं 10 गांव हैं तो 30 गुना नाम लाएंगे पंचायतवाइज पंचायत समिति की मीटिंग में उसका डिस्कशन नहीं होता, प्रधान को पता ही नहीं। पंचायत समिति के दो-दो लाख रुपये, तीन-तीन लाख रुपये खर्च कर के हमारी तरफ पंचायत समिति के मैम्बर हैं उनको यही पता नहीं कि क्या प्लान बन रहा है। बी.डी.ओ. उसको सीधे डी. आर. डी. ए. भेज देगा, डी. आर. डी. ए. मीटिंग बुलाएगा, बुलाकर के वह हमारे सामने रख देगा और कहेगा इस प्लान को देखो। भाई, देख लिया। बोले, साहब, इसको एप्रूव करना है। मैंने कहा कि इसको एप्रूव हमारे से कराओ तो हम तो नहीं करेंगे। बोले, क्यों, साहब। मैंने कहा कि हमारे हिसाब से जो डवलपमेंट वर्क्स होने चाहिये, जिनको हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं एज ए मैम्बर आफ द असैम्बली, इस कांस्टीट्यूएंसी के हम ही प्रतिनिधि हैं हमारे तो यह जंची नहीं तो विवाद हुआ। विवाद होने में, अध्यक्ष महोदय, उसमें निर्णय यह हुआ कि एम.एल.ए., एम.पी. और प्रधान और डी. आर. डी. ए. के मैम्बर जो सजेशंस देते हैं उनको भी शामिल करें। तो मैंने कहा, सजेशन शामिल कर लो, पर उसकी गति क्या होगी? बोले, वह तो फिर देखेंगे। तो हमने सजेशन और दिये, तीन गुना पहले बनकर आयी थी हमारे सजेशन देने के बाद चार गुना हो गयी। अब उस चार गुने कामों में से पिकअप किसे करें, किसे चूज करें। ये डी.आरडी.ए. विभाग की किसी भी मीटिंग में देख लीजिये। अगर हरिशंकर जी भाभड़ा करवाते हो तो मुझे पता नहीं, अगर ललित किशोरजी और सुजानसिंह जी यादव करवाते हैं तो मुझे पता नहीं।

**श्री चन्दनमल बैद** : हरिशंकर जी तो कभी जाते ही नहीं, उनका पी.ए. जाता है उस मीटिंग में।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय सदस्य, एक सैकण्ड। आपके सजेशन की दुर्गति हुई लेकिन कम से कम आपसे यह पूछा तो गया। जिस गवर्निंग काउन्सिल की मीटिंग में मैं रेगुलर जा रहा हूं, मैंने यह एतराज किया है। इस सदन में पिछली दफे 16 तारीख को मैंने यह बात कही है कि कलक्टर ही सेंक्शन कर रहा है। गवर्निंग काउन्सिल से हमारे वहां पर 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स का मैं जानता हूं, वह बिलकुल नहीं करता। वहां पर एक्जीक्यूटिव कमेटी बननी चाहिये, कोई एक्जीक्यूटिव कमेटी सेंक्शन की नहीं है। उसमें यह लिखा हुआ है कि बजट पेश किया जाएगा, कभी भी बजट पेश नहीं होता। सालाना ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी,

(श्री परसराम मदेरणा)

वह भी पेश नहीं होती। आपके वहां कम से कम आपकी लिस्ट तो ले ली, हमको तो वही कोई नहीं पूछ रहा है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय अध्यक्ष जी, सैक्रटरी भेजता है कि इसको ऑडिटर मानना पड़ेगा और डी.आर.डी.ए. के पास कुछ नहीं है। सैक्रेटरी आदेश दे देता है कि इस आदमी को आप ऑडिटर मानो, यह स्थिति है आजकल।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, मैं काफी गैप के बाद—

**श्री हरजीराम बुरडक** : चौधरी साहब, आप जिनको सुना रहे हो न इनकी खुद की भी वही दशा हो रही है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं काफी लम्बे अर्से के अन्तराल 10 साल के बाद 9 साल के बाद इधर वापस आया तो फर्स्ट मीटिंग डी.आर.डी.ए. की हुई। हमारे से पहले चूरू जिले की हुई। मेरे पड़ौस के दो माननीय सदस्यों का मैंने एक पर्चा देखा। उसमें लिखा हुआ था कि इस गांव में हमने यह करा दिया। वह पर्चा मेरे भी हाथ लग गया। दो विधायकों के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों और पंचायत समितियों के मैंने देख करके शिवनाथ सिंह जी को कहा कि + + + इन्होंने तो बहुत काम कर दिये। तो बोले कि अपनी मीटिंग आए तो अपन भी देखेंगें मैंने कहा, वह जो लिस्ट है चार गुना वाली अपन भी छपवा दें, तो उन्होंने कहा कि छपवा दो। मैंने कहा कि छपवा तो देंगे लेकिन मंजूर नहीं होगी तब क्या करेंगे। छपवा तो देंगे लेकिन मंजूर नहीं होंगे तो क्या अपनी गति बनेगी अपन घुसेंगे कहां इसलिये इस मामले में चुप रहो। यह स्थिति है, मान्यवर, डी.आर.डी.ए. की अभी रीसेंट की बताता हूं आपको। हमारे डी.आर.डी.ए. में ऑडिटर था। वह ऑडिटर हमारा नहीं था, वह माननीय भाभड़ा साहब और आपके आर.एस.एस. और आपके जो वहां पर खास हैं मि.बी.के. अग्रवाल उनका एज ए मैन हम उसकी कद्र करते हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर?

**श्री रामनारायण चौधरी** : प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं, सर आडिटर। आडिटर आपका आदमी और उसको बना रखा था हमने लेकिन अब की बार उसको हटा दिया। यहां से नाम चला गया था मैंने शिवनाथ सिंह जी को कहा कि शिवनाथ सिंह जी अपने तो वह भी नहीं हैं लेकिन यह अब कौन आ रहा है। यह कम से कम झुंझुनूं जिले का तो है, आदमी अच्छा है, भला आदती है, ईमानदार आदमी है, तो बोले कि इसको पास नहीं करेंगे। मैंने कहा कि हमें पूछ के करते हो या आप ही। तो बोले कि गवर्नमेंट आदेश आ गये। गवर्नमेंट आदेश आ गये तो गवर्नमेंट को लिख दो कि हम तो इस व्यू के नहीं हैं, हम तो इस व्यू के हैं कि जो पहले वाले थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनको क्यों नहीं आपने कंटीन्यू किया? क्योंकि यहां अपना मेनिपुलेशन करके वे लिखवा ले गये थे उसको रैफर करवा दिया था। हमने उसको स्वीकार नहीं किया लेकिन नतीजा फिर क्या हुआ कि 12 महीने की जितनी सेंक्शंस थीं वे सब कन्फर्मेशन के लिए हमारी मीटिंग में आयीं। मैंने देख कर यह कहा कि शिवनाथ सिंह जी यह क्या हो रहा है? हमारे पी.डी. हैं वे भी अच्छे हैं, कलक्टर भी अच्छे हैं, मुझे कोई

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

पर्सनली उनसे शिकायत नहीं है लेकिन जो व्यवस्था है उसके बारे में कह रहा हूं। तमाम सेंक्शंस, मदेरणा साहब कह रहे हैं कि कलक्टर ने निकाल दीं, वे सब हमारे सामने आयीं, बोले उसका कन्फर्मेशन करो। क्या करें, कहां जाते? सेंक्शन हो गयी, खर्च हो गये अब उसमें इतना कंट्रीब्यूशन है कि उसमें 10 प्रतिशत हमारी पसन्द के नाम भी थे तो मैंने कहा कि इसमें 90 प्रतिशत—(व्यवधान)—

**श्री चन्दनमल बैद** : 10 प्रतिशत तो है?

**श्री रामनारायण चौधरी** : 10 प्रतिशत तो है, अपने करो। हमने उसको मान लिया। This is the state of affairs, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे राजपाल सिंह जी कहते हैं कि हम राजस्थान को चलाएंगे, इसका विकास करेंगे। क्या विकास करोगे? पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, फर्स्ट प्लान खतम हो गयी थी, सैकण्ड प्लान चल रही थी, सन 1960 और 1961 के आसपास की बात है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू, फर्स्ट प्रधानमंत्री भारत सरकार ने कहा कि यह विकास क्या हो रहा है, मेरे को तो भारतवर्ष का विकास हाथी की सूंड जैसा नजर आ रहा है। हाथी की सूंड जैसे, कहीं पतली कहीं मोटी। जब तक आप यह आर्टिकल 40 के तहत जो विलेज पंचायत तक डिसेन्ट्रलाइजेशन आपने किया है, मान्यवर, उसको स्ट्रेन्थन नहीं करोगे तब तक यह आपका विकास विकास नहीं। यह विकास है ही नहीं। अधूरा नहीं, मैं कहता हूं विकास है ही नहीं। आप क्या आगे बढ़ाओगे राजस्थान को? हमारे माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी इस कमीशन के मैम्बर थे, इन्होंने रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में है कितना पैसा दोगे क्या दोगे। मेरे ख्याल से तो वह कोल्ड स्टोरेज में पड़ी है आलू की तरह यह स्थिति आपने उसकी बना रखी है।

**श्री परसराम मदेरणा** : वह कोल्ड स्टोरेज में नहीं है, वह पिक एंड चूज करके रिकमंडेशन के इंप्लीमेंटेशन में जो फंड है कुछ-कुछ उन म्यूनिसिपैलिटीज को दिया जिनको ये देना चाहते थे।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : पंचायतों को भी दिया है, 5 के 11 किये हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं-नहीं, कुछ फंड्स भी म्यूनिसिपैलिटीज को दिये हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : 5 के 11 किये हैं पंचायतों में।

**श्री परसराम मदेरणा** : 5 के 11 पर हैड वाले? तो इससे क्या हो जाता है?(व्यवधान) It is the devoluation of the taxes, tax revenue of the State? It is not.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : नहीं, यह चन्दनमल जी की रिकमंडेशन मान ली है।

**श्री परसराम मदेरणा** : वह तो एक पार्ट है उसका।

**श्री चन्दनमल बैद** : चन्दनमल जी की रिपोर्ट तो अलग है, आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना।

**श्री परसराम मदेरणा** : नोट ऑफ डिसेंट है आप उसको एक बार ध्यान से पढ़िये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : पढ़ा है, मैंने पढ़ा है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह स्थिति, अध्यक्ष महोदय, इस पंचायती राज के डिसेन्ट्रलाइजेशन की है। मैं तो नहीं था लेकिन हमारे बुजुर्ग ये दोनों थे, उस वक्त के डिसेन्ट्रलाइजेशन में आप अपनी पार्टी के किसी भी प्रधान को पूछ लेना, किसी भी सरपंच को पूछ लेना कि उस जमाने का सरपंच ज्यादा अपने-आपको सक्षम महसूस करता था या आज का करता है। यह आप पर ही छोड़ता हूं। हमारी छोड़ो, आप अपने वालों से पूछो, अब तो आपके पास गांव के कई सरपंच हैं पुराने।

मान्यवर, स्थिति आपने यह बना रखी है। अब देखिये आप, आज भारतवर्ष को आजाद हुए 50 साल हो गये। 1946 को भारत आजाद हुआ था, टैक्निकल दृष्टि से 47 पकड़ लीजिये लेकिन वस्तुतः भारत 1946 के अन्दर आजाद हो गया था। 50 साल के अन्दर 15 साल तो, मान्यवर, आपके हैं। 15 साल कम नहीं होते। 15 साल के अन्दर 10 साल का डेढ़ युग है आपके पास में। 1990 के बाद बराबर चल रहे हो, पहले 1977 से चले। सारे राजस्थान का खजाना, भारतवर्ष का खजाना, सारे देश का अनाज, सारे देश का गेहूं आपको सौंप करके इन्दिरा गांधी गयी थीं। आपने पानी की तरह से बहा दिया। जैसे फ्लड के अन्दर गांव बह रहे हैं उस तरह से आपने अनाज को बहाया था। नहीं बहाया था क्या, घनश्याम जी?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : बहाया था न।

**श्री रामनारायण चौधरी** : वह किसका इकट्ठा किया हुआ था?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आपका।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मेरा नहीं, इन्दिरा गांधी का। मेरा क्या था, मेरा कुछ नहीं था, इन्दिरा गांधी का किया हुआ था। चौधरी चरणसिंह जी ने कहा था कि जब मैं गांव में जाता हूं तो मेरी बहनों को पेशाब करने और पाखाना जाने के लिए जगह नहीं मिलती है और वे आकाश के नीचे बैठती हैं तो मेरा सिर झुक जाता है। इन्दिरा गांधी के उस गेहूं से उनका सर ढका गया था। उनकी कमाई नहीं थी, वह इन्दिरा गांधी की कमाई थी। जिसका आपने तीन साल तक मजा उड़ाया, गुलछर्रे उड़ाये और आपने प्लान के लिए कहा कि हमने आगे बढ़ाया।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** (मेड़ता) : नहीं, साहब।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आप उस समय नौकरी करते थे, आपको क्या पता?

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, फूड फॉर वर्क।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आपको उस समय इन्दिरा गांधी के पास सैल्यूट करने के लिए मौका नहीं मिलता था। वह भी आप जिला एसपी. और डीवाई.एसपी. के पास मारते थे। क्या बात करते हो भंवरसिंह जी?

"आर्टिकल 45–Provision for free and compulsory education for children–The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

(श्री रामनारायण चौधरी)

यह आर्टिकल है, इसमें आपने क्या किया? आज आप 14 साल तक के बच्चों तक की प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर सके, यूनिवर्सल एजुकेशन आप कर नहीं सके। मैं कहूंगा तो आप देंगे नहीं हमें, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे दीजिये भैरोंसिंह जी कुर्सी, पांच साल के अन्दर टोटल एजुकेशन मैं करके दिखाऊंगा राजस्थान के अन्दर। क्या बात करते हैं। एक कमिटमेंट चाहिये, डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन टू ड्यूटी चाहिए।

**श्री चन्दनमल बैद** : अभी तो भैरोंसिंह जी की कुर्सी भाभड़ा जी ने ले रखी है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : पांच साल कम नहीं होते, घनश्याम जी।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : ये शब्द तो कोई भी रिपीट कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आज कमिटमेंट नहीं है, आज डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है। बाहें भले ही कितनी चढ़ा लो। आज कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया के अन्दर फेथ नहीं है, इस आर्टिकल के अन्दर फेथ नहीं है, इसकी क्या वजह है? प्राइमरी स्कूल कायम करके बच्चों की कम्पलसरी एजुकेशन आप दे नहीं सकते।

**श्री चन्दनमल बैद** : प्राइमरी स्कूलों में 25 हजार मास्टरों की कमी है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : फिर ये बजट की पूर्ति काहे से करेंगे?

**श्री चन्दनमल बैद** : यही कमी करके।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आपका स्वंय का इधर का जो पार्टिसिपेशन है उसकी इस हैसियत से पूर्ति करेंगे बचत बताकर।

**श्री परसराम मदेरणा** : 10 लाख की पापुलेशन बढ़ रही है प्रतिवर्ष जो बच्चा चार साल का हो गया उसके लिए छः हजार स्कूलें चाहिए, यह आपका एस्टीमेट है और फाइनेंस कमीशन के मेमोरेण्डम में आपने इसका उल्लेख किया है। अभी बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 2001 तक सम्पूर्ण साक्षरता 6 हजार स्कूल की जगह आपने 6 साल में 6 हजार खोली हैं। चाहिए प्रतिवर्ष 6 हजार और प्रतिवर्ष 6 हजार नहीं रखो तो अध्यापकों की संख्या उसमें बढ़ाइये। 1990 में जो पैदा हुआ है वह 1994 में स्कूल गोइंग हो गया। 1994, 95, 96 में 18 हजार स्कूलें खोलनी चाहिए थीं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदेरणा साहब से पूछना चाहूंगी कि आप जाते जाते कितनी खोल गये थे? बिना स्कूल के खोल गये, बिना मास्टर के खोल गये। जाते जाते कितनी हजार स्कूल खोल गये थे साढ़े 6 हजार। आंकड़े देख लीजिये।

**श्री परसराम मदेरणा** : हम क्या खोल गये, क्या नहीं खोल गये....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : बिना जगह के, बिना मास्टर के आप लोगों ने स्कूल खोली थी। हम खोलते हैं व्यवस्था करके।

**श्री परसराम मदेरणा** : मेरी आदरणीय बहन जी, मैं आपसे विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : खोल गये तो खोल गये, बन्द तो नहीं करके गये ? खोलकर ही गये थे ? चलाओ आपमें हिम्मत है तो, नहीं हिम्मत है तो बाहर आ जाओ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : भाभड़ा जी जवाब देंगे, बाकी तो मैं यह कह सकती हूं कि बिलकुल बिना व्यवस्था के आपने नहीं खोली थी क्या ? बताइये।

**श्री चन्दनमल बैद** : खोली तो थी ?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : खोली थी न। यह कौन-सी स्थिति थी ? बताइये। हम मास्टरों की व्यवस्था करके खोलते हैं।

**श्री रामनारायण डूडी** : आर.एस.एस. की शाखा खोली है स्कूलों में।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : पहले बिल्डिंग की व्यवस्था करके खोलते हैं, हमने ऐसे कभी नहीं खोली।

**श्री चन्दनमल बैद** : पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : बिना धरती के, बिना आसमान के खोलते ही चले गये।

**श्री चन्दनमल बैद** : आपकी तरह से बन्द तो नहीं करते ?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : रहने दो आप। क्या व्यवस्था करोगे आप ?

**श्री रामनारायण डूडी** : नयी पंचायत के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर—

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अभी वह जगह जहां से बराबर चुनकर आते रहे हो, बांसवाड़ा और इधर के क्षेत्र, वहां हम लोग खोल रहे हैं, आपने नहीं खोली, यह मैं आपको बताऊं। किसलिए ? कि जब वोट लेने का मौका होता था उस समय कहते थे कि अब के खोलेंगे। जाते जाते खोल तो गये पर अच्छी स्थिति करके नहीं गये आप।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सम्बोधित करते हुए उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

**श्री रामनारायण चौधरी** : भाभड़ा जी जवाब देते तो ठीक था, ये बीच में ही।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मुझे अध्यक्ष महोदय कह देंगे। वह लिस्ट दे दूंगी मैं जो हम लोगों ने खोली हैं, समझे न। आप लोगों ने कभी नहीं खोली, यह मैं बताऊं आपको। मैं खुद भुगतभोगी हूं, क्योंकि जिस इलाके से मैं आती हूं, नाम नहीं लेना चाहती ऊपर जाने वाले का किसी का, उनके घर तक लाइट थी, आगे कहीं नहीं थी, पीछे कहीं नहीं थी। यह सारी व्यवस्था मुझको करनी पड़ी और वह भी जयपुर ग्रामीण की। यह स्थिति है आपकी।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आपके पास शिक्षा विभाग कब रहा जो आपने खोली ?

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह कहा गया था कि हमने जो खोली बहुत व्यवस्था से खोली। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य मेरे पाइंट को एप्रिशिएट करेंगे, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सम्माननीय उप मुख्य मंत्री जी का कि 1995-96 में आउट आफ 185 सैकण्डरी एण्ड हायर सैकण्डरी आपने 140 स्कूलें 1996-97 के एक साल आगे के पीरियड के

(श्री परसराम मदेरणा)

लिए खोल दीं। आज प्रश्न था तो मैं आया नहीं था। हमने खोल दी, आगे खोल दी, प्रारम्भ हो गयी, जुलाई, 1996 में प्रारम्भ हो गयी, खोल हमने उस साल में दी, बजट में कोई प्रावधान नहीं, बजट में प्रावधान नहीं तो यह इंतजाम कर दिया। ऐसा इंतजाम आपने जो किया यह वोट लेने के लिए किया मगर वहां पर आपकी दुर्गति हुई।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : श्रीमान्, आपको यह स्थिति ज्ञात होती है। मैंने पूछा मेरे यहां प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल क्यों नहीं खोलोगे? मंत्री महोदय ने बताया, यों नहीं खुलेगी कि 600 स्कूल वहां खोले जाएंगें जहां खोले नहीं गये हैं अभी तक।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप। बोलने दें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : तो इस तरह से वहां खोली गयी। शैलेन्द्र जी, बैठ जाओ। आप जाति से जोशी हो वही काम करो।

**श्री अध्यक्ष** : उजला जी, विराजें। बहुत हो गया।

**श्री रामनारायण चौधरी** : भाभड़ा जी बोलें तो समझ में बैठता है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चौधरी साहब से पूछूंगा। अभी आपने कांस्टीट्यूशन पढ़कर सुनाया जिसमें स्टेट पर यह आब्लीगेशन है कि वे 10 वर्ष में कम्पलसरी एजुकेशन कर देंगे लेकिन इस 10 वर्ष तक तो आप ही थे।

**श्री रामनारायण चौधरी** : हां, यही कहेंगे आप।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : 10 साल के बाद 20 थे, 20 के बाद 30 थे, 30 के बाद 40 थे। जो काम आप 40 साल में नहीं कर पाये, अब हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम 3 साल में पूरा कर देंगे और संविधान की पालना नहीं करने का सारा दोष हम पर हैं? आपने 10 साल की बजाय चार गुना समय ले लिया मगर आप संविधान की उस व्यवस्था को लागू करने में समर्थ नहीं हुए। उतना समय हमें मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से आपको गारण्टी के साथ कहता हूं कि हम संविधान की व्यवस्था को लागू कर देंगे।

**श्री चन्दनमल बैद** : नहीं मिलेगा।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : नहीं मिलेगा या मिलेगा, यह आपके और मेरे कहने से तो नहीं, वह करने वाली जनता है। देख लिया, जनता ने इस बार आपको देख लिया, और देख लेगी आगे। रोज देखती है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, मेरी आदरणीय बहन जी बीच में आ गयीं पहले अगर आप बोलते और आप यह कहते कि हम करेंगे।—

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : एक मैं बताना चाहता हूं कि हम राजस्थान में आने वाले दो साल के अन्दर-अन्दर कोई गांव ऐसा नहीं रखेंगे जहां प्राइमरी एजुकेशन नहीं हो, सारे गांवों को कवर करेंगे। उसी तरह से हर पंचायत को कम से कम एक मिडल स्कूल हो, यह भी हम करके देंगे। उसके बाद में सैकण्डरी भी करेंगे और हायर सैकण्डरी भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन सिस्टेमैटिक तरीके से करेंगे, हेपेजर्ड-वे में नहीं कि आपने कुछ जगह कर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

दिया और कुछ जगह नहीं किया। ऐसा नहीं करेंगे, बैलेंस रखेंगे।

**श्री रामनारायण चौधरी** : जब आपने बजट बनाया राज्यपाल के अभिभाषण का आपने जब डिस्कशन किया केबिनेट में बजट से पहले तो मुख्य मंत्री ने क्योंकि उनका प्रिविलेज है, फाइनेंस मिनिस्टर का चन्दनमल जी हमें नहीं दिखाते तो हम भी ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बोलने दें, टोके नहीं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : ...फिर उसके बाद में तो आपको पता चला होगा...

**श्री खेतसिंह राठौड़** : माननीय रामनारायण जी, एक मिनट। उप मुख्य मंत्री जी आप बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, आपने फरमाया था कि आने वाले पार्लियामेंट्री चुनावों में कांग्रेस का बिलकुल सूपड़ा साफ कर दूंगा...

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : वह तो हो गया।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : 12-12 पर हैं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : बी.जे.पी. नंबर वन पार्टी के रूप में उभर कर आयी है। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : राजस्थान में 102 असेम्बली सेग्मेंट्स में बी.जे.पी. पराजित हो गयी है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : राजस्थान में ही नहीं असम में हो गया, केरल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, सब जगह हो गया और फिर भी आप मुंह दिखा रहे हैं। आज कांग्रेस केन्द्र में राज नहीं कर रही है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : चूरू की सीट का क्या हुआ?

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आप अछूत डिक्लेयर हो गये सेंट्रल में, अछूत।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : हमने फिर 13 दिन तो किया, आपने तो एक दिन भी नहीं किया।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : चूरू की सीट किस के पास आयी, रतनगढ़ में क्या हुआ?

**श्री परसादीलाल मीणा** : उप मुख्य मंत्री जी की दुर्गति तो चूरू में हुई है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : रतनगढ़ का बदला भी बीकानेर और गंगानगर से ले लिया। आप चिंता मत करिये, एक रतनगढ़ दी है तो दो ली हैं हमने आपसे।

**श्री परसादीलाल मीणा** : आपकी दुर्गति हो गयी चूरू में।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिए, कृपया अब नहीं टोके, बहुत हो गया।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा है मेरे पर। अब आप देखिए— आर्टिकल "46. Promotion educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections. The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation." आपने

(श्री रामनारायण चौधरी)

क्या किया ? आपने वीकर सेक्शंस के लिये क्या किया ? आपने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये क्या किया ? आपने किया, सीकर जिले के बागदोड़ा गांव के अन्दर एक हरिजन की बरात जा रही थी। तोरण शाला पर जाकर उसको घोड़े पर से उतार कर उसको तोरण नहीं मारने दिया था, कह दिया कि ढेढ का छोरा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, यह किया आपने। आपने किया, सूरजगढ़ का बी.डी.ओ. सरेआम पंचायत समिति की मीटिंग में प्रधान को यह कह गया तेरे ढेढ के कहने से कुछ नहीं करूंगा। वहां के विधायक यहां सुबह अपना + + +

**श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें। मैं तो बोलना नहीं चाहता था। वहां पहले-पहले दिन बी.डी.ओ. को मिल कर तीन आदमियों ने पीटा, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ और चालान हुआ। उसके बाद तीसरे दिन प्रधान को लेकर के झूठा षड्यन्त्र रच कर के उसको ढेढ का मुकदमा लगाया। वह खारिज हो गया, डेढ़ महीना भी नहीं हुआ अभी।

**श्री श्रवण कुमार (पिलानी)** : अगर 27 तारीख को सेम-डे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हो दोनों पार्टियों का तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वरना ये दे दें।

**श्री सुन्दर लाल** : मुकदमा और इस्तीफे का मत नहीं है इसमें (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** : अध्यक्ष जी को कहना चाहते हो तो बोलो यह बात।

**श्री अध्यक्ष** : श्रवण जी, वहां बी.डी.ओ. के कारण अपने को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप विराजें।

**श्री सुन्दर लाल** : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले बी.डी.ओ. को पीटा गया है।

**श्री अध्यक्ष** : बी.डी.ओ. के कारण अपन क्यों इस्तीफा दें ? विराजें आप। बड़ी मुश्किल से चुना है जनता ने।

**श्री श्रवण कुमार** : माननीय अध्यक्ष महोदय, पीटा नहीं उसको बाहर निकाला गया था। आज जो अपने घर में चोरी करेगा उसको श्रृंगार कोई नहीं करवाएगा। सुंदरलाल जी करवा सकते हैं तो हम भी करवा सकते हैं। आप चोरी करने वाले को पीटोगे नहीं तो 11 रुपये टीका निकाल कर कोई नहीं देगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को और क्या दे सकेंगे आप ?

**श्री अध्यक्ष** : आप विराजें, श्रवण जी, हो गया।

**श्री श्रवण कुमार** : 27 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और 27 तारीख को ही वहां झगड़ा हुआ।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मुझे व्यवधान नहीं डाला जाए। मैंने कहा कि कोई नहीं डालेगा। हमारे सीनियर मेम्बर बोल रहे हैं, उनको कोई बात कहनी है, एक रेफरेंस दिया, उसके बाद लिखकर के कह दें लेकिन इनको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाए।

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री अध्यक्ष :** सभी जने बोल रहे हैं।

**श्री परसराम मदेरणा :** हम तो नहीं बोल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बीच में टोका-टाकी नहीं करें।

**श्री सुन्दर लाल :** पहले बी.डी.ओ. को पीटा है और उसके तीन दिन बाद यह मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको ढेढ़ कहा है।

**श्री श्रवण कुमार :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कमेटी भेज दीजिये। 27.3.96 को शाम एक बजे आपस में उनका वाद-विवाद हुआ....

**श्री अध्यक्ष :** विराजें।

**श्री श्रवण कुमार :** एक मिनट बी.डी.ओ. ने प्रधान को ढेढ़ कहा, हमने उसको बाहर निकाल दिया। अगर तीन दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ हो तो सुंदरलाल जी विधान सभा सदस्यता से इस्तीफा दे दें वरना मैं दे दूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** बी.डी.ओ. की वजह से दोनों को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से चुना है जनता ने। आप विराजें। यह कोई डिबेटेबल नहीं है।

**श्री श्रवण कुमार :** इतना सीनियर आदमी बी.डी.ओ. अगर असत्य बोलता है तो उनकी मान्यता क्या होगी ?

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये माननीय चौधरी साहब। एक्सपंज करिए इसको। (व्यवधान) आप विराज जाएं, कृपया बैठे-बैठे बात नहीं करें। माननीय चौधरी साहब कह रहे हैं, आप सुनें उन्हें।

**श्री रामनारायण चौधरी :** मान्यवर, The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weakers sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes,......

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास आप चला रहे है, एक भी छात्रावास में ले लीजिये। हरिशंकर भाभड़ा जी, आप जाकर देख लीजिये, जो मीनू आपने दे रखा है, जो आपने निर्धारित उनकी खुराक तय कर रखी है वह किसी भी लड़के को न कपड़ा मिलता है, न खुराक मिलती है। सारी खुराक वार्डन और सोशल वैलफेयर आफिसर्स खा जाते हैं और छोरों को आधे पैसे दे देते हैं कि तुम अपने घर जाकर के खाओ यह हालत है आपके। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावासों की यह माननीय सदस्य भी जानते हैं और इधर के बैठने वाले भी जानते है। मेरे यहां तो ट्राइब्स के हैं नहीं इसलिये मुझे पता नही। स्कॉलरशिप की स्थिति यह है कि साल के अंत में जाकर आप देते हो। कुछ पैसे तो देने वाले खा जाते हैं, बाकी इधर-उधर का खर्चा हो जाता है और कोई रिलीफ उनको नहीं मिलती। महीने के महीने छात्रवृत्ति नहीं मिलती, महीने के महीने उनको खुराक के पैसे नहीं मिलते। यह हालत आपने क्यों बना रखी है? वीकर सैक्शन तो बहुत बड़ा है। वीकर सैक्शन ओ.बी.सी. की बात नहीं करता। वीकर सैक्शन ऑफ दी सोसाइटी में कमजोर वर्ग है जिसमें ब्राहण भी आता है, जिसमें जाट भी आता है, जिसमें

(श्री रामनारायण चौधरी)

राजपूत भी आता है, इर्रेस्पैक्टिव ऑफ कास्ट एण्ड क्रीड, उसमें मुसलमान भी आता है। उन गरीब तबके लोगों के स्कूल की फीस के लिये, एजुकेशन के लिये आपने क्या व्यवस्था की ? कोई व्यवस्था नहीं की। बता सकते हैं कोई भी कि हमारे यहां यह कर रखी है ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** हमने महिलाओं की, वीकर सैक्शन की फीसें माफ कर रखी हैं जो आपने कभी नहीं की पहले।

**श्री रामनारायण चौधरी :** आप कर रहे हैं, मान्यवर, 15 साल से तो आप बैठे हैं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** जिस संविधान की आप चर्चा कर रहे हैं उसके लागू करने की प्राइमरी जिम्मेदारी आपकी थी और आपने 40 साल गवां दिये। हमको कभी दो साल का समय मिला है, पूरा समय भी नहीं मिला और हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हो आपने यह सब पूरे कर दिये—

**श्री रामनारायण चौधरी :** 15 साल से आप आ रहे हैं—

**श्री भीमराज भाटी (पाली) :** पाइंट ऑफ आर्डर, प्लीज।

**श्री अध्यक्ष :** आपका क्या पाइंट ऑफ आर्डर है ?

**श्री भीमराज भाटी :** मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय अपनी सीट से नहीं बोल कर मुख्य मंत्री जी की सीट से बोल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** विराजें।

**श्री परसराम मदेरणा :** He is officiating today.

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** I am within my limits and powers. You understand it.

**श्री परसराम मदेरणा :** तो आप 10 साल तक तो रहे, तीन साल पहले और सात साल अब। बेसिक स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया उसके बाद 1990 से 96 तक साढ़े छः साल हो गये और तीन साल रह गये पहले, साढ़े नौ साल। छः महीने और हैं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** फिर भी 40 साल की तुलना में यह नगण्य है। (व्यवधान) 40 की तुलना में यह नगण्य इसलिये भी है कि इस में कन्टीन्यूटी नहीं थी। अब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते जाइए, यह कह दीजिए कि हमने गलती की आप गलती मत करिए।

**श्री भीमराज भाटी :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय अपनी सीट से बोलें। फिर हमारे जिले पर अतिक्रमण हो रहा है, यह हमारे जिले का सवाल है। मेहरबानी करें। राजस्थान पर भी अतिक्रमण हो रहा है, अब जिले पर भी अतिक्रमण हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष :** विराजें।

**श्री रामनारायण चौधरी :** आर्टिकल

"47. Duty of The State to raise the level of nutrition and the

(श्री रामनारायण चौधरी)

standard of living and to improve public health–The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

मान्यवर, कितना प्रोग्राम आज भारत सरकार से आता है, यूनिसेफ से आता है—

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आज क्या चक्कर है, एक घण्टा हो गया ?

**श्री परसराम मदेरणा** : No. He has taken the level of debate to lofty, sublime and very high standard. He is referring to Directive Principles.

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं आंकड़ों में नहीं जाता, मुझे आंकड़े याद नहीं रहते। हमने यह काम चन्दनमल जी को सौंप रखा है, यह हिसाब किताब इनका काम है। मैं तो वह बात बोल रहा हूं जो मैं फील्ड के अन्दर महसूस करता हूं और देखता हूं। आंकड़े देखना मेरे बस की बात नहीं है। ये मुझे याद नहीं रहते, मैं ठीक कहता हूं। यह बजट है लेकिन मेरे को यह पता नहीं कि कितनी आमदनी है, कितना खर्चा। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अब मैंने सोचा कि चन्दनमलजी से समझूं, तो चन्दनमलजी समझेंगे—यह बड़ा उल्लू आदमी है। यह यही नहीं समझ रहा है तो यह पांच साल तक विधान सभा में क्यों रहा। तो मैं मेरी कमजोरी को छिपाने के लिऐ इस झगड़े में नहीं पड़ा। इसलिऐ मैं तो वही कह रहा हूं, जो मैं फील्ड में देखता हूं।

मान्यवर, भारत सरकार ने अभी महिला और बाल विकास का जो कार्यक्रम लिया है, वह टोटल खर्चा भारत सरकार का है। आपने जितना ले रखा है, उसके अन्दर कोई व्यवस्था नहीं। दलिया आता है, आपके कर्मचारी वह सब बेचकर खा जाते हैं, उसके घर वाले खा जाते हैं। उसमें से टेन परसेंट भी खर्च नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहे हो। उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में हैं, जितना सरकार से आता है, वह तो बांट दो। 20 प्रतिशत आप उसमें लगाते हो, वह तो खाओ-पीओ मगर 80 प्रतिशत तो उन लोगों के पास में पहुंचाओ। (व्यवधान) राजीव गांधी कहकर के राज आपको देकर के चले गये। राजीव गांधी की महानता है, वे बता गये और आपको राज देकर चले गये। आज आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो।

मान्यवर, "Article 48–organisation of agriculture and animal husbandry; and Article 48A–Protection and improvement of environment and safeguarding of

(श्री रामनारायण चौधरी)

forests and wild life." तमाम फोरेस्ट को आपने खतम करवा दिया, गांव की गोचर भूमि को आपने खतम करवा दिया। जमींदारों के जमाने में, मैं कहूंगा उन लोगों ने रखा तो था, जब से आपका राज आया है, पिछले 6 साल के अन्दर तमाम एग्रीकल्चर लैण्ड के ऊपर एन्क्रोचमैंट आप लोगों ने करवा दिया। आपने किसी एक को भी डिस्पजैस नहीं किया। तमाम फोरेस्ट आपने खतम करवा दिया। फोरेस्ट को काट-काट कर ले जा रहे हैं। फोरेस्ट की जो तमाम प्रोड्यूस है, उसको आपके फोरेस्टर आपके गार्डस, आपके रेंजर्स, वे सब खा रहे हैं। आज एक रेंजर की पोजीशन देखिये। एक रेंजर, एक फोरेस्टर और एक गार्ड, इनका इकानामिक असेस्मैंट, भाभड़ा जी, आप करवा लीजिये। जब आपके यहां लगे, उससे पहले की घर की सिचुएशन देख लीजिए और एक मास्टर की देख लीजिऐ। सैकण्ड ग्रेड मास्टर उनसे ज्यादा पाता है, उनका और उनका लेवल देखिये। यह कहां से आता है? सारा पैसा वे लोग खा गये। सारे फोरेस्ट को कटवा दिया। कोई लुक-आफ्टर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। गार्ड पिट रहे हैं, फोरेस्टर पिट रहे हैं, रेंजर पिट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं।

आपने एग्रीकल्चर में क्या किया? गांवों में, शहर में झुंझुनू में धड़ल्ले से नकली बीज बिक रहा है। गवर्नमेंट ने सप्लाई नहीं किया, नकली मोहर लगा रखी है, नकली ठप्पे लगा रखे हैं। झुंझुनूं जिले के काश्तकारों को तबाह कर दिया इस बीज ने। अब की बार हालत ऐसी है बाद में लोगे रोएंगे जिन्होंने भी इनके बीज को बीजा है। इन्होंने नकली मोहर लगा रखी है, ठप्पा लगा रखा है राजस्थान सरकार से सर्टिफाइड। सारा नकली बीज है· बाजरे का नकली, मोठ का नकली, ग्वार का नकली, चौले का नकली। यह हालत एग्रीकल्चर की है।

एनिमल हस्बेंड्री। कांग्रेस सरकार के जमाने में, मान्यवर, शुरू के दिनों में होलस्टीन, जर्सी, इन गायों का आयात हुआ करता था। क्रॉस ब्रीडिंग करवायी थी। एक लहर चली थी, देश में दूध पैदा हुआ था और आज आप सारा नकली इन्सैमिनेशन करवा रहे हैं (व्यवधान) यहीं के सांडों को पकड़कर के आप उनमें से निकाल लेते हो और उनसे इन्सैमिनेशन करवा देते हैं। इसको आप करते हो, गांव वाले मर जाते हैं। आप लोगों के साथ कितना क्रिमिनल आफेंस कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। किसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएं? भैरोंसिंह जी पर कराएं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आप पर करवाएं या एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर पर करवाएं या ज्ञानसिंह जी पर करवाएं? किस पर करवाएं, किसके खिलाफ एफ. आई. आर. करें?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : घनश्यामजी कह रहे हैं, आप और हम तो इस मामले में गये, कुछ निकलने वाला नहीं है।

**श्री परसराम मदेरणा** : उप मुख्य मंत्री महोदय, बहुत सीरियस मैटर है। मान लो, अगर अच्छी नस्ल का इन्सैमिनेशन नहीं हुआ और नकली करा रहे हैं तो पूरी की पूरी गायों की जनरेशन खराब हो जाएगी।

**श्री रामनारायण चौधरी** : हो गयीं। बस्सी में फार्म बना रखा है, इतने-इतने रेगड़िये इकट्ठे कर रखे हैं। उनके इंजेक्शन से खींचते हैं, जाकर काश्तकारों को देते हैं और यहां आकर लगा जाते हैं। इतनी-इतनी बड़ी बाछड़ थी इतनी-इतनी छोटी रेगड़िये, वे पैदा होती हैं। दूध मर जाता है, दूध होता ही नहीं है उनके। कहां से होगा दूध? दूध तो ब्रीड में है। आपने एनिमल हस्बेंड्री को मरवा दिया, आपने एग्रीकल्चर को मरवा दिया।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : इतनी करामात है कि बच्चियों के दूध होने लग गया। गंगानगर जिले में, आपने सुना होगा। यह हमारी सरकार की देन है कि बच्ची के पैदा होते ही दूध होने लग गया।

**श्री परसराम मदेरणा** : दूध बच्ची के ही नहीं है, दूध तो गणेशजी को भी होने लग गया, उनके ही निकल रहा है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, Article–50. "Separation of judiciary from executive.—The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State."

यह एक्ट कांग्रेस के राज में हुआ था। आपको सैपरेट जुडिशियरी दी थी, सैपरेट आपको एक्जीक्यूटिव सम्भलायी थी। (व्यवधान) आज जुडिशियरी की क्या स्थिति है? आज कितने मुकदमें हाई कोर्ट में, कितने मुकदमें सैशन कोर्ट में, कितने नीचे के कोर्टस में हैं? कितने एक्जीक्यूटिव आपने सैपरेट किये? कितने रेवेन्यू कोर्टस में हैं? कलेक्टर, असिस्टटेंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, आर.ए., रेवेन्यू बार्ड और हाई कोर्ट और फिर उससे सबार्डिनेट कोर्टस में माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुकदमे पड़े हुए हैं, गरीब आदमी उसमें तबाह हो रहा है। कोई पैसे वाला तबाह नहीं हो रहा है, वीकर सैक्शन ऑफ सोसाइटी, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स जो सबसे गरीब तबका है, वह उसके अन्दर तबाह हो रहा है। आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कोई लीगल एड उनको नहीं दे रहे हैं। यह व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि उनका जल्दी फैसला हो, ताकि वे लोग तबाह नहीं हों।

यहां चर्चा चल रही है, डवलपमेंट वर्क्स, प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडीचर। मान्यवर, आज यहां पर प्लान एक्सपेंडीचर की बात कर रहे हैं कुछ दिनों के बाद वह नॉन प्लान एक्सपेंडीचर हो जाएगा। अगर नॉन प्लान एक्सपेंडीचर को भी आप ठीक प्रकार से रैगुलेट और नियोजन नहीं करेंगे तो जो सोसाइटी की लुक-ऑफ्टर है, सोसाइटी की जो प्रोटेक्शन है, सोसाइटी का जो एडवांसमेंट है, वह किस प्रकार से आगे बढ़ेगा?

गरीब आदमी आज न्याय प्राप्त नहीं कर सकता है अदालतों से, उसको कोई लीगल एड नहीं मिलती। सरकार का क्या दायित्व बनता है, स्टेट का क्या दायित्व बनता है?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कांस्टीट्यूशनल ओब्लीगेशंस जो मैंने यहां गिनाये हैं, यह सरकार उनको पूरा करने में किस प्रकार से असफल रही है।

इस सरकार को, मान्यवर, जो आप बजट दे रहे हैं, आप हां और ना कराएंगे, हम तो करेंगे। नहीं करेंगे तो ये बहुमत से करेंगे, इसमें हमारा कोई वश नहीं है।

मान्यवर, अब मैं समाप्त कर रहा हूं आपका पेशेंस भी टूट रहा है और उधर-इधर दोनों ओर के माननीय सदस्यों का भी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अफ्रीका से हिन्दुस्तान आ रहे थे तो पानी के जहाज में उनको काफी टाइम लगा था तो उन्होंने भारत वर्ष के बारे में लेख लिखे थे। उन लेखों का बाद में कम्पाइलेशन हुआ, उसका नाम लिखा "हिन्द स्वराज्य" एक छोटी सी किताब है, 1908 के अन्दर वह पब्लिश हुई

(श्री रामनारायण चौधरी)

थी। जैसे ही वह पब्लिश हुई वह अंग्रेजों के पास पहुंची। तब तक वह किताब बिक चुकी थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी का मैसेज आया, वायसराय के पास वह किताब भेजो, तो गांधीजी की लाइब्रेरी में और उनका जो साहित्य था वहां पर भी वह किताब नहीं मिली। एक किताब मद्रास में मिली। वहां से वे किताब लाये और उसका इंग्लिश अनुवाद कराकर उनको दी। मान्यवर, वह 1908 में लिखी गयी, 1920 में गांधीजी ने उसको रिव्यू किया। उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया, 1938 में गांधीजी ने उसको फिर देखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वह वैसी ही वैसी रख दी। उसमें इंग्लैण्ड के बारे में लिखा था। 1908 में जबकि अंग्रेजों की तूती बोल रही थी, विश्व के अन्दर साम्राज्य था, कोई कल्पना भी कर सकता है? 1908 में गांधीजी ने उसमें लिखा कि यह इंग्लैण्ड नष्ट हो जाएगा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अखबारों के आधार पर।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अखबारों के आधार पर नहीं। आप पढ़ते तो है नहीं। यह टाइम नहीं बढ़वाना है, विधान सभा का? 1908, 1920 और 1935 में लिखा कि यह इंग्लैण्ड नष्ट हो जाएगा। 1935 में आपको भी लगने लग गया था, जो उस वक्त था, नष्ट हो रहा था और 1946 में तो पूरी तौर से लगने लगा था कि नष्ट हो रहा है और आज आप देखते हो कि इंग्लैण्ड की क्या हालत है, नष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय है 1908 का सा वह इंग्लैण्ड? गांधीजी से एक पाठक ने पूछा कि यह तो आपने, महात्माजी, बड़ी अजीब बात कह दी। बोले, अजीब बात नहीं कहीं मैंने, अंग्रेजों की पार्लियामेंट, जिसको मदर पार्लियामेंट कहते हैं, उसके मैम्बर सोते हैं, नींद में उंघते हैं और खर्राटे भरते हैं, अपने दायित्वों को नहीं निभाते। अच्छे-अच्छे अंग्रेज कहते हैं कि जो सच्चा क्रिश्चियन है, उसका धर्म नहीं है कि वह पार्लियामेंट का मैम्बर बने। तो उन्होंने कहा, क्यों ऐसी क्या बात है? आप बुरा मत मानना, अध्यक्ष महोदय, आप निकलवा देंगे उस शब्द को, क्योंकि कहेंगे कि अनपार्लियामेंट्री है। अनपार्लियामेंट्री नहीं है। आप अन्दाज लगाइये कि 1908 में महात्मा गांधी ने यह कहीं ही नहीं लिखा है, उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस आफ कामन्स आज के प्रिविलेज मोशन के रूप में प्रिविलेज मोशन ला सकती थी। गांधीजी को वे जेल कर सकते थे लेकिन उनकी डैमोक्रेसी की महानता है कि उन्होंने उस पर कोई कॉग्नीजेंस नहीं लिया। गांधीजी ने कहा कि यह ब्रिटिश पार्लियामेंट पार्लियामेंट नहीं है, यह बांझ है, बांझ, यह बांझ है, इसका नाम बांझ है। तो उन्होंने कहा, यह तो बात जंची नहीं, गले नहीं उतरी। बोले, गले उतारो। बोले, कैसे उतारूं? बोले, यह एक भी अच्छा काम नहीं करती अपने आप।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : थोड़ा माइक ऊपर कीजिये।

**श्री रामनारायण चौधरी** : नहीं, यूं ही सुन रहा है हाउस, और गूंजेगा हॉल।

कि एक भी अच्छा काम नहीं करती अपने आप। इसका जो प्राइम मिनिस्टर है, और मिनिस्टर हैं, वे करवाते रहते हैं, वे कर देते हैं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

वह अपनी तरफ से एक भी अच्छा काम नहीं करती। बता दो अगर किया हो तो? और बताऊं आपको बोले, यह बांझ ही नहीं यह वैश्या है, यह तवायफ है। बोले, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। यह क्या कह दिया आपने? बोले, मैंने बड़ी नहीं की, यह वास्तविकता है। बोले, यह कैसे वास्तविकता है? बोले, इसका कोई मालिक नहीं है। इसका कोई मालिक नहीं है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम उन्होंने गिनाया कि आज यह है, कल यह था और आने वाले कल में यह होगा तो यह उनके मालिक हो जाएंगे। यह बदलते रहते हैं, मंत्रिमण्डल बदलता रहता है। तो जो हालत वैश्या की है, जो हालत तवायफ की है, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट की है, वह मालिक हो गया। जो प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमण्डल आ गया वह मालिक है। इसका कोई मालिक नहीं है इसलिये इसको मैं वैश्या बताता हूं। बोले, मेरे बात समझ में आयी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिये 1908 में कोई कह सकता था? 1908 के अन्दर अंग्रेजों के बारे में कोई ऐसा कह सकता था? यह महात्मा गांधी ने कहा है और 'हिन्द स्वराज्य' के अन्दर लिखा हुआ है। किसी भी माननीय सदस्य को भ्रम हो कि मैं कोई अतिशयोक्ति कह रहा हूं, पढ़ लेना। सारा उन्होंने लिखा है, वकील, डॉक्टर, भारत की रेलें, भारत का समाज, सारी उन्होंने 1908 के अन्दर कल्पना की है। आज वे सबकी सब सही उतर रही हैं। इंग्लैण्ड खतम हो गया और भारत के बारे में, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो लिखा है, वह आप पढ़ लेना, मैं नहीं बताऊंगा। आज हमारी पार्लियामेंट, आज हमारी विधान सभा, हम अपने आप, आप कह सकते हैं कि हमने कोई अच्छा काम कर दिया? सन् 1952 से लेकर आज तक गिना दो मुझे, विधान सभा ने अपने आप कौन-सा अच्छा काम किया?

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिये— (व्यवधान)—

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : एक घंटा बहुत है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय सदस्य कैसे बोल पाएंगे?

**श्री रमाकान्त शर्मा** : सभी बोलेंगे, ठीक है। आप दो दिन विधान सभा का टाइम और बढ़वा देना। नौ बजे, दस बजे कहीं नहीं होता, किसी जगह भी नहीं होता यह।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : जो कार्य-सूची पूरी होने की बात है और जो समय का आबंटन पूरा होने की बात है, वह यदि समय नहीं बढ़ाया जाएगा तो मैं समझता हूं, आज कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया—

**श्री रमाकान्त शर्मा** : इसमें पन्द्रह दिन बजट के लिये लिखा है।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, ग्यारह बजे तो हम यहां आ गये थे, सात बजे गये, आठ घंटे की ड्यूटी तो हो गयी। अगर बोलना भी है और सदस्यों को आप बुलवाना

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

भी चाहते हैं और उनसे अच्छे सुझाव भी चाहते हैं तो उनको भी कुछ अध्ययन का समय दीजिये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आज ही आये हैं आप।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : मैं तो आपकी दया से आज ही आया हूं, क्योंकि औसियां में लोग डूबे हुए पड़े हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : सॉरी, साहब।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : और आपकी सरकार उनको एक दाना नहीं दे रही है, अनफार्चुनेटली। —(व्यवधान)—

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अभी एक घंटा ही बढ़ाएं।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : इसलिए नहीं कि आप देना नहीं चाहते।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया गया।

माननीय चौधरी जी, आप जल्दी समाप्त करें।

## आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह स्थिति है, मान्यवर। आपने मेरी बात को सुना। मैंने कोई इनकम और एक्सपेंडिचर का कहीं जिक्र नहीं किया।

मान्यवर, हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस बजट में कुछ टैक्स लगाने के सुझाव दे रखे हैं, मैं उन पर आता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये टैक्स ऐसे हैं, मान्यवर, सब गरीब आदमियों के ऊपर हैं। इसमें एक भी टैक्स ऐसा नहीं है जिससे किसी बड़े आदमी की जेब से एक पैसा आएगा। मैं मानता हूं उन्होंने कम किया है। कम इसलिए किया है कि यह गरीबों पर है। इन टैक्सों से कुछ आमदनी नहीं है, इतने वर्षों से लगते आ रहे हैं। 75 रुपये मूल्य की डिजिटल घड़ियां अब छह पर्सेण्ट के स्थान पर चार पर्सेण्ट किया, कौन आदमी खरीदता है। मान्यवर? कोई पैसे वाला आदमी डिजिटल घड़ियां खरीदेगा? कोई नहीं खरीदता है। सब गरीब आदमी खरीदते हैं। गांव के अन्दर मजदूर, इसको आपने गरीब मानकर 6 की बजाय 4 किया है, इसको आपको माफ करना चाहिये। बर्फ की दर दस प्रतिशत से घटा कर आपने दो प्रतिशत की है। बर्फ कौन खरीदता है? भाभड़ा जी, मान्यवर, आप, मैं, चतुर्वेदीजी, माननीय सदस्य, कोई भी बर्फ नहीं खरीदते हैं। सब गरीब खरीदते हैं, पानी में घोलकर पीते हैं। उस पर भी आप टैक्स लगाना चाहते हो? माफ नहीं करना चाहते? उन से दो प्रतिशत लो, चतुर्वेदी जी, कैसे उनसे वसूली होगी? कितना वसूली में चला जाएगा? कोई बर्फ से कमा कर खाता है बर्फ वाला, कमा कर खाने दो। गरीब खरीदता है तो उसको खरीदने दो। इसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। आपने कम किया है लेकिन दो प्रतिशत किस बात का? आपने दस प्रतिशत से घटाया है, दस

(श्री रामनारायण चौधरी )

प्रतिशत में ही आपकी आमदनी कुछ नहीं है, आपके कुछ भी आमदनी नहीं हुई है। भाभड़ाजी कहेंगे कि क्या राम नारायण पोथा लेकर बैठ गया, बहुत लम्बा टाइम ले लिया, मैं नहीं लूंगा।

(19.00)

आपने 4 प्रतिशत से नारियल को पूर्णतया मुक्त किया है, यह आपकी समझदारी का काम है। आपने यह समझदारी का काम किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने वास्तविकता का रियलाइजेशन किया है लेकिन आपने अधूरा किया है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आपकी गलती को ठीक किया है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : हमारी कोई गलती नहीं है। आपने पेचकस जिससे गरीब आदमी कमा कर खाता, उसको माफ किया, ठीक किया। अध्यक्ष महोदय, भाभड़ा साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आप रियलाइज करेंगे, सभी प्रकार के शिशु आहार पर कर की दर 6 परसेंट से 4 परसेंट आपने कर दी, बच्चों की खुराक के ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। आपका दायित्व है, आपका न्यूट्रीशन का दायित्व है कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में, पर आप उस पर टैक्स में कमा कर खाना चाहते हो। आप कहिये, लानत है ऐसी आदमनी पर। इसको कर मुक्त करो।

**श्री भगराज चौधरी** : कम किया है न कुछ। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : क्यों किया? पूरा होना चाहिये। कुछ का क्या हुआ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय, अब समाप्त करें। माननीय रामप्रतापजी।

**श्री रामनारायण चौधरी** : सिलाई मशीन, कटलरी ये जितने भी आपने कम किये हैं ये तमाम टैक्स मुक्त होने लायक हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति, सम्मानित सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कि आपने टूटी-फूटी भाषा में मेरी छोटी-मोटी बातों को सुन कर मुझे कृतज्ञ किया, मैं आभारी हूं। जय हिन्द।

**श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट रखा है उसमें गांव, गरीब और किसान के हितों का ध्यान रखा गया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो आंकड़े दिये हैं वह तो मेरे बस की बात नहीं है परन्तु जो वस्तु स्थिति है, जो पिछले पांच साल का कार्यकाल रहा है जिसमें मेरे को अच्छी बातें देखने को मिली, वह मैं इस सदन में निवेदन करना चाहूंगा।

मोटे रूप से प्रथम चरण में, प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, सभी चरणों में जो पक्के खाले बने हुए हैं इनकी कीमत माफ की गयी है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिये पिछले 15-20 वर्षों से किसान संघर्ष कर रहे थे। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, सन् 1975 में इमरजेंसी के समय में जिन काश्तकारों से प्रशासन के जरिये जबरदस्ती फोटो खिंचवा कर पक्के खाले बनवाये गये इस तरह के कुछ काश्तकार इस सुविधा से वंचित रह गये। इसका कारण है कि वह लोन बैंक के

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माध्यम से लिया हुआ था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 80 प्रतिशत पैसा पक्के खालों का माफ कर दिया और 20 प्रतिशत पैसा जो बकाया है उसका कारण है कि कांग्रेस के शासन में जबरदस्ती/काश्तकारों की फोटो खिंचवा कर बैंक में जमीन को रहन रखवाने के लिये मजबूर कर दिया, यह हकीकत है यह इमरजेंसी के समय की बात है। यह सारा का सारा काश्तकारों की इच्छा के विरुद्ध हुआ है।

(19.05)

**(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)**

सभापति महोदया, इसके अलावा इस सरकार ने किसानों को अनेक छूट दी हैं। जमीन बेचने पर पाबंदी लगी हुई थी उसको हटाया है। कांग्रेस के शासन में जमीन बिकती थी परन्तु मंजूरी लेनी पड़ती थी। सभापति महोदया, सेंट परसेंट प्रार्थना-पत्र जो मंजूरी के लिये दिये वे सब के सब मंजूर हुए, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, पांच प्रतिशत तो अपवाद है। जब कोई भी प्रार्थना-पत्र रिजेक्ट नहीं हुआ तो फिर मंजूरी लेने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी पैसे बटोरने की। इससे किसान को बड़ी परेशानी होती थी।

इसके अलावा इंदिरा गांधी कैनाल पर काश्तकारों को भूमि अलाट करने के नाम पर तीन-तीन, चार-चार बार भूमि अलाट कर दी और बार बार किस्त बढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी ने काश्तकार के हितों का ध्यान में रखते हुए दो मुरब्बा जमीन सीलिंग सीमा तक फ्री अलाटमेंट करने का जो निर्णय लिया यह तारीफ के काबिल है।

सभापति महोदया, छोटे-छोटे टुकड़े किसान कांग्रेस के शासन में बेच नहीं सकते थे। पढ़े-लिखे लोग इसको कहते हैं फ्रैगमेंट, हम तो यह कहते हैं कि बिस्वा बेचां, दो बिस्वा बेचां म्हारी मर्जी है, म्हारा बाप-दादा की है, कै पाबंदी है, आ कवां म्हें। सभापति महोदया, 5 बीघा नहरी और 10 बीघा बारानी जमीन से कम किसान बेच नहीं सकते थे, भारतीय जनता पार्टी ने वह काला कानून समाप्त कर दिया। (व्यवधान). सब की बिकने वाली बात नहीं है। आज गंगानगर जिले में किसी आदमी के पास एक बीघा भूमि है तो उसके सवा लाख रुपये मिलते हैं, आगे जाकर वह एक मुरब्बा ले सकता है। चार भाइयों के पास एक-एक बीघा जमीन है और अगर वे आपस में बेचना चाहे, एक आदमी छोड़ कर दूसरी जगह जाना चाहें तो वे नहीं जा सकते थे। तो सरकार ने यह जो छूट दी है इससे किसान को काफी राहत मिली है। सभापति महोदया, इसके अलावा पचासों छूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है अगर मैं एक-एक बात बताने लगूंगा तो यहां दो घंटे लग जाएंगे।

इसके अलावा, सभापति महोदया, कोलोनाइजेशन एरिया में भाखड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर बैटरमैंट टैक्स के नाम से एक टैक्स लगाया था जिसका सरकार के पास कोई लेखाजोखा नहीं कि किसान ने कितना पैसा जमा कर दिया व कितना पैसा किसान की तरफ बकाया है। यह सरकार के पास रिकार्ड में कोई ब्यौरा नहीं था जबकि वर्षो से यह पैसा किसान के लगता आ रहा था और किसानों से वसूली की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम इसको पूर्णतया समाप्त करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है।

इसके अलावा इनको तो यहां तक आवश्यकता पड़ गयी कि किसान अपनी मर्जी के मुताबिक अगर अपने घर के काम के लिए कश्ती के डांडे के लिये भी लकड़ी काटना चाहे

(श्री रामप्रताप कासनियां)

तो उसकी जेल होती थी कांग्रेस के शासन में। लकड़ियां तो कटती थी, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं कि लकड़ी नहीं कटती थी, पर लकड़ी ज्यादा काटनी पड़ती थी। पटवारी को लकड़ी देनी पड़ती थी, तहसीलदार के घर फट्टे पहुंचाने पड़ते थे या कोई चारपाई बना कर पहुंचानी पड़ती थी। किसानों को आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह छूट तो दी है कि किसान अपनी खातेदारी भूमि में से अपनी जरूरत के मुताबिक खेजड़ी के पेड़ को छोड़ कर बाकी लकड़ी काट सकता है।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : रोहिड़ा नहीं काट सकता।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : हां, रोहिड़ा। सभापति महोदया, ये पेड़ जो खेतों में लगाये हैं ये सरकार ने नहीं लगाये, किसानों ने स्वयं लगाये हैं। सरकार ने तो, मेरे से पूर्व वक्ता रामनारायणजी जिस तरह से कह रहे थे, नम्बर जरूर लगाये थे पहले कांग्रेस के शासन में। आजकल गांवों में कुछ हरियाली दिखायी दे रही है। पिछले पांच-छह वर्षों से फोरेस्ट डिपार्टमेंट में सुधार हुआ है। गांवों के इर्द-गिर्द जहां भी फोरेस्ट का एरिया है वहां आप को हरियाली मिलेगी। यह बात मैं आंखों देखी सदन में कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

सभापति महोदया, इसके अलावा जो घग्घर बाढ़ आती है हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले में, यह वर्षों की समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोई चेष्टा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी पिछले वर्ष में ही नाली एरिया के अन्दर छह बीघा चौड़ाई वाली भूमि की डिमार्केशन कर दिया कि यहां पानी आएगा और इस छह बीघा भूमि में अगर कोई अवैध बांध का निर्माण करेगा तो उसको सरकार हटा देगी। इससे सैंकड़ों-हजारों गांव लाभान्वित होंगे, बाढ़ से बचेंगे। यह इतना बड़ा काम है, इसमें कई जगह गलतियां हो सकती हैं, यह मैं मानकर चलता हूं। कुछ होशियार लोगों ने डिमार्केशन करवाने में अपनी होशियारी कह दो, पहुंच कह दो, उसके माध्यम से पटवारी एक्सईएन. या नीचे के स्तर पर मिलकर डिमार्केशन करवाने में थोड़ी गलती कर दी होगी, परन्तु यह एक बहुत बड़ा काम किया है।

सभापति महोदया, छोटे-छोटे राजस्व नियमों में संशोधन करके हर वर्ष में किसानों को किसी न किसी रूप में राहत प्रदान की गयी है। पिछले पांच-छह वर्ष के अंदर कोई नया कर नहीं लगाया, एक फूटी कौड़ी भी गरीब और किसानों पर कोई टैक्स नहीं लगाया। कांग्रेस के वक्त के बजट उठाकर देखें तो एक भी बजट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसानों और गरीबों पर किसी न किसी रूप में कर नहीं लगाया हो। हर बजट में कर लगाया है। बैदजी, मुझे वैसे तो कहना नहीं चाहिये, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं परन्तु मैं यहां बैठा-बैठा सुन रहा था, बैद जी कह रहे थे कि राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया। सभापति महोदया, यह बिलकुल गलत है। उन्होंने एक बात और कही कि हमारे किये हुए कामों की आप रिपेयरिंग नहीं करवा सकते। मैं इससे सहमत हूं कि उनके वक्त में जितने भी काम हुए हैं वे सब घटिया हुए हैं क्योंकि पैसे ही नहीं लगे। मरम्मत और रिपेयरिंग की बात तो ये कह रहे हैं, वैसे यह बिना मतलब की बात है, वह तो पूरे

(श्री रामप्रताप कासनियां)

के पूरे काम हमें नये दुबारा करवाने पड़ रहे हैं, पैसा वहां लगा ही नहीं। मौके पर कुछ निर्माण कार्य नहीं है। निर्माण कार्य कागजों में हुए, रिकार्ड पर निर्माण जरूर हुआ है। बैद जी की इस बात से मैं बिलकुल सहमत हूं कि आपके किये हुए कामों की मरम्मत करवाने में हमें काफी समय लगेगा। परन्तु फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आज विकास की गंगा बह रही है। हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले की बात कह रहा हूं, राजस्थान में तो मैं घूमा नहीं हूं, न मैंने देखा है। जिस जगह मैंने विकास देखा है उस जगह की बात कह रहा हूं और उसका उदाहरण है गंगानगर और बीकानेर जिलों की लोक सभा की सीट। उससे आपको अपने आप समझ लेना चाहिये कि इसके पीछे कोई करामात नहीं है, इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है, इसके पीछे अगर कोई शक्ति है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास है कि किसानों को राहत प्रदान की और गांवों का विकास किया। इसलिए गंगानगर और बीकानेर जिलों की जो सीटें हैं उन पर बी.जे.पी. ने कब्जा किया। यह कोई थाली में परोसकर आप लोगों ने नहीं दी, यह विकास करके हमने ली है।

सभापति महोदया, इसके अलावा बातें तो बहुत हैं। मैंने पूर्व में भी कई बार निवेदन कर दिया कि इस सरकार ने किसानों को, गांवों को क्या-क्या छूट दी है और इन लोगों ने क्या छूट दी है, इन लोगों ने तो गोबर के छाने पर ही टैक्स लगाया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है मैं इसमें सही नहीं हूं, भूल हो सकती है परन्तु मुझे याद आ रहा है इन लोगों के वक्त में उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, उसको भी माफ किया जाए। गोबर को भी इन्होंने टैक्स के बिना नहीं छोड़ा।

सभापति महोदया, यहां पर प्रतिपक्ष में बैठे लोग बुराइयां तो बहुत करते हैं, आलोचना बहुत करते हैं पर जो सही काम हुए हैं, किसान के हित में हुए हैं, गांव के हित में हुए हैं उनकी तो इनको प्रशंसा करनी चाहिये।

एक बात बैदजी की जो थी उससे मैं सहमत हूं। बैदजी की पीड़ा थी लेकिन माननीय पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर पर एक चार्ज तो गलत लगाया कि पैसा ठेकेदार के माध्यम से ऊपर तक आता है। इस बात से तो मैं बिलकुल ही सहमत नहीं हूं कि भंवरलाल जी तक ऐसी कोई व्यवस्था हो और पैसा पहुंचता हो। उनके बस में आए और नोटिस में आऐ तो शायद वे पैसा नाक में से निकलवाने की कोशिश करते, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई एक्स.ई.एन. हो। हां, यह शिकायत सही है कि एक्स. ईएन. का ट्रांसफर नहीं हुआ।

**श्री विष्णु मोदी** : (व्यवधान) जिले में ही या डिवीजन? आपने कहा कि जयपुर आने तक सहमत नहीं हूं। सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जयपुर तक आने में सहमत नहीं हूं, वह जिले में या डिवीजन तक?

**श्री रामप्रताप कासनियां** : भंवरलाल जी पर जो आरोप लगाया उससे मैं सहमत नहीं हूं। (व्यवधान) अभी क्या विराजें, अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मोटे रूप से एक शिकायत जो तबादले वाली है, यह भंवरलाल जी में नहीं है, मैं इसको मानकर चलता हूं। यह शिकायत है, हमारे नेता महोदय में 100 में 99 गुण हैं परन्तु एक अवगुण कह दो, चाहे योग्यता कह दो, चाहे कोई नीति कह दो, स्थानान्तरण में आप नाराजगी मत करो। हमारे कहने से सेंट-परसेंट स्थानान्तरण होता है, आपको ऐसी गलतफहमी दिमाग में नहीं रखनी चाहिये और न ही हमारी यह परम्परा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई कमी है तो सिर्फ यह एक कमी है कि राजनैतिक लोगों के कहने से स्थानान्तरण, पद-स्थापन और नौकरी, ये तीन बातें हैं जिसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी न्याय करते हैं। इसको चाहे आप कजूंसी कह दो, चाहे इसको लेकर कोई आरोप लगा दो।

मोटे रूप से मेरा निवेदन यह है कि बैदजी की जो ट्रांसफर वाली पीड़ा है उससे तो मैं सहमत हूं। यह पीड़ा तो हमें भी होती है, कई बार हम भी भुगतते हैं।

इसके अलावा, सभापति महोदया, इन लोगों ने पिछले 40 वर्षों में जो काम किये हैं उनके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मदेरणा जी कह रहे थे, हमने राजस्थान कैनाल लाकर खुशहाली कर दी, हरियाली कर दी। एक-एक काश्तकार के पास दो-दो, तीन-तीन ट्रैक्टर हैं। यह बिलकुल गलत बात है। इनके जो काम किये हुए हैं उनकी मैं व्याख्या कर रहा हूं। राजस्थान कैनाल और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी उस समय का जो एस्टीमेट था ईंटों और सीमेंट का, उस समय वहां के काश्तकार उसको खरीदने में सक्षम नहीं थे। हालात ये हो गये कि जो सरप्लस सामान था, जैसे सीमेंट के कट्टे, ईंटे, जो बच जाती थीं वे गड्ढा खोदकर गाड़ी हुई हैं। 20-30 वर्ष पहले राजस्थान कैनाल बनी थी। आज मैं वह स्थान बता सकता हूं जहां पर वह कट्टे गाढ़े हुए हैं। जिन माइनरों और डिस्ट्रीब्यूटरीज पर सीमेंट के कट्टे नहर की चिनाई पर लगने थे वे जमीन में गाड़ दिये गये। उसके बाद धीरे-धीरे लोग खरीदने लग गये, तब से यह सीमेंट और ईंटे गड्ढों में गाड़नी बंद कर दीं। जिस तरह का एस्टीमेट बना हुआ था अगर उतना पैसा नहर बनाने में खर्च हो जाता, खाले बनाने में खर्च हो जाता तो यह शिकायत नहीं रहती कि जो नहरें हैं उनमें जगह-जगह से टूटने के कारण सीपेज हो रहा है। जो पक्के खाले बने हुए हैं, आज हालत यह है कि एक-एक मुरब्बे पर एक-एक लाख, पचास-पचास, साठ-साठ हजार रुपये किसान के मत्थे कर्जा मंड रहा है। किसान यूनियनों से चिल्लाते नहीं कि हमारे खेतों में इन खालों से नुकसान हो गया है, नहर बनाने से नुकसान हो गया, ठीक है कांग्रेस की सरकार नहर लायी, बहुत अच्छी बात है, मैं इससे सहमत हूं परन्तु इसके साथ-साथ मेरा यह आरोप है कि राजस्थान कैनाल की जितनी भी शाखाएं हैं वे कागजों में पक्की बनी हुई हैं। अगर आप मौके पर जाकर देखें तो जगह-जगह से उनके बैड टूटे हुए हैं, जगह-जगह साइड में से नहरें टूटी हुई हैं। यहां तक कि चार नम्बर की ईंटें नहरों में लगी हैं और वहां सरकारी इंजीनियरों, एसई. और मंत्रियों, सबके दौरे हो रहे हैं, ये नहरें कोई नयी अब नहीं बनी हैं पिछले साल में, यह बहुत पुरानी बात है, कांग्रेस के जमाने में बनी हुई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदया, मैं इतना ज्यादा बोलता ही नहीं हूं और आप यह घंटी बजाते हैं। ऊपर प्रेस की तरफ भी मैं देख रहा हूं, मैं इतना गूंगा बहरा नहीं हूं। मैं गांव का आदमी हूं, अनपढ़ हूं, लेकिन इतना अनपढ़ भी नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं लगा लें कि बहुत अनपढ़ हूं। आपके माध्यम से प्रेस के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी कोई गांव का आदमी बोले और ग्रामीण कल्चर की जमीन से जुड़ी हुई बात कहे तो आप उसको कृपया प्रेस में कवर करें ताकि हमारे क्षेत्र के लोग भी यह कहें कि जो जन प्रतिनिधि हमने चुनकर—(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : श्री रामप्रतापजी, वह गलती प्रेस की नहीं है, जानबूझकर के आपके मुख्य सचेतकजी और मुख्य मंत्रीजी आपको उस समय बुलाते हैं जब प्रेस वालों को जाना पड़ता है। उनको कहिये कि आपको पांच बजे बुलवाएं।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : मैं वही निवेदन कर रहा हूं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : उनको कहिये आप।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : यह पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की बीमारी है, एक तरफ नहीं है। मैं भूल जाऊंगा, मोटी बुद्धि का आदमी हूं, माननीय सभापति महोदया।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : नहीं, साहब, आपको अनपढ़ कौन कहता है? आप तो पढ़े लिखे लोगों के भी कान कतरते हैं, आप अनपढ़ नहीं हो।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अपनी सीट से तो बोलो, इतने वरिष्ठ हो। कहां से बोल रहे हो? अपनी सीट पर आओ क्या दिक्कत हो रही है? (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनियां** : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रेस के बन्धुओं से यह निवेदन करना चाहूंगा—

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह नियमों के विपरीत है।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : मैं क्षमा चाहता हूं, यह नियमों के विपरीत हैं, मुझे पता नहीं था। यह देखों अनपढ़ वाली बात हो गयी न साबित, फंस गया मैं अपने आप। मुझे नियमों का ध्यान नहीं है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : सभापति महोदया, कोई माननीय सदस्य प्रेस गैलेरी को और आफिसर्स गैलेरी को, दोनों को एड्रेस नहीं कर सकता, कोई उनसे वार्तालाप नहीं कर सकता, सिर्फ आपसे ही कर सकता है।

**श्री सभापति** : उन्होंने क्षमा मांग ली।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : नहीं, आपके माध्यम से कह सकते हैं।

**श्री सभापति** : माध्यम से भी नहीं होता।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : मैं अपनी बात वापस लेता हूं, चाहे एक्सपंज करो, चाहे कुछ भी करो। मैं इस मामले में—(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप तो कंक्लूड करें।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : सभापति महोदया, इसके अलावा कुछ समस्याएं हैं, जिनके बारे में मैं सरकार से, आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा।

(180)



**श्री परसादीलाल मीणा** : अब समस्या ही नहीं है आपकी।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : बहुत समस्याएं हैं। यह सब आपकी देन है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदया, जमीन बेचने पर स्टाम्प ड्यूटी—

**श्री सभापति** : अब आप कंक्लूड करें, और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : सभापति महोदया, जमीन बेचने पर 12 परसेंट स्टाम्प ड्यूटी लगती थी उसको घटाकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10 परसेंट किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

**श्री सभापति** : आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जे.डी.ए. और नगरपालिका में 10 परसेंट से घटाकर 6 परसेंट किया उसी तरह से जमीन के ऊपर भी 6 परसेंट स्टाम्प ड्यूटी की जाए।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : लैण्ड की कॉस्ट कितनी हो गयी ?

**श्री रामप्रताप कासनियां** : उनसे बढ़ता है, लैण्ड की कास्ट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा मिलती है। मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं मेरी बातें कहना चाहता हूं। माफ करो मुझे, कहने दें।

सभापति महोदया, अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने डीजल, गैस और पैट्रोल के जिस तरह से रेट बढ़ाये हैं इससे किसान, गरीब और चाहे कोई शहर का आदमी हो, इसकी मार सब पर पड़ेगी और विशेषकर किसान तो इससे बरबाद हो जाएगा। डीजल किसान की खेती के काम में आता है और इस बढ़ोतरी में सहयोग, प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों का ज्यादा है। केन्द्र में इनके नेताओं ने—

**श्री सभापति** : अब आप कंक्लूड करें, और लोगों को भी बुलवाना है।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : सभापति महोदया, मेरा मोटे रूप में यह निवेदन है कि सदन को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके यह मांग करनी चाहिए कि केन्द्र सरकार ने गैस, डीजल और पैट्रोल पर जो रेट बढ़ाये हैं उनको वापस लिया जाए। इसमें पक्ष-विपक्ष दोनों को मिलकर अपनी बात केन्द्र तक पहुंचानी चाहिये।

सभापति महोदया, प्रथम चरण की जो भूमि है, वह बहुत उपजाऊ है। उसमें काफी जमीन सिंचाई से वंचित रह गयी, वह फ्लो कमाण्ड से सिंचित हो सकती है। आज सैकण्ड और थर्ड फेज में पानी दिया जा रहा है और प्रथम चरण की जो सबसे कीमती भूमि है जिसमें अपने आप पानी लग सकता है उसको पानी दिया जाना चाहिए। आज प्रथम चरण के एक बीघा में जितना अनाज पैदा हो सकता है द्वितीय और तृतीय चरण की एक मुरब्बा जमीन में उतना अनाज पैदा नहीं हो सकता। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा रकबे में सिंचाई हो और पैदावार बढ़े, तो लक्ष्य भी हमारा पूरा हो जाएगा सिंचाई का और जो पैदावार है उसका।

सभापति महोदया, इसके अलावा सूरतगढ़ थर्मल पावर में जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गयी है उन काश्तकारों में से कुछ

(श्री रामप्रताप कासनियां)

को तो मुआवजा मिल गया परन्तु ज्यादातर लोग मुआवजे से वंचित रह गये। जैसे किसी के पास टीसी वाली भूमि थी, किसी के पास 55 के पूर्व की, किसी के पास 55 के बाद की, उन लोगों को खातेदारी अधिकारी नहीं मिलने के कारण से वे लोग मुआवजे से वंचित रह गये। इसमें गलती काश्तकारों की नहीं है, गलती एसडीओ. की है कि उन्होंने अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं बुलायी। उनके साथ वाले काश्तकारों को भूमि की खातेदारी मिल गयी ओर कुछ लोगों को जो उनकी श्रेणी के लोग थे उनको मुआवजा मिल गया परन्तु अलाटमेंट कमेटी की बैठक नहीं होने के कारण से वे लोग मुआवजे से वंचित रह गये।

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दो-दो घंटे लिये।

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि जिन काश्तकारों की भूमि थर्मल में अवाप्त की गयी है उनको खातेदारी हक देकर मुआवजा दिलवाया जाए। इसके साथ-साथ ऊर्जा मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि जिन गांवों में—

**एक माननीय सदस्य** : वे तो चले गये।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : वह प्रोसीडिंग पढ़ लेंगे। आज सी.एम. साहब नहीं हैं इसलिए सभी चले गये।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन गांवों की भूमि अवाप्त की है, कम से कम उसके इर्द-गिर्द जो गांव हैं उनका विद्युतीकरण होना चाहिए। वहां के जो नौजवान लड़के हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार थर्मल के अन्दर नौकरी दी जाए। इसके साथ-साथ राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन काश्तकारों की भूमि थर्मल पावर प्रोजेक्टर में एक्वायर की गयी है उस भूमि के बदले कीमती भूमि अलाट करने का प्रावधान प्रथम स्टेज में किया जाए।

इसके अलावा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज—

**श्री सभापति** : इसके अलावा धन्यवाद। श्री अमराराम चौधरी।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : सभापति महोदया, मेरे साथ ज्यादती इसलिये कर रही हो कि मैं सीनियर नहीं हूं। मुझे पता है, यह सीनियर-जूनियर का पहले किसी ने टोका ही नहीं। मेरे से पूर्व वक्ता की मैं—

**श्री सभापति** : आप दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : सुन रहा था परन्तु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जूनियर हूं।

**श्री सभापति** : दुर्भाग्य नहीं है, आप दो मिनट में पूरा करें।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात ज़मीन से जुड़ी हुई है जिसको इस हाउस का एक भी सदस्य नहीं कह सकता। (व्यवधान) सभापति महोदया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त हुई थी उन्होंने राज्य सरकार को पैसे देकर भूमि अलाट करवायी थी तीन सौ रुपये

(182)



(श्री रामप्रताप कासनियां)

प्रति बीघा से। हजारों काश्तकारों को भूदान की भूमि सरकार द्वारा अलाट की गयी थी परन्तु वे काश्तकार, रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करवा सके। उन काश्तकारों में से 27 काश्तकार जो पहुंच वाले थे उन्होंने रिकार्ड में अमल दरामद करवा लिया तो उनका तो उस भूमि पर टाइटल हो गया और जो शेष रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करा सके उन लोगों को बीच में लटका रखा है। हाई कोर्ट में भू-दान वालों ने अपील कर दी है। सरकार ने हमारी इस भूमि के पैसे कैसे ले लिये, मुफ्त में अलाट करती। मुझे पता नहीं है पूरी डिटेल का, पर वे काश्तकार आज दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि या तो इन काश्तकारों को बदले में भूमि दी जाए अन्यथा वह जो भूमि है उसको रिकार्ड में अमल दरामद कराकर के उनको खातेदारी हक दिये जाएं।

सभापति महोदया, इसके अलावा मैं माननीय पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत के अन्दर ग्राम सेवक और अध्यापकों को जो चार्ज दे रखा है यह सही बात नहीं है क्योंकि उन लोगों को अनुभव नहीं हैं। सरपंच उनके पीछे घूम रहे हैं, वे काम करने में सक्षम नहीं हैं।

इसके साथ ही, सभापति महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पुराने विकास अधिकारी दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह सालों से लगे हुए थे पशुपालन विभाग, एग्रीकल्चर से पंचायत मंत्रीजी ने यह तय किया है कि जिस विकास अधिकारी को पांच वर्ष से ज्यादा समय हो गया है उसको पंचायत विभाग से निकालकर दूसरे बी.डी.ओ. लिये जाएं। मेरा इसमें यह निवेदन है कि जो नये आदमी हैं वे पंचायत समिति में जाकर काम सीखेंगे, कम से कम बारह महीने लगेंगे। पंचायत समिति कोई डिमांस्ट्रेशन नही हैं, वह कोई ट्रेनिंग सेन्टर नहीं है। जो बी.डी.ओ. अच्छे हैं, जिनके खिलाफ शिकायत नहीं है, इंक्वायरी पैंडिंग नहीं है और जो बेदाग बी.डी.ओ. हैं उनको पंचायत समिति में रखना चाहिये। अब जो लोग दस-दस साल तक प्रशासनिक पोस्ट पर काम कर चुके, सुई पशुओं के लगा नहीं सकते।

मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक किसी की बकरी बीमार थी और कम्पाउण्डर सुई लगाने के लिऐ किसान के घर जाता था। एक दिन कम्पाउण्डर छुट्टी चला गया, डॉक्टर सुई लगाने के लिये आ गया। डॉक्टर ने सुई लगायी, उसने चमड़ी में नहीं लगायीं, ऊपर बालों में लगा दी। थोड़ी सी दवाई थी वह बालों में बिखर गयी, पता ही नहीं लगा, बकरी रोयी ही नहीं। किसान बड़ा खुश हुआ कि वाह डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। आज मेरी बकरी के जो सुई लगायी है, वह रोयी ही नहीं। कम्पाउण्डर सुई लगाता था वह रोती थी रोजाना। तो डॉक्टर ने कहा कि यही तो डॉक्टर और कम्पाउण्डर में फर्क है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए। जो दस-दस साल तक बी.डी.ओ. रह गये, वे पशुओं के टीके जब बकरी के लगाएंगे तो वह बकरी रोएगी नहीं और उसका इलाज भी नहीं होगा। जो बी.डी.ओ. चोर हैं, भ्रष्ट हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरी हैं उनको निकालो परन्तु जो बी.डी.ओ. सही हैं उनको पंचायत समिति में ही रखना चाहिये। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा, राजस्थान में जितने भी विकास अधिकारी लगाये हैं उनमें जो अच्छे आदमी हैं, चाहे वे

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पांच साल पुराने हो या दस साल पुराने हो, उनको रखना चाहिये।

सभापति महोदया, लास्ट में एक बात ही निवेदन करूंगा, सेम वाली तो बाद में देखूंगा। सभापति महोदया, हरियाणा और पंजाब के चिपते हुए जिले हैं, चाहे राजस्थान के हो, चाहे गुजरात के हो, कोई भी जिला हो, जैसे हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं, सबसे ज्यादा खपत डीजल की वहां होती है, सबसे ज्यादा बीज की खपत वहां होती है, सबसे ज्यादा खाद की खपत वहां होती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि पेस्टीसाइड, खाद और डीजल पर जो कर लगाया है इसमें कमी की जाए। इसकी पूर्ति करने का मैं रास्ता बताऊंगा। एक तो, सभापति महोदया, इससे बिक्री बढ़ेगी। बिक्री बढ़ने के कारण स्वतः ही जो घाटा हुआ वह सत्तर प्रतिशत की पूर्ति हो जाएगी। रहा-सहा मान लो घाटा पूरा नहीं हो तो यह टैक्स बैद जी जिस तरह से निवेदन कर रहे थे कहां लगना चाहिये, यह टैक्स वहां लगना चाहिये जहां दस पैसे का पापड़, दस रुपये में बिकता है। होटलों में कमरों का किराया 2500 रुपये है, एक कप काफी का रेट पचास रुपये है। यह टैक्स वहां लगाकर इसकी पूर्ति की जा सकती है।

सभापति महोदया, इसके अलावा मेरा शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक-एक गांव में प्राथमिक पाठशाला खोली है यह काम तारीफ के काबिल है। कोई भी चक, कोई भी गांव बिना स्कूल के नहीं बचा। यह जो नीति अपनायी है, जिस तरह से कांग्रेस के समय में स्कूल खुलते थे भेदभाव पूर्ण नीति से उस तरह से स्कूल नहीं खोलें। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

**श्री सभापति** : श्री अमराराम चौधरी।

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : सभापति जी, आसने इसको अपनी अवमानना नहीं माने और स्पर्शन आप मानें तो मान भी सकते हैं। जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ में दो रोज से हो रहा है, मैं उसके लिये आसन के प्रति अवमानना तो नहीं कहूं लेकिन प्रोटैस्ट करना चाहता हूं। आपने समय का विभाजन किया, एक घण्टा चालीस मिनट हम लोगों को दिया, कांग्रेस पार्टी को छः घण्टे दिये, भारतीय जनता पार्टी को आठ घण्टे दिये। इस हिसाब से हमारा नम्बर आना चाहिये था। मैं आसन से कल से निवेदन कर रहा हूं, आज दिन भर आसन से निवेदन किया और अब हम इस बात पर पहुंचने वाले थे कि इस डिबेट में भाग लें या नहीं लें। हम इस सदन के माननीय सदस्य हैं, बराबर के हकदार हैं। सभापति जी, इस प्रकार का व्यवहार हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। अब आपने नाम बुला लिया, हम बोलते हैं लेकिन इस हिसाब से यदि हमारे साथ व्यवहार किया गया तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम डिबेट में भाग लें या नहीं लें।

**श्री सभापति** : आपके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

**श्री शिवनाथ सिंह** : रक्षा कहां हो रही है? दो रोज से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान) इस प्रकार का व्यवहार हम सहन नहीं करेंगे।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : सभापति महोदया, उधर से माननीय धनखड़ जी ने उस दिन भाषण समाप्त किया था—

**श्री सभापति** : आप विराजिये। समय का कैलकुलेशन अगर करवाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का समय भी कम हुआ है, कांग्रेस का समय ज्यादा हुआ है। मैं निवेदन करती हूं कि अब आप शुरू करें। आपके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी, आपके समय को बिलकुल प्रोटैक्शन दिया जाएगा।

**श्री शिवनाथ सिंह** : मैं इसका रास्ता बताता हूं आपको। जब एक घण्टा इनको दिया जाए दस मिनट हमको दिये जाएं। जब एक घण्टा इनको दिया जाए आठ मिनट हमको दिये जाएं। आप इस तरह से आखिर में हमको रखना चाहते हैं हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

**श्री सभापति** : ऐसा नहीं होगा।

**श्री शिवनाथ सिंह** : हो रहा है न कल से।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : सभापति महोदया, जो बजट पेश हुआ है मैं उसके आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहता लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कहां से पूंजी आएगी, कौन से हमारे स्रोत होंगे और कैसे खर्च होगा, आप स्वयं ही इस बात को महसूस करती होंगी कि मजदूरी-मैटीरियल 60-40 का रेशो बनाया हुआ है। इसमें क्या मौके पर सही काम हो रहा है, आपने इस बात का कभी आकलन किया? स्कूल की चार दीवारी को ही लीजिये, क्या 60-40 के अन्दर फर्जी मस्टर रोल नहीं भरे जाते?

जो ई.एस. के अन्दर हमारे पैसे थे उस सारे को कन्वर्ट कर दिया फेमिन के अन्दर, सड़कों के अन्दर जब मौके पर जाते हैं तो सिर्फ चार मजदूर ही काम करते हैं और सारे ठेकेदार लोग हैं। बिना टेण्डर किये हुए ठेकेदार वहां पर काम करते हैं। जब मजदूरों से पूछते हैं, दो चार मजदूर वहां लगे हुए हैं, कि आप कौनसे गांव के हो तो वे उस एरिये के भी नहीं। तो उसके बाद में जब उनसे यह पूछा जाता है कि कितनी मजदूरी दे रहे हैं तो पचास रुपये। कौन दे रहा है? ठेकेदार दे रहा है।

मेरा निवेदन है कि "बाड़ खेत न खाएगी आफत आये पड़ी।" रेवदान जी कवि ने एक कविता कही है। जो रखवाले हैं वे लोग ही खेत को खा रहे हैं।

आपने एक्सईएन. के नाम, प्रशासन को सारा पैसे का कन्ट्रोल सुपुर्द कर दिया। आपकी सरकार ने, आपके मंत्रियों ने कभी मुलाहिजा किया है? सारे मस्टर रोल एक्सईएन. के घर पर, जेईएन. को दबाव देकर फर्जी बनाये एक लाख के अन्दर 35 हजार रुपये का घपला हो रहा है और 25 हजार रुपये ठेकेदार के 40 प्रतिशत काम हो रहा है। कह रहे हैं हमारा विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है। मैंने खुद ने अपनी नजरों से देखा कि फर्जी मस्टर-रोल भरे जा रहे हैं। अब जेईएन. 13-13 साल से नौकरी पर लगे एक्सईएन. का कहना नहीं माने तो उसको वापस घर जाना पड़े। यह काम मेरे बाड़मेर जिले के अन्दर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हो रहा है। मैंने लिखित के अन्दर उनसे विवरण मांगा, प्रश्न मेरा असेम्बली में था कि इस प्रकार के घपले कर रहे हैं और

(श्री अमराराम चौधरी)

कह रहे है कि हम विकास कर रहे हैं, बजट से हमारा विकास होग, कहां पैसा सही लग रहा है? आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें, क्या परसेंटेज का मामला नहीं है? ठेकेदार का बिल जब तक पास नहीं होता है जब तक एक्सईएन., एईएन. को परसेंटेज नहीं दिया जाता। इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है, हमारे किसानों की गाड़ी कमाई का पैसा है। हमारे बजट को देखें तो करोड़ों रुपये आ रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी राजपालसिंह जी बता रहे थे कि हमें विकास के लिऐ कर्जा भी लेना पड़े तो लेंगे लेकिन हमें कर्जा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे खुद के इतने रिसोर्सेज हैं, आय के हमारे इतने स्रोत हैं, बस जो हमारे पास करोड़ों रुपया सेन्टर से आता है और यहां से आमदनी है उसका सही उपयोग हो जाए और डिफैक्टिव जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको रोका जाए। इसका कारण यह है कि हम सही मूल्यांकन करते ही नहीं हैं। हमारा सारा काम हमारे अधिकारियों के सुपुर्द है, वे चाहे जैसा करें।

हमारी सड़कें बनीं लेकिन एक साल में दुबारा डामर रोड बन रही है। कहां पैसा गया? डामर का ऊपर-ऊपर लेप किया जा रहा है। क्योंकि हम ऐसे काम करें? कोई कंस्ट्रेक्टिव काम करें कि 10 साल तक रोड चले। मेरे यहां एक रोड जो 1980-81 के अन्दर बनी थी, बहुत ठोस रोड है, दस साल तक वह डामर रोड नहीं टूटी। आज ठोस के बीच में तीन बार रोड बनी है, दो सालों के अन्दर तीसरी बार अब रोड बन रही है। कहां पैसे की कमी है, कहां पैसा गया? ग्रेवल सड़कों के लिए हम हर बार कहते हैं कि यह रोड शुरू करो। कहां पैसा जा रहा है? ग्रेवल पूरा नहीं डाला जाता तो हर साल हम खड़े हो जाते है कि फेमिन है यह करो। आज मुझे फेमिन की लिस्ट दी, मेरे क्षेत्र में 288 गांव फेमिन से अफैक्टेड हैं और 288 के अन्दर मजदूर कितने हैं? 9 हजार 95 मजदूर लगे हैं। अब 9 हजार 95 में प्रत्येक गांव में 32 मजदूर आये और क्या ये 9 हजार 95 भी वास्तव में मौके पर हैं? ये 9 हजार भी मौके पर नहीं हैं। कहीं दीवारें बन रही है, कहीं कोई कमरा बन रहा है तो उनको एडजेस्ट करना पड़ रहा है तो यह हम खुद ही लिखा रहे हैं। 60-40 के अन्दर ऐसा करो। ठेकेदार ट्रैक्टर से रोड की साइड में खुदाई करेंगे, कल्टी चलाएंगे, उसके बाद कराली चलाएंगे, और हाजरी है, उन मजदूरों को कहीं से कबाड़ करके लाकर फर्जी मस्टर रोल भरे हुए हैं। क्या वह एक्सईएन.वह एईएन. दोषी नहीं है? क्या उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया? उनके खिलाफ 468, 471, 420 और एन्टी करप्शन का मुकदमा नहीं बनता है? आप यदि एक दो मुकदमें ऐसे बना दें और यह परसेंटेज का सिलसिला घटा दें तो मैं करता हूं वास्तव में सही विकास हो जाएगा। (व्यवधान) यह तो प्रावधान किया हुआ है, दीवार बन रही है, आपने रेशो 60 और 40 का रखा है और वह फर्जी भर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सही क्यों नहीं बना रहे है? इसको कन्वर्ट करके मजदूर लगा नहीं रहे हैं। ठेकेदार को ठेका देते हैं, उसके बाद फर्जी मस्टर रोल भर कर मजदूरों को हाजरी आप दर्ज करा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे है? वे अंगूठे, पैरों के लगाते होंगे। यह जो हो रहा है यह आपकी

(श्री अमराराम चौधरी)

गलती नहीं है। लेकिन यह नीचे हो रहा है और हमें आपको बताना है, कोई नहीं बताता है तो वह उसकी गलती होगी। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं कि यह हो रहा है, पैसे आप बजट में कितने ही करोड़ों रख दें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, सहकारिता मंत्रीजी यहां नहीं हैं। आपने मेरे यहां 501 फव्वारे सैट भूमि विकास बैंक से दिये। डीलर से तो 500 और 1500 रुपये प्रत्येक काश्तकार से लिये जाते हैं। हम काश्तकारों को भला कर रहे हैं, यह हकीकत है। दूसरा, ट्रैक्टर्स के लिए 70 लाख रुपये डीलर्स के यहां ड्राफ्ट भेजा हुआ पड़ा है, तीन महीने हो गये, बरसात हो गयी। परन्तु काश्तकारों को ट्रैक्टर नहीं मिले। एम.डी.वहां का है, मैंने मंत्रीजी को कहा कि एम.डी. की रेट 2000 से 3500 हो गयी। कहा गया कि साहब, शिकायत करो। शिकायतें तो आपके पास बहुत-सी आयी हैं। टाइम पर उनको ट्रैक्टर नहीं मिले आप जांच करवा लीजिये। काश्तकारों का कितना हम भला कर रहे हैं? ये बातें सरकार को बताना हमारा फर्ज है और सरकार का फर्ज है कि अधिकारियों पर कन्ट्रोल रखें। प्रशासन पर यदि कन्ट्रोल नहीं होगा तो इस प्रकार के घपले होते रहेंगे। आप बहुत मेहनत करके पैसा ला रहे हो, पर आखिर नीचे जाकर क्या हो रहा है? कितना पैसा हमारा नीचे एक्चुअल में लग रहा है? आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइये उन फव्वारों का कि क्या वास्तव में वे फव्वारे मौके पर हैं। जो डीलर उनसे सम्बन्ध बैठा लेता है चाहे कोई भी बैंक हो, उनके फव्वारे बिक जाते हैं और जो कोई ताल मेल नहीं बैठाता उनके फव्वारे नहीं बिकते हैं। यह हाल है।

आपने बजट के ऊपर कहा कि पुलिस का आधुनिकीकरण करेंगे और इतना करोड़ रुपया हम उसके लिऐ खर्च करेंगे। पुलिस जो हमारे यहां है उसका मनोबल मैं नहीं गिराना चाहता। राजस्थान की पुलिस दूसरों से बहुत अच्छी है। मैंने बहुत-सी दूसरी स्टेट के अन्दर पुलिस के कारनामें देखे हैं लेकिन यहां भी बड़े से बड़े अधिकारियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो एकदम आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार से सुमेरसिंह राजपुरोहित को किडनैप करके उस पर अफीम का मुकदमा बनाया। एडवोकेट सुमेरसिंह राजपुरोहित पाली का रहने वाला था, उसके खिलाफ एक दुकान खाली कराने के लिए अफीम का मुकदमा पालनपुर के तत्कालीन एस.पी. ने बना कर उसको गिरफ्तार किया। वकीलों ने आवाज उठायी तब असलियत का मालूम चला। (व्यवधान) मैं किसी सरकार के बारे में नहीं, उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं। जब यह हो गया, उसमें एफ.आर. लग गयी। यह मैं एक तारीख का अर्ज कर रहा हूं। यह जो अपनी पुलिस है, यह बहुत चौकसी रखती है, तस्करी को रोकती है। एस.पी. पालनपुर ने तीन आदमियों को मुखबिर बनाकर वहां से तीन आदमियों को जोधपुर जिले में भेजा। जोधपुर वे एक चौधरी के घर गये और एक व्यक्ति से कहा कि साहब मैं तो आपका गौती भाई हूं। भाई हूं तो उसने खाना खिलाया, रखा। हम ट्रैक्टर खरीदने के लिए आये, दो-तीन दिन इधर उधर घूमते रहे और छह किलो अफीम राजस्थान में कहीं से

(श्री अमराराम चौधरी)

खरीदकर, तत्कालीन एस.पी. के पास लेकर गये। उस एस.पी. को हटा दिया गया है। क्या राजस्थान की पुलिस जब ये छह किलो अवैध अफीम लेकर जा रहे थे, चौकसी नहीं रख सकती थी? उसके बीच में चार थाने आते हैं लेकिन पुलिस ने कोई चौकसी नहीं रखी। इस प्रकार से अफीम बिना नम्बर की मारुति गाड़ी में लेकर गये। अफीम लेकर जाने के चार दिन बाद एस.पी. ने कहा कि हां, अब ठीक है, मैं सुमेर सिंह वाले केस में भी सच्चा हो जाऊंगा, इसलिए मुलजिम बनाओ। वे यहां आये और गिराड़िया थाने सुबह 6 बजे पहुंचे। एक जुगताराम है जो कि सिवाना तहसील के अन्दर गया हुआ था, वहीं कहा कि आपका भाई आया है। मेरे ट्रेक्टर का सौदा बैठ गया है, तुम मेरे साथ चलो, उनको पैसे देते हैं। उनको और उनके भतीजे को बैठा दिया उस बन्द गाड़ी के अन्दर। पीछे-पीछे गुजरात पुलिस की गाड़ी थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर वहां गये, वहां दो दिन उनको अन्दर रखा। दो दिन तक पालनपुर में पुलिस के कमरे में रखा। एल.बी.सी. उनकी एक अलग ब्रांच है जो डायरेक्टर एस.पी. के अण्डर में होती है, एस.पी. ने कहा कि आपमें कम्प्लेनेंट कौन बनेगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, मैंने बात सुन ली।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : प्रोटैक्शन चाहता हूं। सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है तो अपनी पुलिस क्या कर रही है? मेरा निवेदन यह है कि वहां एल.बी.सी. ब्रांच में चौधरी.....

**श्री सभापति** : मैं आपको प्रोटैक्शन तो देती हूं। मेरी बात तो सुन लें कि आप जो किस्सा कहने जा रहे हैं घड़ी की तरफ देखते हुए कहें।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** : सभापति महोदया, माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि पालनपुर के उस एस.पी. —

**श्री सभापति** : आप विराजें, सदन का समय जाया न करें। आप बोलने दीजिये उनको।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** : राजस्थान सरकार ने कठोरता से लिखा, उस सम्बन्धी को न केवल हटा दिया है बल्कि उसके खिलाफ जांच भी बैठा दी गयी है। आपको सूचना देने के लिए बता रहा हूं।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : मैं उस समय की बात कर रहा हूं। वहां पर ले गये। एक इंस्पेक्टर पटेल था और एक चौधरी था। एस. पी. ने कहा कि अब आप कम्प्लेनेंट बनो, मुकदमा बनाना है। चौधरी ने कहा कि मेरा तो जाति का भाई है, इसलिए मैं तो झूठे मुकदमें में नहीं बनूंगा। पटेल से कहा कि तू तो कड़वा पटेल है, तुझे तो बनना पड़ेगा। उसने कहा कि साहब, नौकरी करनी है तो मुझे बनना ही है। चौधरी को कहा कि तुम एई.ओ. बन जाओ। मैं स्वयं पालनपुर गया और सारे हालात मालूम करके आया। एस.पी. ने जो झूठा मुकदमा बनाया उसके बारे में मैं एस.पी. से मिला। मैंने कहा कि कार आपने अरेस्ट की क्या? 27-28 तारीख के पहले अफीम आयी और दो दिन तक जुगताराम को रखने के बाद में आपने पालनपुर का वाकया बताकर झूठा मुकदमा बनाया। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गुजरात सरकार को लिखें और ऐसे मुकदमों की सी.आई.डी. से जांच हो।

(श्री अमराराम चौधरी)

एस.पी. इस प्रकार से यहां से खरीद करके 50 हजार की अफीम ले गये। एनडीपीएच. एक्ट का मुकदमा उनके और उनके गैंग के खिलाफ बनाया जाए। यहां जोधपुर की पुलिस को यह कोग्नीजेंस लेना चाहिये। यह एनडीपीएच. का मुकदमा......

## सदन की कार्यवाही
## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति** : क्या सदन की राय है कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

**श्री भीमराज भाटी** : सदन का समय बढ़ाना ठीक नहीं है।

## आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप कंक्लूड करें। आप बोलना बन्द क्यों हो गये।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : नहीं, मैं बोल रहा हूं। मुझे तो बीच में इन्टरप्ट कर रहे हैं। मुझे तो कोई दस मिनट टाइम लगा है।

**श्री सभापति** : इन्टरप्ट नहीं किया है। आपका समय बढ़ाया है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : आप शिक्षा के बारे में बोलना शुरू कर दें।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): यह हमारी बात है मैं उनको कान में कह दूंगा। (व्यवधान) बस मैं, पांच मिनट में ही कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, ....(व्यवधान) इनका यह कहना है कि सांचोर के एक विश्नोई जी को किस प्रकार से किडनैप करके ले गये, उनका 365 का मुकदमा भी दर्ज हुआ। 17 हजार रुपए उनकी जेब में थे, वह पुलिस वालों ने लिये। वह भी सी.आई.डी. के अन्दर कार्यवाही करने के लिए प्रयास कर रहा है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : मेरा कहना यह है कि गुजरात की पुलिस मिलकर के जो तस्करी कर रही है, हमारी पुलिस को सुदृढ़ करके आप उनको रोकें और उनके खिलाफ कोग्नीजेंस लें। ये फैक्ट्स आपके सामने मौजूद है। माननीय शिक्षा मंत्री जी विराजें हैं और शिक्षा के प्रेमी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है।

**श्री सभापति** : दोनों शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं।

**श्री अमराराम चौधरी** : राजस्थान बहुत बड़ा है और बाड़मेर का एरिया डेजर्ट एरिया है और साक्षर करने के लिए बजट में कहा है कि सब हो जाएंगे। बाड़मेर को सबसे बैकवर्ड माना है। 18 परसेंट जब हमारी कुल शिक्षा है तो महिलाओं में तो साढ़े सात परसेंट मुश्किल से होगी। इसलिए हमारे एजुकेशन की कमी है। माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी बैठे हैं, आपने महिलाओं के लिए तीन कालेजों का प्रावधान रखा है। फिर भी मेरा विनम्र निवेदन

(श्री अमराराम चौधरी)

है कि आप महिलाओं के लिए कुछ करें। उसमें निर्दलीयों की ही नहीं, कांग्रेस की ही नहीं, बीजेपी. की बच्चियां भी शामिल हो जाएगी। आप उन बच्चियों के लिए महिला महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। जो भवन बनाएंगे उसको हम डोनेशन से बनाएंगे, सरकार का एक पैसा भी नहीं लगेगा, मेरा यह नम्र निवेदन है। माननीय कटारिया जी विराजे हैं।

**श्री परसादीलाल मीणा** : आप जब जनवरी में गये थे तो (व्यवधान) माननीय चतुर्वेदी जी आपने यह कहा था कि मैं लालसोट में कालेज खोल दूंगा। आप खुद कहकर आये थे कि लालसोट में जुलाई में कालेज खोल देंगे उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया इनको बोलने दें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (उच्च शिक्षा मंत्री) : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि वहां श्रीमान् राजेश जी पायलट ने यह जिम्मेदारी ली थी कि मैं भवन बनवा दूंगा, तीन साल का खर्चा दूंगा। तब वहां रोड बनाया।

**श्री परसादीलाल मीणा** : पायलट के और आपके बीच में पता नहीं क्या झगड़ा है। (व्यवधान) आपने कहा था कि जुलाई में लालसोट में कॉलेज शुरू हो जाएगा। यह आप जानें और वह जानें, पर आप तो कॉलेज खोलें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : नहीं, आपको ध्यान नहीं है। क्या कर सकता हूं। आप तो राजेश जी पायलट का सहयोग कर दीजिये, भवन बनवा दीजिए, तीन साल का खर्चा कर दीजिए। (व्यवधान)

**श्री परसादीलाल मीणा** : लोग फिर आपकी बात तो गलत मानने लग जाएंगे। आपकी बहुत अच्छी इमेज है कि चतुर्वेदी जी जो कहते हैं वह काम होता है। (व्यवधान) नहीं तो पाटिया साफ।

**एक माननीय सदस्य** : साल का नाम नहीं लिया था, जुलाई का नाम लिया था, 1998 में खुल जाएगा।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया विराजे हुए हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि जो हाई स्कूल, माध्यमिक पाठशालाएं, सीनियर पाठशालाएं हैं उनकी संख्या मैं बता रहा हूं, बहुत कम है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वहां के लोगों ने भवन बनाने का तथा एक साल का खर्चा देने का तय किया है। इस बार तो नहीं अगले वर्ष में वहां भी गर्ल्स कॉलेज खोल देंगे। आपके यहां खुल जाएगा।

**श्री सभापति** : चलिये, आपकी बात पूरी हो गयी।

**श्री अमराराम चौधरी** : धन्यवाद, साहब।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। बोलने दीजिए (व्यवधान) देखिये, आपका काम हो गया, अब आप इसको कंक्लूड करें।

**श्री परसादीलाल मीणा** : आप कालेज की घोषणा करें, हम बिल्डिंग बनाकर देंगे। आप भेदभाव करते हैं।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय कटारिया जी विराजे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे 60 किलोमीटर के अन्दर कोई हाई स्कूल नहीं है। ऐसा एरिया जो कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, वहां माध्यमिक शालाएं, उच्च माध्यमिक शालाएं आप खोलने का कष्ट करें,

**(20.00)**

यही मेरा विनम्र निवेदन है। पंचायत हैडक्वार्टर पर आठवीं स्कूल नहीं है तो वहां पर तो कम से कम उन स्कूलों को क्रमोन्नत करें। यदि पंचायत स्तर पर नहीं हैं तो उनको आप इस साल क्रमोन्नत करें।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर की ग्वार गम की फैक्ट्रियां बन्द हो रही हैं। हरियाणा के अन्दर, पंजाब के अन्दर या दूसरी जगहों पर ग्वार गम पर टैक्स नहीं है लेकिन जोधपुर में टैक्स चार परसेंट है। गुजरात में नहीं है। कम से कम ऐसी 50 फैक्ट्रियां बन्द हो जाएगी। इससे हमारे काश्तकारों के ग्वार का भाव सस्ता हो जाएगा तो वह लाएगा नहीं और हमारे यहां के मजदूरों को जो मजदूरी मिलनी चाहिये वह नहीं मिलेगी एक तरफ हम फैक्ट्रियों को बुलाने के लिये, हमारी इन्कम बढ़ाने के लिऐ प्रयास कर रहे हैं, उद्योगपतियों को बुला रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी कई फैक्ट्रियां बन्द हो रही हैं। इसके लिये आप विचार करने का कष्ट करें।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य यहां विराजे हुए नहीं हैं, हमारे वहां आज से तीन साल पहले पादसा का जी.एस.एस. बना था। दो साल से उसका काम शुरू हुआ है, खम्भे लगे हैं लेकिन अभी तक तार नहीं लगे, वहां पर अभी काम नहीं हो रहा है। एक जी.एस.एस. 33/11 का मेरे यहां आसोतरा में था। उस आसोतरा के लिये इन्होंने मेरे को जवाब दिया कि इसको वर्ष 1995-96 के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

**श्री सभापति** : अब आप कंक्लूड करें।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : मेरा निवेदन यह है कि एक फैज प्रोग्राम के अन्दर इस जी.एस.एस. 33/11 का निर्माण करवाने के लिये इसे इसी साल के बजट में रखा जाए ताकि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, उत्पादन बढ़ सके। उत्पादन नहीं होगा तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो कोई प्रकोप आता है उसका सामना हम कैसे कर सकेंगे ? धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति** : श्री भंवरसिंह जी डांगावास।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, ऐसा अवसर है कि जब मेरा नम्बर आया तो हाउस खाली, गैलेरी खाली।

**श्री सभापति** : मंत्रीगण बैठे हैं।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : कोई बात कहने का आनन्द तब आता है जब कोई सुनने वाला हो।

**श्री परसादीलाल मीणा** : और भी बैठे हैं।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : मेहरबानी है जो बैठे हैं। धन्यवाद आपको।

राज्य का बजट राज्य के सर्वांगीण विकास व प्रगति का द्योतक होता है। गत पांच वर्षों की उपलब्धियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, सदन का ध्यान आकर्षित करूं तो आप ही

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

नहीं, यह पूरा सदन, सभापति महोदया, इस सरकार की सराहना किये बगैर नहीं रहेगा। अगर हम मैन फीचर्स इस बजट के लें, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, मैं इस बजट में लिखी गयी बातों के तथ्य में नहीं जाना चाहता, ग्रामीण जनता इस बजट के ऊपर आधारित या गैर बजट के ऊपर आधारित कार्यों की सराहना करते हैं, कार्यों को देख कर प्रफूल्लित होते हैं मैं उन तथ्यों पर जाना चाहता हूं।

(20.05)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा को पहले लूंगा, वैसे बहस बहुत है। अभी मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कांस्टीट्यूशन हाथ में लेकर इस स्टेट की जिम्मेदारी बतायी। चैप्टर था "ड्यूटी ऑफ दी स्टेट।" उन्होंने इस ड्यूटी को 40 साल तक तो देखा ही नहीं, जैसे आज ही कांस्टीट्यूशन मिला हो और सारा भार साढ़े सात साल की सरकार के ऊपर डालने की चेष्टा की।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया और गांव में जाकर घूमा तो देखा कि 30-30 वर्ष से प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुए थे। उदाहरण दे सकता हूं, सन् 1963 में बने हुए बासनी सेवा उच्च प्राथमिक विद्यालय को इस सरकार ने सन् 1993 में क्रमोन्नत किया। यह 30 वर्ष का एक उदाहरण है।

श्री परसादीलाल मीणा : ये छोटे-मोटे काम क्या बता रहे हो ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : शिक्षा को आप चाहे छोटा मानें पर इस समाज के विकास के लिऐ जो मूल चीज है वह है शिक्षा। उसको अगर छोटा मानें तो लालसोट से आये हुए माननीय सदस्य, यह आपके ध्यान की बात है। इस वर्ष के बजट के अन्दर 500 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रावधान है। जहां तक मैं विश्वास करता हूं राजस्थान का कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा रेगिस्तान और ट्राइब्ल एरिया को छोड़कर जहां कि 250 की जनसंख्या हो और प्राथमिक विद्यालय न हो।

श्री हीरालाल विश्नोई : कब होगा ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : इस वर्ष में होगा। आप बीच में व्यवधान डालें, मैं उसको उचित नहीं समझता।

ट्राइब्ल एरिया में, रेगिस्तान में 150 की जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय होगा। प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिये इस बजट में 600 स्कूलों का प्रावधान रखा है। मैं यह मानता हूं कि इस सत्र के बाद कोई भी पंचायत क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा जिसमें एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय न हो, हालांकि अपवाद सब जगह होता है किन्तु हमारी चेष्टा यह है कि ग्रामीण क्षेत्र विशेषतः दूर-दराज में पढ़ने वाले बच्चों को हम शिक्षा दें, उनको वास्तव में मानव बनाने की चेष्टा करें। अनपढ़ बच्चा, अनपढ़ आदमी मैं समझता हूं, पशु के बराबर होता है। मानव बनाने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है जो 40 साल में आपने नहीं की और वही रख छोड़ा है ग्रामीण क्षेत्र को।

श्री परसादीलाल मीणा : भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं निर्दलीयों की सरकार है।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : मैं डीवाईएसपी. कैसे बना एक उदाहरण देता हूं। उस जमाने में मेड़ता में सिर्फ सातवीं कक्षा तक का स्कूल था। मेरे भेड़पालक पिता ने इकलौते बेटे को, उस जमाने में 10वीं जोधपुर में हुआ करती थी, वहां पर पढ़ने के लिये भेजा। कहां शिक्षा थी? डीवाईएसपी. मैं मेहनत से बना हूं, आपकी बातों से नहीं। 80 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत होंगे, 70 सीनियर उच्च विद्यालय क्रमोन्नत होंगे। गत तीन वर्ष में जो हमने बजट पेश किया है यदि उसका पूरा लेखा-जोखा लिया जाए तो इनके 40 साल के शासन से ज्यादा शालाएं हमने खोली हैं, ज्यादा शालाएं हमने क्रमोन्नत की हैं। इस सारी प्रगति के लिये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्षमता है, इनकी नहीं है।

इस वर्ष उच्च शिक्षा विशेषतः बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान सरकार ने दिया है। अब उठ कर चले गये लालसोट से आये हुए माननीय सदस्य। उनके यहां दौसा में और दो अन्य जगह पर बालिका महाविद्यालय प्रारम्भ हो चुका है, उनको खुद को ज्ञान नहीं है। दो विद्यालय सह शिक्षा के जन सहयोग से बने। उसमें मैं अपने आपको भाग्यशाली कहता हूं कि एक मेड़ता में है और दूसरा नोखा में हैं।

यहां पर एक बात और कही गयी कि यह सरकार क्या दे रही है, आप तो शिक्षा को बेच रहे हो। आज जनता की भावना है हमारे बच्चों को शिक्षा मिले और राजकोष में इतना धन उपलब्ध नहीं है तो हमें जन सहयोग लेना चाहिये। उस जन सहयोग में सिर्फ एक साल बालिकाओं के लिये और तीन साल को एजुकेशन कालेज के लिये प्रावधान रख कर हम महाविद्यालय दे रहे हैं। पीढ़ियों तक महाविद्यालय का खर्चा यह सरकार वहन करेगी। यह योजना अगर समझें और जनता सहयोग करे तो 100 साल तक जो नहीं खुल सकते वे पांच साल में सब जगह खुल जायेंगे।

विद्युत उत्पादन की बात है, मैं मानता हूं कि धनवान लोगों ने नर्सरी योजना को प्रोत्साहित किया है। यह योजना गरीब किसान के लिये नहीं है। गरीब किसान का तो वैसे ही नम्बर आना था, आ रहा है और आएगा परन्तु जिन्होंने क्रमवार से ऊपर तुरन्त लेना चाहा उन्होंने पैसा दिया और कनेक्शन पा लिया।

जहां तक विद्युत उत्पादन की ओर ध्यान देने की बात है, हमने आकाश, पाताल और थल, तीनों स्रोतों से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और खनन से कोयले की ऊर्जा का उपयोग करने की योजनाएं कई बनायी हैं। सूरतगढ़ में तो मैं खुद देखकर आया हूं, मेरा ख्याल है कि अगले साल तक यह हमको 220 मेगावाट बिजली देगा। इन सारी योजनाओं का इन्फ्रास्ट्रक्चर करीब-करीब बनने जा रहा है। सन् 2000 तक की बिजली की आवश्यकतानुसार उसका सृजन करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी विद्युत उत्पादन करने के लिए हमने व्यापारियों को आमंत्रित किया है कि आप अमुक-अमुक तरह से विद्युत उत्पादन करो, हम उसको खरीदने की गारंटी देते हैं वे योजनाएं भी क्रियान्वित होने जा रही हैं।

कुछ सालों बाद बिजली जो परम आवश्यक है, उस पर जीवन निर्भर होगा।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

विद्युत के बिना न ग्रामीण जीवन रहेगा न शहरी जीवन। विद्युत से आज जीविकोपार्जन हो रहा है, रात की रोशनी की बात मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे उद्योग बिजली पर आधारित होंगे।

लघु और कुटीर उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने का हमने प्रयास किया है। राजस्थान की वसुन्धरा में खनिज के अपार भंडार हैं। मैं हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि इन्होंने अथक प्रयास किया कि आने वाले 10 वर्षों में खनिजों से आय बजट का तीसरा या चौथा हिस्सा हो। इस तरह से हम प्रगति पर आ सकेंगे।

अब मैं कृषि पर आता हूं। सरकार ने हर क्षेत्र में विकास होने की गुंजाइश पैदा करने की चेष्टा की है। पानी का सही उपयोग करने के लिये फव्वारा पद्धति डिप इर्रिगेशन और वैज्ञानिक तरीके अपना कर, वसुन्धरा का पानी बचाने, किसानों को खुशहाली देने और उपज बढ़ाने के प्रयास किये हैं।

अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक है। "Healthy body keeps healthy mind." मनुष्य को तंदुरुस्त रखने के लिये स्वास्थ्य परम आवश्यक है। सरकार के सामने कई विपदाएं आयीं सूरत में प्लेग फैला, गत वर्ष मलेरिया की विपदा आयी, इस वर्ष बाढ़ आने से विपदा आयी। हमारी सरकार और विशेषतः स्वास्थ्य मंत्रीजी को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी युवा उम्र का उपयोग करते हुए, अथक चेष्टा करके इन सारी आपदाओं को मिटाने की चेष्टा की। गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिये इस वर्ष 700 उप केन्द्र, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 सामुदायिक केन्द्र खोले जाएंगे। बड़े-बड़े चिकित्सालयों में शैय्याएं बढ़ायी जाएगी, भिन्न-भिन्न तरह के इलाज की सुविधाएं दी जाएगी। ये सारी चीजें अगर कोई सरकार सोचे जनता की खातिर तो वह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

अब मैं मेरे विषय, कानून और व्यवस्था पर आ रहा हूं। जर-जोरू-जमीन जब से बनी है, तब से अपराध हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। अपराधों की समाप्ति कभी भी संभव नहीं है चाहे कितना ही रोका जाए। अपराधों को कम करना हमारा, पुलिस का और जन समाज का कर्तव्य है। मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि पुलिस के सुदृढ़ीकरण, उसे सुसज्जित करने, उसकी दक्षता, चौकसी बढ़ाने के लिये पांच साल का पांच सौ करोड़ रुपये का प्लान बनाया है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : श्रवणजी, जब ये पुलिस अफसर थे तब इनसे आप नहीं मिले वरना आप याद रखते।

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : हर पुलिस अधिकारी के लिये मूंछें अनिवार्य कर देनी चाहिये।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : मैं उस पद पर भी सौहार्दपूर्ण रहा हूं, मुस्कराता हुआ बात करता रहा हूं। पुलिस की जब मांग आएगी तब मैं विस्तार से इस विभाग के सम्बन्ध में बात करूंगा। लेकिन दो चीजें जो मैंने पहले पहल निवेदन की थीं वे अभी तक पूरी नहीं हुई है। पुलिस कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा के लिये पुलिस लाइन या आर.पी.ए. में एक ऐसा

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

**चिकित्सालय बने जिसमें हमारे सिपाही से लेकर ऊपर तक के सभी पुलिसकर्मी और** उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। पुलिसकर्मी अपनी आधी उम्र बिना परिवार के बिताता है। थानों में यद्यपि फैमिली क्वाटर्स में बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन उनके बच्चों को शिक्षा की सही उपलब्धता नहीं है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जहां दस जमा दो की शिक्षा मिल सके।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** महिलाएं थानों में गुहार करने जाती है तो वहां रेप होता है, यह तो महिला संगठनों को मांग करनी चाहिये कि उन्हें परिवार सहित रखें।

**श्री भंवरसिंह डांगावास :** "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।"

मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि पुलिस वालों के बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वे दूसरे व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ा सकें। सुनागरिक बनें। अब एक थाना आमेर या उससे सुदूर थाने में जाए तो मिडल स्कूल होगी और बच्चा दसवीं में पढ़ता है तो उसको सुविधा नहीं होती। कहीं प्राथमिक विद्यालय होगा और बच्चा आगे पढ़ता है तो सुविधा नहीं होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि गृह मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी दोनों सहयोग करके जयपुर में ऐसा दस जमा दो का उच्च सीनियर माध्यमिक विद्यालय—चाहे नवोदय पैटर्न पर बनाएं चाहे सैन्ट्रल पब्लिक स्कल के पैटर्न पर बनाए, जरूर बनाए ताकि सबसे बड़ा पुलिस वाले के बच्चो को जो कष्ट होता है उसकी उनको सहूलियत हो। मैं इस संबंध में एक और निवेदन करूं कि पुलिस विभाग में वैलफेयर फण्ड का पैसा है। अगर राज्य सरकार चाहे तो आधा पैसा पुलिस वैलफेयर फण्ड से और आधा पैसा सहभागी योजना से लेकर ये विद्यालय और चिकित्सालय बनाये जा सकते हैं।

आवागमन की बात करें, सड़क की बात करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं कोई मेरे साथ जाकर देखें तो पता चलेगा लेकिन इस पूरे राजस्थान में 1997 के एण्ड में मुझे जहां तक विश्वास है कोई भी पंचायत मुख्यालय बिना सड़क के नहीं रहेगा।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में उच्च शिक्षा के लिये मैं मंत्री महोदय की प्रशंसा तो नहीं करूंगा उनका आभार प्रकट करूंगा, मैंने जो एक छोटा-सा प्रण लिया था कि मेड़ता में पहला महाविद्यालय जनसहयोग से बने, मैं इनको गुरूजी मानकर, रामरूप भगवान मानकर नमन करता हूं कि इन्होंने मेरी बहुत सहायता की। आप लोगों को बता दूं कि 20 तारीख को जिस दिन अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश पत्र देने प्रारम्भ हुए थे यह व्यवस्था मेड़ता, नोखा और तीनों बालिका महाविद्यालयों में हो गयी थी।

मैं कृषक हूं, भेड़पालक भी हूं। थोड़ी-सी बात कहना चाहता हूं। मैं एक निवेदन कर दूं कि इस संसार में जितने भी टैक्स लगते हैं उसका असर धीरे-धीरे सब आदमियों पर पड़ता है, पूरी जनता पर आता है। भारत में 80 प्रतिशत किसान है, सारे टैक्सों का भार चाहे आप सेल्स टैक्स लगाए, धीरे-धीरे करते हुए

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

उस किसान के ऊपर पड़ता है। जब अखबार पढ़ा तो मुझे दुःख हुआ, जैसे बम शैल पड़ता हो इस तरह से पैट्रोलियम प्रोडक्टस की कीमतों में बढ़ोतरी की गयी इसका सारा भार किसानों पर आएगा। किसान अपना माल ट्रक में लाएगा, उसकी चीजें ट्रक से आएगी तो उसका किराया ज्यादा लगेगा। सामान हम लाएंगे तो हमारे ऊपर लगेगा। किसान का सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि पैदा करने की इनपुट्स राशि दिन व दिन बढ़ती जा रही है, जबकि किसान की फसल की कीमतें करीब-करीब वहीं पड़ी हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जिसने गत संसदीय चुनाव के घोषणा पत्र में यह साफ उल्लिखित किया था कि प्राइस इन्डैक्स से जोड़कर हम कृषकों की पैदावार का समर्थन मूल्य देंगे। आखिर अवसर आएगा, आशावन हैं हम। अगले इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन होगा और इस चीज को हम करके रहेंगे। उस वक्त किसान की उपज का सही मूल्य मिलेगा।

मैं एक छोटी-सी बात निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रिय मुख्य मंत्री जी को, श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी को कि राजस्थान के किसानों पर कर्ज का भार अगर कुछ कम कर सकते हैं तो ट्रैक्टर को टैक्स फ्री करें कुंऐ से पानी निकालने वाले पम्प की मोटर को या डीजल इंजन को टैक्स फ्री करें। खाद पर जो 4 परसेंट टैक्स है, उसके वैसे ही भाव बढ़ गये हैं, पिछले सात साल में खाद तीन गुना कीमत पर पहुंच गया—वह 4 परसेंट टैक्स कम करें। इस वर्ष तिहलन के संबंध में टैक्स का समायोजन करने की बात इस बजट में कही है उसके अनुसार तिलहर पर 2 परसेंट टैक्स लागू रहेगा। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि व्यापारी पड़ते खाते माल लेते हैं। उसको पड़ता खाएगा तभी माल लेगा और जितना भी टैक्स लेगा उस पड़ते खाते से किसान को कम कीमत देकर लेगा। यह सारा टैक्स व्यापारियों पर नहीं है, यह हमारे कृषि उपज पर है। उप मुख्य मंत्री जी, आप विराजे हैं, इस संबंध में मुख्य मंत्रीजी से मैं मिला हूं। वैसे ही पिछली साल शीत लहर ने हमें बर्बाद कर दिया, जहां फसल रुपये की होती वहां 6 आने की निकली। अगर यह टैक्स भार आप कम कर देंगे तो कुछ राहत उनको मिलेगी।

मैं अंत में हमारे मुख्य मंत्री महोदय को, हमारी मंत्री परिषद के तमाम मंत्रियों को और विशेषकर नागौर जिले के निवासी मंत्री महोदय को यह धन्यवाद अर्पित करता हूं वे ऐसे बजटों के माध्यम से ग्रामीण विकास और किसानों के विकास की ओर लगे रहें। धन्यवाद

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र चौधरी —(अनुपस्थित)

**श्री दयाराम परमार**—(अनुपस्थित)

**श्री रामनारायण मीणा**—(अनुपस्थित)

**श्री रामगोपाल बैरवा**—(अनुपस्थिति)

**डॉ. जितेन्द्र सिंह**—(अनुपस्थित)

**श्री रामस्वरूप मीणा**—(अनुपस्थित)

**श्रीमती उज्जला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह चर्चा थी। इधर से कहा गया कि कल शाम को बहुत देर तक नहीं रुके, बजट पर बातचीत नहीं हुई। जिन्होंने यह चर्चा की वे इस समय यहां नहीं हैं। विपक्ष के नेता भी नहीं हैं। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि विषय इतना गम्भीर है, चर्चा करते

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वक्त तो चर्चा करते हैं और जवाब सुनते वक्त आप सुनते नहीं हैं। बड़े खेद की बात है आज घंटा-घंटा करके समय बढ़वाया गया, बढ़ाने के बावजूद भी आपकी बैंचेज देख लीजिए, क्या स्थिति है। माननीय विश्नोई जी वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, मेरी यह बात आप जरूर कहेंगे कि इस समय जो चर्चा की जाएं तो खुद भी उपस्थित रहना चाहिए, विपक्ष के नेता को भी उपस्थित रहना चाहिए। विपक्ष सुदृढ़ हो, यह बहुत जरूरी है लेकिन यहां बैठे, यह और भी ज्यादा जरूरी है। विश्नोई साहब आप यह मेरी बात उनको बताएंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामस्वरूप जी।

**श्री परसादी लाल मीणा** : बैठे हैं न। आप भी इतने ही बैठे हैं, हम भी उतने ही बैठे हैं, कम नहीं हैं।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है। कोरम ही नहीं है तो कार्यवाही कैसे हो रही है?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : आपको तो गिनती ही नहीं आती, कोरम है। गिन लो जरा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामस्वरूप जी, आपका समय बर्बाद हो रहा है।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : इधर तो मैं अकेला ही बहुत हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोलिये।

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर बहस हो रही है बजट में सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है माननीय सदस्य जो इधर सत्ता पक्ष की ओर विराजमान हैं, वे सब यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया। जिस समय कांग्रेस ने राज सम्भाला था उस समय देश की हालत क्या थी? कहीं भी गांव के अन्दर स्कूल नहीं थे, किसी भी गांव में सड़क नहीं थी, एक भी गांव में उस समय बिजली का लट्टा नहीं था, उन परिस्थितियों में देश को सम्भाला था। कोई उद्योग धन्धा नहीं था, न कोई भाखड़ा डैम था, न चम्बल था और न कोई और बांध था, उस समय हमारे देश में कांग्रेस ने राज सम्भाला। राज के 40 साल में कांग्रेस ने गांवों का उत्थान किया, गांवों में स्कूल खोले, बिजली पहुंचायी, सड़कें बनवायीं और अब आप कहते हो कि काम नहीं हुए? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह कांग्रेस की देन है कि आज राजस्थान के सदन में 80 परसेंट लोग पढ़े-लिखे बैठे हुए हैं। यह किसकी देन है? यह कांग्रेस की देन है। राजस्थान का यह विकास कांग्रेस ने किया है। आज शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं, आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं और एक दिन वह था जब नौकरी के लिऐ ढूंढना पड़ता था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन कांग्रेस की देन है कि आज शिक्षित बेरोजगार पड़े हुए हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि सब एक मुंह से कह देते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि किया ही सब कुछ कांग्रेस ने हैं। बहुत-सी बातें रह गयीं कांग्रेस की। कांग्रेस ने विकास चालू कर दिया लेकिन आपका यह कर्तव्य बनता है कि अब इस बजट में, कांग्रेस के जो अधूरे कार्य रहे हैं उन कार्यों को आप पूरा करें। मुझे विश्वास है कि आप उस ओर जा रहे हैं। मैं कोई बुराई की बात नहीं करता कि आपने कुछ नहीं किया है, आपने भी अच्छा सोचा है लेकिन जो खामियां बजट के अन्दर रही हैं, जो काम

(श्री रामस्वरूप मीणा)

इस बजट से नहीं हुए उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारा यह जो बजट है इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हमने गरीब को गणेश माना है लेकिन इससे उस गरीब की हालत सुधर जाएगी? आज क्या गरीब की हालत सुधरी है पहले से? गरीब की हालत नहीं सुधरी है, आज गरीब को गरीब के नाम से लूटा गया है, और भी गरीब किया गया है उसको। आप गरीब को अनुदान देते हो, गरीब को भैंस देते हो, रोजगार के लिऐ उसको साधन दिलाते हो, पर क्या उनका सही उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज उसकी भैंस नहीं है उस गरीब के पास, उसका पैसा ब्याज सहित दूसरे सेठ के पास पहुंच गया है। फर्जीवाड़ा होता है, आप जांच कर लें, 90 परसेंट फर्जीवाड़ा होता है गरीब के लिऐ। उद्योगों में जो इनको सहायता दी जाती है, और जितनी भी सहायता दी जाती है उनमें ज्यादातर भ्रष्टाचार है। इसलिऐ जो बजट आपका जाता है वह भ्रष्टाचार में ज्यादा जा रहा है। आप सुधार की ओर जा रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को पर आप इस ओर भी ध्यान दें लें कि जो गरीब को सहायता दी जाती है वह सहायता वास्तव में सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप चाहे बजट में कोई नयी बात मत दो लेकिन जो कुछ है उसको सही कर दो, यही आपका पुनीत कर्तव्य है। तभी आपका बजट, चाहे वह कम दिया जा रहा है, ज्यादा लाभ दे सकता है।

दूसरा, मेरा निवेदन है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, आपने कहा था कि हम सारे गांवों में स्कूल कर देंगे, राजस्थान के अन्दर एक भी गाँव नहीं बचेगा। मेरे माननीय साथी अभी इस बात को बता रहे थे। मैं कह रहा हूं कि यह बिलकुल असत्य है। अभी तक मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में, पंचायत मंत्रीजी तो यहां पर हैं नहीं, 50 ग्राम, ढाणियां ऐसी हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है। जनसंख्या लगातार बढ़ी है। उसका कारण भी है। दोष इनका भी नहीं है, आज ढ़ाणियों में गांव बंट गये। रिकार्ड में ढाणियां हैं, गांव नहीं हैं जबकि वे ढाणियां गांवों से भी बड़ी हो गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जो बजट आप शिक्षा को देते हो, जो आप स्कूल खोलते हो वह कृपया आप ढाणियों को गांव मानते हुए खोलें। ऐसा संशोधन करें ताकि स्कूल आपकी ढाणियों में खुल सकें।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि आप गरीब किसको मानते हो? मैं तो कहता हूं, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे वह मेरा किसान भाई हो, चाहे मेरा मजदूर भाई हो, सभी गरीबी की रेखा में आते हैं। आपका पुलिस डिपार्टमेंट, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह गरीब नहीं है? आज कही भी आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस की पड़ती है। आज थानों की क्या हालत है? वही पुराना सन् 47 का थाना हमारे वहां पर है जिसकी बिल्डिंग टूट रही है। उनको रहने के लिऐ जगह नहीं, पानी भरा है जिसके अन्दर वे बिस्तर लगा कर सोते हैं। ये प्रहरी जो रात-दिन हमारी रक्षा करते हैं क्या ये गरीब नहीं हैं? माननीय गृह मंत्रीजी, आप यहां विराजमान हैं, आप कम से कम थानों की बिल्डिंग बनवाए। जो थाने पुराने हो चुके हैं, 1947 के हैं उनकी तो कम से कम आप नयी बिल्डिंग बनवा दें। आपके जो थाने में रहने वाले हैं वे घबराते हैं बरसात में कि कहीं बिल्डिंग हमारे

(198)



(श्री रामस्वरूप मीणा)

ऊपर न गिर जाए। वह गरीब उसमें ही रह रहा है। आज पुलिस का सिपाही भी आपका सबसे गरीब है। आपने पुलिस को कुछ नहीं दिया। आज कहीं भी मौत का समय आता है, मौत की जगह आती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो ऐसी जगह हमारा पुलिस वाला पहुंचता है। मेरे यहां नेशनल हाई वे नं. 11 के ऊपर पाटौली के पास एक अवैध वाहन आ रहा था। वायरलैस पर पुलिस वाले के लिऐ सूचना आयी कि एक अवैध वाहन आ रहा है, उसके अन्दर कोई डकैत आ रहा है, आप रोकिये। वह पुलिस वाला सड़क ऊपर खड़ा हो गया उसने वाहन को रोका। वाहन ने टक्कर मारी, सिपाही की मौत हो गयी। इस पुलिस के लिए आप कहते हैं कि वह गरीब नहीं है। वह गरीब है। आज उनके बच्चों को इस तनख्वाह में रोटी तक नहीं दे सकते, कपड़े तक नहीं मिलते, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। इसलिए मेरा, गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि आप इन पुलिस वालों की गरीबी की ओर भी ध्यान दें। अगर आपने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वही हालत होगी जो हमारे करौली थाने के अन्दर हुई थी। करौली थाने के अन्दर पुलिस वाले ने पुलिस वाले को गोली से मार दिया। आखिर कौन जिम्मेदार था उसका? उसकी गरीबी जिम्मेदार थी। घर में परेशान था, गांव में छुट्टी पर गया था। घर में उसके सामने क्या-क्या समस्याएं आयी थीं, उन समस्याओं से ग्रस्त वह ड्यूटी पर आ गया। उसका परिणाम निकला कि उसको गुस्सा आया, उत्तेजना पैदा हो गयी दिमाग में किसी कारण से और उसने अपनी ड्यूटी की बन्दूक उठायी और वहां के थानेदार को मार दिया। कौन जिम्मेदार है? यह गरीबी जिम्मेदार है। क्या ये गरीब नहीं हैं? जब कोई गरीब-गरीब कहता है तो वह गांवों का नाम लेता है। क्या ये गांव के निवासी नहीं हैं? क्या इनकी ड्यूटी गांव में नहीं लगती है? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आज तो इनकी जरूरत आपको भी पड़ गयी। आपकी परीक्षा भी नहीं हो रही है इस गरीब के बगैर। आज कहीं भी कोई सैप्टर खुलता है तो आपके परीक्षा स्थल पर भी बच्चे टीपेंगे नहीं, डयूटी पर पुलिस वाले लगाये जाएंगे। पहले कभी भी इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी आपके राज में आकर तो इनको भी ड्यूटी वहां मिल गयी। कहीं बाढ़ आये तो इनकी ड्यूटी, कहीं कोई मरे तो इनकी ड्यूटी, कहीं कोई परीक्षा हो तो इनकी ड्यूटी और कहीं पर एक्सीडेंट हो तो इनकी ड्यूटी। पुलिस ही पुलिस की ड्यूटी चारों तरफ आ गयी। लेकिन, माननीय गृह मंत्रीजी, इनकी संख्या बहुत कम है, आप इनकी संख्या बढ़ाइये। लगातार जनसंख्या बढ़ी है लगातार अपराध बढ़े हैं लेकिन आपने इनकी संख्या को नहीं बढ़ाया। आप तो कहते हैं कि पुलिस के लिऐ सबसे ज्यादा बजट दिया है, मैं कहता हूं कि यह बजट गया कहां आपका? आप इनकी संख्या बढ़ाओ। जब तक पुलिस थानों में इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक अपराध नहीं रुक सकते। इसलिऐ पुलिस की संख्या भी आपको इस बजट के द्वारा बढ़ानी चाहिए। इस गरीबी की रेखा के लिये आप खाली गांवों से गरीबों का चयन करते हैं, कहते हैं गांवों में गरीब वह है जो चयनित रेखा में आएगा। गरीब गांव में बैठने वाला ही नहीं है, नौकरी करने वाले भी गरीब बैठे हुए हैं, अन्य धन्धा करने वाले भी गरीब बैठे हुए हैं लेकिन उनका लिस्ट में कहीं

(श्री रामस्वरूप मीणा)

नाम ही नहीं है। इसलिए इस गरीबी की रेखा में चयन करते समय दृष्टिकोण बदलो। एक दृष्टिकोण बना रखा है कि गांव की रेखा बना लाओ। फर्जी बनती है आपकी गांव की रेखा। एक बाप के जब चार बेटे हो गये तो मैं कहता हूं कि यह तनख्वाह का पैसा उन चारों में कहां जाएगा? वे तो चारों गरीब ही होंगे, उनको भी आप इस रेखा में सम्मिलित करो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सड़क मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपने सड़कें बनवायी हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने घोषणाएं की हैं, आपने बजट सड़क को दिया है। आप कह रहे हैं कि 1997 तक पंचायत हैडक्वार्टर को सड़कों से जोड़ देंगे। मत जोड़ो आप, आप केवल एक काम कर दो, माननीय सड़क मंत्रीजी। माननीय डामर मंत्रीजी, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक भी नयी सड़क मत दीजिये, मेरे क्षेत्र की 40 सड़कें अधूरी पड़ी है, कांग्रेस के टाइम से अधूरी हैं। मुझे विश्वास है, माननीय मंत्री जी, आप विश्वास के साथ बोलते हैं इस सदन के अन्दर। मैं भरोसा करता हूं, आप मत करो। मेरे यहां 40 साल से अधूरी सड़कों को पूरा कर दो, मैं मान जाऊंगा कि आपका बजट सड़क का बजट है। नांदोती और टोडाभीम की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, अधूरी सड़कों को पूरा करवाओ। 40 साल से अधूरी पड़ी हैं, रोड़े अटका रखे हैं। और यह हालत हो रही है कि कोई औरत है, जिसके जापा होने जा रहा है, वह पहुंच नहीं सकती आपके अस्पताल तक। पहुंचने के पहले ही बच्चा हो गया, वह मर गयी। मौत के मुंह में चली गयी सड़क के अभाव में इसलिए उन सड़कों को जरूर जोड़े, जो आज तक नहीं जुड़ पायीं। कांग्रेस ने नहीं जोड़ी, उनको आप जोड़ो, आपकी कीर्ति स्थापित होगी।

पांचवा निवेदन करूं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपकी तारीफ करूंगा सबसे पहले तो। मेरे यहां एक भवन चिकित्सालय का था, वह बहुत पुराना था। मैंने इसी सदन के अन्दर आपके सामने मांग रखी थी। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, बाढ़ के कारण उस अस्पताल की छत गिर गयी है। माननीय मंत्रीजी ने 12 मिनट की बहस के अन्दर, मैं मात्र 12 मिनट बोला था, 12 मिंनट में आपने 12 लाख रुपये दिये, उसके लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन काम धन्यवाद से नहीं चलने वाला है। एक भवन आपने मुझे दिया है लेकिन मेरे क्षेत्र में कई अस्पताल हैं, उनकी भी हालत यही हो रही है। आपने देखा होगा, वर्षा हुई, वर्षा के कारण बीमारियां फैल रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो व्यक्तियों की मौत हुई है। मैं तहसील टोडाभीम के ग्राम माचड़ी की बात कर रहा हूं, वहां दो मौतें हुई हैं। (व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : जरा इनको बताइये कि बैठे-बैठे बोलना नियम के विरुद्ध है, खड़े होकर बोलिये। क्या दिक्कत हैं? आपको कोई सलाह देनी, परामर्श देना, उनको डिस्टर्ब करना, जो कुछ भी करना हो, खड़े होकर करिये। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं, आप चिकित्सा पर बजट खर्च कर रहे हो लेकिन चिकित्सा में सबसे पहली बात है कि बीमारी रूकनी चाहिऐ। आपके डॉक्टर्स,

(२००)



(श्री रामस्वरूप मीणा)

आफिसर्स वगैरह वहां गये हैं। वहां दवाई छिड़कने के लिये कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दवाई नहीं है। कारण उन्होंने बताया है कि दवाई मिली नहीं हमको, हमको पूरा डीडीटी. नहीं मिला, कम मिला है जिससे हम सब जगह नहीं छिड़क सके। मैंने उनसे जाकर वार्ता की, सी.एम.एच.ओ. से भी मिला। मैंने उनसे कहा कि यह मौत कैसे हुई? उन्होंने कहा कि इस मौत का कारण हम नहीं है। यहां पर डीडीटी. हमको पूरा नहीं मिल पाया है, केवल मात्र 30 प्रतिशत मिला है। 70 प्रतिशत नहीं मिला है इसलिए आप उसको दिलाइये। उनकी गलती नहीं है इसके अन्दर, उनको आप यह देंगे तो वे गांव में दवाई छिड़केंगे। भविष्य के लिए जरूर उनको सचेत कर दें।

उसके बाद मैं निवेदन करूंगा, यहां शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, (व्यवधान) उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, उनसे निवेदन करूंगा। ठीक है आप शिक्षा के लिए बजट दे रहे हो, विश्वविद्यालय में आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन विश्वविद्यालय में घोटाले होने लग गये हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की आप जांच कराइये एडमिशन घोटाला, होस्टल में प्रवेश में घोटाला, खरीदों में घोटाला। इतनी लापरवाही राजस्थान विश्वविद्यालय में हो गयी जिसका एक प्रमाण पेश कर रहा हूं आपके सामने। आयुर्वेद के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय की अंकतालिका में त्रुटियों के बारे में निवेदन कर रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह हुई है कि लड़के को लड़की बना दिया, आपके प्रमाण पत्र में। कुदरत ने तो आपके किसी लड़के को लड़की नहीं बनाया लेकिन आपके विभाग ने लड़के को लड़की बना दिया। आप सुन लो, मैं नामजद बता रहा हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय की अंकतालिका में त्रुटि सामने आयी है, प्रमाण-पत्र में लड़के को लड़की बनाया है। अखिलेश चन्द्र कटारा, वह भी कटारा है, सुन लो, माननीय कटारिया जी आप भी, वह कटारा होगा, एक मात्रा का फर्क होगा, चलो कटारा ही सही। अखिलेश चन्द्र कटारा नामक छात्र ने 1988 में आयुर्वेद परीक्षा पास की थी, क्रमांक 83 था। 8 साल बाद विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र जारी हुआ तो कुमारी अखिलानन्द लिखा हुआ है श्रीमती अखिलानन्द कटारा। बड़े दुःख की बात है, ऐसी-ऐसी भी गलतियां उसके अन्दर होती हैं। अब उसको कितने चक्कर लगाने पड़े होंगे शुद्धिकरण के लिए या कितने चक्कर वह अब लगाएगा? एक उदाहरण दिया है मैंने तो, जो पकड़ में आ गया। ऐसे न जाने कितने सैंकड़ों उदाहरण आपके इस बजट में होंगे। इसी के लिए आप बजट दे रहे हो? क्या इसी से शिक्षा हो रही है आपकी? क्या इसी से विश्वविद्यालय तरक्की करता चला जा रहा है? आपने पिछली साल शिक्षा पर बजट रखा था। क्या यही विकास किया है शिक्षा का आपने? इसलिये सुधार करो। बजट चाहे आप कम दो लेकिन जो हो उसमें सुधार करो। आप खाली घिसी-पिटी नीतियों पर मत चलो, नयी नीतियां अपनाओ। सही कहा है कुलिशजी ने, कोल्ड स्टोरेज का आलू आपको सही बताया है। कोई फर्क नहीं आया है आपमें किसी प्रकार का, न कुछ आपने नया दिया है, इसलिए सुधार कर लो। उन्होंने आपके सुधार के लिए लिखा है वरना डूब जाओगे कुण्डी में, दिन नजदीक हैं आपके डूबने के। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उद्योग विभाग

(श्री रामस्वरूप मीणा)

की ओर आ रहा हूं। उद्योग मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपने हमारे उद्योग की तरफ ध्यान दिया, जिला सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के बारे में आपने हमारी बात को सुना और वह ऐसे वक्त में सुना आपने जब आपको भी आवश्यकता थी क्योंकि राजनीति वोटों के आधार पर चलती है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कितने दिन से आंदोलन कर रहे थे, सीमेंट फैक्ट्री के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। 1991 में मैंने सवाई माधोपुर के अन्दर लोक सभा का चुनाव लड़ा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पधारे थे। वहां उन्होंने यह कहा था कि आप कांग्रेस का धुंआ निकाल दो, मैं सीमेंट फैक्ट्री का धुआं निकाल दूंगा लेकिन मुख्य मंत्रीजी से धुआं नहीं निकला। पिछली बार तो जनता ने हमारा धुआं निकाल दिया, अबकी बार जनता ने आपका धुआं निकाल दिया क्योंकि आपसे सीमेंट फैक्ट्री का धुआं उस समय नहीं निकला। कोशिश की थी आपने तो कि चुनाव से पहले सीमेंट फैक्ट्री को चालू कर दिया जाए लेकिन पूरी चालू नहीं हुई। उसके बाद आपने एक इकाई को चालू किया है। मैं मानता हूं इस बात को कि एक इकाई उन्होंने चालू की थी लेकिन एक आपको जानकारी दे रहा हूं। माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपने खाली वोटों के लिए एक इकाई को स्थापित तो कर दिया लेकिन चुनाव के बाद इकाई पुनः बंद हो गयी है। मैं आपके सामने इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि आपकी इकाई इस समय काम नहीं कर रही है, आप मालूम कर लो। (व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठ जाइये। मैं कह रहा हूं, उस बात की आप बाद में काट कर लेना। मंत्रीजी विराज रहे हैं, आप मंत्री नहीं हैं, आप बैठ जाओ।

**श्री हरिनारायण** (खण्डार) : आप असत्य बोल रहे हैं। फैक्ट्री चालू है, मजदूरों को पैसा मिल रहा है, कुछ माशीनें सुधरने के लिए गयी हैं। (व्यवधान)

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : यह सही है कि मजदूरों को पैसा दिया गया है लेकिन यह सही नहीं है कि सीमेंट फैक्ट्री चालू है। हकीकत तो यह है कि उस सीमेंट फैक्ट्री के अन्दर जो कच्चा माल है, और दूसरा सामान है, उनको निकालने ले जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिलकुल गलत कह रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री आज तक चालू नहीं हुई है।

**श्री हरिनारायण** : नहीं, नहीं निकल रहा है। कतई रोक लगा दी है।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : आज तक चालू ही नहीं हुई है, बिलकुल गलत कह रहे हैं।

**श्री हरिनारायण** : एक भी कील नहीं निकली है आजकल। मजदूर काम पर जा रहे हैं, मशीनें वापस सुधरकर आ गयी हैं और फिट हो रही हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : आज मजदूरों ने पुनः फैक्ट्री को रोक दिया है, कारण कि वहां के मालिक वगैरह जिनको फैक्ट्री सम्भलायी थी, सारे के सारे उसमें से माल निकालने ले जाने की तैयारी कर रहे थे। बिलकुल गलत है।

**श्री हरिनारायण** : सामान जो जा रहा था, मजदूरों ने रोका था। बी.एम.एस. के कर्मचारियों ने सामान को रोका है, इंटक वाले सामान को।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, वही बात आप कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। वास्तव में ये भी सही कह रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री बंद है और ये कह रहे हैं कि मशीनें ठीक होने के लिए गयी हैं। अब भगवान को पता कि कितने दिनों में ठीक होकर आएगी। कहीं वे हमको ही ठीक न कर दें, मंत्रीजी। आप और हम सब ठीक हो जाएंगे अगर ठीक होकर नहीं आयीं तो। वह तो बंद पड़ी है और सही बात तो यह है। आपकी फैक्ट्री बंद है इसलिए इस धंधे की ओर ध्यान दें। आप तीनों इकाइयों को चलाना चाहते हैं, तीनों इकाइयों को आप जल्दी से चलवाएं मशीनें जो खराब हो गयी हैं उनको ठीक करवाकर मंगवाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले।

अब मैं अंत में, यहां पर सिंचाई मंत्रीजी विराजमान नहीं हैं, उनसे निवेदन करूंगा। आपने सिंचाई के लिये बहुत बजट दिया, बहुत बांध बनाये हैं आपने ओर आपके समय में मेरे यहां भी एक बांध बंधा है। पांचना बांध जिला सवाई माधोपुर का मेरे क्षेत्र में है, इन्होंने बंधवाया था उसको। बांध बंध गया, पैसा खूब खर्च हो गया, लाखों के घोटाले भी हो गये लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज कि एक बूंद पाचना बांध में नहीं ठहर रहा है। क्यों बांध को बांधा? क्यों बजट दिया? क्यों बांध का इतना वो कर रहे हैं? नहरें बना दीं, सब काम कर दिया लेकिन आज एक फीट पानी भी नहीं है उसके अन्दर। निकलवा दिया इन्होंने सारा पानी और ये कहते हैं कि इसमें पानी नहीं है, हम क्या करें। मैं कहता हूं—

**श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पांचना बांध टूट गया जिसमें भरतपुर बह गया—

**श्री रामस्वरूप मीणा** : हां, मैं सही कह रहा हूं।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : और आप कह रहे हैं कि उस पांचना बांध में एक बूंद पानी भी नहीं ठहर रहा है। कौनसी बात सही है, कम से कम आप यह तो कह दें।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : मैं जवाब दूंगा इस बात का।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आप प्रोसीडिंग्स दिखवाइये। माननीय सदस्य ने इसी सदन में कहा था कि पांचना बांध टूट गया जिससे भरतपुर बह गया। मैंने कहा कि वह पांचना नहीं वह रूपारेल है। ये बोले, आपको पता नहीं है, यह हमारे क्षेत्र का मामला है तो मैं चुप बैठ गया कि आप सही बोल रहे हैं। और आप आज कहते हैं कि सिंचाई मंत्री ने ऐसा बांध बना दिया कि एक बूंद पानी नहीं ठहर रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : माननीय सदस्य, बिलकुल सही कहा है। पांचना बांध में गत वर्ष में डैम टूट गया था, और यह तोड़ा गया था। कोपर डैम टूटने के कारण से पांचना बांध के अन्दर एक बूंद पानी भी गत वर्ष नहीं रूका है। नौ हजार एकड़ जमीन की पिलाई होती थी पर गत वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर और टोडाभीम में जो मिला हुआ है, एक भी बूंद पानी नहीं मिलने के कारण से किसानों की हजारों बीघा जमीन सूख गयी आप यह क्या कहते हैं भरतपुर से कोई सम्बन्ध नहीं है? भरतपुर को पांचना बांध से पानी जाता नहीं है। गम्भीरी नदी के अन्दर जो एक्सेस पानी होता है वह पांचना से भरतपुर के अन्दर पहुंचता है।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

वहां पहुंचने के बाद पानी बिखर जाता है, उससे भरतपुर को कोई नुकसान नहीं होता। गलत कह रहे हैं आप।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो मेरा विनम्र निवेदन कर रहा हूं माननीय मंत्रीजी से। मैंने तो उस समय यह कही थी कि अगर पांचना बांध टूटा हुआ नहीं होता तो उसका पानी भी भरतपुर में नहीं जाता। यह मैंने उस दिन निवेदन किया था और वही बात आज कह रहा हूं। बांध टूटा हुआ है, सही कह रहे हैं, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पांचना बांध को बंधवाए पुनः, उसकी पक्की पाल बनवाए तभी लोगों को पानी मिलेगा, सिंचाई मिलेगी और हमारे क्षेत्र की पानी की जो एक समस्या है, वह हल हो जाएगी।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : अब + + + बैठे हुए हैं न। अनंग कुमार जी जैन साहब बैठे हुए हैं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : इसी के साथ-साथ माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा, इन्दिरा लिफ्ट योजना का अभी मैंने प्रश्न लगाया था, उसमें जवाब आया है कि इन्दिरा लिफ्ट योजना सेन्टर को भेज दी गयी है। बड़ी खुशी की बात है, सेन्टर में चली गयी। लेकिन उसके लिए सरकार भी दबाव दे सकती है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप दबाव डाल करके उसको वापस मंगवाएं ताकि उसका कार्य चालू हो सके। अंत में मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ पुनः इस बात के लिये कहूंगा—(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : परिवार नियोजन वाली बात।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : माननीय सदस्य सभी मांग कर रहे हैं, मैं पुनः निवेदन करूंगा, वास्तव में बात सही है, हिन्दुस्तान के महान तीर्थ स्थान—

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, आप बोलिये।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : हिन्दुस्तान के महान तीर्थ स्थान मेहन्दीपुर के बालाजी, मैंने पहले भी सदन में कई बार निवेदन किया था, ठीक है, आप दारू के ठेके दे रहे हो, आप हरियाणा से कुछ शिक्षा लीजिये, खाली बजट ही बजट का ध्यान मत रखिये। आपका बजट कल्याणकारी होना चाहिए। अय्याशियां बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं। बलात्कार बढ़ने का कारण आपकी यह शराब है, मूल कारण आपकी यह शराब है। मुझे बहुत खुशी है कि पुलिस विभाग में एक अभियान चल रहा है, जो दारू पीने वाले लोग हैं उनकी दारू बंद की जा रही है। उन में सुधार आ रहा है, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने एक अच्छा सुधार का कार्य शुरू किया है, बहुत अच्छा हमारे पुलिस विभाग ने काम किया है। मैं चाहता हूं कि अन्य विभागों में भी इसकी शुरूआत की जाए ताकि अन्य डिपार्टमेंट्स में दारू नहीं पी जाए। हरियाणा की तरह आप भी साहस करो। भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, राम राज्य की बात करती है, राम के राज्य में दारू चलती थी क्या?

**श्री अनंगकुमार जैन** : ये सब चले गये, इनका क्या होगा?

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(204)



**श्री रामस्वरूप मीणा** : **जाने वालों को जाने दो, आप और हम को भी जाना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई नहीं रूक सकता, सब को जाना पड़ेगा। क्यों चिंता करते हो जाने की, आने की चिंता करो।**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो आय होती है आबकारी विभाग से, उस आय को बंद करो आप। उसकी जगह आय के स्रोत मैं बताता हूं आपको। आप उठा कर देख लो वन विभाग को। वन विभाग का एक छोटा-सा कर्मचारी, फोरेस्टर, उससे बड़ा कर्मचारी, दस-दस बिल्डिंग्स खड़ी हैं, उनके आलीशान मकान बन गये। सारा पैसा जंगल का, प्रदूषण का बट्टे खाते में जा रहा है। एक लाख पौधों की जगह एक हजार पौधे मिलेंगे, गिन लो चाहे आज आप। सब मकान बन गये उनके आज, सम्पत्तियां बढ़ती हुई चली जा रही हैं उनकी। गांव के अन्दर वे प्रतिष्ठित होते चले जा रहे हैं जो गरीब थे बिलकुल। क्यों न जांच करवाए आप उनकी ? उन से लो पैसे आप। यह बर्बाद हो रहा है पैसा, इसको रोको लेकिन दारू का पैसा मत लो। दारू के पैसे लेने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जैसे आपकी भी होती चली जा रही है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, कुलिशजी सही कह रहे हैं। उसका कारण है कि आपके भी दारू का पैसा आ रहा है। दारू तो पागल बनाती है पीने के बाद। (व्यवधान) हां, वे यही कहते हैं, इन में कोई फर्क नहीं पड़ा किसी प्रकार का। इसलिऐ मेरा सुझाव है, उपाध्यक्ष् महोदय, राजस्थान की सरकार एक साहस करेगी, आप एक सुधार अभियान चलाइये। मानता हूं कि आप बजट में घाटा मत दो, आपकी बुराई हो सकती है, हो सकता है आपका वह सफल भी न हो टैक्स हटाना लेकिन उसके लिए एक काम तो करो, सुधार अभियान चलाओ। राजस्थान में दारू बंदी का एक सुधार अभियान चलाओ। हर डिपार्टमेंट के अन्दर जो व्यक्ति नहीं पीता है उसको तरक्की दो। जो दारू पीता है उसके नोट लगा दो आप। हर जगह आप यह बात लागू कर देंगे तो अपने आप दारू बंद हो जाएगी, यह मेरा निवेदन है।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : ये तो यह चाहते हैं कि दारू पीने वालों को तरक्की दो तभी तो जगह-जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि दामों में भारी कमी, आइये और पीजिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : जो लड़के को लड़की बनाया था वे मंत्रीजी भी आ गये।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : आप दो मिनट चुप हो जाओ तो मैं सब कुछ बोल लूंगा। माननीय जन स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां पधारे हैं__

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उच्च शिक्षा मंत्रीजी अब आये हैं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मैंने पहले निवेदन किया था कि एक विश्वविद्यालय में गलती हुई है, लड़के को प्रमाण पत्र में लड़की बना दिया गया है, कृपया ऐसी गलतियों की ओर आप ध्यान दें।

अब मैं माननीय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, पानी की समस्या __(व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : सैकण्ड राउण्ड हो रहा है।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, शांति बनाये रखें, इतने महत्वपूर्ण विषयों पर मैं निवेदन कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपको आपके दल के लोग ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं क्या करूं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : क्या बताया जाए, साहब, इनकी आदत पड़ गयी है। पारीकजी की आदत पड़ गयी, अब मैं इनको क्या बोलूं। इनको मेरा अच्छा बोलना सुहाता नहीं है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उत्साहवर्द्धन कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। सीनियर लीडर हैं, हम तो उत्साहवर्द्धन करने में लगे हैं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : मैं वे बातें कह रहा हूं जो किसी ने नहीं कहीं। कह रहा हूं, किसी के दर्द को, इस सदन के अन्दर। हम यहां आते किसलिए हैं ? दर्द को कहने के लिऐ आते हैं। सुबह 11 बजे आता हूं, रात्रि 3 बजे तक चलाओ विधान सभा, 3 बजे भी बैठा रहूंगा, अकेला बैठा रहूंगा। अपने कर्तव्य का पालन करता हूं इसीलिए तो जनता ने लगातार हमको दो बार चुना है। मैं कर्तव्य निभाता हूं, मैं अपनी पार्टी का कर्तव्य निभाता हूं, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। चाहे मुझे कितना ही टोकें, मैं टोंकने से नहीं डरता हूं।

माननीय जलदाय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं_(व्यवधान) सुनिये। आपका अवसर तो ऐसे समय पर आया जब वर्षा इन्द्र देव ने कर दी। हम पर कृपा कर दी है। इसलिए बड़ी शांति चल रही है आपके विभाग में, लेकिन फिर भी भी मैं एक निवेदन करूंगा। आपने हमको एक ऐसा प्रभारी मंत्री दिया है, यादव साहब जो, अलवर को प्रसिद्ध करके चले आये। अलवर का नाम रोशन कर रखा है उन्होंने, उन्हीं यादव साहब को आपने प्रभारी बना दिया जिला सवाई माधोपुर का। आपका कोई दोष नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं। हैण्ड पम्प भी दे रहे हैं, योजना भी दी है, अच्छे-अच्छे काम हमारे क्षेत्र में कराने के लिये आप जा रहे हैं और कर रहे हैं लेकिन एक प्रभारी ऐसा बना दिया आपने कि क्या बताऊं। भगवान ने उनके दिमाग में ही जाने क्या रख रखा है। यादव साहब ने वहां क्या किया है मैं बताऊं आपको। मीटिंग में गये थे, मीटिंग में मैंने उन से कहा था कि माननीय यादव साहब, आप यह मीटिंग ऐसे टाइम पर मत रखना जब हमारी विधान सभा की कार्यवाही चल रही हो। तो यादव साहब क्या बोलते हैं, कि विधान सभा में क्या रखा है। सवा सौ रूपये के लिऐ जाते हो आप, वहां क्या रखा है विधान सभा में। ऐसा प्रभारी आपने मुझे दिया है, मेरे तो करम फूट गये। बलात्कार की घटनाओं के कारण अलवर का नाम रोशन कर आये जो लोग, आज उनको आप मेरे सवाई माधोपुर में दे रहे हैं। आपका दोष नहीं है कहीं भी, मैं आपकी कहीं बुराई नहीं करता हूं। आपने मेरी योजनाओं को मंजूर किया, योजनाएं क्षेत्र में गयीं। बोरिंग हो चुकी है, पानी मिल गया। भण्डार मेरे यहां खूब, गंगा मैय्या खूब निकली है। चार-चार सौ फीट पर, तीन-तीन सौ फीट पर मीठा पानी निकला है। मेरे क्षेत्र के अन्दर, गंगा मैय्या की कृपा हुई है मेरे ऊपर। लेकिन बड़े दुःख की बात है, माननीय मंत्रीजी_(व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखें। मेरा तो यह निवेदन है_

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : समय तो बढ़ा दें ? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक :** रामस्वरूपजी की चर्चा समाप्त होने तक। (व्यवधान)

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल :** कल तो बढ़ाया नहीं, आज चला कर बढ़ा रहे हो।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आज ही तो प्रक्रिया के नियम 28 का रेफरेंस दिया है।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा था, आपने योजना दी, बोरिंग हो गयी, पानी मिल गया मुझे, लेकिन पानी मिलने के बाद में आपकी योजनाएं चालू नहीं हुई हैं, पाइप लाइनें नहीं बिछी हैं। 48 करोड़ की योजना मेरी केमरी ढ़ाणी की है, उसको मंजूर किया है आपने, तीन बोरिंग भी आपने मुझे उपलब्ध करा दिये, तीनों में पानी निकला है, पाइप लाइन पहुंच चुकी है, ठेका ठेकेदार को हो गया लेकिन छह महीने से वह यों की यों पाइप लाइन पड़ी हुई है। पैसा लग गया, पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए उनको आप चालू करवाएं।

आपने मेरे क्षेत्र में चार टकियां बनवायी हैं, चारों टंकियों में से एक टंकी भरती है खाली, तीन टंकियां आज तक नहीं भरी हैं। 48 आपने जी.एल.आर. बनवाये हैं मेरे क्षेत्र के अन्दर, गांवों में बनाये जाते हैं। 48 जी.एल.आर. में से, माननीय मंत्रीजी, सत्य निवेदन करता हूं, आप अच्छे मंत्री है मैं मानता हूं लेकिन विभाग के कर्मचारी अधिकारी आपको बदनाम कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया विराजें। भाषण समाप्त। आपका भाषण समाप्त।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** ओनली एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मांग रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपका भाषण समाप्त।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** आप उनकी जांच कराएं, उनको भराएं और चालू कराएं।

**श्री उपाध्यक्ष :** सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 5 जुलाई, 1996 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 21.00 बजे शुक्रवार, 5 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

---

## परिशिष्ट-1

### तारांकित प्रश्न संख्या 121 की सूची

### वर्ष 95-96 उच्च प्राथ. से मा. तथा मा. वि. से सी. मा. में क्रमोन्नत सूची

| रा. उ. प्रा. वि. से मा. वि. में क्रमोन्नत | | कक्षा 8 की छात्र संख्या |
|---|---|---|
| 1. ढाणीबोराज | जयपुर | 24 |
| 2. बालिका बगरूकलां | जयपुर | 56 |
| 3. छारिया | चूरू | 25 |
| 4. पाहड़सर | चूरू | 29 |
| 5. फीतासर | चूरू | 48 |
| 6. बालिका झाझड़ | झुंझुनूं | 26 |
| 7. डवेरवा | झुंझुनूं | 54 |
| 8. कवकू | बीकानेर | 55 |
| 9. बेसरोली | नागौर | 35 |
| 10. पडोद | नागौर | 35 |
| 11. शहर नं.6 डूंगरपुर | डूंगरपुर | 28 |
| 12. धुमडिया | जालौर | 27 |
| 13. कवराड़ा | जालौर | 27 |
| 14. बावड़ी | सीकर | 77 |
| 15. मोरडूंगा | सीकर | 24 |
| 16. गोडियाबड़ा | सीकर | 39 |
| 17. महुडा | चित्तौड़ | 48 |
| 18. जाणली | " " | 19 |
| 19. गण्डूसी | " " | 65 |
| 20. बुढ़वाल | " " | 46 |
| 21. बालिका सोतेली | " " | 23 |
| 22. काबेलाव | जोधपुर | 39 |
| 23. बरडोद | भीलवाड़ा | 17 |
| 24. अंधा देवरी | अजमेर | 37 |
| 25. पारा | " " | 33 |
| 26. टोडा | उदयपुर | 37 |
| 27. गोवर्धनविलास | " " | 58 |
| 28. बावडीसोड़ा | टोंक | 36 |
| 29. बोलावाली | हनुमानगढ़ | 40 |
| 30. तालफरा | भरतपुर | 38 |

| रा. उ. प्रा. वि से मा. वि. में क्रमोन्नत | | कक्षा 8 की छात्र संख्या |
|---|---|---|
| 31. बरेठा | धौलपुर | 40 |
| 32. रतनपुरा | " " | 23 |
| 33. मण्डोना | दौसा | 35 |
| 34. धोद | बाड़मेर | 30 |
| 35. कानोड़ | " " | 25 |
| 36. क्षत्रियों की बेरी | " " | 13 |
| 37. हमीरा | जैसलमेर | 20 |
| 38. फालका | पाली | 30 |
| 39. पैरवा | " " | 23 |
| 40. अन्दोर | सिरोही | 19 |
| 41. वा. पंचपहाड़ | झालावाड़ | 26 |
| 42. बोरखड़ी | कोटा | 26 |
| 43. मोहवा | स.मा. | 22 |
| 44. मोजीरा | " " | 35 |
| 45. गंडाल | " " | 34 |
| 46. नीचला धंडाला | बांसवाड़ा | 42 |
| 47. बागोल | राजसमंद | 36 |

**रा. मा. वि. वर्ष 95-96 में जनसहयोग से उ. प्रा. वि. से मा. वि. में क्रमोन्नत**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | सुक्लावास | जयपुर | 71 |
| 2. | देवता | जयपुर | 117 |
| 3. | ढाणी आसा | चूरू | 34 |
| 4. | नूहन्द | चूरू | 94 |
| 5. | सोटवाड़ा | झुंझुनूं | 34 |
| 6. | बसावा | झुंझुनूं | 60 |
| 7. | झांझा | झुंझुनूं | 45 |
| 8. | भूरीवास | झुंझुनूं | 45 |
| 9. | काजला | झुंझुनूं | 44 |
| 10. | पचेरी छोटी | झुंझुनूं | 53 |
| 11. | जैतपुरा | झुंझुनूं | 59 |
| 12. | कलाखरी | झुंझुनूं | 78 |
| 13. | बालिका पचेरीबड़ी | झुंझुनूं | 35 |
| 14. | बरेला | झुंझुनूं | 43 |
| 15. | बालिका-टमकोर | झुंझुनूं | 40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | नोखा चांदावतान | नागौर | 28 |
| 17. | बेरीकलां | " | 25 |
| 18. | बिदायाद | " | 48 |
| 19. | बाखली | चूरू | 35 |
| 20. | कुचामनसिटी नं 2 | नागौर | 130 |
| 21. | कुलोट कलां | झुंझुनूं | 70 |
| 22. | गोदरा स्टेशन | जालौर | 45 |
| 23. | काछवा | सीकर | 56 |
| 24. | पालड़ी | " | 58 |
| 25. | रतनाक माधोपुर | " | 58 |
| 26. | भोरण | " | 48 |
| 27. | बासनी | " | 35 |
| 28. | लाखनी | " | 51 |
| 29. | नेरठी (सुभाषनगर) | " | 41 |
| 30. | रोरूनड़ी | " | 41 |
| 31. | मांडला चारण | चित्तौड़ | 15 |
| 32. | सलारपुर | अलवर | 45 |
| 33. | माजरा | " | 56 |
| 34. | शेरपुर | " | 48 |
| 35. | बिलाहेड़ी | " | 55 |
| 36. | उतराणी ढाणी, लोहावट | जोधपुर | 45 |
| 37. | नासिका- नेकपुर | भरतपुर | 43 |
| 38. | मटोद | डूंगरपुर | 45 |

कुल योग 85 (सामान्य 47)

जनसहयोग 38/85

वर्ष 95-96 में मा. वि से सी. मा. वि में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची-

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | जिला | कक्षा 10 की छात्र संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | रा. सी. मा. वि | | |
| 1. | कालिजंरा | बांसवाड़ा | 106 |
| 2. | धमोतर | चित्तौड़ | 36 |
| 3. | रामगढ़ | डूंगरपुर | 61 |
| 4. | भीम | राजसमंद | 70 |
| 5. | फतहनगर | उदयपुर | 60 |
| 6. | छाणी | उदयपुर | 77 |
| 7. | खाटूश्यामजी | सीकर | 74 |
| 8. | खेड़िया | अलवर | 70 |
| 9. | माधोराजपुरा | जयपुर | 167 |
| 10. | कोठखावदा | जयपुर | 187 |
| 11. | खंडप | बाड़मेर | 41 |
| 12. | रामसीन | बाड़मेर | 51 |
| 13. | आऊ | जोधपुर | 92 |
| 14. | मोहनगढ़ | जैसलमेर | 40 |
| 15. | अनादरा | सिरोही | 57 |
| 16. | चामूण्डरी | पाली | 36 |
| 17. | राजियावास | अजमेर | 66 |
| 18. | बालिका-आसीन्द | भीलवाड़ा | 23 |
| 19. | रेण | नागौर | 104 |
| 20. | दरबार-टोंक | टोंक | 279 |
| 21. | हरिगढ़ | झालावाड़ | 141 |
| 22. | बज्जू | बीकानेर | 40 |
| 23. | बालिका रतनगढ़ | चूरू | 66 |
| 24. | टीब्बा बसई | झुंझुनूं | 108 |
| 25. | बालिका विजयनगर | गंगानगर | 36 |
| 26. | थालड़का | हनुमानगढ़ | 60 |
| 27. | चिकसाना | भरतपुर | 56 |
| 28. | कोयला | बांरा | 76 |
| 29. | जवाहरसागर बांध | बूंदी | 39 |
| 30. | रेल्वे स्टेशन-दौसा | दौसा | 55 |
| 31. | बालिका सुल्तानपुर | कोटा | 38 |
| 32. | खिरनी | स.मा. | 149 |

**जन सहयोग से क्रमोन्नत मा. वि. से सी. मा. वि. सूची वर्ष- 1995-96**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | रा. सी. मा. वि. | | |
| 1. | जखराना | अलवर | 124 |
| 2. | माणका | " | 88 |
| 3. | कानावात | " | 85 |
| 4. | डूंगरोली | " | 92 |
| 5. | कायला | " | 56 |
| 6. | बरसनी | भीलवाड़ा | 35 |
| 7. | शंभूगढ़ | " | 36 |
| 8. | बालिका-इस्लामपुर | झुंझुनूं | 75 |
| 9. | मीठड़ी | नागौर | 30 |
| 10. | बलोन्दा | झुंझुनूं | 60 |
| 11. | मोही | " | 60 |
| 12. | खान्दवा | " | 107 |
| 13. | सान्तोर | " | 185 |
| 14. | मीमसर | " | 90 |
| 15. | घरसाना खुर्द | " | 105 |
| 16. | किशनपुरा दिखनादा | हनुमानगढ़ | 55 |
| 17. | नवा | चूरू | 70 |

| | | |
|---|---|---|
| सामान्य | = | 32 |
| जनसहयोग | = | 17 |
| कुल योग | = | 49 |

**परिशिष्ट - 2**

**(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)**

## आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों पर व्यय

**124. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) एवं श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(1) वर्ष 1995-96 में आयुर्वेद विभाग द्वारा कर्मचारी वेतन, औषधियों एवं अन्य कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या सरकार गांवों में स्थित आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों पर अधिक राशि व्यय कर ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1995-96 में आयुर्वेद विभाग द्वारा कर्मचारियों के वेतन / भत्तों एवं अन्य

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

खर्चों पर स्वीकृत बजट के विरूद्ध निम्न प्रकार व्यय हुआ है :—

| लेखा-मद | | व्यय राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1. | संवेदन | 6214.92 |
| 2. | यात्रा-व्यय | 29.09 |
| 3. | चिकित्सा व्यय | 41.96 |
| 4. | अन्य व्यय | 444.79 |
| | योग | 6730.76 |

वर्ष 1995-96 में दवाईयों पर 208.28 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है।

(2) बजट में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ग्रामीण औषधालयों की औषधि की पर्याप्त आपूर्ति हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है।

## ए.सी.सी. सीमेन्ट उद्योग, लाखेरी के प्रदूषण प्रकरण

125. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लाखेरी स्थित एसीसी. सीमेन्ट उद्योग में लगाये गये वायु प्रदूषण संयंत्र से प्रतिदिन कई टन गर्म धूल निकलती है जिसे ठेकेदारों के माध्यम से उठवाकर पास ही अनुसूचित जाति/जनजाति/मुस्लिम बस्तियों में डाल दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गर्म धूल में फंसकर कई परिवारों के व्यक्ति जल गये/घायल हो गये ? यहां हां, तो क्या एसीसी. फैक्ट्री द्वारा डाली जाने वाली राख में जलकर जख्मी व मरने वाले व्यक्तियों का इलाज करवाया गया व मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि ? यदि नहीं तो, क्यों ?

(4) क्या सरकार एसीसी. उद्योग समूह की लापरवाही से होने वाली घटनाओं के प्रति उद्योग समूह पर उचित कार्यवाही करने व दुर्घटना में घायल व मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

### उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उद्योग में लगे वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (ई.एस.पी.) कुल सं. 3 से धूल निकलती है जो इन वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ लगे होपरों में एकत्रित होती है। उद्योग द्वारा दो ई.एस.पी. के धूल को वापस सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में काम लिया जाता है तथा तीसरे ई.एस.पी. की धूल को डम्परों के माध्यम से ठण्डी होने के बाद अपने ही परिसर में स्थित पुरानी खानों में डाल दिया जाता है। इन खानों के आस-पास के लगभग एक किमी. तक कोई आवासीय बस्ती नहीं है। व्यक्तियों या जानवरों के इस धूल में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त होने संबंधी कोई अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(3) प्राप्त सूचना अनुसार किसी भी बच्चे

(पर्यावरण मंत्री)

एवं व्यक्ति के जलने एवं मरने की जानकारी नहीं है।

(4) प्रश्न 3 के उत्तर को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता दिलवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## माड़ा योजना में सम्मिलित पंचायत समिति, नैनवां (बून्दी) के ग्राम

**126. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, नैनवां (जिला बून्दी) के विभिन्न ग्राम माड़ा योजना में सम्मिलित हैं? यदि हां, तो पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों के विकास के लिए माड़ा योजना/जनजाति क्षेत्रीय विकास की निर्धारित राशि में से कितने निर्माण कार्य 1 जनवरी, 1994 से 31 मई, 1996 तक की अवधि में स्वीकृत किये गये तथा इनमें से कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण रहे? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। माड़ा योजना में सम्मिलित ग्रामों की पंचायतवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त ग्रामों के विकास के लिए माड़ा योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1994 से 31 मई 1996 तक की अवधि में कुल 4 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 3 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं एक कार्य अपूर्ण है। स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपियां परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(सूची एवं प्रतिलिपियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## डाइमण्ड एण्ड जैम डवलपमेन्ट कारपोरेशन का लीज डीड प्रकरण

**127. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 14 जुलाई, 1992 को रीको ने डायमण्ड एण्ड जैम डवलपमेन्ट कारपोरेशन को जैम पार्क स्थापित करने हेतु आबंटित 105 एकड़ भूमि का मात्र 2 प्रतिशत भूमि पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में नोटिस दिया था? यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जैम पार्क स्थापित हेतु आबंटित भूमि की जांच सी.बी.आई. द्वारा कराये जाने के बारे में घोषणा की गई थी? यदि हां, तो सी.बी.आई. जांच में अब तक क्या प्रगति हुई?

(3) लीज डीड किन-किन बातों का उल्लंघन कब कब उक्त फर्म द्वारा किया गया?

(4) क्या सरकार जैम पार्क स्थापित करने हेतु आबंटित भूमि के आवंटन को निरस्त करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हाँ। डायमण्ड एण्ड जैम डवलपमेण्ट कारपोरेशन (डी.जी.डी.सी.) द्वारा

(उद्योग मंत्री)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी आई) से ऋण प्राप्त किया गया था एवं आबंटित 105 एकड़ भूमि की लीज डीड उनके पास ऋण के पेटे दिनांक 18.4.91 को बंधक रखी गई थी, इसलिये लीज डीड के प्रावधान 3(ए) के अन्तर्गत यह आवश्यक था कि वित्तीय संस्था को 90 दिन का नोटिस दिया जाये। अतः डी.बी.आई. को दिनांक 9 नवम्बर 1992 को रीको द्वारा नोटिस दिया गया।

आई.डी.बी.आई. ने दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को नोटिस का उत्तर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लीज डीड की धारा 2(डी) के तहत कम्पनी को 21 मई, 1994 तक का समय निर्माण कार्य पूरा करने एवं भूमि का उपयोग करने हेतु उपलब्ध होने तथा अन्य शर्तों का उनके अनुसार उल्लंघन नहीं होने से रीको द्वारा नोटिस वापिस लिया जावे। अतः रीको द्वारा आई.डी.बी.आई. को दिया गया नोटिस दिनांक 16.9.93 को वापिस लिया गया।

दिनांक 21.5.94 के पश्चात् भी कम्पनी द्वारा परियोजना के विकास हेतु कोई आशाजनक प्रगति नहीं की गई। अतः राज्य सरकार द्वारा आई.डी.बी.आई. को पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 1994 से यह सुझाव दिया गया कि कम्पनी के प्रबन्ध को आई.डी.बी.आई. द्वारा ले लिया जाए। रीको द्वारा परियोजना की क्रियान्वित हेतु सहयोग दिए जाने हेतु भी आश्वस्त किया गया।

आई.डी.बी.आई. से काफी समय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच कम्पनी द्वारा मैसर्स राधेश्याम बंसल (राधेश्याम बंसल ग्रुप) को वैकल्पिक प्रवर्तक के रूप में प्रस्तुत किया गया। मैसर्स राधेश्याम बंसल के प्रस्ताव पर आई.डी.बी.आई. ने उनके पत्र दिनांक 12.10.95 जो मै. डीजीडीसी. को सम्बोधित था, के द्वारा अपनी सहमति कुछ शर्तों के साथ व्यक्त की जिनमें एक शर्त यह भी थी कि प्रबन्ध के परिवर्तन एवं डीजीडीसी. पार्क के लिए संशोधित विकास के लिए रीको की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

आई.डी.बी.आई. के उक्त पत्र की प्रति मैसर्स बंसल ग्रुप द्वारा उनके पत्र दिनांक 30.10.95 से रीको एवं राज्य सरकार को प्रेषित की गई। आई.डी.बी.आई. द्वारा सहमति प्रस्ताव के अनुसार मैसर्स राधेश्याम बंसल द्वारा वित्तीय संस्थानों की बकाया का एक मुश्त भुगतान करना तथा पार्क को मैसर्स डी. जी. डी. सी. से लेकर उसका विकास करना प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं एवं डी. जी. डी. सी. से उक्त परियोजना आई.डी.बी.आई. के माध्यम से वापस लेकर रीको द्वारा विकसित कराए जाने का विकल्प प्रस्तावित किया गया है।

(2) जी, हां। उपलब्ध सूचना के आधार पर सी.बी.आई. द्वारा श्री एस.एन. शर्मा, तत्कालीन अध्यक्ष, हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी लि. के खिलाफ शिकायत पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.12.92 को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को प्रेषित की गई थी। भारत सरकार के पत्र 3.7.96 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री एस.एन. शर्मा, (जो अब डायमण्ड एण्ड जैन डवलपमेण्ट कारपोरेशन के अध्यक्ष है) हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी से सेवा निवृत हो चुके हैं अतः भारत सरकार की ओर से यह प्रकरण बन्द कर दिया गया है।

(उद्योग मंत्री)

(3) डायमण्ड एवं जैम डवलपमेण्ट कारपोरेशन द्वारा समय समय पर लीज डीड की शर्त संख्या 2(डी) निर्माण कार्य पूरा नहीं करने, 2(एन) आबंटित भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं करने, 2(वीं) रीको को वित्तीय वर्षवार लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करने एवम् 2(डब्ल्यू) रीको द्वारा की गई सिफारिशों के तहत व्यक्तियों को कम्पनी में नियुक्ति नहीं देने का उल्लंघन किया गया।

(4) जी, हां। जैसा कि प्रश्न के भाग—1 के उत्तर में बताया गया है, राज्य सरकार आई.डी.बी.आई. से वार्ता कर डायमण्ड एवं जैम डवलपमेण्ट कारपोरेशन से भूमि वापस लेकर जैम स्टोन पार्क को रीको द्वारा विकसित कराए जाने का विचार रखती है।

## नवाब पाहसू (जयपुर) की भूमि पर अनधिकृत कब्जे

**128. श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :** क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एम.एल.ए. क्वाटर्स के पास स्थित नवाब पाहसू (श्री मुमताजुदोला) की कितनी भूमि वक्फ बोर्ड के पास है? उसमें से कितनी भूमि बोर्ड ने किराये पर दे रखी है? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त भूमि पर क्या लोगों ने अवैध कब्जे भी कर रखे हैं? यदि हां, तो किन-किन द्वारा?

(3) क्या वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध कब्जाधारियों से उक्त भूमि खाली कराने संबंधी कोई कार्यवाही पूर्व में की गयी है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। एम.एल.ए. कवाटर्स के पास स्थित नवाब पाहसू की भूमि वक्फ बोर्ड के पास नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

## पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

**129. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) एवं श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय संविधान में संशोधनों के बाद पंचायतों का नया स्वरूप सामने आया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने नए अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाकर पंचायतों को विकास की दृष्टि दी है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में इस संदर्भ में किये गए प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भारतीय संविधान संशोधन की मंशा अनुसार सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार दिये जाने चाहिये? यदि हां, तो इस संदर्भ में सम्पादित कार्यवाही कर विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नवीन पंचायत अधिनियम के राजस्थान में प्रभावी होने की तिथि से सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम बनाये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। भारत सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किये जाने से उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष में नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 दिनांक 23.4.94 से प्रभावशील हुआ है। अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया था, परन्तु इसी दौरान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर आयोग की रिपोर्ट को विधान सभा में माह मार्च, 95 में रखा गया था। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु एक ही प्रकार के नियम बनाये जाने व अन्य प्रावधानों संबंधी सिफारिशें की गई थी। तदनुरूप नये परिप्रेक्ष में तैयार किये गये नियमों के प्रारूप में राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वांछित परिवर्तन किये जाने हेतु विधायकों, प्रधानों, सरपंचों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों से विस्तार में विचार-विमर्श किया गया।

उक्त सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के अनुभव एवं सुझावों के मध्येनजर आवश्यक संशोधन कर नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी, हां। भारतीय संविधान की मंशा अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार देने तथा अन्य विभागों से कुछ स्कीमें और हस्तान्तरित किये जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन चल रहा है।

(3) राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 बनाये जाकर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव माह जनवरी, 1995 में कराये जा चुके हैं। अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज नियमों का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। नियमों के प्रारूप में संशोधन एवं समीक्षा कर प्रश्न के भाग एक में दर्शाये अनुसार अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही चल रही है। नवीन नियम तैयार होकर प्रभावी हो जाने पर इनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

## कृषि उपज मंडी समिति, नागौर द्वारा स्वीकृत सड़कें

130. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में कृषि मण्डी के तहत वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई ?

(2) नागौर जिले में स्वीकृत हुई सड़कों में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 व 1995-96 में मण्डीवार स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत हुई सड़कों की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

217

परिशिष्ट–"अ"

नागौर जिले के अन्तर्गत वर्ष 94-95 व 95-96 में मण्डीवार स्वीकृत सड़कों का विवरण

**(1) कृषि उपज मण्डी समिति, नागौर**

**वर्ष 1994-95**

1. डेह से कमेडिया
2. अड़वड़ से करानाऊ
3. दधीमति माताजी से रांगा
4. डेह से सैराट
5. डेह से दोतीना।

**वर्ष 1995-96**

1. उचाईडा से पीडीया
2. गुगराली से गुगराली गुड़ा
3. माडपुरा से आधीणा
4. एप्रोच रोड़ दुगोली

**(2) कृषि उपज मण्डी समिति, मेड़तासिटी**

**वर्ष 1994-95**

1. सं.स कत्यासनी से आकेली
2. " आकेली से गेमलियावास
3. " कूपड़ास से रोलचन्दावता
4. " गन्डिया से मोकाला
5. " मेड़तासिटी से चून्दिया
6. " पून्दल से गगराना
7. " रेन से जावती
8. " मेड़तासिटी से सोगावास
9. " थाट बस स्टेण्ड से थाट गांव
10. " रिया-जसनगर रोड़ से सूरियास
11. " पाटूकलों से केरिया माकड़
12. " जारोड़ा से ढाणी बिश्नोईयान
13. " अरनियाला से खेड़ा किशनपुरा
14. " खाखड़ की रोड़ से हिरनखुरी
15. सं. सं. डांगावास से रासलियावास

16. स.सं. बायड़ की प्याऊ से लूणियास
17. " धोरिया से डूकिया
18. " सोगावास से खेड़ली
19. " मेड़तारोड़ से जारोड़ा
20. " जसनगर से सूरपुरा
21. " लाम्पोलाई से मणिकियावास
22. " रेहला से नरसिंहवासनी
23. " मेड़तारिया रोड़ से जाटावास
24. " पादूकला से सथाना कलाँ

**वर्ष 1995-96**

1. सं.सं. मेड़तासिटी से मोररा
2. " लाम्बाजाटान से दिया श्यामदास
3. " छापरी से ढावा
4. " लाम्बाजाटान से गन्ठिया

**(3) कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना**

**वर्ष 94-95**

1. सं.स. खादू खुनखुना से पीड़वा
2. " भरनावा से मनु
3. " खारिया से बैमोठ
4. " बाकलिया से बालसमन्द
5. " खुनखुना से रूवा
6. " निम्बीजोधा से मालगाँव
7. " डीडवाना रेल्वे स्टेशन से अमरपुरा
8. " केराप से भण्डारी (मिसिंग लैन्थ)

परिशिष्ट—"ब"

**नागौर जिले के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत हुए सड़कों का विवरण**

| क्र.सं. | नाम सम्पर्क सड़क | विधान सभा क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | देऊ से दोतीना | नागौर |
| 2. | डेह से कमेड़िया | जायल |
| 3. | अहतड़ से कसनाऊ | " |
| 4. | दधी मति माताजी से रातंगा | " |
| 5. | डेह से खेराट | " |
| 6. | ऊंचाईड़ा से पिडिया | " |
| 7. | गुगराती से गुगराती गुडा | " |
| 8. | अप्रोच रोड़ दुगोली | " |
| 9. | कल्यासनी से आकेली | मेड़ता |
| 10. | आकेली से गेमलियावास | " |
| 11. | गन्ठिया से मोकाला | " |
| 12. | मेड़तासिटी से चून्दिया | " |
| 13. | पून्दलू से गगराना | " |
| 14. | रेन से जावती | " |
| 15. | मेड़तासिटी से सोगावास | " |
| 16. | धाट बस स्टेन्ड के घाट गाँव | " |
| 17. | रिया जनसनगर रोड़ से सूरियान | " |
| 18. | जारोड़ा से ढाणी विश्नोईयान | " |
| 19. | अरनियाला से किशनपुरा | " |
| 20. | आखड़ की रोड़ से हिरपुरी | " |
| 21. | डांगावास से रासलियावास | " |
| 22. | बायड़ की प्याऊ से लूणियास | " |
| 23. | धनेरिया से डूकिया | " |
| 24. | सोगावास से खेड़ली | " |
| 25. | जसनगर से सूरपुरा | " |
| 26. | लाम्पोलाई से माणकियावास | " |
| 27. | मेड़ता रिया रोड़ से नाटावास | " |
| 28. | मेड़तासिटी से मोररा | " |
| 29. | लाम्बामाटान से रिया श्यामदास | " |
| 30. | लाम्बापाटान से गन्डिया | मेड़ता |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 31. | मेड़तारोड़ से जारोड़ा | 2 कि.मी. मेड़ता<br>5 कि.मी. मुण्डवा |
| 32. | माडपुरा से आचिणा | मूण्डवा |
| 33. | कूपड़ास से रोलचन्दावता | " |
| 34. | छापरी से डावा | " |
| 35. | पादूकलॉं से केरिया माकड़ | डेगाना |
| 36. | देहला से नरसिंहवालसनी | " |
| 37. | पादूकलॉं से सथाना कलॉं | " |
| 38. | खाटू खुनखुना से पिड़वा | डीड़वाना |
| 39. | खुनखुना से रूवा | " |
| 40. | केराप से भण्डारी (मिसिंग लैन्थ) | " |
| 41. | बरनावा से बनु | लाडनूं |
| 42. | खारिया से बेमोठ | " |
| 43. | बाकलिया से बालसमन्द | " |
| 44. | निम्बी जोधा से मालगॉंव | " |
| 45. | डीडवाना रेल्वे स्टेशन से अमरपुरा | " |

## पंचायत विभाग में अध्यापकों के पदों का सृजन

**131. श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज विभाग में अध्यापकों के पदों का सृजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो इसके मानदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सत्र प्रारम्भ होने के बाद उस सत्र में पद-स्थापित किये जाने वाले अध्यापकों की मांग पंचायत विभाग द्वारा अक्टूबर से दिसम्बर के बीच की जाती है तथा शिक्षा विभाग द्वारा पद मार्च अप्रेल तक सृजित किये जाते हैं ? यदि हां, तो उस सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों को शिक्षा सुविधा को व्यवस्था किस प्रकार की जाती है ?

(3) क्या सरकार प्रतिवर्ष अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाले छात्रों के अनुपात से सत्र के प्रारम्भ में ही अध्यापकों के पद सृजित किये जाने की व्यवस्था हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से, और नही, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

### उत्तर

(1) जी, हां। प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय के लिए दो तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले

(शिक्षा मंत्री)

जाने के तुरन्त बाद शिक्षा विभाग को पद सृजन के प्रस्ताव प्राप्त होते ही पद एवं प्रावधान की स्वीकृति जारी की जाती है। विद्यालय खोले जाने तथा पद सृजित होने तक की अवधि के दौरान छात्रों को शिक्षा की सुविधा निरन्तर उपलब्ध कराने के लिए पूर्व स्वीकृत पदों में से प्रति विद्यालय एक शिक्षक उपलब्ध करा दिया जाता है।

(3) विद्यालयों में यदि छात्र संख्या निर्धारित संख्या से अधिक है तो ऐसे विद्यालयों में अध्यापकों के पद समय-समय पर समानीकरण व्यवस्था एवं वित्तीय प्रावधान उपलब्धता की स्थिति से अतिरिक्त पदों के सृजन द्वारा उपलब्ध कराने की यथा समय प्रयास किये जा सकेंगें।

(4) राज्य में प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु सीड़ा के सहयोग से शिक्षाकर्मी एवं लोकजुम्बिश परियोजना संचालित है। साथ ही यूनिसेफ के सहयोग से गुरुमित्र योजना प्रारम्भ की गई है। नामांकन एवं ठहराव बनायें रखने के लिये निःशुल्क, पाठ्य पुस्तक वितरण योजना संचालित है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरस्वती योजना प्रारम्भ की गई।

## वैधशाला (जन्तर-मन्तर) जयपुर का रख-रखाव

**132. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) एवं श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली)** : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वारा अंतरिक्ष अध्ययन के लिए निर्मित करवाई गई वेधशाला (जन्तर-मन्तर) उचित एवं पर्याप्त देखभाल न होने, उसके परिसर में अनावश्यक घासफूस, कंटीली झांडियां उग आने, गंदगी फैल जाने तथा बरसात के पानी की उचित निकासी नहीं होने के कारण अपना महत्व और आकर्षण दिन-प्रतिदिन खोती जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वैधशाला की दुर्दशा का मुख्य कारण इसकी देखभाल की जिम्मेदारी दो विभागों के जिम्मे होना एवं उनमें आपस में समन्वय नहीं होना है ?

(3) क्या सरकार वेधशाला के महत्व और आकर्षण को यथावत बनायें रखने की दृष्टि से ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

### उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। वैधशाला के महत्व और आकर्षण को यथावत बनाये रखने हेतु पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग पूर्ण रूपेण सजग है। इसके रख-रखाव, सफाई एवं यंत्रों की मरम्मत का कार्य वर्ष 1995-96 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा कराया गया है।

पर्यटन विभाग द्वारा सरंक्षण के महत्वपूर्ण कार्य कराने हेतु 30.61 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (उद्यान) द्वारा भी बाग व लॉन के बेहतर रख-रखाव के प्रयास किये जा रहे हैं।

(राज्य मंत्री, पुरातत्व)

नगर निगम जयपुर द्वारा वैधशाला के नाले की सफाई की जा रही है।

## सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के चुनाव

**133. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के चुनाव सम्पन्न हो चुके है ? यदि हां, तो शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी उपभोक्ता "संघ कानफैड" के चुनाव क्यों नहीं हुए ?

(2) क्या सरकार "कानफैड" के चुनाव करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि अन्य शीर्ष संस्थाओं के चुनाव भी बकाया है ? यदि हां, तो उनके चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

(4) क्या सहकारी संस्थाओं में गतिशीलता लाने हेतु सरकार निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राज्य के सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार सवाईमाधोपुर, जोधपुर, पाली, चुरू एवं जैसलमेर के अलावा सभी के निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के निर्वाचित संचालक मण्डल में दो प्रतिनिधि क्रय विक्रय सहकारी समितियों से तथा एक प्रतिनिधि शीर्ष संस्थाओं से निर्वाचित होने का प्रावधान है। अतः इन संस्थाओं के संचालक मण्डल के चुनाव नहीं होने के कारण उपभोक्ता संघ के चुनाव नहीं कराये जा सके हैं।

(2) जी, हां, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं शीर्ष संस्थाओं के निर्वाचन के पश्चात् इनके निर्वाचन शीघ्र कराये जाने का विचार है।

(3) अधिनियान्तर्गत जिन शीर्ष संस्थाओं के चुनाव बकाया हैं, उनकी सदस्य संस्थाओं के निर्वाचन के पश्चात् शीघ्र इनके चुनाव कराये जाने का विचार है।

(4) जी नहीं, क्योंकि वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है।

## राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों में कार्यरत आयुर्वेद कर्मी

**134. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? इन औषधालयों में कितने डॉक्टर्स के पद रिक्त हैं ?

(2) रिक्त पदों को भरने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में कई ट्रेण्ड आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो कितने ट्रेण्ड आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर बेरोजगार हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन ट्रेण्ड बेरोजगार आयुर्वेदिक कम्पाउण्डरों को रोजगार देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में विभागान्तर्गत 78 आयुर्वेद चिकित्सालय एवं 3433 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। इन चिकित्सा संस्थाओं में डॉक्टर्स ने कोई पद सृजित नहीं है वरन् आयुर्वेद चिकित्सक/वैध पद सृजित हैं।

(2) 63 विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सक/वैध पदस्थापित नहीं हैं।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है यदि फिर भी पद रिक्त रहे तो राज्य सरकार नियुक्ति हेतु नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही करेगी।

(3) जी, हां। विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1025 ट्रेण्ड आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर वर्तमान में रोजगार की तलाश में हैं।

(4) जी, हां। विभागान्तर्गत नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार नियुक्ति प्रदान कर ट्रेण्ड आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डरों को रोजगार देने का राज्य सरकार का विचार है। नर्स/कम्पाउण्डर के 158 रिक्त पदों पर नियुक्ति देने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं, नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

## पाली जिले की वन विकास योजनाएं

**135. श्री ख़ंगार सिंह चौधरी (खारची) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में वन विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं चालू हैं? योजनाओं का विवरण वर्ष 1994-95 व 1995-96 में मदवार स्वीकृत बजट एवं व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्षों में वृक्षारोपण किया गया? यदि हां, तो कहां-कहां कितने-कितने वृक्ष लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।*

(3) पाली जिले के नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे मार्गों पर सूखे वृक्षों की लकड़ी से गत 5 वर्षों में हुई आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में वन विभाग की योजनाओं की सूची एवं वर्ष 1994-95 व 1995-96 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत बजट एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार प्रस्तुत है।

(2) जी हां। स्थलवार लगाए गये पौधों की सूची परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत है।

(3) वन विभाग को पाली जिले के हाईवे मार्गों पर सूखे वृक्षों की लकड़ी से गत 5 वर्षों में कोई आय नहीं हुई है।

**(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## राज्य के बेरोजगार डॉक्टर्स/इन्जीनियर्स को भत्ता

**136. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) :** क्या नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार हैं?

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

**(2) सरकार उपरोक्त शिक्षित बेरोजगारों को किस प्रकार रोजगार प्रदान करने का विचार रखती है ?**

(3) क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह उपरोक्त बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान राज्य (प्रदेश) के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर दिनांक 31 मई, 1996 को 2003 डॉक्टर्स, 4276 इंजीनियर्स, 4932 डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स एवं 13838 पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार हैं।

(2) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 1996 में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयन होने पर 267 नये तथा 311 तदर्थ कुल 578 चिकित्सकों को नियुक्तियां दी गई, शेष रिक्तियों के लिये विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से प्राप्त प्रतिक्षा सूची के अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र मांगे गये हैं।

जनशक्ति विभाग के माध्यम से वर्ष 1995-96 में विभिन्न विभागों में 297 अभियान्त्रिकी स्नातकों एवं 149 डिप्लोमाधारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर द्वारा उसके अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल स्थापित करने के लिये भूखण्ड पूर्व चिन्हित (ईयर मार्क्स) करने का प्रावधान है।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत छोटे अस्पताल व नर्सिंग होम स्थापित करने के लिये ऋण सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। उक्त निगम द्वारा टेक्नोक्रेटस को बिना मार्जिनमनी के उदार शर्तों पर 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

सामान्य शिक्षित आशार्थियों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं का रोजगार/उद्यम स्थापित करने के लिये जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से एक लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियां खनिज नीति आदि से भी निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

(3) वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा युवकों का चयन

**137. श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत कुछ युवकों का चयन कर लाभान्वित करने के लिये बैंकों में नाम भिजवाए गये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1995-96 में पंचायत समिति, लाडनूं और डीडवाना क्षेत्र के किन-किन युवकों का चयन कर किस-किस बैंक को कब-कब नाम भेजे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरज़ीराम बुरडक)

(2) क्या इनमें से किन्हीं व्यक्तियों को बैंकों ने लाभान्वित किया है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बैंकों द्वारा समय पर उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 14 नवम्बर, 1995 को ग्राम ध्यावा पंचायत समिति लाडनूं के बिहारी लाल का नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा लाडनूं को भेजा गया ? यदि हां, तो बैंक द्वारा उक्त को कब लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? विभाग द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि भेजे गये नामों के व्यक्तियों को बैंक समय पर सहायता नहीं कर उनको परेशान कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

### उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995-96 में पंचायत समिति डीडवाना व लाडनूं के चयनित युवकों की सूची बैंकवार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। बैंकों को प्रेषित 161 प्रार्थना पत्रों में से बैंकों द्वारा 77 अभ्यार्थियों को ऋण स्वीकृत किया है। 30 अभ्यार्थियों को ऋण उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया गया है, जो परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित है।

(3) जी नहीं। योजनान्तर्गत नागौर जिले के लिए 505 अभ्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 515 अभ्यार्थियों को ऋण स्वीकृत किए गये, 282 को मई, 1996 तक बैंकों द्वारा ऋण वितरित किए गये। शेष स्वीकृत प्रकरणों में मार्च, 1997 तक योजनानुसार ऋण वितरित किया जा सकता है।

उद्योग विभाग द्वारा शीघ्र ऋण वितरण कराने के लिए किए गये, प्रयास परिशिष्ट "आ" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। श्री गिरधारी लाल ग्राम ध्यावा, पंचायत समिति लाडनूं का नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का शाखा लाडनूं को दिनांक 30.10.95 को भेजा गया है और जिला उद्योग केन्द्र, नागौर के पत्र दिनांक 4.11.95 द्वारा अभ्यार्थी को उनके आवेदन पत्र को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा लाडनूं को भेजने के संबंध में सूचित किया है।

श्री बिहारीलाल को बैंक द्वारा लाभान्वित नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया लाडनूं को वर्ष 95-96 में 5 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य आबंटित किए गए थे, जिसकी पूर्ति बैंक द्वारा की जा चुकी है। नियमानुसार 5 लक्ष्यों के विरुद्ध संबंधित बैंक को 11 चयनित व्यक्तियों के आवेदन पत्र श्री बिहारीलाल सहित भिजवाये गये थे तथा बैंक द्वारा इनमें से 5 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया जाकर भुगतान किया जा चुका है।

(5) जी नहीं। विभाग को न तो इसकी जानकारी है और ना ही इसकी कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## कोटड़ा व झाड़ोल (उदयपुर) के राष्ट्रीयकृत मार्ग

**138. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति कोटड़ा एवं झाड़ोल जिला उदयपुर में कौन-कौन सा मार्ग कब-कब राष्ट्रीयकृत किया गया तथा प्रत्येक मार्ग पर कितनी-कितनी बसें संचालित की जा रही हैं? समय सारिणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बसों के ओवरलोडिंग होने के कारण गोगुन्दा, कोटड़ा एवं झाड़ोल क्षेत्र में आये दिन बसें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, जिससे भारी जान माल का नुकसान होता है? यदि हां, तो वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक निगम की कितनी बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई?

(3) क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि को देखते हुये निगम की नई बसों की संख्या में वृद्धि करने या निजी बसों की परमिट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) पंचायत समिति कोटड़ा एवं झाड़ोल जिला उदयपुर में उदयपुर से कोटड़ा वाया नाई, उन्दरी, झाड़ोल, फलासिया, सोम मार्ग का राष्ट्रीयकरण दिनांक 1.12.83 से किया गया था। इस मार्ग पर वर्तमान में दैनिक 12 वाहनों द्वारा 26 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। मार्गवार संचालित सेवाओं की समय-सारिणी दर्शाते हुये विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1994-95 से 1996-97 (माह जून, 96 तक) के दौरान उदयपुर से झाड़ोल, कोटड़ा एवं उदयपुर से गोगुन्दा मार्गों पर निगम की वाहनों से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। अपितु दो निजी बसों की दुर्घटना इस क्षेत्र में हुई, जिसमें 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(3) वर्तमान में उपलब्ध यात्री भार को देखते हुये सोम से डूंगरपुर वाया बावलवाड़ा, खैरवाड़ा होते हुये वाहन संचालन का निर्णय निगम ने ले लिया है। निजी वाहनों के लिए अराष्ट्रीकृत मार्गों पर परिमिटों की कोई सीमा नहीं है।

(राज्य मंत्री, यातायात)

## उदयपुर-कोटड़ा वाया झाड़ोल-फलासिया-सोम मार्ग पर संचालित बस सेवाओं की समय सारिणी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उदयपुर | कोटड़ा | कोटड़ा | उदयपुर | |
| 05.45 | 11.40 | 07.00 | 12.45 | वाया झाड़ोल-फलासिया-सोम |
| 12.15 | 18.00 | 14.15 | 20.10 | |
| उदयपुर | विजयनगर | विजयनगर | उदयपुर | |
| 06.45 | 11.45 | 14.00 | 19.00 | वाया झाड़ोल-फलासिया-सोम |
| उदयपुर | सोम | सोम | उदयपुर | |
| 07.45 | 11.55 | 07.15 | 11.15 | वाया झाड़ोल-फलासिया |
| 09.00 | 13.00 | 12.15 | 16.25 | |
| 16.15 | 20.15 | 14.00 | 18.00 | |
| उदयपुर | अदकालिया | अदकालिया | उदयपुर | |
| 10.00 | 13.00 | 06.45 | 09.45 | वाया झाड़ोल |
| 13.00 | 16.00 | 14.00 | 17.00 | |
| उदयपुर | पानरवा | पानरवा | उदयपुर | |
| 14.15 | 19.00 | 07.00 | 11.45 | वाया झाड़ोल-फलासिया-सोम |
| उदयपुर | देवास | देवास | उदयपुर | |
| 15.00 | 18.00 | 06.00 | 09.00 | वाया झाड़ोल |
| उदयपुर | थोबावाड़ा | थोबावाड़ा | उदयपुर | |
| 17.00 | 20.00 | 07.30 | 10.30 | वाया झाड़ोल |
| उदयपुर | फलासिया | फलासिया | उदयपुर | |
| 18.00 | 21.30 | 06.00 | 09.30 | वाया झाड़ोल |
| उदयपुर | खोखारा | खोखारा | उदयपुर | |
| 11.00 | 15.00 | 10.00 | 14.30 | वाया झाड़ोल-फलासिया-सोम |

## विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर (भरतपुर) के विद्यालय भवन

**139. श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में कितने व कहां-कहां प्राथमिक विद्यालय भवन रहित हैं? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? भवन रहित विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में गत बाढ़ से कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालयों के भवन नष्ट या क्षतिग्रस्त हुये? सूची सदन को मेज पर रखें। क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में 9 नवीन प्राथमिक विद्यालय भवन रहित हैं। इनके भवन निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। भवन रहित विद्यालय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर की पंचायत समिति, कुम्हेर व सेवर में बाढ़ से 97 प्राथमिक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इनकी मरम्मत की कार्यवाही वर्षा के बाद ही संभव होगी।

---

## भवन रहित विद्यालयों की सूची विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर

**पंचायत समिति कुम्हेर**

| क्र.सं. | भवन रहित विद्यालय का नाम | ग्राम | ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रा.वि. भवन निर्माण | पछांदरा | थैरावर |
| 2. | -"- -"- | नमोती | पाहुआ |
| 3. | -"- -"- | न. विरहरू | विरहरू |
| 4. | -"- -"- | बनी | भटावली |
| 5. | -"- -"- | न. गोलासिंह | हेलक |
| 6. | -"- -"- | न.ग्यासिया | हेलक |
| 7. | प्रा.वि.कन्या गुदावली | गुदावली | गुदावली |
| 8. | प्रा.वि. कन्या बासंरौली | बांसरौली | गुदावली |

**विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर पंचायत समिति सेवर**

| क्र.सं. | भवन रहित विद्यालय का नाम | ग्राम | ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|
| 9. | — | अचलपुरा | मुरवारा |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवम् सचिव,
जिला परिषद, भरतपुर।

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

## गत वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय भवनों की सूची
## विधानसभा क्षेत्र कुम्हेर

| क्र. सं. | प्राथमिक विद्यालय का नाम | ग्राम | ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रा. शा. भवन | पचौरा | विरहरू |
| 2. | -"- | चक मीना | सैत |
| 3. | -"- | रन्धीरपुरा | -"- |
| 4. | -"- | गागंरसाती | -"- |
| 5. | -"- | रारह | रारह |
| 6. | -"- | न. चोबा | -"- |
| 7. | -"- | सांतरूक | सांतरूक |
| 8. | -"- | न. चौधरी | -"- |
| 9. | -"- | न. बछैइयां | रारह |
| 10. | -"- | बुरांवई | रारह |
| 11. | -"- | चिमनी | आजउ |
| 12. | -"- | चकवनी | भटावली |
| 13. | -"- | विलावटी | सिकरोरी |
| 14. | -"- | न. जीवना | सोगर |
| 15. | -"- कन्या सोगर | सोगर | सोगर |
| 16. | प्रा. शा. भवन | सोगर | सोगर |
| 17. | -"- | चक सितारा | पला |
| 18. | -"- | इन्दु | कुम्हा |
| 19. | -"- | अघैयाकला | लम्बन |
| 20. | -"- | सैथरी | कूम्हा |
| 21. | -"- | समन | दादू |
| 22. | -"- | अजान | अजान |
| 23. | -"- कन्या अजान | अजान | अजान |
| 24. | -"- | न. अजान | अजान |

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

| क्र. सं. | प्राथमिक विद्यालय का नाम | ग्राम | ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|
| 25. | प्रा. शाला | समौला | अभीरी |
| 26. | -"- | अस्तावन | अस्तावन |
| | | कदीम | -"- |
| 27. | -"- | अस्तावन | -"- |
| | | जदीम | |
| 28. | -"- | गुदावली | गुदावली |
| 29. | -"- | बांसरौली | बांसरौली |
| 30. | -"- | जोधेला | महरावर |
| 31. | -"- | खेड़ा कारौली | अस्तावन |
| 32. | -"- | पीढी | अस्तावन |
| 33. | -"- | न. करौती | -"- |
| 34. | -"- | विरहरू | विरहरू |
| 35. | -"- | गुहावली | गुदावली |
| 36. | -"- | मोरोदा | पपरेरा |
| 37. | -"- | बसोखर | -"- |
| 38. | प्रवि. | खन्सवाड़ा | पपरेरा |
| 39. | -"- | भटावली | भटावली |
| | कन्या | | |
| 40. | प्रा.शा. | न. नवाब | -"- |
| 41. | -"- | क्वारदिया | धनवाड़ा |
| 42. | -"- | अजयपुरा | सिंकरोरी |
| 43. | -"- | दहवा | विरहरू |
| 44. | -"- | लांकी | थैरावर |
| 45. | -"- | सावौरा | सावौरा |
| 46. | -"- | अवांर | अवांर |
| 47. | -"- | बौराई | वावैन |
| 48. | -"- | न. जोधसिंह | डहरा |
| 49. | -"- | न. बोहरा | -"- |
| 50. | | न. जीवना | -"- |

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

| क्र. सं. | प्राथमिक विद्यालय का नाम | ग्राम | ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|
| 51. | -"- | इन्दरपुरा | धनवाड़ा |
| 52. | -"- | सत्यपुरा | रुंधहेलक |
| 53. | -"- | किशनपुरा | धनवाड़ा |
| 54. | -"- | सैथरी | कूम्हा |
| 55. | -"- | जया | उसरानी |
| 56. | -"- | न. बघेर्रा | बैलाराकलां |
| 57. | -"- | न. माम्भी | -"- |
| 58. | -"- | कुरवारां | थैरावर |
| 59. | -"- | जरहरा | धनवाड़ा |
| 60. | -"- | न. मैथना | धनवाड़ा |
| 61. | -"- | जहांगीरपुर | पिचूमर |
| 62. | -"- | कन्या सिकरोरी | सिकरोरी |
| 63. | -"- | सुनारी | अभीर्रा |
| 64. | -"- कन्या | आजउ | आजउ |
| 65. | प्रा.शा.भवन | विजय नगर | रुंध हेलक |
| 66. | -"- | रुंध हेलक | -"- |
| 67. | -"- | वावैन | वावैन |
| 68. | -"- | सैह | -"- |
| 69. | -"- | पपरेरा | पपरेरा |
| 70. | -"- | सत्यनगर | रुंध हेलक |
| 71. | -"- | आदर्शनगर | |
| 72. | -"- | न. आजउ | आजउ |
| 73. | -"- | आजउ | -"- |
| 74. | -"- | चौकीपुरा | वावैन |
| **पंचायत समिति सेवर** | | | |
| 75. | प्रा.शा. | हिण्डौला | झारौली |
| 76. | -"- | झारौली | -"- |
| 77. | गढ़ी जालिम सिंह | सिंह | झारौली |
| 78. | -"- | विसदा | झारौली |
| 79. | -"- | चितौकरी | -"- |
| 80. | -"- | सिनपिनी | मूढौता |

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

| क्र. सं. | प्राथमिक विद्यालय का नाम | ग्राम | ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|
| 81. | -"- | बांसीखुर्द | बांसीखुर्द |
| 82. | -"- | वसुआ | -"- |
| 83. | प्रा.शा. | वांसीकला | -"- |
| 84. | -"- | वमनपुरा | लुधवई |
| 85. | प्रावि. | धर्मपुरा | लुधवई |
| 86. | -"- | वगधारी | पार |
| 87. | -"- | ढांड | महुआ |
| 88. | -"- | घाघोली | |
| 89. | -"- | महुआ | महुआ |
| 90. | -"- | अनीपुर | माढौनी |
| 91. | -"- | अड्डा | |
| 92. | -"- | कसौदा | -"- |
| 93. | -"- | नगलाबन्ध | -"- |
| 94. | -"- | गिरधरपुर | मुरवारा |
| 95. | -"- | टहरकी | मूढौता |
| 96. | -"- | न. बिलौठी | बिलौठी |
| 97. | -"- | सैंथरा | -"- |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवम् सचिव,
जिला परिषद, भरतपुर।

## इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सेम की रोकथाम के उपाय

**140. श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में उत्पन्न सेम की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1994-95 से सिंचित क्षेत्र विकास विभाग में एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रकोष्ठ ने लूणकरणसर, वडौपल व अन्य क्षेत्रों में सेम समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाये ?

(2) भविष्य में सेम समस्या की रोकथाम एवं सावधानी बरतने के लिए काश्तकारों, नहर अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों एवं कृषि प्रसार अधिकारियों के लिये क्या सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं ?

**उत्तर**

(1) एक ड्रैनेज सैल का गठन आयुक्त क्षेत्रीय विकास, बीकानेर के कार्यालय में किया गया था।

आयुक्त क्षेत्रीय विकास, कार्यालय को तीन वर्षीय जल-भराव समस्या निवारण व सुधार परियोजना (1994-95 से 96-97) के क्रियान्वयन का कार्यभार सौंपा गया जिसके अन्तर्गत कई प्रकार के अभियांत्रिकी व अभियांत्रिकी कार्य प्रारम्भ करने थे। इस कार्य योजना के अन्तर्गत जल-भराव की समस्या से बचने हेतु इम्प्रूव्ड वाटर एप्लीकेशन मैथड, बायोड्रैनैज व सुधारात्मक उपायों के अनुरूप प्रायोगिक तौर पर कुछ क्षेत्रों से पम्पों द्वारा जल निकाल कर नहर प्रणाली में डालना व वर्टीकल ड्रैनेज व भूमिगत जल-निकास के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

इस ड्रैनैज सैल द्वारा अब तक किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) सेम की समस्या की रोकथाम हेतु कृषकों में जागृति लाना कृषि प्रसार अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में शिविर लगाकर नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। अतिरिक्त एवं आवश्यकता से बड़े मार्गों का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये हैं व कृषकों की खालों के किनारे व खेतों के मैड पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

---

**परिशिष्ट "अ"**

**इ.गा.न.प. परियोजना क्षेत्र में जल भराव रोकने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का विवरण**

1. लूनियों की ढाणी व डबली खुर्द के 319 बीघा क्षेत्र का चयन कर डीजल पम्पों से पानी निकालने का कार्य किया।

2. इ.गा.न.प. द्वितीय के मुख्य नहर व सहारे व कवरसैन लिफ्ट क्षेत्र में 92.24 हैक्टर क्षेत्र में से 54.31 हैक्टर पानी निकाल कर सुखाया गया।

3. जल भराव क्षेत्र में 4716.14 हैक्टर क्षेत्र में भूमि परीक्षण किया।

(234)



(राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास)

4. भूमि जल की मानिटरिंग हेतु 138 पीजोमीटर का निर्माण/इस वर्ष 40 पोजीमीटर का निर्माण का लक्ष्य।

5. 200 आवश्यकता से बड़े मार्गों का प्राकलन।

6. लूनकरणसर कृषि फार्म के 36 हैक्टर क्षेत्र में सब सरफेश ड्रेनेज के कार्य व 50x50 मीटर क्षेत्रफल में "इवापोरेशन" पीड़ का निर्माण।

7. डबली खुर्द क्षेत्र के 100 हैक्टर क्षेत्रफल में सब सरफेश ड्रेनेज का कार्य करने हेतु सर्वेक्षण पूर्ण।

8. आरडी. 838 एवं आरडी. 1120 के 110 हैक्टर क्षेत्र में सब सरफेश ड्रेनेज हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है।

9. मसीतावाली हैड के पास 9 नलकूपों का निर्माण कर पानी का मुख्य नहर में डालना।

10. सूरतगढ़ शाखा की आरडी. 61,62 एवं 63 पर 3 नलकूपों का निर्माण।

11. रावतसर शाखा के चक 3 व 4 में 15 स्कीमिंग वैल्स का निर्माण कार्य प्रगति पर।

12. लूनियां की ढाणी में पूर्व में निर्मित 5 स्कीमिंग वैल्स में बोरिंग करने का कार्य व 5 अतिरिक्त स्कीमिंग वैल्स का निर्माण।

13. आरडी. 1118 से 1120 के पास चक 2 एन.एमडी. में 10 स्कीमिंग वैल्स का निर्माण कार्य।

14. चारणवाला शाखा के पास चक 2 सीडब्ल्यूबी. में 5 स्कीमिंग वैल्स का निर्माण कार्य प्रगति पर।

15. उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर बडोपल क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले 120 नलकूपों में से अब तक 35 का निर्माण कार्य पूर्ण एवं शेष के नवम्बर, 96 तक पूर्ण होने की सम्भावना।

16. बायो ड्रेनेज के अन्तर्गत वर्ष 95-96 में 2 लाख पौधों का वितरण व वर्ष 96-97 में 2 लाख पौध वितरित करने का लक्ष्य।

17. क्षेत्र के कृषकों को समुचित जल उपयोग हेतु कृषि प्रसार प्रणाली के अन्तर्गत जानकारी उपलब्ध कराना।

18. पीजामीटर लगाकर जल स्तर के सम्पूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण व जल भराव के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराना।

## शिक्षण संस्थाओं का एक पारी में संचालन

141. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने नवीन शिक्षण सत्र से राज्य के सभी विद्यालयों को जो अब तक दो पारियों में चल रहे थे, एक पारी में चलाने का निर्णय लिया है? यदि, हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ने इस आशय का निर्णय और शैक्षिक कलेन्डर तैयार करते समय इस तथ्य का ध्यान रखा है कि जिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या अत्यधिक है, उन्हें एक पारी में बैठाने के लिए पर्याप्त भवन एवं अन्य अपेक्षित सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो क्या ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था सरकार के निर्णय के अनुरूप हो सकेगी?

(3) क्या यह सही है कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सैकण्डरी स्कूलें एक ही भवन में अलग-अलग पारियों में चल रही हैं? यदि हां, तो उक्त निर्णय के कारण होने वाली कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार से हो सकेगा?

### उत्तर

(1) प्रभावी शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थियों की अधिक समय तक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने, शिक्षक छात्र सौहार्दपूर्ण वातावरण, निर्माण, शिक्षकों की योग्यता समय एवं श्रम का प्रभावी समुचित उपयोग हेतु सम्भव एक पारी विद्यालय की व्यवस्था का निर्णय लिया गया।

(2) जी हां। सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात किया गया कि शहरी क्षेत्रों तहसील मुख्यालयों, अथवा बड़े कस्बों में 1160 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें दो पारी व्यवस्था चल रही हैं।

विद्यालय भवन जिनमें एक से अधिक विद्यालय संचालित हैं या छात्र संख्या अधिक है तथा पर्याप्त विद्यालय भवन का अभाव है, में ही दो पारी व्यवस्था है। विद्यालय जिन्हें अपरिहार्य कारणों जैसे भवन व्यवस्था आदि से एकल पारी में संचालित नहीं किया जा सकता है। उन्हें 1-2 वर्ष तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही चलाना होगा।

(3) जी हां, दो पारी विद्यालयों को एक पारी में करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करके छात्रों के दबाव को कम किया जाने पर विचार किया जा सकता है। भवन समस्या के निराकरण के प्रयास भी किये जा सकते हैं।

## जिला बूंदी के पर्यटन स्थल

142. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या पर्यटन राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? यदि हां, तो क्या बूंदी उत्सव के दौरान एवं उससे पूर्व पर्यटन स्थलों का जिलाधीश, अन्य अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो निरीक्षण के पश्चात् क्या योजनाएं बनीं और उनमें से कौन-कौन सी स्वीकृत हुई?

(2) बूंदी जिले के कौन-कौन से स्थान हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

236



(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

**(3) जिले में वर्ष 1996-97 में क्या-क्या और कौन-कौन से स्थानों को विकसित करने की सरकार की योजना है?** विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी उत्सव दिनांक 30 व 31 मार्च, 1996 तक बूंदी में आयोजित हुआ था। उत्सव के दौरान जिला कलेक्टर बूंदी व अन्य अधिकारियों द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रारम्भिक सर्वे किया गया था। इस सन्दर्भ में जिला प्रशासन द्वारा बूंदी जिले में शिल्पग्राम एवं रामगढ़ लॉज के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाई गई है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

(2) बूंदी जिले के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की सूची निम्नानुसार हैं :—

1. तारागढ़ का किला 2. चित्रशाला 3. क्षारबाग 4. रानीजी की बावड़ी 5. नवलसागर 6. धाभाई का कुण्ड 7. 84 खम्भों की छतरी 8. मीरा साहब की दरगाह 9. रामेश्वर 10. रामगढ़ अभ्यारण 11. तलवास 12. दुगारी किला 13. इन्द्रगढ़ का किला एवं विजयासन माताजी का मन्दिर 14. कमलेश्वर 15. केशवराय पाटन 16. भीमलत

(3) वर्ष 1996-97 में निम्न विकास कार्य कराये जाने की योजना है :—

| | राशि लाख रु. में |
|---|---|
| 1. पर्यटक स्वागत केन्द्र, बूंदी का निर्माण | 12.00 |
| 2. बूंदी में स्मारकों का विकास कार्य | 5.00 |
| 3. बूंदी सहित अलवर तथा झालावाड़ जिले के राजकीय भवनों की दीवारों के पेंटिंग के संरक्षण के कार्य | 10.00 |
| 4. बूंदी पर्यटन विश्रान्ती गृह का विस्तार | 10.00 |

## औषधालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

**143. श्री हरिसिंह (महुआ) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसे कितने आयुर्वेद चिकित्सालय हैं जिनमें प्रभारी चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त स्थानों पर कब तक चिकित्सकों को पदस्थापित करने का सरकार विचार रखती है?

(3) एक औषधालय का साल में कितनी बार निरीक्षण किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) ऐसे कितने औषधालय हैं जिनका साल में एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया?

उत्तर

(1) राज्य में एक आयुर्वेद चिकित्सालय में तथा 62 आयुर्वेद औषधालयों में वैद्य/आयुर्वेद चिकित्सा वर्तमान में पदस्थापित नहीं है। इन रिक्त पदों की सूची (परिशिष्ट-क) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) आयुर्वेद चिकित्सा का नवीन नियुक्ति हेतु कोई पद रिक्त नहीं होने से इन पदों पर फिलहाल पदस्थापन करना सम्भव नहीं है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(3) जिस जिले में 75 से अधिक औषधालय है वहां प्रत्येक औषधालय का वर्ष में एक बार एवं जिस जिले में 75 से कम औषधालय हैं वहां पर प्रत्येक औषधालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करने का मापदण्ड निर्धारित है।

(4) विभागान्तर्गत स्वीकृत/संचालित औषधालयों व चिकित्सालयों में से 1782 औषधालयों/चिकित्सालयों में से 1782 औषधालयों/चिकित्सालयों का वर्ष 1995-96 में एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया।

---

विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सालयों व औषधालयों में वैद्य/आयुर्वेद चिकित्सक के रिक्त पदों का औषधालयवार विवरण

(स्थिति दिनांक 20.6.96)

| क्र.सं. | नाम औषधालय | जिला | क्र.सं. | नाम औषधालय | जिला |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अखेपानकी का गढा | बांसवाड़ा | 2. | छोटी बदरेल | बांसवाड़ा |
| 3. | लोहरिया | " | 4. | रामगढ़ | " |
| 5. | लम्बाडाबरा | " | 6. | कुशलगढ़शहर | " |
| 7. | चौरनड़ा | " | 8. | देवदा | " |
| 9. | जानपालिया | बाड़मेर | 10. | मैनसर | बीकानेर |
| 11. | महाजन | बीकानेर | 12. | खेरमालिया | चित्तौड़गढ़ |
| 13. | कटवली | चित्तौड़गढ़ | 14. | नवरंगगढ़ | " |
| 15. | बरडिया | " | 16. | राजपुरा | " |
| 17. | गन्दवा | डूंगरपुर | 18. | बडगामा | डूंगरपुर |
| 19. | खेमपुर | " | 20. | बालई | " |
| 21. | चारवाड़ा | " | 22. | डबली | " |
| 23. | गढ़ जसराजपुर | " | 24. | कराड़ा | " |
| 25. | भैसरा | " | 26. | सतवण्डा | गंगानगर |
| 27. | बडोपल | गंगानगर | 28. | प्रेमपुरा | " |
| 29. | नग्गी | " | 30. | सिहडार | जैसलमेर |
| 31. | म्याजलार | जैसलमेर | 32. | जोगा | " |
| 33. | अ-श्रेणी, जैसलमेर | " | 34. | नावां | नागौर |
| 35. | उनवाण | राजसमंद | 36. | राजीकावास | जालौर |
| 37. | सांकड | जालौर | 38. | पुर | " |
| 39. | देवड़ा | " | 40. | नेरड़ | " |

(238)



(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

| क्र.सं. | नाम औषधालय | जिला | क्र.सं. | नाम औषधालय | जिला |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | माथानिया | झालावाड़ | 42. | रायपुर | झालावाड़ |
| 43. | खिचन | जोधपुर | 44. | खुडियाना | जोधपुर |
| 45. | गिलाकौर | " | 46. | जम्भेश्वर लोहावट | " |
| 47. | उदट | " | 48. | इन्द्रों की ढाणी | " |
| 49. | सेवाड़ा | सिरोही | 50. | भावल | सिरोही |
| 51. | दतानी | " | 52. | मालूताना | अलवर |
| 53. | गोरिया | पाली | 54. | बांसिया | पाली |
| 55. | कालवकलां | " | 56. | सुमेरपुर | " |
| 57. | बड़ावली | उदयपुर | 58. | अग्गड़ | उदयपुर |
| 59. | पाटिया | " | 60. | माण्डवा | " |
| 61. | काचरोदा | स. माधोपुर | 62. | मेहस्वा | सवाई माधोपुर |
| 63. | कालियात | भीलवाड़ा | | | |

## विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ में 33 के.वी.ए. ग्रिड सब स्टेशन

**144. श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ में 33 के.वी.ए. की उप चौकी बनाने के कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं? इनका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि धनारीकलां में कृषि भार क्षमता एवं वॉल्टेज की कमी के कारण कृषकों को असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 33 के.वी.ए. ग्रिड सब स्टेशन निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ में संग्राम गजसिंहपुरा में 3.15 एन. वी. ए. का 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है, जिसके निर्माण कार्य को इसी वर्ष में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है। इसी विधानसभा क्षेत्र के एक दूसरे ग्राम अनवाड़ा में 3.15 एम.वी.ए. का 33/11 के.वी. सब-स्टेशन भी स्थापित करने की स्वीकृति जारी कर इसे वर्ष 1996-97 के फेज्ड प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है।

(2) ग्राम धनारीकलां में 3.15 एम.वी.ए. 33/11 के.वी. के सब-स्टेशन के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव तकनीकी जांच हेतु विचाराधीन है।

## सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन

**145. श्री रूपाराम** (मकराना) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन में कितनी राशि व्यय की गई और उससे सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत क्षमता में कितने मेगावाट की वृद्धि हुई?

(श्री रूपाराम)

(2) वर्ष 1991 से 1996 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी राशि व्यय की गई और उससे कितने मेगावाट बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

उत्तर

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत उत्पादन कार्य में 469.05 करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा इस काल में मण्डल द्वारा संचालित विद्युत गृहों की अधिष्ठापित क्षमता में 537.42 मेगावाट की वृद्धि हुई।

(2) वर्ष 1991-92 से वर्ष 1995-96 तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने उत्पादन कार्य में लगभग 1368.60 करोड़ रुपये व्यय किये गये। मण्डल द्वारा संचालित विद्युत गृहों की अधिष्ठापित जनन क्षमता में 266.45 मेगावाट की वृद्धि हुई।

## विधानसभा क्षेत्र गंगरार से निगम बसों का संचालन

146. **श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में जयपुर से उदयपुर वाया राशमी एवं जयपुर से कानोड़ वाया राशमी होकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसें चलती थी ? यदि हां, तो कब से कब तक तक चली तथा उसकी आय कितनी थी ?

(2) क्या सरकार उक्त बसों को पुनः चालू करने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधानसभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में जयपुर से उदयपुर वाया राशमी होकर निगम वाहन माह जनवरी, 90 से जनवरी, 96 तक एवं जयपुर से कनोड़ वाया राशमी होकर माह जनवरी, 89 से 14 अप्रेल, 89 तक एवं 29 जुलाई, 89 से 13 अक्टूबर, 89 तक संचालित रही।

इन सेवाओं की संचालन अवधि में इनकी औसत आय निम्नानुसार रही :—

जयपुर से उदयपुर वाया राशमी सेवा

| वर्ष | औसत आय प्रति कि.मी. |
|---|---|
| 1989-90 | 4.55 |
| 1990-91 | 5.79 |
| 1991-92 | 6.03 |
| 1992-93 | 6.43 |
| 1993-94 | 7.13 |
| 1994-95 | 7.66 |
| 1995-96 | 7.70 |

जयपुर से कानोड़ वाया राशमी सेवा

| माह | औसत आय प्रति कि.मी. |
|---|---|
| जनवरी, 89 | 3.18 |
| फरवरी, 89 | 3.74 |
| मार्च, 89 | 3.56 |
| अप्रेल, 89 | 3.42 |
| जुलाई, 89 | 3.03 |
| अगस्त, 89 | 4.98 |
| सितम्बर, 89 | 5.29 |
| अक्टूबर, 89 | 5.25 |

(राज्य मंत्री, यातायात)

(2) जी नहीं। जयपुर से उदयपुर वाया राशमी एवं जयपुर से कानोड़ वाया राशमी होकर संचालित बस सेवाओं को पर्याप्त सीधा यात्री भार उपलब्ध ना होने से और इनकी आय लगातार संचालन लागत से भी कम रहने के कारण इनका संचालन पुनः प्रारम्भ करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

## उच्च प्राथमिक विद्यालय अमलीगढ़ (भीलवाड़ा) का नवनिर्मित भवन

**147. श्री रामरिछपाल नुवाल** (भीलवाड़ा) एवं **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या पंचायती राज राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1986-87 से 1995-96 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमली गढ़ पिछली पंचायत समिति सुबाना के नाम से भवन बनाने हेतु राशि की स्वीकृति दी गई है और पूर्व सरपंच एवं प्रशासक द्वारा इस भवन पर कार्य कराया गया? यदि हां, तो कब-कब, कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना के तहत स्वीकृत हुई? सरपंच एवं प्रशासक ने कितनी राशि किस-किस मद में खर्च की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय पर कराये गये कार्य में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया जिसके कारण उक्त भवन की पट्टियां एवं छतें तथा खिड़कियां आदि गिर गये और यह भवन बनने से पहले ही धराशाही हो गया? यदि हां, तो इस तरह का घटिया कार्य कराने के फलस्वरूप सरकार ने क्या कार्यवाही की और अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या सरकार इस तरह गलत कार्य करने वालों से यह राशि वसूल कर उन्हें सजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

### उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त विद्यालय में कराये गये कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है किन्तु भवन धराशाही नहीं हुआ है। लम्बे समय तक वीरान पड़े रहने से पांच पट्टियां टूट गई थीं एवं खिड़कियां लोग उठा ले गये थे जिसकी रिपोर्ट हमीरगढ़ थाने में करा दी गई थी भवन आज सामान्य अवस्था में है। उक्त घटिया कार्य कराने की जांच करवाई जा रही है।

(241)

**वर्ष 86-87 से 95-96 तक रा. उ. प्रा. वि., आमलीगढ़ पाछली भवन पर स्वीकृत एवं व्यय हुई राशि का विवरण निम्नानुसार है**

(राशि लाखों में)

| क्र.सं. | मद | स्वी. क्रमांक, दिनांक | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | कार्यरत सरपंच/प्रशासक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अकाल सम्वत 2043 | 86245/15.1.87 | 1.20 | 1.031 | श्री बद्री लाल जाट (पूर्व सरपंच) |
| 2. | " " 2044 | 84434/1.2.88 | 0.50 | 0.16 | " " " " |
| 3. | एन.आरई.पी./आर.एल. जी.पी. 87-88 | 1725/7.1.87 | 0.10 | 0.084 | " " " " |
| 4. | " " 88-89 | 65/22.4.88 | 1.00 | 0.915 | श्री बद्रीलाल जाट एवं श्री भंवर लाल गर्ग (पूर्व सरपंच) |
| 5. | निर्बन्ध 90-91 | 5/26.4.90 | 0.50 | 0.50 | श्री भंवरलाल गर्ग (पूर्व सरपंच) |
| 6. | अपना गांव अपना काम 93-94 | 12784/26.8.93 | 0.038 | 0.038 | श्री मोहम्मद अली, प्रशासक |
| 7. | सांसद कोटा 94-95 | 195075/5.6.95 | 0.97 | 0.60 (अग्रिम) | श्रीमती सीता देवी गर्ग (सरपंच) |
| 8. | अकाल सं. 2052 | 84288/10.6.96 | 1.00 | (कार्य चल रहा है) | " " |
| | | योग | 5.308 | 3.328 | |

## मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा शुल्क वसूली

**148. श्री जुबेर खान (रामगढ़) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं, कृषकों के मिट्टी, पानी के नमूनों के परीक्षण का कोई शुल्क वसूल करती हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर कितना शुल्क वसूल किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि स्थाई तथा भ्रमणशील मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के मिट्टी व पानी के विश्लेषण शुल्क की दरें समान हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को आबंटित बजट की राशि भारत सरकार से प्राप्त होती हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

(4) सरकार शुल्क किस कारण से वसूल करती है ? कारणों का विवरण सदन की मेज रखें।

(5) मिट्टी, पानी के नमूनों का परीक्षण शुल्क वसूलना प्रारम्भ करने के पश्चात् प्रयोगशालाओं की कार्य प्रगति में कितनी प्रतिशत कमी आई है ?

### उत्तर

(1) जी हां। निदेशक, कृषि के आदेश क्रमांक प. 6 (16) पी.एस.एम/निकृ/95/ 673-836 दिनांक 15.3.95 एवं क्रमांक पं.6 (16) पी. एस. एम/ निकृ /95/ 2509-2684 दिनांक 31.7.95 के अनुसार मिट्टी, पानी के नमूनों का परीक्षण शुल्क लिया जाता है। परिशिष्ट— क, ख, ग

(2) जी नहीं। स्थायी भ्रमणशील मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण शुल्क की दरें समान नहीं हैं।

भ्रमणशील प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण शुल्क 10/- प्रति नमूना तथा साधारण जल परीक्षण शुल्क रु. 10/- प्रति नमूना लिया जाता है, जबकि स्थायी प्रयोगशालाएं मिट्टी परीक्षण शुल्क रु. 5/- प्रति नमूना तथा साधारण जल परीक्षण हेतु रु. 10/- प्रति नमूना एवं विस्तृत जल परीक्षण हेतु रु. 20/- प्रति नमूना शुल्क लिया जाता है तथा प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा करा दी जाती है।

(3) जी नहीं। नियमित रूप से कोई राशि भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। केवल वर्ष 1994-95 में बेलेन्स एवं इन्टीग्रेटेड यूज आफ फर्टीलाईजर योजना के अन्तर्गत मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिये उपकरण क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रु. 8.65 लाख रु. स्वीकृत किये गये थे, जिसके विरुद्ध राशि रु. 7.65 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

(4) पूर्व में मिट्टी व पानी के नमूनों का परीक्षण निशुल्क किया जाता था। जिससे कृषक, दी गई सिफारिशों का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं करता था। इस लिए नमूनों के परीक्षण पर नाम मात्र की राशि लिया जाना तय किया गया ताकि कृषक परीक्षण परिणामों के आधार पर दी गयी सिफारिशों को गम्भीरता से लें व उपयोग कर फसल उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें।

(5) मिट्टी, पानी के नमूनों का परीक्षण वर्ष 1995-96 से लिया जा रहा है। नमूनों का परीक्षण शुल्क देने के कारण मृदा नमूनों की जांच हेतु 40% कम नमूने प्राप्त हुए। पानी के नमूनों की जांच हेतु 40 प्रतिशत कम नमूने प्राप्त हुए।

**(परिशिष्ट विधानसभा पुस्तकालय में रखे गये)**

**परिशिष्ट-3**

**(अतारांकित प्रश्न संख्या 155 का विवरण)**

## राज्य में विदेशी पूँजी निवेश वाली कार्यरत औद्योगिक इकाइयां

| क्र.सं. | कम्पनी का नाम | उत्पाद | देश का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | M/s. अहिंसा माइन्स& मिनरलस् लिमिटेड, बगरू, जयपुर | पॉलिश्ड् ग्रेनाइट स्लेब | इटली |
| 2. | " आकाश इंडिया प्रा.लि. भिवाड़ी, अलवर | कैपीटल फाईबर कैबिल्स | स्वीजरलैण्ड |
| 3. | " अम्बे स्नाइड आक्साइड लि. इण्डस्ट्रीयल एरिया भिवाड़ी, अलवर | सैरेमिक कलरस् | यूँके. |
| 4. | " अम्बूजा इंडिया लि. भिवाड़ी अलवर | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रीप्स् | स्पेन |
| 5. | " एशियन केन लि. उदयपुर राजस्थान | एल्यूमीनियम कैन्स एण्ड कान्टेनर्स | यू.के. |
| 6. | " भगवती गैसेस लि. झुंझुनू, राजस्थान | इण्डस्ट्रीयल आक्सीजन नाइट्रोजन | फिलीपीन्स् |
| 7. | " भीलवाड़ा सिन्थैटिक लि. 26, इण्डस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा, राज. | वूलन, वर्सटड/ब्लैडेंड फैबरिकस् | जर्मनी |
| 8. | " बांश एण्ड लाम्ब इंडिया लि. भिवाड़ी, अलवर | कान्टैक्ट लैन्स एण्ड सन ग्लासेस् | यू.एस.ए. |
| 9. | " ब्रिटिश हैल्थ प्रोडक्ट्स इंडिया लि. भिवाड़ी | न्यूट्रीटियोनल सप्लीमेंट्स हैल्थ प्रोडक्ट्स | यू.के. |
| 10. | " चौकसी मल्टीमीटरस् प्रा. लि. उदयपुर | इलेक्ट्रकल्स् इक्यूकमैन्टस् | जर्मनी |
| 11. | " क्लाइमेट सिस्टमस् इंडिया लि. भिवाड़ी | एल्यूमीनियम रेडीटर | यू.एस.ए. |
| 12. | " कान्टीनेटल ब्रेक्स लि. भिवाड़ी | ब्रेक डिस्क | यू.के. |
| 13. | " डिमेक्स ग्रेनाइट्स अलवर | पालिश्ड् ग्रेनाइट्स स्लांबस् | इटली |
| 14. | " एरिक्सन इंडिया लि. कूकस, जयपुर | टेलीफोन इक्यूपमैन्ट्स | स्वीडन |
| 15. | " फ्यूटैक्स स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. पाली, राज. | प्रीसीशन स्टील ट्यूब्स् | ताईवान |

(244)



| क्र.सं. | कम्पनी का नाम | उत्पाद | देश का नाम |
|---|---|---|---|
| 16. | " जीन्स ओवरसीज इलेक्ट्रोनिक्स लि. जयपुर | हाइब्रेड माइक्रो सर्किट | जर्मनी |
| 17. | " गोविन्द रबर लि. भिवाड़ी, अलवर | साईकिल टायर-ट्यूब | ताईवान |
| 18. | " एचईजी. लि. भीलवाड़ा | कैप्टिन वैस्ट्स हीट रिकवरी प्लान्ट्स | |
| 19. | " हिरीटेज रीसोर्ट, अलवर | होटल | हांगकांग |
| 20. | " इंडिया रबर लि. भिवाड़ी, अलवर | ट्रीड मैटेरियल्स | यू.एस.ए. |
| 21. | इंडियन शैविंग प्रोडक्ट्स लि. भिवाड़ी, अलवर | सैफ्टी रैजर ब्लैड | यू.एस.ए. |
| 22. | " इटैलियन ज्वेलरी मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि. जयपुर | प्रीसियस एण्ड सेमी-प्रोडक्ट्स स्टोन्स् | इटली |
| 23. | " केजी. पैट्रो केमीकल्स् प्रा. लि. जयपुर | HDPE/PP वूवन फैबरिक्स एण्ड सैक्स | जर्मनी |
| 24. | " महाराजा इंटरनेशनल लि. अलवर | मैन्यूफेक्चरिंग रैफिजरेटरस् एण्ड वाशिंग मशीन | स्वीडन |
| 25. | " माडर्न इन्स्यूलेटर्स लि. सिरोही | इन्स्यूलेटर्स | जर्मनी |
| 26. | " पैसिफिक ग्रेनाईट्स लि. उदयपुर | पांलिश्ड् ग्रेनाईटस् स्लांब | यू.एस.ए |
| 27. | " पोद्दार पिंगमैटस् सीतापुरा, जयपुर | मांस्टर बैचेसस् | रिपब्लिक |
| 28. | " पोलर मार्मो लि. उदयपुर | मारबल स्लांब | इटली |
| 29. | " पुनसूमी इंडिया लि. बनीपार्क, जयपुर | लां वांलटेज फारमर्ड | जापान |
| 30. | " राज. पांलीमर्स एण्ड रैजिन्स लि. आबू रोड़ | पीवीसी. रैजिन्स | रसिया |
| 31. | " राठी ग्राफिक टैक्नोलाजी टैक्नोलोजीकल्स लि. भिवाड़ी | डवलपर्स एण्ड टोनर्स | यू.एस.ए. |

| क्र.सं. कम्पनी का नाम | उत्पाद | देश का नाम |
|---|---|---|
| 32. " रविन्द्रा प्लीटिनियम प्रा.लि. उदयपुर | कैमिकल्स | जर्मनी |
| 33." रोयल इंडिया ज्वैलरी कं. प्रा.लि. मालवीया इं. एरिया, जयपुर | गोल्ड ज्वैलरी | स्पेन |
| 34. " सेमकोर ग्लास वर्कस, कोटा | ग्लास शैल फार टी.वी. | यू.एस.ए. |
| 35. " सिकपा इंडिया लि. भिवाड़ी | सिक्योरिटी इंक | स्वीटजरलैंण्ड |
| 36. " एस.आर.एफ. लि. अलवर | रैफ्रिरेटर गैसेस् | फ्रांस |
| 37. " स्टेनफोर्ड इंजनीयरिंग लि. भिवाड़ी, अलवर | एक्सवटांर मोबाइल्स टांवर क्रेन्स् | जर्मनी |
| 38. " टैक गैस इक्वीप्मैन्टस् अलवर | आक्सीजन | स्वीजर लैण्ड |
| 39. " टैरी फेब (इं.) लि. निबहेड़ा | टैरी टांवल | जापान |
| 40. " यूनीकेलर इंडिया लि. बहरोड़ | माल्ट शीट | स्वीजर लैण्ड |
| 41. " एक्स.एल.ओ. सनवा मिडलैण्ड लिमिटेड | एयर ब्रेक्स | जापान |
| 42. " विन्टर मिश्रा डायमण्ड एण्ड टूल्स लिमिटेड | डायमण्ड टूल्स | जर्मनी |
| 43. " किन्जल इंडिया समय लिमिटेड | वांच मोड्यूल्स | जर्मनी |
| 44. " निहोन इण्डिया लिमिटेड | सफेद सीमेंट | जापान |
| 45. " विन्सन ब्रेवरीज लि. अलवर | बीयर | जर्मनी |
| 46. " राजस्थान ब्रेवरीज लि. शाहजहांपुर | बीयर बारले माल्ट | यू.एस.ए. |
| 47. " ग्वालियर पाली पाईप्स लि. कोटा | पी.वी.सी. पाइप्स | कनाडा |
| 48. " कम्प्यूकोम टैक्नोलोजी प्रा.लि. जयपुर | साफ्टवेयर | यू.एस.ए. |

(246)



परिशिष्ट "ख"

## निम्नांकित विदेशी पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा परियोजना का क्रियान्वित किया जा रहा है एवं उत्पादन अगले वर्ष सम्भावित है

| क्र.सं. | कम्पनी का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|
| 1. | वर्ल्ड वाईड होर्टीकल्चर लि. | फ्लोरीकल्चर |
| 2. | विन्सन ब्रेवरीज लि. | बियर |

परिशिष्ट "ग"

## विदेशी निवेशकों के सहयोग से प्रस्तावित उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

विदेशी निवेशकों के सहयोग से लगने वाली उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों व सुविधाओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष रियायतों व सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

1. इकाइयां पूंजी विनियोजन के 20 प्रतिशत की दर से व अधिकतम 25 लाख रुपये के पूंजी विनियोजन अनुदान (सबसीडी) के लिए पात्र है।

2. उपयुक्त परियोजना की पहिचान (आईडेन्टीफाई) करने में राज्य सरकार हर सम्भव सहायता प्रदान करती है।

3. परियोजना के क्रियान्वयन की हर अवस्था पर बी.आई.पी. राज्य की विभिन्न ऐजेन्सियों से अभिस्वीकृतियां प्राप्त करने में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।

4. औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित व अविकसित भूमि उपलब्ध कराई जाती है।

5. उद्यमियों के लिए केन्द्र सरकार व केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ अनुगमन व समन्वय किया जाता है।

6. उद्यमी बी.आई.पी. के व्यापक व विस्तृत डेटा बैंक जिसमें विभिन्न सूचनाएं जैसे तकनीकी साधन, प्रोबेबल इक्विटी पार्टनर परियोजना रूपरेखा खनिज संसाधन आदि उपलब्ध हैं, का सहज उपयोग कर सकता है।

इसके अतिरिक्त उद्योग-संवर्धन ब्यूरो द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय दूतावासों के जरिये विदेशी निवेशकों से बराबर सम्पर्क रखा जा रहा है।

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 157 का विवरण)

बंजड़ भूमि विकास परियोजना द्वारा

(राशि लाखों में) (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

| क्र.सं. | कार्य का नाम | कुल लक्ष्य | | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | | 1995-96 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौ. | वि. | भौ. | वि. | भौ. | वि. | भौ. | वि. | भौ. | वि. | भौ. | वि. |
| 1. | राजकीय बंजड़ भूमि में वनीकरण का कार्य | | | | | | | | | | | | |
| | (अ) अग्रिम कार्य | 1044.19 | 34.46 | 50 | 2.91 | 98 | 5.72 | 590.00 | 26.62 | | 1.56 | 738 | 36.81 |
| | (ब) क्रिमेशन कार्य | 1044.19 | 23.01 | – | – | – | – | 120.00 | – | 422.21 | 8.88 | 542.21 | 8.88 |
| 2. | पंचायत चारागृह भूमि में चारागाह विकास का कार्य | | | | | | | | | | | | |
| | (अ) अग्रिम कार्य | 507.47 | 16.24 | 38 | 2.07 | 105 | 5.83 | 175.00 | 8.10 | 141.50 | 3.44 | 459.50 | 19.44 |
| | (ब) क्रिमेशन कार्य | 507.47 | 9.13 | – | – | – | – | 81.40 | – | 93.20 | 1.64 | 174.60 | 1.64 |
| 3. | मृदा एवं आद्रता संरक्षण के कार्य | 1552.00 | 20.17 | – | – | 100 | 3.60 | – | – | – | – | 100.00 | 3.60 |
| | | — | 103.01 | — | 4.98 | — | 15.15 | — | 34.72 | — | 15.52 | — | 70.37 |

(247)

परिशिष्ट–2

## बंजड़ भूमि विकास परियोजना डग

| क्र.सं. | कार्य का नाम | वर्ष 1996-97 हेतु लक्ष्य | | वर्ष 1996-97 में माह मई, 96 तक उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय |
| 1. | राजकीय बंजड भूमि में वनीकरण का कार्य | | | | |
| | अ- अग्रिम कार्य | 99.461 | 13.02 | – | – |
| | ब- क्रियेशन कार्य | 99.461 | 3.60 | – | – |
| 2. | पंचायत चरागाह भूमि में चरागाह विकास का कार्य | | | | |
| | अ- अग्रिम कार्य | 125.577 | 7.39 | – | – |
| | ब- क्रियेशन कार्य | 125.577 | 3.53 | – | – |
| 3. | मृदा एवं आद्रता संरक्षण के कार्य | 662 | 16.57 | – | – |
| | | – | 44.51 | – | – |

## परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 158 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1994-95 में कृषि उपज मण्डी समिति अजमेर के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्रवार कराये गये सड़क कार्यों का विवरण

| क्र.सं. | विधानसभा क्षेत्र | सड़क का नाम | निर्माण पर व्यय (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| (1) नवीन सम्पर्क सड़कें | | | |
| | (1) पुष्कर | 1- सं. सड़क डुमाड़ा भांवता रोड़ 7 किमी. से ग्राम आम्बा मसीना | 0.09 |
| | | 2. " पिसांगन गोला रोड़ से भटसूरी | 0.04 |
| | | 3. " बाईपास एन.एच. 8 से किमी. 12 से सेदरिया | 0.07 |
| | (2) नसीराबाद | 1- " बीर से दाता | 0.06 |
| (2) मरम्मत कार्य | | | |
| | (1) पुष्कर | 1- सं. सड़क कायड़ | 0.36 |
| | (2) नसीराबाद | 2- सं. सड़क खरवा से लीड़ी | 0.57 |
| | | 2- " जड़वासा भटियानी | 0.51 |

250

परिशिष्ट "ख"

**वर्ष 1995-96 में कृषि उपज मण्डी समिति अजमेर के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्रवार कराये गये सड़क कार्यों का विवरण**

| क्र.सं. | विधानसभा क्षेत्र | सड़क का नाम | निर्माण पर व्यय (लाखों में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| (1) नवीन सम्पर्क सड़कें | | | | |
| | (1) पुष्कर | 1. सं. सड़क डुमाड़ा-भावता रोड़ कि.मी. 7 से विलेड़ा आम्बा मसीना | 13.69 | |
| | | 2. सं. सड़क पीसांगन गेटा रोड़ से भटसूरी | 9.78 | |
| | | 3. " बाईपास एन.एच. 8 से कि.मी. 12 सेदरिया | 3.18 | |
| | | 4. " फाई सागर से खरखेड़ी | 5.15 | |
| | | 5. " गंगवता से छातड़ी | — | निदेशक, कृषि विपणन द्वारा बजट दिनांक 13.6.96 को ही स्वीकृत किया गया है। |
| | (2) नसीराबाद | 1. सं. सड़क बीर से दाता | 7.33 | |
| | | 2. " बाघसूरी से बनवेड़ा | 0.07 | |
| (2) मरम्मत कार्य | | | | |
| | (1) नसीराबाद | 1. सं. सड़क बिडचियावास | 0.26 | |
| | | 2. " जड़वासा से भटियानी | 1.95 | |
| | | 3. " मोडी लसेरा | 0.51 | |

**राजस्थान सरकार**

**कृषि (ग्रुप-2) विभाग**

क्रमांकः प7 (18) कृषि/ग्रुप-2/96 जयपुर, दिनांकः 28 जून, 1996

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
राज. जयपुर।

विषय : सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत की स्वीकृति।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक निकृषि/मण्डी/बजट/96/25839-41 दिनांक 11.6.96

महोदय,

निर्देशानुसार कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत करवाये जाने की राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

| क्र.सं. | नाम सम्पर्क सड़क | लम्बाई | अनु. लागत |
|---|---|---|---|
| 1. | विशेष मरम्मत सम्पर्क सड़क भवानी खेड़ा से राजोसी | 5.00 | 13.21 |
| 2. | विशेष मरम्मत सम्पर्क, सड़क कापड़ | 3.00 | 8.37 |
| | | 8.00 | 21.58 |

भवदीय
उप शासन सचिव

# परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 159 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

सि.वे.वि. में सड़क निर्माण पर वर्ष 1993-94, 94-95 व 95-96 में वित्तीय लक्ष्यों एवं खर्चों का विवरण (रुपये लाखों में)

| क्र.सं. | सड़क का नाम | 1993-94 बजट आबंटित वास्तविक | 1993-94 बजट आबंटित संशोधित | वर्ष | 1994-95 बजट आबंटित वास्तविक | 1994-95 बजट आबंटित संशोधित | वर्ष | 1995-96 बजट आबंटित वास्तविक | 1995-96 बजट आबंटित संशोधित | वर्ष | विशेष वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | मुख्य जिला सड़कें :- | | | | | | | | | | |
| 1. | दांतौर गौड़ सड़क | 3.00 | — | 0.00 | — | — | 0.05 | — | — | — | |
| 2. | गोड़ू-सुधारवाला सड़क किमी 0/0 से 80/0 | 50.00 | 75.00 | 81.31 | 100.00 | 60.00 | 54.69 | 79.00 | 170.00 | 167.36 | |
| 3. | गोड़ू-सुधारवाला सड़क किमी 80/0 से 133/0 | 43.00 | 0.49 | 0.49 | 100.00 | 20.00 | 0.23 | 90.00 | 242.00 | 250.80 | |
| 4. | सुधारवाला से शहीद बीरबल शाखा | 5.00 | 4.72 | 4.71 | 1.00 | 1.00 | 0.009 | 1.00 | 0.00 | 0.21 | |
| 5. | शहीद बीरबल शाखा से सुल्ताना पीछेवाला सड़क तक। | — | — | — | 75.00 | 50.00 | 23.81 | 65.00 | 39.00 | 37.21 | |
| 6. | साधा वितरिका के साथ-2 आरडी "0" से पीथेवाला तक सड़क। | — | — | — | 76.45 | 76.45 | 108.58 | 160.00 | 160.00 | 157.82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मुख्य जिला सड़कों का सुधार :- | | | | | | | | | | |
| 7. | कोलायत रंजीतपुरा सड़क का सुधार कार्य | 75.00 | 65.00 | 64.50 | 1.50 | 1.50 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | (–) 0.23 | |
| 8. | नाचना बाहला सड़क | 5.00 | 2.50 | 2.21 | 10.00 | 10.00 | 10.04 | – | – | – | |
| 9. | अपग्रेडेशन मोहनगढ़-हमीरा सड़क | 113.50 | 121.96 | 118.00 | 57.80 | 60.85 | 170.06 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ग्रामीण सड़कें :- | | | | | | | | | | |
| 10. | धनजी की ढाणी से डालीटाली सड़क | 2.00 | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 0.50 | – | 1.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 11. | आरडी 820 से धनजी की ढाणी | 2.00 | – | – | 0.50 | 0.50 | – | 1.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 12. | मकेरी से बीकानेर-पूगल सड़क तक | 2.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | – | 2.00 | 0.00 | – | |
| 13. | पूगल-दांतौर सड़क से आदूरी वितरिका के साथ-2 | 2.00 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.30 | – | – | – | – | |
| 14. | धनजी को ढाणी से गोडू-दांतौर किमी 26/0 बीजेरी होते हुए व 3 बीएलएम को जोड़ते हुए | 90.00 | 102.16 | 100.94 | 65.00 | 65.00 | 62.95 | 10.00 | 2.92 | 3.64 | |
| 15. | मुख्य नहर की आरडी 763 से (एडीएम वाया सम्बा) | 2.00 | – | – | 0.50 | 0.50 | 1.47 | – | – | – | |
| 16. | गोडू से बारणवाला ब्रांच की आरडी 25 तक फूलासर होते हुए | 5.00 | – | – | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 1.00 | 0.00 | – | |
| 17. | बिरसलपुर ब्रांच के छोर से फतुवाला | 50.00 | – | – | 50.00 | 25.00 | 30.97 | 75.00 | 59.25 | 61.80 | |

253

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | डालीटाली से सम्मेवाला | 36.00 | 121.28 | 124.13 | 93.00 | 93.00 | 87.80 | 2.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 19. | आरडी 1201 से अवाई ब्रांच तक | 45.00 | 41.00 | 42.27 | 2.35 | 2.35 | (–) 1.29 | 3.00 | 0.06 | 0.00 | |
| 20. | सम्पर्क सड़क एएससी अखूसर | — | — | — | 70.00 | 60.00 | 59.49 | 55.00 | 33.83 | 39.74 | |
| 21. | सम्पर्क सड़क एएससी 10/12 केएचडी | — | — | — | 54.00 | 50.00 | 33.56 | 3.00 | 3.86 | 3.86 | |
| 22. | सम्पर्क सड़क एएससी गज्जेवाला | — | — | — | 45.00 | 40.00 | 17.11 | 15.00 | 5.45 | 4.89 | |
| 23. | नाचना अपर वितरिका के साथ-2 सड़क का गोडू सुधारवाला सड़क का विस्तार | — | — | — | 40.80 | 40.80 | 26.80 | 3.00 | 2.05 | 2.05 | |
| 24. | आरडी 1305 से भेला माईनर | 45.00 | 49.00 | 48.48 | 2.00 | 2.00 | 0.02 | 2.00 | 2.50 | 1.99 | |
| 25. | सुमेरवाला माईनर की आरडी "0" से शेखूवाला वितरिका के छोर तक | — | — | — | 50.00 | 50.00 | 80.05 | 65.00 | 84.46 | 83.98 | |
| 26. | सम्पर्क सड़क एएससी जालूवाला | — | — | — | 71.00 | 71.00 | 63.97 | 55.00 | 46.00 | 37.52 | |
| 27. | सम्पर्क सड़क एएससी डाकलवाला | — | — | — | 20.00 | 20.00 | 32.18 | 33.00 | 7.73 | 07.81 | |
| 28. | सम्पर्क सड़क एएससी खारिया | — | — | — | 20.00 | 20.00 | 22.79 | 30.00 | 11.27 | 07.62 | |
| 29. | सम्पर्क सड़क एएससी जीयावाला | — | — | — | 20.00 | 20.00 | 5.13 | 30.00 | 15.00 | 23.25 | |
| 30. | मोहनगढ़-सुथारवाला सड़क झुंझुनूं वाला एवं वाइला वितरिका को क्रोस करते हुए | 40.00 | 53.80 | 53.57 | 16.00 | 16.00 | 8.56 | 07.00 | 07.00 | 02.41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | आरडी 1365 से गोदू-सुथारवाला सड़क तक | 54.00 | 70.00 | 66.03 | 20.00 | 20.00 | 16.78 | 05.00 | 04.00 | 00.05 | |
| 32. | सुल्ताना वितरिका के साथ-साथ सुल्ताना-पीथेवाला सड़क तक | — | — | — | 43.70 | 43.70 | 27.33 | 90.00 | 44.21 | 37.87 | |
| 33. | साधा वितरिका के साथ-साथ पीथेवाला से वितरिका के छोर तक | — | — | — | — | — | — | 50.00 | 80.00 | 91.07 | |
| 34. | घंटियाली वितरिका के साथ-साथ गोदू सुथारवाला सड़क से वितरिका के छोर तक एवं बाहला गांव तक | — | — | — | — | — | — | 50.00 | 40.00 | 48.57 | |
| 35. | सामरमल गोपा शाखा की आरडी 58 से शहीद बीरबल शाखा की आरडी 54 तक सड़क | 36.70 | 30.59 | 30.59 | 15.00 | 15.00 | 13.92 | 02.00 | 00.00 | 02.30 | |
| 36. | देवा के सागरमल गोपा शाखा की आरडी 58 तक सड़क | 30.00 | — | — | 20.00 | 20.00 | 10.04 | 04.00 | 00.20 | 00.08 | |
| 37. | भानीपुरा के बुकनसर तक सड़क | — | 02.32 | 03.40 | — | — | 0.03 | — | — | — | |
| 38. | बुकनसर से पिचकारिया ताल वाया पिचकारिया टीबा। | 30.00 | 35.13. | 37.09 | — | — | 0.07 | — | — | — | |
| 39. | बजरंगसर से पिचकारिया ताल | — | 1.00 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | |
| 40. | बजरंगसर से जैतसीसर | 02.00 | 02.56 | 01.61 | 0.80 | 0.80 | 0.28 | — | — | — | |

255

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | जैतसीसर से कालवासिया | 4.00 | 2.18 | 2.40 | — | — | 0.01 | — | — | — | |
| 42. | कालवासिया से रातूसर | 18.00 | 15.17 | 13.92 | 2.70 | 2.70 | 1.96 | — | — | — | |
| 43. | रातूसर से भाऊवाला वाया निमरासर | 36.00 | 32.90 | 09.27 | 23.80 | 23.80 | 22.11 | 2.00 | 0.00 | 0.59 | |
| 44. | रानासर से बनोयासर वाया डालूसर | — | 01.00 | 02.09 | 02.90 | 02.90 | 02.46 | — | — | — | |
| 45. | बनीयासर से रेलासर वाया तोलासर | — | 00.50 | 00.00 | 01.00 | 01.00 | 00.46 | — | — | — | |
| 46. | साडासर स रनसीसर वाया बिजरासर | — | 01.00 | 07.67 | 01.20 | 01.20 | 00.65 | — | — | — | |
| 47. | रनसीसर से नेनासर सुप्रेरियान वाया भोजासर छोटा बड़ा। | 64.50 | 83.24 | 95.42 | 10,50 | 10.50 | 05.42 | 4.00 | 0.00 | — | |
| कुल कार्य :- | | 914.00 | 914.14 | 911.35 | 1192.50 | 994.45 | 995.53 | 1000.00 | 1069.45 | 1069.16 | |
| | संस्थापन्न | 81.00 | 81.06 | 80.57 | 91.50 | 94.55 | 93.59 | 100.00 | 110.90 | 110.22 | |
| | योग :- | 995.00 | 995.20 | 992.92 | 1284.00 | 1089.00 | 1089.12 | 1100.00 | 1180.35 | 1179.38 | |

(257)

## परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 163 की सूची)

## बिन्दु सं. 1 से 3 तक की पूरक सामग्री/सूची

| क्र.सं. | विद्यालय का नाम | तृतीय भाषा का नाम | स्वीकृत पद | कार्यरत शिक्षक का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रासीमावि, रामगढ़ | संस्कृत | — | श्री विजय कुमार तिवाड़ी, व.अ. |
| | | पंजाबी | — | — |
| 2. | " मुबारिकपुर | उर्दू/संस्कृत | — | श्री सुशील कुमार, अध्या. |
| 3. | रामावि, नौगावां | संस्कृत | — | श्री रामसिंह, अध्यापक |
| | | पंजाबी | — | — |
| 4. | " घनेटा | संस्कृत | — | हीरालाल, वअ. |
| 5. | " आचवाड़ा | संस्कृत | — | रामकिशोर, वअ. |
| | | पंजाबी | 1 | सुरजीत सिंह, वअ |
| 6. | " साडौली | संस्कृत | — | — |
| 7. | " देसूलम | संस्कृत | — | — |
| 8. | " तांबोली | संस्कृत | — | — |
| 9. | " राबासीमावि, रामगढ़ | संस्कृत | — | — |
| | | पंजाबी | 1 | श्रीमती गुरमीत कौर, अ. |
| 10. | राबामावि, नौगावां | संस्कृत | — | — |
| 11. | राबाउप्रावि, मुबारिकपुर | संस्कृत | — | — |
| 12. | " अलावड़ा | संस्कृत | — | — |
| | | | पंजाबी | |
| 13. | राउप्रावि, रामगढ़ | संस्कृत | — | — |
| | | पंजाबी | 1 | श्रीमती गुरनाम कौर, अ. |
| 14. | " मिलकपुर | संस्कृत | — | — |
| | | पंजाबी | | श्रीमती वन्दना मल्होत्रा, अ. |
| 15. | " जिलोरा | संस्कृत | — | — |
| | | पंजाबी | 1 | |
| 16. | " बिजवा | संस्कृत | — | — |
| | | पंजाबी | 1 | श्रीमती अमरजीत कौर, अ. |
| 17. | वाटा | संस्कृत | — | — |
| | | पंजाबी | — | — |
| 18. | पिपरोली | संस्कृत | — | — |
| | | पंजाबी | — | श्रीमती बीना मेंहदीरत्ता, अ. |

268



**परिशिष्ट 8**

**(अतारांकित प्रश्न संख्या 166 की सूची)**

## भाग 1 की सूची

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | | क्र.सं. | नाम विद्यालय | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राउप्रावि., खाखोली | | 24 | राउप्रावि., बडाबरा | |
| 2. | राउप्रावि., बरागंना | | 25. | -"- | सूंपका |
| 3. | -"- | डाबड़ा | 26. | -"- | बरडवा |
| 4. | -"- | मामडोदा | 27. | -"- | दाउदसर |
| 5. | -"- | मावा | 28. | -"- | बालिया |
| 6. | -"- | बांसा | 29. | -"- | भदलिया |
| 7. | -"- | दूदोली | 30. | -"- | पावा |
| 8. | -"- | फोगडी | 31. | -"- | पालोट |
| 9. | -"- | डाकीपुरा | 32. | -"- | पीड़वा |
| 10. | -"- | लोरोलीकलां | 33. | -"- | निम्बीकलां |
| 11. | -"- | बिंचावा | 34. | -"- | खरेश |
| 12. | -"- | मौलासर | 35. | -"- | पायली |
| 13. | -"- | बेरीकलां | 36. | -"- | कलवाणी |
| 14. | -"- | शेरानी आबाद | 37. | -"- | बेडवा |
| 15. | -"- | मण्डूकरा | 38. | -"- | रसीदपुरा |
| 16. | -"- | बेगूसर | 39. | -"- | सांनिया |
| 17. | -"- | सुद्रासन | 40. | -"- | खरवालिया |
| 18. | -"- | आगुन्ता | 41. | -"- | थेबड़ी |
| 19. | -"- | दीनदानपुरा | 42. | -"- | बेरीखुर्द |
| 20. | -"- | नुवां | 43. | -"- | अलखपुरा |
| 21. | -"- | छापरीकलां | 44. | -"- | चौलूखां |
| 22. | -"- | सेवा | 45. | -"- | खोजास |
| 23. | -"- | सिंगरावटकलां | 46. | -"- | सिपाहियों की ढाणी |

**भाग 2 की सूची**

**पंचायत समिति डीडवाना में राज.उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधाहीन ग्राम**

पंचायत मुख्यालयों की सूची

1. शाणू
2. दादूवासनी

## परिशिष्ट 9

### (अतारांकित प्रश्न 170 की सूची)

वर्ष 95-96 में उ.प्रा.वि. से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालय सूची (95-96)

| जिला | पंचायत समिति | क्र.सं. | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| जयपुर | कोटपूतली | 01. | शुक्लाबास |
| | | 02. | देवता |
| | दूद | 03. | ढाणीबोदाज |
| | सांगानेर | 04. | बगरूकलां (बालिका) |
| चूरू | तारानगर | 05. | ढाणी आशा |
| | राजगढ़ | 06. | नूहन्द |
| | सुजानगढ़ | 07. | पहाड़सर |
| | डूंगरगढ़ | 08. | कितासर |
| झुंझुनूं | नवलगढ़ | 09. | झाझड़ (बालिका) |
| | नवलगढ़ | 10. | सोटवाड़ा |
| | नवलगढ़ | 11. | बसावा |
| | बुहाना | 12. | झांझा |
| | " | 13. | भूरीबास |
| | " | 14. | कांजड़ा |
| | " | 15. | पचेरी छोटी |
| | " | 16. | जैतपुरा |
| | " | 17. | कलाखरी |
| | " | 18. | पचेरी बड़ी (बालिका) |
| | सूरजगढ़ | 19. | बरेला |
| | " | 20. | कलोठकलां |
| | " | 21. | डीरवा |
| | अलसीसर | 22. | टमकौर (बालिका) |
| बीकानेर | नोखा | 23. | कक्कू |
| नागौर | मेड़तासिटी | 24. | नोखा चान्दवता |
| | डीडवाना | 25. | बेरीकला |
| | परबतसर | 26. | बैसरोली |
| | " | 27. | बिदियाद |
| | कुचामन सिटी | 28. | कुचामन सिटी नं. 2 |
| | मूण्डवा | 29. | पिडोद |

260



| जिला | पंचायत समिति | क्र.सं. | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| डूंगरपुर | सागवाड़ा | 30. | घाटोल |
| | डूंगरपुर | 31. | डूंगरपुर शहर 6 |
| जालौर | जसवन्तपुरा | 32. | सोदर स्टेशन |
| | भीनमाल | 33. | चुमडिया |
| | आहोर | 34. | कवराडा |
| सीकर | लक्ष्मणगढ़ | 35. | काछवा |
| | " | 36. | पालडी |
| | " | 37. | रतनावा माधोपुर |
| | " | 38. | भीरवा |
| | " | 39. | बासणी |
| | खण्डेला | 40. | लाखणी |
| | " | 41. | बावड़ी |
| | धोद | 42. | जेरठी (सुभाषनगर) |
| | " | 43. | मोरडूंगा |
| सीकर | फतेहपुर | 44. | रोखवाड़ी |
| | " | 45. | गोडियाबड़ा |
| चित्तौड़गढ़ | निम्बाहेड़ा | 46. | माण्डला चारण |
| | बड़ी सादड़ी | 47. | महुडा |
| | अरनोद | 48. | जाजली |
| अलवर | तिजारा | 49. | सलारपुर |
| | " | 50. | मण्डूसी |
| | निमराना | 51. | माजरा |
| | बहरोड़ | 52. | शेरपुर |
| | " | 53. | बूढ़वाल |
| | कोटकासित | 54. | बीलोहेडी |
| जोधपुर | फलौदी | 55. | उत्तराणी ढाणी |
| | लूणी | 56. | काकेलाव |
| भीलवाड़ा | सुहाणा | 57. | बरडोद |
| अजमेर | मसूदा | 58. | अंधीदेवरी |
| | केकड़ी | 59. | पारा |
| उदयपुर | सलूम्बर | 60. | टोडा |
| | उदयपुर | 61. | गोवर्धन विलास |
| टोंक | मालपुरा | 62. | बावडी सोड़ा |

| जिला | पंचायत समिति | क्र.सं. | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| हनुमानगढ़ | संगारिया | 63. | बोलावाली |
| भरतपुर | कुम्हेर | 64. | तालफरा |
| धौलपुर | राजाखेड़ा | 65. | बरेठा |
| | बसेठी | 66. | रतनपुरा |
| दौसा | दौसा | 67. | मण्डाना |
| बाड़मेर | बालोतरा | 68. | थोब |
| | बाड़मेर | 69. | कानोड़ |
| | धौरीमन्ना | 70. | क्षत्रियों की बेरी |
| जैसलमेर | जैसलमेर | 71. | हमीरा |
| पाली | जैतारण | 72. | फालका |
| सिरोही | शिवगंज | 73. | अन्दोर |
| झालावाड़ | पंचपहाड़ | 74. | पंचपहाड़ (बालिका) |
| कोटा | लाडपुरा | 75. | बोरखडी |
| स. माधोपुर | गंगापुर सिटी | 76. | मोहचा |
| | सपोटरा | 77. | मीजोरा |
| | बामनवास | 78. | गंडाल |
| बांसवाड़ा | तलवाड़ा | 79. | नीचला घंडाला |
| राजसमंद | नाथद्वारा | 80. | बागोल |
| नागौर | मकराना | 81. | जाखली |
| भरतपुर | रूपवास | 82. | नेकपुर (बालिका) |
| चूरू | चूरू | 83. | छारिया |
| पाली | बाली | 84. | पैरवा |
| अलवर | मुडावर | 85. | सातेली (बालिका) |

262



माध्यमिक विद्यालय से सी.मा. विद्यालय में क्रमोन्नत की सूची (वर्ष 1995-96)

| जिला | क्रमोन्नत विद्यालय का नाम मय पंचायत समिति |
|---|---|
| अजमेर | 01 राजियावास (जवाजा) |
| भीलवाड़ा | 02 आसिन्द (बालिका), 03 बरसनी (आसिन्द), 04 सम्भूगढ़ (आसिन्द) |
| नागौर | 05 रैन (मेड़ता) 06 मीठडी (लाडनूं) |
| टोंक | 07 दरबार मावि. (टोंक) |
| बीकानेर | 08 बज्जू (कोलायत) |
| चूरू | 09 रतनगढ़ (बालिका), 10 नवां (राजगढ़) |
| झुंझुनूं | 11 टीबाबसई (खेतड़ी), 12 बलोदा (सूरजगढ़), 13 मोही (बुहाना) 14 खान्दवा (बुहाना), 15 सांतोर (बुहाना), 16 घरडाना खुर्द (बुहाना), 17 भीमसर (झुंझुनूं), 18 इस्लामपुर (झुंझुनूं) |
| गंगानगर | 19 विजयनगर (बालिका) (अनूपगढ़) |
| हनुमानगढ़ | 20 थालडका (नोहर) 21 किशनपुरा दिखनादा (हनुमानगढ़) |
| अलवर | 22 नागल खेडिया (बहरोड), 23 जखराना (बहरोड), 24 कान्हावास (नामराना), 25 कायसा (नामराना), 26 डुमरोली (नामराना), 27 मानका (मुण्डावर) |
| भरतपुर | 28 चिकसाना (सेवर) |
| जयपुर | 29 माधोराजपुरा (फागी), 30 कोटखावदा (चाकसू) |
| सीकर | 31 खाटूश्यामजी (दांतारामगढ़) |
| बाड़मेर | 32 खण्डच (सिवाना) |
| जैसलमेर | 33 मोहनगढ़ (जैसलमेर) |
| जालौर | 34 रामसीन (सांचोर) |
| जोधपुर | 35 आऊ (फलौदी) |
| पाली | 36 चामुण्डरी (बाली), 37 आनादरा (रेवदर) |
| बारां | 38 कायला (बारां) |
| बून्दी | 39 जवाहर सागरबांध (तालेड़) |
| झालावाड़ | 40 हरिगढ़ (खानपुर) |
| स. माधोपुर | 41 खिरनी (बोली) |
| बांसवाड़ा | 42 कलिजरां (बागीदोरा) |
| चित्तौड़गढ़ | 43 धमोतरा (प्रतापगढ़) |
| डूंगरपुर | 44 रामगढ़ (आसपुर) |
| राजसमंद | 45 भीम (बालिका) (भीम) |
| उदयपुर | 46 फतेहनगर (फतेहनगर), 47 छाणी (खेरवाड़ा) |
| दौसा | 48 दौसा रेलवे स्टेशन (दौसा) |
| कोटा | 49 सुल्तानपुर (बालिका) (सुल्तानपुर) |

**परिशिष्ट 10** परिशिष्ट अ

**(अतारांकित प्रश्न संख्या 171 का विवरण)**

खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालय

| वर्ष | क्र.सं. | गांव जहां प्राथमिक विद्यालय खोली गई | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| वर्ष 94-95 | 1. | 273 आरडी. | 4 | 1. श्री सज्जन कुमार |
| | | | | 2. श्री लाल चंद थोरी |
| | | | | 3. श्रीमती पदमा कच्छावा |
| | | | | 4. सुश्री आशिया बानों |
| | 2. | 300 आरडी. | 3 | 1. श्री लीलाराम |
| | | | | 2. श्री बृज बिहारी गौड़ |
| | | | | 3. सुश्री आशा |
| | 3. | 5 एमकेएम. | 2 | 1. श्री हजारी राम |
| | | | | 2. सुश्री सुमन गौड़ |
| | 4. | फूलदेसर (कन्या) | 2 | 1. श्री राजकुमार घोगिया |
| | | | | 2. सुश्री बिम्बी खत्री |
| | 5. | 16 एमकेडी. | 2 | 1. श्री राम लाल |
| | | | | 2. सुश्री सुशीला |
| वर्ष 95-96 | | कोई नहीं | | कोई नहीं |

**क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय**

| वर्ष 94-95 | क्र.सं. | प्रा.वि. जिन्हेंउप्रावि में क्रमोन्नत किया | द्वितीय श्रेणी अध्यापक स्वीकृत | कार्यरत | तृतीय श्रेणी अध्यापक स्वीकृत | कार्यरत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| वर्ष 94-95 | 1. | राकन्या प्रावि, महाजन | 1 | 1 श्रीमती एस्टर राय | 2 | 1. श्रीमनोहर लाल |
| | 2. | राप्रावि, धीरेरा स्टेशन | 1 | 1 श्री डालूराम | 4 | 1. सुश्री शशि सोलंकी |
| | | | | | | 2. सुश्री अनामिका |
| | | | | | | 3. श्री मनोज कुमार |
| | | | | | | 4. श्री नवरत्न (पंस) |
| | 3. | राप्राविए, बींजरवाली | 1 | 1 श्री देवेन्द्र कुमार | 2 | 1. श्री रेवतराम |
| | | | | | | 2. श्री रामदास |

(264)



| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4. राप्रावि, मेहराना | 1 | 1 श्रीमती भगवानी | 4 | 1. श्री नत्थूराम<br>2. श्री गुरुप्रसाद<br>3. श्री बुलाकीदास |
| वर्ष 95-96 | 1. राप्रावि. डेलाना, छोटा | 1 | श्री मनोहर लाल | 2 | 1. श्री महेन्द्र सिंह |
| | 2. राप्रावि., राजपुरा, हुडान | 1. | – | 3 | 1. श्री श्याम लाल<br>2. श्री ताराचन्द<br>3. श्री मदनलाल (पं.स.) |
| | 3. राप्रावि. कागासर | 1 | – | 2 | 1. श्री श्रीकृष्ण<br>2. श्री राधेश्याम |
| | 4. राप्रावि. अजीतमाना | 1 | – | 3 | 1. श्री संतोष कुमार<br>3. श्री गौरीशंकर (पं.स.)<br>3. श्री सुगनाराम (पं.स.) |
| | 5 .राप्रावि., रतनीसर (कन्या) | 1 | – | 2 | – |
| | 6. राप्रावि., अमरासर | 1 | – | | 1. श्री किशनलाल<br>2. श्री मूलचंद |

परिशिष्ट 'ए'

## परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 173 का ब्यौरा)

### मदवार साक्षरता हेतु प्राप्त बजट एवं उसके अन्तर्गत अब तक हुआ व्यय का ब्यौरा

| क्र.सं. | मदवार ब्यौरा | सं.पर व्यय | लिटरेसी-केंद्र्स साक्षरता सामग्री क्रय | वातावरण निर्माण प्रचार-प्रसार कार्यक्रम | उत्प्रेरणा सामग्री | डोक्यूमेंटेशन पब्लिसिटी विज्ञापन पत्र-पत्रिका | प्रशिक्षण व्यय | कार्यशाला सेमिनार कन्सेशन | नियंत्रण मूल्यांक | परिवहन | प्रशासनिक व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | वर्ष 94-95 बजट स्वीकृत | 22500 | 5625000 | 225000 | 300000 | 200000 | 3937740 | 361000 | 700000 | 400000 | 2738000 | 14811740 |
| 2. | वर्ष 94-95 में कुल व्यय | 4061 | 447270 | 12659 | 4705 | — | — | — | — | 4452 | 29780 | 546927 |
| 3. | वर्ष 95-96 में अब तक का व्यय | 210 | 1628241 | 11904 | 22614 | 10507 | 4021 | 290 | — | 22144 | 4550 | 1709481 |
| 4. | वर्ष 95-96 का 31 मार्च तक का व्यय | - | 1388106 | 3343 | — | 5630 | 26208 | — | — | 24024 | 18679 | 1465990 |
| 5. | वर्ष 96-97 में 30 जून, 96 तक व्यय | — | 634860 | 3773 | 15840 | — | 11983 | — | — | 5082 | 5836 | 677374 |
| | **वर्ष 94-95 से 30 जून, 1996 तक का व्यय** | **4271/-** | **4098477/-** | **31679/-** | **43159/-** | **16137/-** | **42212/-** | **290/-** | **—** | **55702/-** | **63845/-** | **4399772/-** |

सचिव

जिला साक्षरता समिति राजसमंद

265

परिशिष्ट 12

सूची "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 175 की सूची)

रियांबड़ी सहायक अभियंता कार्यालय के अधीन डेगाना तहसील के गांवों की सूची

| क्र.सं. | गांव का नाम | क्र.सं. | गांव का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | कलाकावास | 31. | सनेड़िया |
| 2. | सूरियावास | 32. | कल्याणपुरा |
| 3. | रलियावती | 33. | गुढाजगमालोता |
| 4. | कगिसास | 34. | ढ़ाणीपरा |
| 5. | भेवाल चारण | 35. | राताडूण्डा |
| 6. | पयरण्डा | 36. | बाढ़ीघाटी |
| 7. | गोल | 37. | किला |
| 8. | बिखरणीयाकलां | 38. | लाखीना |
| 9. | बिखरणीकलां खुर्द | 39. | देवगढ़ |
| 10. | इटावटा लाडरवानी | 40. | घावला |
| 11. | इटावड़ा सूरपूरा | 41. | रोहिसड़ा |
| 12. | इटावड़ा भेजा | 42. | डोठियाना |
| 13. | मेबड़ा | 43. | सथानी |
| 14. | नथवड़ा | 44. | सधानाकला |
| 15. | नथावड़ी | 45. | सधानाखुर्द |
| 16. | बड़ाकला | 46. | मथानिया |
| 17. | घाटा | 47. | कोडिया |
| 18. | फाटनिया | 48. | टेहला |
| 19. | भैरूंदा | 49. | कोड |
| 20. | भोडीकला | 50. | बासनीनृसिंह |
| 21. | मोटीथाना | 51. | बासनीजग्गा |
| 22. | बोफली | 52. | आलनियावास |
| 23. | सुदवाड़ | 53. | कालनी |
| 24. | शाहपुरा | 54. | लाडपुरा |
| 25. | बनवाड़ा | 55. | पिपलियां |
| 26. | राक्यासनी | 56. | अहोजाई |
| 27. | मोटियाना | 57. | कोरियादेवा |
| 28. | शेखपुरा | 58. | माण्डलदेवा |
| 29. | जसवंतपुरा | 59. | माण्डलजोधा |
| 30. | निम्बोला बिस्वा | 60. | मोहारिया |

267

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 176 का विवरण)

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के अविद्युतीकृत ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची

| क्र.सं. | पंचायत मुख्यालय गांव का नाम | कोड नं. | क्र.सं. | पंचायत मुख्यालय गांव का नाम | कोड नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **जिला बाड़मेर** | | | | |
| 1. | बाबू गुलेरिया | 17/4/66 | 2. | पॉथी का पार | 70 |
| 3. | मिण्डे का पार | 100 | 4. | बुदा बेरी | 2 |
| 5. | गरड़िया | 118 | 6. | देरतर | 17/5/18 |
| 7. | रतासर | 9 | 8. | आरंग | 17/1/141 |
| 9. | चेचरा | 142 | 10. | भोजारिया | 17/5/7 |
| 11. | रमजान की गपन | 17/5/5 | 12. | शोभाला जैतपाल | 37 |
| 13. | भलगांव | 258 | 14. | बाबरवाला | 262 |
| 15. | केलनोर | 36 | 16. | साजीयाली रूपजी (राजोवरी) | 17/3/32 |
| 17. | कालेव | 43 | | | |
| | **जिला जैसलमेर** | | | | |
| 1. | आसलवेर | 13/2/33 | 2. | भाला | 13/1/86 |
| 3. | बासनपीर जूनी | 13/1/252 | 4. | भारेवाला | 13/2/3 |
| 5. | लालुवाला | 7 | 6. | पांचे का ताला | 15 |
| 7. | तावरीवाला | 11 | 8. | सादा | 45 |
| 9. | नेरान | 86 | 10. | कानोद | 13/1/98 |
| 11. | खींवसर | 109 | 12. | ताडाना | 90 |
| 13. | अडबाला | 353 | 14. | बैय | 388 |
| 15. | बॉधा | 28 | 16. | बेरसियोला | 286 |
| 17. | बिन्दा | 13/1/211 | 18. | छेलक | 357 |
| 19. | छतांगर | 338 | 20. | दामोदरा | 216 |
| 21. | दव | 285 | 22. | डेढ़ा | 217 |
| 23. | देवड़ा | 385 | 24. | धनाना | 203 |
| 25. | हरनाऊ | 192 | 26. | कनोई | 134 |
| 27. | छूईवाला | 66 | 28. | कोटड़ी | 291 |
| 29. | लूणार | 279 | 30. | नरसिंहों की ढाणी | 330 |
| 31. | रायमला | 15 | 32. | पोछीना | 281 |
| 33. | रासला | 311 | 34. | सम | 135 |
| 35. | शाहगढ़ | 30 | 36. | शीतोड़ाई | 327 |
| 37. | सियाम्बर | 65 | 38. | तेजपाला | 10 |
| 39. | तेजरावा | 343 | 40. | सत्याया | 13/2/20 |

268



परिशिष्ट 14

(प्रपत्र अ)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 178 का विवरण)

नागौर वृत्त के सहायक अभियंता कार्यालय कुचामनसिटी में कनेक्शनों की ग्रामवार फाइलें निम्न प्रकार से विचाराधीन हैं।

| क्र.सं. | गांव का नाम | कुल पेंडिंग | तखमीना हेतु | डिमाण्ड मांग पत्र जारी | डिमाण्ड नोटिस एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ | कार्य करने का आदेश जारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जसराना | 1 | 1 | – | – | – |
| 2. | रूपपुरा | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
| 3. | रसाल | 10 | 9 | 1 | 1 | – |
| 4. | राणास | 3 | – | 3 | – | 3 |
| 5. | आन्दपुरा | 9 | 1 | 8 | – | 8 |
| 6. | उगरपुरा | 4 | 1 | 3 | – | 3 |
| 7. | आसपुरा | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| 8. | खारियां | 3 | – | 3 | – | 3 |
| 9. | मण्डावरा | 3 | – | 3 | – | 3 |
| 10. | हरियान | 25 | 1 | 24 | – | 24 |
| 11. | बड़ागांव | 8 | 4 | 4 | 3 | – |
| 12. | लखजीकावास | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 13. | पांचवा | 21 | 15 | 6 | – | – |
| 14. | भींवला | 6 | 3 | 3 | – | 3 |
| 15. | कुकनवाली | 9 | 5 | 4 | – | – |
| 16. | करदेखीं | 4 | 1 | 3 | – | – |
| 17. | मंगलपुरा | 2 | – | 6 | – | – |
| 18. | सबलपुरा | 6 | – | 6 | – | – |
| 19. | परेबड़ी | 3 | 1 | 2 | – | – |
| 20. | रावपुरा | 4 | – | 4 | – | – |
| 21. | शिव | 10 | – | 10 | – | – |
| 22. | प्रेमपुरा | 2 | – | 2 | – | 1 |
| 23. | केरपुरा | 1 | – | 1 | – | – |
| 24. | इदौखा | 7 | 1 | 6 | – | 6 |
| 25. | इन्डासी | 2 | – | 2 | – | – |
| 26. | हरिपुरा | 1 | – | 1 | 1 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | कांलोट | | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 28. | लालाप | | 2 | - | 2 | - | - |
| 29. | बुण्डिल | | 10 | 3 | 7 | - | 7 |
| 30. | लाम्बा | | 4 | - | 4 | - | - |
| 31. | नालोट | | 8 | - | 8 | 1 | - |
| 32. | नागवाड़ा | | 2 | - | 2 | - | - |
| 33. | चितावा | | 4 | - | 4 | - | - |
| 34. | गुगड़वार | | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 35. | कालोली | | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 36. | चावर्डिया | | 10 | 2 | 8 | - | - |
| 37. | अड़कसर | | 13 | - | 13 | - | 10 |
| 38. | टोडास | | 3 | - | 3 | - | - |
| 39. | छापरी | | 2 | - | 2 | - | - |
| 40. | घाटवा | | 17 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 41. | कुचामनसिटी | | 85 | 45 | 40 | - | - |
| 42. | रावा | | 2 | 2 | - | - | - |
| 43. | जिलिया | | 5 | - | 5 | - | - |
| 44. | पारणवास | | 4 | - | 4 | - | - |
| 45. | नारायणपुरा | | 6 | 1 | 5 | - | 5 |
| 46. | पचाड़ा | | 1 | 1 | - | - | - |
| 47. | सिर्रसिंगिया | | 7 | - | 7 | - | - |
| 48. | आतीपुरा | | 1 | 1 | - | - | - |
| | योग | | 343 | 104 | 239 | 16 | 86 |

270



परिशिष्ट 15

(प्रपत्र अ)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 180 की सूची)

पंचायत समिति डूंगरपुर के उन गांवों की सूची जिनके विद्युतीकरण हेतु राशि प्राप्त हुयी और वर्ष 1995-96 के दौरान विद्युतीकरण किया गया

| गांव का नाम | कोड नं. | विद्युतीकरण का माह | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. सतौड़ा | 22/1/105 | नवम्बर,95 | |
| 2. नवागाम फरास | /106 | नवम्बर,95 | |
| 3. विजयपुरा | 22/1/319 | फरवरी,96 | |
| 4. वगरी का वाला | /325 | जनवरी,96 | |
| 5. तोरनीया | /120 | नवम्बर,95 | |
| 6. मारडी उदरांत | /317 | जनवरी,96 | |
| 7. पारडी वसिया | /217 | मार्च,96 | |
| 8. ब्योरी बेड़ा | /323 | मार्च,95 | |
| 9. गड़ा रोड़ा | /291 | दिसम्बर,95 | |
| 10. डूगला तलाब | /289 | दिसम्बर,95 | |
| 11. लाम्बा खूंटा | /288 | दिसम्बर,95 | |
| 12. खारा | /255 | जनवरी,96 | |
| 13. देवरी | /256 | नवम्बर,95 | |
| 14. परगपुर | /218 | | यह गांव विद्युतीकरण से शेष रह गया है। |

271

परिशिष्ट 16 परिशिष्ट 'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 189 का विवरण)

विभिन्न मदों में किये गये व्यय का विवरण

(करोड़ों रुपयों में)

| क्र.सं. | मद | दिसम्बर, 93 से मार्च, 94(तदर्थ) लेखों के अनुसार) | 1994-95 (अंकेक्षित लेखों के अनुसार) | 1995-96 (तदर्थ लेखों के अनुसार) | अप्रेल एवं मई, 96 (तदर्थ लेखों के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डीजल | 20.04 | 69.00 | 73.64 | 12.54 |
| 2. | आयल एवं लुब्रीकेन्ट | 1.51 | 4.59 | 4.92 | 0.34 |
| 3. | टायर, ट्यूब एवं बेट्री | 5.84 | 20.80 | 28.82 | 5.05 |
| 4. | स्पेयर पार्टस् एवं रखरखाव | 8.13 | 17.22 | 29.04 | 5.30 |
| 5. | विशेष पथकर | 12.72 | 44.94 | 50.65 | 8.63 |
| 6. | अन्तर्राज्यीय कर | 3.02 | 11.31 | 12.39 | 2.22 |
| 7. | संस्थापन व्यय | 31.94 | 114.21 | 126.81 | 22.51 |
| 8. | डेप्रीसेशन एवं ब्याज | 13.38 | 38.81 | 42.62 | 6.91 |
| 9. | बीमा, मुआवजा इत्यादि | 1.56 | 7.34 | 5.96 | 1.31 |
| 10. | वाहन कर | 0.77 | 2.30 | 2.65 | 0.49 |
| 11. | अन्य व्यय | 3.95 | 13.20 | 12.20 | 2.06 |
| 12. | अनुबन्धित वाहनों को भुगतान | 5.31 | 19.86 | 22.76 | 3.48 |
| | योग | 108.17 | 363.58 | 412.46 | 71.44 |

परिशिष्ट 17

परिशिष्ट 1

(अतारांकित प्रश्न संख्या 191 का विवरण)

**भरतपुर-जयपुर मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं की भरतपुर से प्रस्थान होने की समय सारिणी का विवरण**

| क्र.सं. | आगार | कहां से | समय | भरतपुर प्रस्थान समय | जयपुर आगमन समय | कहां को | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | धौलपुर | ग्वालियर | | 1030 | 0000 | | 0430 |
| 2. | डीलक्स | मथुरा | | 2230 | 0000 | | 0415 |
| 3. | डीलक्स | अलीगढ़ | | 2200 | 0045 | | 0500 |
| 4. | यूपी/जयपुर | हरिद्वार | | 2030 | 0500 | | 0930 |
| 5. | भरतपुर | | | 0600 | 1015 | | |
| 6. | भरतपुर | | | 0700 | 1130 | | |
| 7. | धौलपुर | धौलपुर | 0500 | 0730 | 1200 | | |
| 8. | यूपी/उदयपुर | वृन्दावन | 0515 | 0745 | 1145 | उदयपुर | 2215 |
| 9. | अजमेर | वृन्दावन | 0615 | 0815 | 1245 | पुष्कर | 1630 |
| 10. | टोंक | कामां | 0630 | 0845 | 1315 | | |
| 11. | अजमेर | अलीगढ़ | 0600 | 0900 | 1330 | अजमेर | 1645 |
| 12. | भरतपुर | राजाखेड़ा | 0630 | 0915 | 1345 | | |
| 13. | धौलपुर | धौलपुर | 0615 | 0930 | 1345 | | |
| 14. | लोहागढ़ | मथुरा | 0815 | 1000 | 1430 | जोधपुर | 2245 |
| 15. | अजमेर | फिरोजाबाद | 0700 | 1045 | 1500 | अजमेर | 1830 |
| 16. | लोहागढ़ | | | 1100 | 1530 | | |
| 17. | धौलपुर | धौलपुर | 0745 | 1115 | 1545 | वाया सेपऊ | |
| 18. | धौलपुर | धौलपुर | 0745 | 1130 | 1600 | वाया आगरा | |
| 19. | जयपुर | ग्वालियर | 0630 | 1145 | 1600 | | |
| 20. | भरतपुर | | | 1200 | 1630 | | |
| 21. | बीकानेर | आगरा | 1100 | 1230 | 1700 | बीकानेर | 0045 |
| 22. | भरतपुर | | | 1400 | 1830 | | |
| 23. | लोहागढ़ | मथुरा | 1300 | 1430 | 1900 | उदयपुर | 0600 |
| 24. | धौलपुरा | आगरा | 1300 | 1445 | 1915 | | |
| 25. | जालौर | | | 1500 | 1930 | जालौर | 0600 |
| 26. | जयपुर | बरेली | 0730 | 1515 | 1930 | | |
| 27. | धौलपुर | आगरा | 1400 | 1545 | 2015 | | |

273



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | जयपुर | लखनऊ | 0600 | 1600 | 2030 | | |
| 29. | जयपुर | सौरों | 1100 | 1615 | 2045 | | |
| 30. | भरतपुर | | | 1630 | 2100 | | |
| 31. | भरतपुर | अलीगढ़ | 1330 | 1715 | 2130 | | |
| 32. | जयपुर | हरिद्वार | 0900 | 1745 | 2200 | | |
| 33. | धौलपुर | धौलपुर | 1515 | 1800 | 2230 | वाया सेपऊ | |
| 34. | भरतपुर | | | 1800 | 2230 | | |
| 35. | धौलपुर | धौलपुर | 1500 | 1830 | 2300 | | |
| 36. | भरतपुर | आगरा | 1800 | 1930 | 2345 | उदयपुर | 0930 |
| 37. | धौलपुर | धौलपुर | 1700 | 2030 | 0100 | चित्तौड़ | 0900 |
| 38. | भरतपुर | सौरों | 1600 | 2045 | 0115 | | |
| 39. | धौलपुर | आगरा | 2030 | 2200 | 0230 | अजमेर | 0530 |
| 40. | टोंक | फिरोजाबाद | 1900 | 2215 | 0245 | | |
| 41. | भरतपुर | अलीगढ़ | 1930 | 2245 | 0315 | अजमेर | 0615 |
| 42. | ब्यावर | आगरा | 2130 | 2300 | 0330 | ब्यावर | 0715 |
| 43. | भरतपुर | आगरा | 2200 | 2330 | 0345 | जोधपुर | 1145 |

जयपुर-भरतपुर मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का जयपुर से प्रस्थान समय दर्शाते हुए समय सारिणी का विवरण परिशिष्ट 7

| क्र.सं. | आगार | कहां से | समय | जयपुर प्रस्थान समय | भरतपुर आगमन समय | कहां को | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | भरतपुर | जोधपुर | 1615 | 0030 | 0430 | आगरा | 0600 |
| 2. | भरतपुर | उदयपुर | 1445 | 0100 | 0515 | आगरा | 0645 |
| 3. | भरतपुर | | | 0200 | 0615 | | |
| 4. | धौलपुर | चित्तौड़ | 1830 | 0245 | 0645 | धौलपुर | 1000 |
| 5. | धौलपुर | | | 0400 | 0815 | धौलपुर | 1030 |
| 6. | जालौर | जालौर | 1730 | 0430 | 0900 | | |
| 7. | यूपी/जयपुर | | | 0500 | 0900 | हरिद्वार | 1800 |
| 8. | धौलपुर | | | 0530 | 0930 | धौलपुर | 1300 |
| 9. | जयपुर | | | 0545 | 1000 | बरेली | 1615 |
| 10. | लोहागढ़ | उदयपुर | 2000 | 0645 | 1045 | मथुरा | 1215 |
| 11. | जयपुर | | | 0730 | 1130 | लखनऊ | 2200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | भरतपुर | | | 0745 | 1200 | अलीगढ़ | 1515 |
| 13. | भरतपुर | | | 0830 | 1300 | आगरा | 1430 |
| 14. | अजमेर | अजमेर | 0545 | 0845 | 1245 | अलीगढ़ | 1600 |
| 15. | जयपुर | | | 0900 | 1315 | ग्वालियर | 1800 |
| 16. | भरतपुर | | | 0930 | 1345 | | |
| 17. | जयपुर | | | 1000 | 1415 | सौरों | 1945 |
| 18. | अजमेर | अजमेर | 0730 | 1025 | 1445 | फिरोजाबाद | 1815 |
| 19. | धौलपुर | | | 1100 | 1515 | धौलपुर | 1900 |
| 20. | टोंक | | | 1115 | 1530 | कामां | 1745 |
| 21. | भरतपुर | | | 1130 | 1545 | राजाखेड़ा | 1915 |
| 22. | धौलपुर | | | 1145 | 1600 | धौलपुर | 1930 |
| 23. | बीकानेर | बीकानेर | 0500 | 1230 | 1645 | आगरा | 1815 |
| 24. | धौलपुर | अजमेर | | 1330 | 1745 | धौलपुर | 2100 |
| 25. | अजमेर | पुष्कर | 0945 | 1345 | 1800 | वृन्दावन | 1945 |
| 26. | भरतपुर | | | 1430 | 1845 | आगरा | 2030 |
| 27. | धौलपुर | | | 1445 | 1915 | धौलपुर | 2245 |
| 28. | जयपुर | | | 1500 | 1900 | हरिद्वार | 0600 |
| 29. | लोहागढ़ | जोधपुर | 0700 | 1515 | 1930 | | |
| 30. | उदयपुर | उदयपुर | 0500 | 1530 | 1930 | वृन्दावन | 2200 |
| 31. | भरतपुर | | | 1545 | 2000 | | |
| 32. | धौलपुर | | | 1630 | 2045 | धौलपुर | 0030 |
| 33. | लोहागढ़ | | | 1730 | 2200 | | |
| 34. | धौलपुर | | | 1800 | 2215 | धौलपुर | 0200 |
| 35. | भरतपुर | | | 1830 | 2245 | सौरों | 0330 |
| 36. | धौलपुर | | | 1900 | 2315 | धौलपुर | 0300 |
| 37. | भरतपुर | अजमेर | 1615 | 1930 | 0000 | अलीगढ़ | 0330 |
| 38. | भरतपुर | | | 2000 | 0015 | सौरों | 0500 |
| 39. | धौलपुर | | | 2100 | 0115 | ग्वालियर | 0700 |
| 40. | ब्यावर | ब्यावर | 1540 | 2130 | 0145 | आगरा | 0330 |
| 41. | डीलक्स | | | 2200 | 0215 | अलीगढ़ | 0500 |
| 42. | धौलपुर | | | 2200 | 0215 | धौलपुर | 0600 |
| 43. | डीलक्स | | | 2230 | 0230 | मथुरा | 0415 |
| 44. | टोंक | | | 2230 | 0245 | फिरोजाबाद | 0615 |
| 45. | धौलपुर | | | 2300 | 0315 | धौलपुर | 0900 |

## परिशिष्ट 18

**(अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का विवरण)**

परिशिष्ट "क"

**राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोहनपुरा जोधपुर (कोटपूतली) (जयपुर) में वर्ष 1991-92 से मई, 1996 तक पदस्थापित व कार्यरत कर्मचारियों का विवरण**

**वैद्य/चिकित्सक पद**

| | |
|---|---|
| 1. श्रीमती ऊषा सेठी | सितम्बर, 1991 से जुलाई, 1992 तक पदस्थापित व कार्यरत |
| 2. श्री वृद्धिचन्द शर्मा | अगस्त, 1992 से 26 दिसम्बर, 1992 तक पदस्थापित किन्तु कार्यग्रहण नहीं किया। |
| 3. श्री महावीर प्रसाद | 26 दिसम्बर, 1992 से 29 जुलाई, 1993 तक पदस्थापित, किन्तु कार्यग्रहण नहीं किया। |
| 4. श्रीमती माधुरी शांडिल्य | 30 जुलाई, 1993 से 13 फरवरी, 1996 तक पदस्थापित, किन्तु कोर्ट स्टे के कारण पुरानी बस्ती जयपुर के औषधालय में कार्यरत। |
| 5. श्रीमती मनीषा जैन | दिनांक 27 मार्च, 1996 से निरन्तर पदस्थापित व कार्यरत (वर्तमान में अवकाश पर) |

**नर्स-कम्पाउण्डर पद**

| | |
|---|---|
| 1. श्री हनुमान प्रसाद | दिनांक 5.12.90 से 25.5.96 तक पदस्थापित व कार्यरत |
| 2. श्री बनवारीलाल शर्मा | दिनांक 26.5.96 से निरन्तर पदस्थापित व कार्यरत |

**परिचारक पद**

| | |
|---|---|
| 1. श्री सूण्डाराम | अप्रेल, 91 से अगस्त, 91 तक पदस्थापित व कार्यरत |
| 2. श्री प्रभुदयाल मीणा | सितम्बर, 91 से अगस्त, 92 तक पदस्थापित व कार्यरत |
| 3. श्री धर्मवीर सैन | सितम्बर, 92 से जुलाई, 1994 तक पदस्थापित व कार्यरत |
| 4. श्री कैलाशचन्द्र शर्मा | अगस्त, 1994 से 25.5.96 तक पदस्थापित व कार्यरत |

परिशिष्ट "ख"

**राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोहनपुरा जोधपुर (कोटपूतली-जयपुर) में सृजित पदों के विरुद्ध वर्ष 1991-92 से मई, 1996 तक उठाये गये वेतन आदि का विवरण**

| क्र.सं. | कर्मचारी का नाम व अवधि जिसका वेतन उठाया गया | राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| | **वैद्य/चिकित्सक पद** | |
| 1. | अप्रेल, 91 से जुलाई, 91 तक पद रिक्त रहा है, वेतन नहीं उठाया गया है। | |
| 2. | श्री शैलेन्द्र कुमार<br>अगस्त, 1991 | 3060.00 |
| 3. | श्रीमती उषा सेठी<br>सितम्बर, 1991 से जुलाई, 1992 तक | 41386.00 |
| 4. | श्री मोहनलाल त्रिवेदी<br>अगस्त, 1992 से दिसम्बर, 1992 तक | 20890.00 |
| 5. | जनवरी, 1993 से सितम्बर, 1993 तक पद रिक्त रहा, वेतन नहीं उठाया गया। | |
| 6. | श्री शिवदयाल वशिष्ठ<br>अक्टूबर, 1993 से जुलाई, 1994 तक | 56456.00 |
| 7. | श्री जयशंकर शर्मा<br>अगस्त, 1994 से दिसम्बर, 1995 तक | 117917.00 |
| 8. | श्री रघुनन्दन शर्मा<br>जनवरी, 1996 | 6577.00 |
| 9. | फरवरी, 1996 से मार्च, 1996 तक पद रिक्त रहा, वेतन नहीं उठाया गया। | |
| 10. | श्रीमती मनीषा जैन<br>अप्रेल, 96 से मई, 96 | वेतन ड्रा नहीं किया गया |
| | **नर्स-कम्पाउण्डर पद** | |
| 1. | श्री हनुमान सहाय<br>अप्रेल 1991 से मई, 1996 तक | 162105.00 |

(277)



| क्र.सं. | कर्मचारी का नाम व अवधि जिसका वेतन उठाया गया | राशि (रुपयो में) |
|---|---|---|
| **प्रचारक पद** | | |
| 1. | श्री सुन्दाराम | |
| | अप्रेल, 1991 से अगस्त, 1991 तक | 6275.00 |
| 2. | श्री प्रभुदयाल मीणा | |
| | सितम्बर/1991 से मार्च, 1992 तक | 9220.00 |
| | (अप्रेल/92 से अगस्त/92 तक अवकाश पर रहे जिसका वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है) | |
| 3. | श्री धर्मवीर | |
| | सितम्बर, 1992 से जून, 1993 तक | 10501.00 |
| | (जुलाई, 1993 से नवम्बर, 1993 तक अवकाश पर रहे जिसका वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है) | |
| | दिसम्बर, 1993 से जुलाई, 1993 तक | 1398.00 |
| 4. | श्री कैलाशचन्द | |
| | अगस्त, 1994 से 25.5.96 तक | 47981.00 |

नोट : –

1. श्री शैलेन्द्र कुमार का वेतन अगस्त, 1991 का उक्त औषधालय में पद रिक्त रहने के कारण उठाया गया।

2. श्री मोहनलाल त्रिवेदी जिनका पदस्थापन चारणदास औषधालय में था, वहां व्यवस्था नहीं होने से जिला आयुर्वेद अधिकारी, कार्यालय में कार्यरत रहे। इनका अगस्त 92 से दिसम्बर 92 तक का वेतन उक्त औषधालय से उठाया गया।

3. श्री शिवदयाल वशिष्ठ का स्थानान्तरण औषधालय पुरानी बस्ती जयपुर किया गया था। वहां से श्रीमती माधुरी शांडिल्य का स्थानान्तरण इस औषधालय में किया गया था, जिन्होंने कोर्ट स्टे ले लिया। श्री वशिष्ठ ने जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में कार्य किया तथा वेतन उक्त औषधालय से उठाया गया।

278



4. श्री जयशंकर शर्मा ने कार्य पुरानी बस्ती जयपुर के औषधालय में किया तथा वेतन उक्त औषधालय में पद रिक्त होने से उठाया गया।

5. श्री रघुनन्दन शर्मा, स्थानान्तरण उपरान्त आदेश प्रतीक्षणाधीन रहे उक्त औषधालय में पद रिक्त होने से इनका वेतन उठाया गया।

---